सत्यमेव जयते

73वीं वार्षिक विवरणी 2022-23

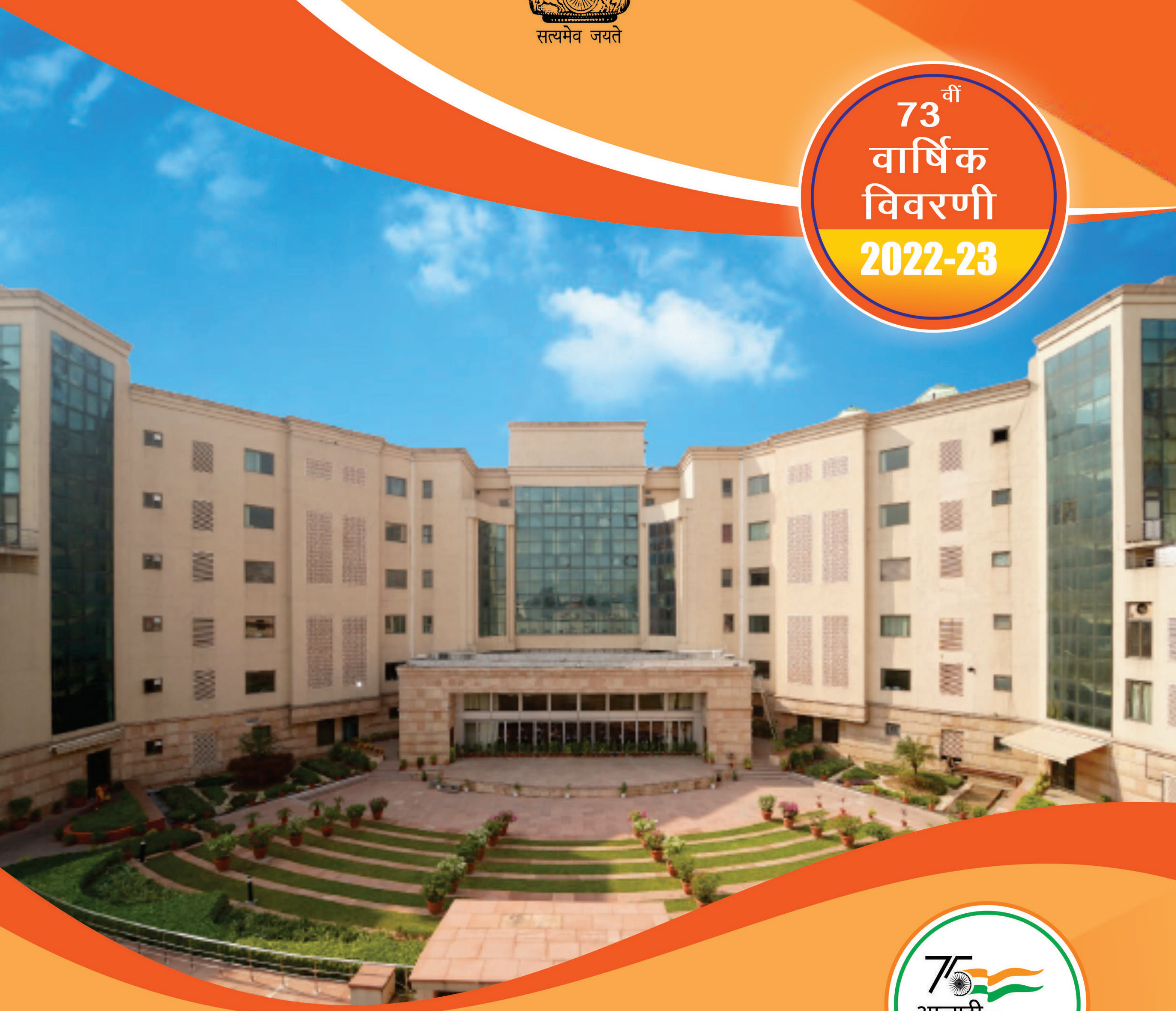

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संघ लोक सेवा आयोग

धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली – 110069

सत्यमेव जयते

73वीं वार्षिक विवरणी
(2022–23)

संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड
नई दिल्ली – 110069
http://www.upsc.gov.in

सत्यमेव जयते

संविधान के अनुच्छेद 323(1) की अपेक्षानुसार
संघ लोक सेवा आयोग
अपनी तिहत्तरवीं वार्षिक विवरणी राष्ट्रपति को
प्रस्तुत करता है।

यह विवरणी 01 अप्रैल, 2022 (चैत्र 11, 1943 शक) से
31 मार्च, 2023 (चैत्र 10, 1945 शक) तक की
अवधि के लिए है।

प्राक्कथन

संघ लोक सेवा आयोग (सं.लो.से.आ.) की वर्ष 2022—2023 की 73वीं वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

लगभग एक सदी की गौरवशाली विरासत के साथ, संघ लोक सेवा आयोग ने अपने आपको भारत के सर्वाधिक विश्वसनीय संवैधानिक संस्था के रूप में विकसित किया है। यह संघ की सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का सही, न्यायोचित और निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं का अनुसरण करता है। अपने कार्यकलाप के सभी क्षेत्रों में, आयोग की विशिष्टता उसकी पारदर्शिता और निष्पक्षता है।

संपूर्ण विश्व में भर्ती के तरीकों, चयन की प्रक्रियाओं और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हो रहे हैं। इससे भर्ती करने वाले निकायों के समक्ष नई चुनौतियां आयी हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी दुनिया में हो रहे सुधारों के साथ तालमेल बनाए रखें। यह आज और भी अधिक जरूरी है कि भर्ती करने वाले निकाय अपनी संस्थागत और मानव क्षमताओं को सुदृढ़ करें। आयोग ने हमेशा आधुनिक तौर—तरीकों की चुनौतियों को स्वीकार करने का प्रयास किया है और संगठन में गुणात्मक सुधार लाने और भारत की सर्वाधिक प्रतिष्ठित परीक्षाओं को संचालित करने के लिए अपनी स्वयं की कुछ प्रणालियाँ विकसित की हैं और उन्हें अपनाया है।

यह वार्षिक विवरणी उन कार्यों की एक सुव्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिन्हें आयोग पूर्ण समर्पण और सत्यनिष्ठा के साथ पूरा करता है।

मनोज सोनी

अध्यक्ष

विषय सूची

प्राक्कथन (v)

संकेताक्षरों की सूची (xi-xii)

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग की संरचना (xiii)

अध्यायों की सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	मुख्य विशेषताएं	1-3
2.	संक्षिप्त इतिहास एवं विगत वर्षों के दौरान कार्यभार	5-10
3.	परीक्षा द्वारा भर्ती	11-17
4.	चयन द्वारा सीधी भर्ती	19-23
5.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व	25-28
6.	भर्ती नियम, सेवा नियम तथा भर्ती की पद्धति	29-31
7.	पदोन्नतियां और प्रतिनियुक्तियां	33-40
8.	अनुशासनिक मामले	41-42
9.	अनुशासनिक मामलों में सरकार द्वारा आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया जाना	43-68
10.	आयोग की सलाह को लागू करने में विलम्ब	69-71
11.	प्रशासन, प्रशिक्षण और वित्त	73-74
12.	विविध	75-79
	कृतज्ञता ज्ञापन	81

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	आयोग के माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यों के जीवन–वृत्त।	82-87
2.	उम्मीदवारों/कार्मिकों की उपयुक्तता से संबंधित – आयोग द्वारा की गई अनुशंसाएं।	88
3.	आयोग द्वारा की गई अनुशंसाएं – छूट संबंधी मामलों, वरिष्ठता तथा सेवा संबंधी मामलों से संबंधित।	88
4.	आयोग द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित परीक्षाएं।	89-90
5.	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित की गई, लेकिन वर्ष 2022–23 के दौरान पूरी की गई/अंतिम रूप दी गई परीक्षाएं।	91
6.	वर्ष 2022–23 के दौरान आरक्षित सूची के माध्यम से उन परीक्षाओं के संबंध में अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या, जिनमें आरक्षित सूची नियम लागू होता है।	92
7.	वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित की गई परीक्षाओं के अन्तर्गत आने वाली सेवाएं।	93-96
8.	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा–2021 तथा 2022 में बैठे उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा देने के माध्यम (भारतीय भाषाएं/अंग्रेजी) को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण।	97-100
9.	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा–2021 : उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण।	101-114
10.	इंजीनियरी सेवा परीक्षा–2022 : उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण।	115-122
11.	भारतीय वन सेवा परीक्षा–2021: उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण	123-130
12.	इंजीनियरी, चिकित्सा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी तथा गैर–तकनीकी पदों की मंत्रालय–वार संख्या, जिन्हें वर्ष 2022–23 के दौरान विज्ञापित किया गया।	131
13.	इंजीनियरी पदों का विषयवार विवरण, जिन्हें वर्ष 2022–23 के दौरान अंतिम रूप दिया गया।	132
14.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों का विषयवार विवरण, जिन्हें वर्ष 2022–23 के दौरान अंतिम रूप दिया गया।	133
15.	गैर–तकनीकी पदों का विषयवार विवरण, जिन्हें वर्ष 2022–23 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया।	134
16.	विषयवार चिकित्सा पद, जिन्हें वर्ष 2022–23 के दौरान अंतिम रूप दिया गया।	135-136

परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ संख्या
17.	वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित किए गए भर्ती परीक्षण।	137-139
18.	वर्ष 2022–23 के दौरान अंतिम रूप दिए गए विपुल भर्ती वाले मामले।	140-143
19.	संवर्गों को दर्शाने वाला विवरण जहां भा.प्र.से.(रा.सि.से.), भा.पु.से. एवं भा.व.से. संवर्ग और भा.प्र.से.(गै.रा.सि.से.) के सम्बन्ध में 2021 में कोई चयन सूची तैयार करनी अपेक्षित नहीं थी–शून्य रिक्ति ।	144
20.	अखिल भारतीय सेवाओं में समावेशन–वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित बैठकें।	145-146
21.	वर्ष 2022–23 में आयोजित की गई पुनरीक्षा चयन समिति (आरएससीएम) की बैठकें।	147
22.	अखिल भारतीय सेवाएं – चयन सूची 2021 के संदर्भ में वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित नहीं की गई चयन समिति की बैठकें।	148-149
23.	मंत्रालय/विभाग/संघ शासित क्षेत्र, जिन्होंने वर्ष 2022–23 के दौरान ग्रुप 'क' एवं ग्रुप 'ख' के पदों/सेवाओं में की गई तदर्थ नियुक्तियों की अर्ध–वार्षिक विवरणियां नहीं भेजीं।	150-153
24.	अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का मंत्रालय/विभागवार विवरण तथा विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान आरक्षित/अनारक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्ति हेतु अनुशंसित किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।	154
25.	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों की भर्ती।	155
26.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित उन पदों की सूची, जिनके लिए इन वर्गों के किसी भी उम्मीदवार ने वर्ष 2022–23 के दौरान आवेदन नहीं किया।	156
27.	वर्ष 2022–23 के दौरान चयन द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों की संख्या।	157-159
28.	वर्ष 2022–23 के दौरान निपटाए गए अनुशासनिक मामले।	160
29.	वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा अनुशासनिक मामलों में दिए गए परामर्श का मंत्रालय–वार विवरण।	161

परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ संख्या
30.	सरकार द्वारा भर्ती नियम अधिसूचित नहीं किए जाने वाले मामलों की संख्या और विलम्ब की अवधि दर्शाने वाला विवरण (31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार)।	162-165
31.	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली,1958 के जारी होने के बाद से संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से पृथक किए गए पद/सेवाएं।	166-171
32.	आयोग के कर्मचारियों की संवर्ग एवं समूहवार संख्या तथा पदों की संख्या का विस्तृत विवरण।	172-176
33.	आयोग का संगठनात्मक चार्ट (31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार)।	177-178
34.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों तथा दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व।	179
35.	वर्ष 2022–23 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग की प्राप्तियां एवं व्यय दर्शाने वाला विवरण।	180
36.	आयोग के पूर्व अध्यक्षों तथा सदस्यों की सूची (1926 से)।	181-185

संकेताक्षरों की सूची

प्रशा.	प्रशासन
अ.भा.से.	अखिल भारतीय सेवा
अप.	अपराह्न
स.भ.नि.आ.	सहायक भविष्य निधि आयुक्त
प.आ.अ.	पद आवेदक अनुपात
एपी.	पदोन्नति द्वारा नियुक्ति
एडीटी	प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति
इं.स्ना.	इंजीनियरी स्नातक
वि.स्ना. (इंजी)	विज्ञान (इंजीनियरी) स्नातक
प्रौ.स्ना. (बीटेक)	प्रौद्योगिकी स्नातक
के.प्र.अ.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
के.सि.से. (व.नि.अ) नियमावली	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली
मु.इं.	मुख्य इंजीनियर
के.लो.नि.वि.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
के.स.आ.से	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा
के.स.आ	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
वि.(डि.ऑफ)	–––– विभाग
वि.(डि)	विभाग
रो.एवं प्र.महा. निदे.	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय
अनुशा.प्रा	अनुशासनिक प्राधिकारी
का.एवंप्र.वि.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
दू.सं.वि.	दूरसंचार विभाग
वि.प.स.	विभागीय पदोन्नति समिति

उ.स.	उपसचिव
क.भ.नि.सं.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
क.रा.बी.नि.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
प.सु.	परीक्षा सुधार
पू.	पूर्वाह्न
भू.वि.प.	भूविज्ञानी परीक्षा
महा.प्र.	महाप्रबंधक
सर.	सरकार
स.	समूह
भा.प्र.से.	भारतीय प्रशासनिक सेवा
भा.आ.से.	भारतीय आर्थिक सेवा
भा.व.से.	भारतीय वन सेवा
भा.वि.से.	भारतीय विदेश सेवा
जां.अ.	जांच अधिकारी
भा.डा.से.	भारतीय डाक सेवा
भा.पु.से.	भारतीय पुलिस सेवा
भा.सां.से.	भारतीय सांख्यिकी सेवा
अ.सं.स.	अल्पकालिक संविदा सहित
सं.स.	संयुक्त सचिव
लाख	गणना संख्या = 1,00,000 मापने की इकाई के रूप में प्रयुक्त
क.नि. (एम.ए.)	कला निष्णात
दि.न.नि.	दिल्ली नगर निगम
वा.नि.. (एम.कॉम)	वाणिज्य निष्णात
इं.नि.(एम.ई.)	इंजीनियरी निष्णात

वि.नि.(एम. एससी.) (इंजी.)	विज्ञान निष्णात (इंजीनियरी)
प्रौ.नि. (एम.टैक.)	प्रौद्योगिकी निष्णात
मं.	––––––––––––मंत्रालय
वि.	विविध
से. का स.	सेवा का सदस्य
एम.टी.एस.	मल्टी टास्किंग स्टाफ
रा.रा.क्षे.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
न.दि.न.प.	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्
को.उ.न.पा.ग.	कोई उपयुक्त नहीं पाया गया
सं.	संख्या
गै.रा.सि.से.	गैर–राज्य सिविल सेवा
नि.सा.स.	निपटान का सामान्य समय
अ.पि.व.	अन्य पिछड़े वर्ग
रा.भा.	राजभाषा
प्र.नि.स.	प्रधान निजी सचिव
नि.स.	निजी सचिव
दिव्यां.ज.	दिव्यांगजन
अनुशं.	अनुशंसित
भ.	भर्ती
से.नि.	सेवानिवृत्त

प.अ.अ.	पद अनुशंसा अनुपात
अनु.सां.एवं वि.	अनुसंधान, सांख्यिकी एवं विश्लेषण
अ.जा.	अनुसूचित जाति
च.स.बै.	चयन समिति की बैठक
रा.सि.से.	राज्य सिविल सेवा
वि.अ.या.	विशेष अनुमति याचिका
अनु.अधि.	अनुभाग अधिकारी
व.प्र.नि.स.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
अ.अ./आशु. (ग्रेड–ख/ ग्रेड I)सी.वि. प्र.प.	अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड–ख/ ग्रेड– I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा
अ.ज.जा.	अनुसूचित जन जाति
ए.खि.प्र.	एकल खिड़की प्रणाली
उ.श्रे.लि.	उच्च श्रेणी लिपिक
अना.	अनारक्षित
अव.स.	अवर सचिव
सं.रा.क्षे.	संघ राज्य क्षेत्र
सत.	सतर्कता
से प्र.	.........से प्रभावी
व.	वर्ष

संघ लोक सेवा आयोग

(दिनांक 1.4.2022 से 31.3.2023 तक की अवधि के दौरान आयोग की संरचना)

1.	प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी	अध्यक्ष	दिनांक 04.04.2022 (अपराह्न) को कार्यालय से पदत्याग कर दिया।
2.	डॉ. मनोज सोनी	सदस्य	संविधान के अनुच्छेद 316–(1क) के तहत दिनांक 05.04.2022 (पूर्वाह्न) से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद के कर्तव्य निर्वहन के लिए नियुक्त किए गए।
3.	सुश्री स्मिता नागराज	सदस्य	
4.	सुश्री एम. सत्यवती	सदस्य	
5.	श्री भारत भूषण व्यास	सदस्य	दिनांक 14.11.2022 (अपराह्न) को कार्यालय से पदत्याग कर दिया।
6.	डॉ. टी.सी.ए. अनंत	सदस्य	दिनांक 02.01.2023 (अपराह्न) को कार्यालय से पदत्याग कर दिया।
7.	श्री राजीव नयन चौबे	सदस्य	
8.	लेफ्टिनेन्ट जनरल राज शुक्ला (सेवानिवृत्त)	सदस्य	दिनांक 18.07.2022 (पूर्वाह्न) को कार्यभार ग्रहण किया।
9.	सुश्री प्रीति सूदन	सदस्य	दिनांक 29.11.2022 (पूर्वाह्न) को कार्यभार ग्रहण किया।

अध्याय–1

मुख्य विशेषताएं

I. परीक्षा

वर्ष 2022–23 के दौरान, आयोग ने परीक्षा द्वारा भर्ती की पद्धति के अन्तर्गत कुल 15 परीक्षाओं का आयोजन किया। इनमें से, 11 परीक्षाएं सिविल सेवाओं/पदों हेतु चयन के लिए और 04 परीक्षाएं रक्षा सेवाओं के लिए आयोजित की गईं। इन परीक्षाओं के लिए कुल 33,51,916 आवेदन प्राप्त हुए और प्रोसेस किए गए। सिविल सेवाओं/पदों हेतु 5,337 उम्मीदवारों तथा रक्षा सेवाओं/पदों हेतु 22,685 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया। रक्षा सेवाओं के लिए साक्षात्कार रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) द्वारा आयोजित किए गए। विभिन्न पदों के लिए कुल 4,195 उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई। इनमें से सिविल सेवाओं/पदों के लिए कुल 2,721 उम्मीदवारों और रक्षा सेवाओं/पदों के लिए 1,474 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई।

(अध्याय–3)

2. परीक्षा द्वारा भर्ती की पद्धति के अन्तर्गत भरे जाने वाले अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. तथा ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 1,697 पदों हेतु आयोग ने 1409 उम्मीदवारों की अनुशंसा की। इनमें अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. तथा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के वे 93 उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिनकी अनुशंसा उनके लिए आरक्षित पद के लिए किंतु सामान्य मानदंडों पर उन मामलों में की गई है जहां आरक्षित सूची तैयार की जाती है। उनकी अंतिम स्थिति, आरक्षित सूची लागू किए जाने पर सेवा आबंटन के बाद स्पष्ट होगी। उपर्युक्त के अलावा, जिन परीक्षाओं के संबंध में आरक्षित सूची का प्रावधान नहीं है, उनमें अनारक्षित पदों के लिए 154 उम्मीदवारों की अनुशंसा सामान्य मानदंड के आधार पर की गई।

(अध्याय–5)

3. परीक्षा द्वारा भर्ती की पद्धति के अंतर्गत नियुक्ति का प्रस्ताव, संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा भेजा जाता है। नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने में हुए विलंब के 266 मामलों की सूचना प्राप्त हुई।

(अध्याय–10)

4. आयोग को उम्मीदवारों द्वारा सूचना छिपाने, झूठी सूचना/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने, मोबाइल फोन रखने, अनुचित साधनों का प्रयोग करने आदि से संबंधित 07 मामलों की सूचना प्राप्त हुई। आयोग ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया और निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, दोषी उम्मीदवारों पर, उनकी उम्मीदवारी के निरस्तीकरण से लेकर आयोग द्वारा आयोजित भावी परीक्षाओं/चयनों से 10 वर्ष तक विवर्जित करने तक की शास्ति अधिरोपित की गई ।

(अध्याय–12)

5. वर्ष 2022–23 के दौरान लागू किए गए परिवर्तन:

(i) वित्तीय वर्ष 2021–2022 के दौरान हिमाचल प्रदेश में दो नए परीक्षा केन्द्र यथा मंडी और धर्मशाला आरंभ किए गए। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान इन परीक्षा केन्द्रों का

प्रचालन सिविल सेवा (प्रारंभिक), राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी (II), सम्मिलित रक्षा सेवा (II) तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमाण्डेट) परीक्षाओं के लिए किया गया।

(ii) 07 अगस्त, 2022 को आयोजित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमाण्डेंट) परीक्षा, 2022 उत्तराखण्ड में अलमोड़ा और श्रीनगर परीक्षा केन्द्रों पर भी आयोजित की गई।

(अध्याय–03)

II. चयन द्वारा सीधी भर्ती

6. आयोग को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 4,411 पदों के लिए 233 अधियाचनाएं प्राप्त हुईं। वर्ष के दौरान 184 अधियाचनाओं हेतु कुल 1,741 पदों के लिए विज्ञापन दिए गए, जिनके लिए 11,58,128 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 183 पदों हेतु 11 अधियाचनाओं के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात् भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया।

(अध्याय–4)

7. वर्ष के दौरान, कुल 10,80116 आवेदन पत्रों को अंतिम रूप दिया गया जिनमें पिछले वर्ष में प्राप्त आवेदन पत्र भी शामिल हैं, 7,913 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जिनमें से वास्तव में 6,123 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। 1736 पदों के लिए 161 अधियाचनाओं के मामलों में 1,582 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई। पद–आवेदक अनुपात 622 और पद–अनुशंसा अनुपात 0.91 था।

(अध्याय–4)

8. 29 मामलों में भर्ती परीक्षण आयोजित किए गए, जिनमें रिक्तियों की संख्या की तुलना में आवेदकों की संख्या काफी अधिक थी।

(अध्याय–4)

9. 154 पदों हेतु चयन की प्रक्रिया, उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण निष्फल हो गई। इनमें से अधिकांश पदों में चिकित्सा अथवा इंजीनियरी में विशेषज्ञता योग्यता अपेक्षित थी।

(अध्याय–4)

10. 935 आरक्षित पदों के लिए कुल 815 उम्मीदवारों (220 अ.जा., 110 अ.ज.जा., 390 अ.पि.व. तथा 95 ईडब्ल्यूएस) की अनुशंसा की गई। इस प्रकार आरक्षित श्रेणी के 87.2 प्रतिशत पद भरे गए। इसके अलावा, 15 अ.जा., 06 अ.ज.जा, 94 अ.पि.व. और 21 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की चयन हेतु अनुशंसा अनारक्षित पदों के लिए की गई।

(अध्याय–5)

11. आयोग ने बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 68 पदों हेतु 38 उम्मीदवारों की अनुशंसा की। इसके अतिरिक्त, चार और बेंचमार्क पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों की भी अनुशंसा उनके लिए उपयुक्त पदों पर भी की गई।

(अध्याय–5)

12. 48 मामलों में आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने में विलम्ब की सूचना प्राप्त हुई। कुछ मामलों में, संबंधित मंत्रालय/विभाग ने अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी।

(अध्याय–10)

III. नियुक्तियां

13. आयोग ने 21,561 अधिकारियों के सेवा अभिलेखों पर विचार किया और पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आमेलन

आदि के लिए उम्मीदवारों/कार्मिकों की उपयुक्तता के आधार पर 12,879 अधिकारियों के संबंध में निम्नानुसार अनुशंसा की:

(क) केन्द्रीय सेवाओं के अंतर्गत 12,749 अधिकारियों की पदोन्नति के लिए और

(ख) प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन पर 130 अधिकारियों की नियुक्ति के लिए।

14. संबंधित मंत्रालयों/विभागों को विभागीय पदोन्नति समिति के 502 मामलों में तथा प्रतिनियुक्ति के 179 मामलों (74 निष्फल मामलों सहित) में परामर्श पत्र जारी किए गए।

(अध्याय–7)

IV. भर्ती नियम

15. आयोग द्वारा वर्ष के दौरान 329 प्रस्तावों [7 सेवा नियमों और 26 भर्ती के एकबारगी मोड (वन टाइम मोड) सहित] के संबंध में भर्ती नियम संबंधी निर्धारण संशोधन के प्रस्तावों पर परामर्श प्रदान किया गया।

16. 329 प्रस्तावों में से 295 प्रस्ताव भर्ती नियम निरूपण संशोधन मॉनीटरिंग प्रणाली (आरआरएफएएमएस) पोर्टल पर ऑन–लाइन प्रोसेस किए गए तथा 34 प्रस्ताव ऑफ–लाइन माध्यम से प्रोसेस किए गए।

(अध्याय–6)

V. अनुशासनिक मामले

17. "अनुशासनिक मामलों की प्रोसिसिंग और हैंडलिंग" विषय पर विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों (रा.लो.से.आ.) का मार्गदर्शन करने के क्रम में आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोगों के अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में, 12 राज्य लोक सेवा आयोगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया था। प्रतिभागियों की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया और उनक फीडबैक देखते हुए कार्यशाला का उद्देश्य सिद्ध हो गया।

18. आयोग, पिछले वित्त वर्ष 2021–22 के अंत तक 323 लंबित पड़े अनुशासनिक मामलों की संख्या को वित्त वर्ष 2022–23 के अंत में कम करके 231 मामले तक लाने में सफल हो पाया है। अतः, पिछले वित्त वर्ष के अंत तक लंबित स्थिति की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अनुशासनिक मामलों की लंबित स्थिति में 28 प्रतिशत से अधिक कमी आई है।

(अध्याय–8)

VI. विविध

19. वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 7,006 आरटीआई आवेदन तथा 478 आरटीआई अपीलें प्राप्त हुईं।

20. आयोग का 96वां स्थापना दिवस दिनांक 01.10.2022 को मनाया गया।

21. वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग ने सरकार से प्राप्त उन पांच प्रस्तावों पर विचार किया जिनमें आयोग से परामर्श की छूट मांगी गयी थी।

22. लोक सेवा आयोगों के अर्धवार्षिक सूचनापत्र का 82वां तथा 83वां अंक प्रकाशित किया गया, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ, संघ लोक सेवा आयोग तथा 29 राज्य लोक सेवा आयोगों के पदधारकों का विवरण, अध्यक्षों/सदस्यों की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति, आयोजित की गईं परीक्षाएं/भर्तियां, आयोजित की गईं विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की बैठकें, उच्चाधिकारियों के दौरे आदि संबंधी जानकारी थी।

23. वर्ष 2022–23 के दौरान, 61 कर्मचारियों ने 'हिंदी शिक्षण योजना' के अंतर्गत टंकण प्रशिक्षण प्राप्त किया। दैनिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए चार कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

अध्याय–2

संक्षिप्त इतिहास एवं विगत वर्षों के दौरान कार्यभार

संक्षिप्त इतिहास

भारत में लोक सेवा आयोग का उल्लेख 05 मार्च, 1919 के भारतीय संवैधानिक सुधारों पर भारत सरकार की प्रथम विज्ञप्ति में मिलता है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी कार्यालय की स्थापना किए जाने का संदर्भ था जिसे सेवा मामलों के विनियमन का अधिकार हो। सेवा मामलों के विनियमन हेतु मुख्यतया प्रस्तावित इस प्रकार के निकाय की संकल्पना को भारत सरकार अधिनियम, 1919 में कुछ व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया गया। इस अधिनियम की धारा 96 सी में भारत में एक ऐसे लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था, जो "भारत में लोक सेवाओं में भर्ती एवं उनके नियंत्रण संबंधी उन प्रकार्यों का निर्वहन करे जो उनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।"

2. भारत सरकार अधिनियम, 1919 के पारित होने के उपरांत, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सरकार तथा स्थानीय सरकारों के बीच इस प्रकार स्थापित किए जाने वाले निकाय के प्रकार्यों तथा कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत पत्राचार हुआ। यह पत्राचार चार वर्ष चला। इसके बावजूद किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका तथा इस मामले को रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया (ली कमीशन) को भेजा गया। 27 मार्च, 1924 की अपनी रिपोर्ट में ली कमीशन ने संस्तुति की कि **भारत सरकार अधिनियम, 1919 में परिकल्पित वैधानिक लोक सेवा आयोग को अविलम्ब स्थापित किया जाए।**

3. भारत सरकार अधिनियम, 1919 की धारा 96 (सी) के प्रावधानों तथा 1924 में लोक सेवा आयोग की यथाशीघ्र स्थापना किए जाने की, ली कमीशन की प्रबल संस्तुति के बावजूद भारत में पहली बार अक्तूबर, 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई।

4. **प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 01 अक्तूबर, 1926 को हुई।** आयोग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द्वारा नियुक्त अध्यक्ष के अतिरिक्त चार सदस्य थे। सर रॉस बार्कर, युनाइटेड किंगडम के होम सिविल सर्विस के सदस्य, आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। आयोग का गठन उनके एवं उनके उत्तराधिकारियों द्वारा ब्रिटिश सिविल सेवा कमीशन के मॉडल तथा उसकी परम्पराओं के अनुसार किया गया।

5. लोक सेवा आयोग के कार्य भारत सरकार अधिनियम, 1919 में निर्धारित नहीं किए गए थे, बल्कि इन्हें भारत सरकार अधिनियम, 1919 की धारा 96 (सी) की उपधारा (2) के अंतर्गत गठित लोक सेवा आयोग (कार्य) नियमावली, 1926 के अंतर्गत विनियमित किया गया था। इस नियमावली के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं तथा वर्ग 'I' एवं वर्ग 'II' केन्द्रीय सेवाओं हेतु भर्ती से संबंधित मामलों, परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम निर्धारण संबंधी मामलों और चयन द्वारा भर्ती हेतु योग्यताओं, इन सेवाओं पर पदोन्नति, अनुशासनिक मामलों, वेतन एवं भत्तों से संबंधित मामलों, पेंशन, भविष्य अथवा पारिवारिक पेंशन निधि, अवकाश नियमावली और सेवा शर्तों, जो कि सामान्यतः इन सेवाओं से संबंधित हैं, के किसी भी विषय पर आयोग का परामर्श लिए जाने का प्रावधान है।

6. भारत में लोक सेवा आयोग के इतिहास में अगला

महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिसम्बर, 1931 में श्वेत पत्र जारी होने के साथ आया। इस श्वेत पत्र में भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए प्रस्ताव शामिल थे। इसमें प्रस्तावित फेडरेशन तथा प्रांतों के लिए लोक सेवा आयोगों का ब्लूप्रिंट भी था। भारतीय संवैधानिक सुधारों पर बनी संयुक्त समिति (1934) की रिपोर्ट इस दिशा में अगला कदम थी।

7. श्वेत पत्र में लोक सेवा आयोगों से संबंधित प्रस्तावों को **भारत सरकार अधिनियम, 1935** की धारा 264 से 268 तक में मूर्त रूप दिया गया जैसा कि संवैधानिक सुधारों पर बनी संयुक्त समिति (1934) की रिपोर्ट में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक प्रांत अथवा प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की संभावना पर विचार किया गया।

8. भारत सरकार अधिनियम, 1935 की लोक सेवा आयोगों से संबंधित धाराओं को 1 अप्रैल, 1937 से प्रभावी किया गया तथा केन्द्र का तत्कालीन लोक सेवा आयोग, फेडरल लोक सेवा आयोग बन गया।

9. संविधान सभा ने सिविल सेवाओं में निष्पक्ष भर्ती तथा सेवा के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघ तथा प्रांतीय स्तरों पर लोक सेवा आयोगों को सुरक्षित तथा स्वायत्त बनाने की आवश्यकता अनुभव की। स्वतंत्रता के पश्चात, **26 जनवरी, 1950 को स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान के प्रख्यापन के साथ ही, 'फेडरल लोक सेवा आयोग' को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा इसे नया नाम दिया गया 'संघ लोक सेवा आयोग'। संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड (1) के कारण फेडरल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग** के अध्यक्ष तथा सदस्य बन गए। 1926 से अध्यक्षों तथा सदस्यों की सूची **परिशिष्ट–36** में दी गई है।

आयोग के कार्य

10. संविधान के अनुच्छेद 320 में आयोग के कार्य निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(क) संघ की सेवाओं के अंतर्गत नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन।

(ख) साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती।

(ग) निम्नलिखित मामलों में भी आयोग का परामर्श लिया जाएगा:–

- (i) पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर अधिकारियों की नियुक्ति।
- (ii) भारत सरकार और संघ शासित क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं एवं पदों के लिए भर्ती नियम बनाना और उनमें संशोधन करना।
- (iii) विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनिक मामले।
- (iv) भारत के राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया कोई अन्य मामला।

कार्यभार

11. वर्ष 1950–51 से अब तक आयोग का कार्यभार का चित्रण (दशकवार) **तालिका – 1,2,3,4 और 5 में दर्शाया गया है।**

12. **तालिका–1** में विगत वर्षों में प्राप्त आवेदनों, साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारों/मूल्यांकन किए गए सेवा अभिलेखों और अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या दर्शाई गई है।

तालिका –1: परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा भर्ती

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या			साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार/ मूल्यांकन किए गए सेवा अभिलेख			अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या		कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया (एन.एफ.एस.)	
	परीक्षा	भर्ती	कुल	परीक्षा*	भर्ती	कुल	परीक्षा¥	भर्ती	भर्ती	कुल
1950-51#	24680	18047	42727	3383	6484	9867	2780	883	120	3783
1960-61	34349	36833	71182	4862	9078	13940	3298	1727	249	5274
1970-71	81539	65197	146736	3473	13706	17179	4187	2059	190	6436
1980-81	243374	58748	302122	9256	14090	23346	4093	2591	361	7045
1990-91	615850	72079	687929	13838	16788	30626	4609	2341	655	7605
2000-01	762501	48019	810520	3351	5662	9013	4177	1050	179	5406
2010-11	1893030	106083	1999113	5342	4083	9425	4896	1117	155	6168
2020-21	2503345	91381	2594726	6127	1073	7200	3986	228	44	4258
2021-22	2991842	158025	3149867	4256	1931	6187	3559	560	106	4225
2022-23	3351916	1158128	4510044	5337	6123	11460	4197	1582	154	5933

ये आंकड़े 26 जनवरी, 1950 से 31 मार्च, 1951 तक के हैं।

*संघ लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार।

¥ संघ लोक सेवा आयोग तथा एसएसबी (एनडीए+सीडीएस) द्वारा चयनित उम्मीदवार।

13. अनुशासनिक मामलों की संख्या जिन पर आयोग द्वारा कार्रवाई की गई है, **तालिका–2** में दी गई है और **आरेख–1** में भी दर्शाई गई है।

तालिका–2 : अनुशासनिक मामले

वर्ष	वर्ष के दौरान निपटाए गए अनुशासनिक मामलों की संख्या	अनुशासनिक मामलों की संख्या, जिनमें परामर्श दिया गया	त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव, जिन्हें लौटाया गया
1950-51*	53	53	-
1960-61	101	64	37
1970-71	161	102	59
1980-81	381	260	121
1990-91	489	195	294
2000-01	815	566	249
2010-11	826	417	409
2020-21	487	433	54
2021-22	593	535	58
2022-23	565	510	55

* ये आंकड़े 26 जनवरी, 1950 से 31 मार्च, 1951 तक के हैं।

आरेख 1 अनुशासनिक मामले

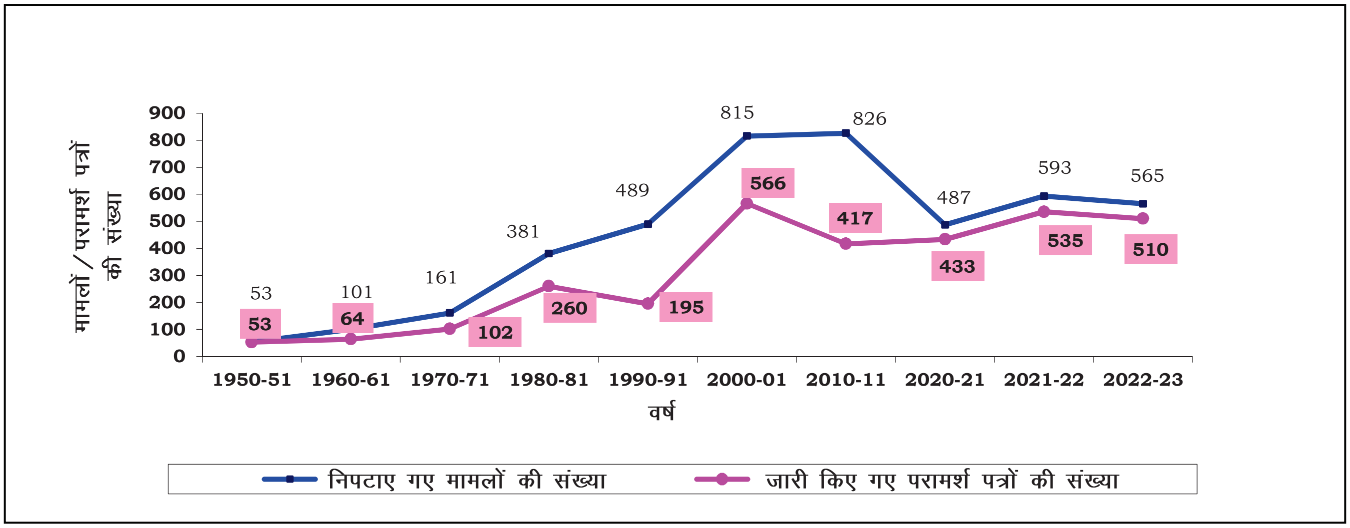

14. आयोग में प्राप्त और परामर्श दिए गए भर्ती नियमावली के मामलों की संख्या **तालिका–3** में दी गई है और **आरेख–2** में भी इसे दर्शाया गया है।

तालिका 3 : भर्ती नियमावली संबंधी मामले (1950–2023)

वर्ष	भर्ती नियमावली के प्राप्त मामले	भर्ती नियमावली संबंधी मामले जिनमें परामर्श दिया गया
1950-51	--	--
1960-61	332	299
1970-71	934	907
1980-81	1241	1359
1990-91	1660	1659
2000-01	1209	1233
2010-11	1386	1372
2020-21	289	240
2021-22	325	242
2022-23	402	329

आरेख–2 : भर्ती नियमावली संबंधी मामले (1950–2023)

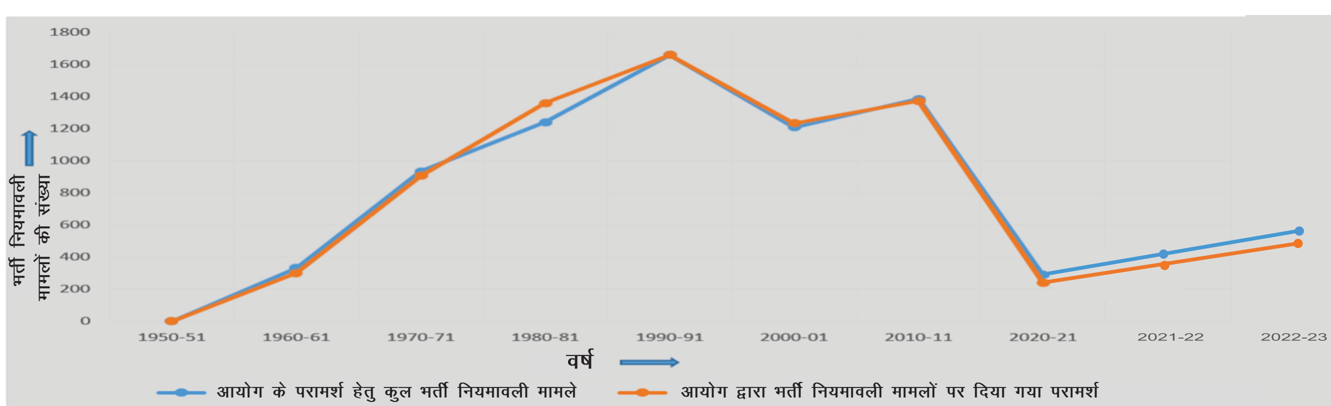

15. अखिल भारतीय सेवाओं में सम्मिलित करने के लिए कार्रवाई किए गए अभिलेखों की संख्या **तालिका–4** में दी गई है और **आरेख–3** में भी इसे दर्शाया गया है।

तालिका 4 : अखिल भारतीय सेवाओं में प्रवेश

वर्ष	अखिल भारतीय सेवाओं में सम्मिलित करने के लिए जांच किए गए अभिलेखों की संख्या (अनुशंसित अधिकारी)
1950-51	-
1960-61	2054
1970-71	1617
1980-81	2010 (499 अधिकारी)
1990-91	1488 (543 अधिकारी)
2000-01	840 (268 अधिकारी)
2010-11	1105 (418 अधिकारी)
2020-21	1463 (481 अधिकारी)
2021-22	1448 (540 अधिकारी)
2022-23	1303 (453 अधिकारी)

आरेख–3 : अखिल भारतीय सेवाओं में प्रवेश

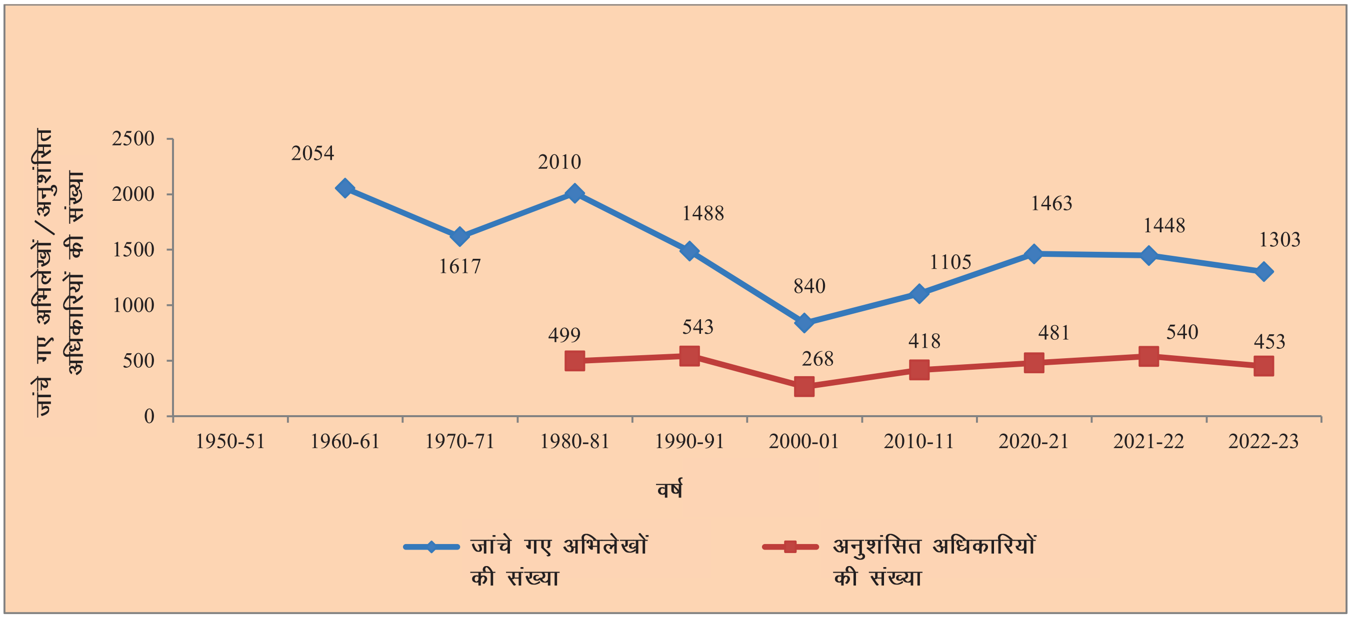

16. पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन मामलों के लिए प्रोसेस किए गए अभिलेखों की संख्या **तालिका–5** में दी गई है।

तालिका — 5 प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के मामले

वर्ष	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन के मामलों के लिए जांचे गए अभिलेखों की संख्या (अनुशंसित अधिकारी)
1950-51	-
1960-61	5200
1970-71	12924
1980-81	20711
1990-91	35645 (4100 अधिकारी)
2000-01	32726 (6221 अधिकारी)
2010-11	17574 (3978 अधिकारी)
2020-21	7637 (4804 अधिकारी)
2021-22	7855 (4773 अधिकारी)
2022-23	21561 (12879 अधिकारी)

एकल खिड़की प्रणाली

17. आयोग में एकल खिड़की प्रणाली, सर्वप्रथम वर्ष 2011 में शुरू की गई और आयोग के विभिन्न कार्यों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया गया। इसका उद्देश्य पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति मामलों/चयन समिति की बैठकों/अनुशासनिक मामलों/ भर्ती नियमावली प्रस्तावों/ सीधी भर्ती के मामलों को प्रोसेस करने में तेजी लाना है। इस व्यवस्था के तहत :—

(i) मंत्रालयों/ विभागों/ राज्य सरकारों को अपने प्रस्तावों को आयोग में व्यक्तिगत रूप से लाना होता है। आयोग की संबद्ध शाखा में अवर सचिव रैंक का पदनामित अधिकारी, मंत्रालय/ विभाग के प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) से परामर्श करके, उसी समय प्रस्ताव की जांच करता है।

(ii) किसी भी प्रकार की कमियों वाले प्रस्तावों को, कमियां दर्शाते हुए, सुधार के लिए वापस लौटा दिया जाता है। जांच—सूची के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण पाए गए प्रस्तावों को ही स्वीकार किया जाता है और समयबद्ध तरीके से उन पर कार्रवाई की जाती है।

18. एकल खिड़की प्रणाली के कारण मंत्रालयों/ विभागों/ राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों को प्रस्तुत करने संबंधी मौजूदा दिशा—निर्देशों का अनुपालन करने में सुधार आया है। इससे मामलों को प्रोसेस करने में लगने वाले समय में कमी आई है। विभिन्न मामलों को प्रोसेस करने में लगने वाले समय का तुलनात्मक विवरण **तालिका — 6** में दिया गया है।

तालिका — 6: एकल खिड़की प्रणाली अपनाने के बाद आयोग में प्रस्तावों को प्रोसेस करने में लगने वाले समय में आई कमी

वर्ष	विभागीय पदोन्नति समिति	प्रतिनियुक्ति
2007-08	133 दिन	180 दिन
2022-23	63 दिन	86 दिन
समय में प्रभावी कमी (प्रतिशत में)	52.63 %	52.22 %

अध्याय–3

परीक्षा द्वारा भर्ती

आयोग ने वर्ष 2022–2023 के दौरान 15 परीक्षाओं, अर्थात् सिविल सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए 11 तथा रक्षा सेवाओं के लिए 04 परीक्षाओं का आयोजन किया। इन परीक्षाओं का विवरण नीचे दिया गया है:–

सिविल सेवाओं/पदों के लिए

(i) सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2022 [सि.से.(प्रा.), [भारतीय वन सेवा(प्रा.) परीक्षा, 2022 सहित]

(ii) सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2022 [सि.से.(प्र.),

(iii) भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2022 (भा.व.से.–प्र)

(iv) इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2022 (इं.से.प.–प्रा.)

(v) इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2023 (इं.से.प.–प्रा.)

(vi) भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2022 (भा.आ.से./भा.सां.से.)

(vii) सम्मिलित भूवैज्ञानिक (प्रधान) परीक्षा, 2022 [स.भू. वै.(प्र.),

(viii) सम्मिलित भूवैज्ञानिक (प्रारंभिक) परीक्षा, 2023 [स.भू. वै.(प्रा.),

(ix) सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2022 (स.चि.से.)

(x) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2022 (के.स.पु.ब.)

(xi) अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'बी'/ ग्रेड–'I') सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2018

रक्षा सेवाओं के लिए

(i) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी (रा.र.अ.एवं नौसे.अ.)परीक्षा (I), 2022

(ii) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी (रा.र.अ.एवं नौसे.अ.) परीक्षा (II), 2022

(iii) सम्मिलित रक्षा सेवा (स.र.से.) परीक्षा (I), 2022

(iv) सम्मिलित रक्षा सेवा (स.र.से.) परीक्षा (II), 2022

आवेदन पत्रों की संख्या

2. वर्ष 2022–2023 के दौरान, आयोग को पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त 29,91,842 आवेदन पत्रों की तुलना में 33,51,916 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। नीचे दी गई **तालिका–1** पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परीक्षाओं के आवेदकों की संख्या दर्शाती है।

तालिका—1

परीक्षा	2020-21	2021-22	2022-23
सिविल			
1. सि.से.(प्रा.)[भा.व.से.(प्रा.) सहित,	1056835	1112318	1152566
2. सि.से.(प्र.)	10534	9156	13051
3. भा.व.से.(प्र.)	1042	1357	1753
4. इं.से.प.(प्र.)	2263	1539	1655
5. इं.से.प.(प्रा.)	--	144211* 141058**	83963
6. भा.आ.से./भा.सां.से.	22548	15329	14529
7. स.चि.से.	43120	60154	49026
8. स.भू वै.(प्र.)	720	444	1347
9. स.भू वै.(प्रा.)	22238	28658	24918
10. के.स.पु.बल	296066	244087	264328
11. के.औ.सु.ब, सी.वि.प्र.प.	871	610	--
12. अनु.अधि./आशु., सीविप्रप	--	1705^	2782@
कुल सिविल	**1456237**	**1760626**	**1609918**
रक्षा			
1. रा.र.अ.एवं नौ से.अ. (I)	379977	400318	668356
2. रा.र.अ.एवं नौ से.अ. (II)	197498	575854	534010
3. स.र.से.(I)	235290	--	313892
4. स.र.से.(II)	234343	255044	225740
कुल रक्षा	**1047108**	**1231216**	**1741998**
सकल योग	**2503345**	**2991842**	**3351916**

* इंजीनियरी सेवा परीक्षा (प्रा.) 2021 से संबंधित आंकड़े।
** इंजीनियरी सेवा परीक्षा (प्रा.) 2022 से संबंधित आंकड़े
-- विवरणी संबंधी अवधि के दौरान परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया।
^ अनु.अधि./आशु., सी.वि.प्र.प. 2016 एवं 2017 का आयोजन 2021—22 में किया गया।
@ अनु.अधि./आशु., सी.वि.प्र.प. 2018 का आयोजन 2022—23 में किया गया।

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या

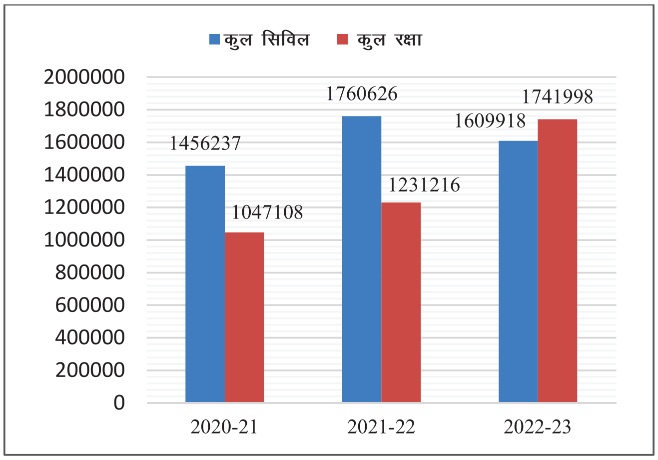

परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या

3. निम्नलिखित **तालिका—2** पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परीक्षाओं में बैठे उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है:—

तालिका—2

परीक्षा	2020-21	2021-22	2022-23
सिविल			
1. सि.से.(प्रा.)[भा.व.से.(प्रा.) सहित,	486952	513192	579008
2. सि.से.(प्र.)	10343	8930	12775
3. भा.व.से.(प्र.)	600	1217	1137
4. इं.से.प.(प्र.)	1955	1379	1371
5. इं.से.प.(प्रा.)	--	i) 52522* ii) 48453**	83963
6.भा.आ.से. / भा.सां.से.	3214	2194	3152
7. स.चि.से.	20213	23299	20613
8. स.भू वै.(प्र.)	619	444	1124
9. स.भू वै.(प्रा.)	8000	11994	13160
10. के.स.पु.बल	89946	79767	87707
11. के.औ.सु.ब, सी.वि.प्र.प.	541	428	--
12. अनु.अधि. / आशु., सीविप्रप	--	--	1634@
कुल सिविल	**622383**	**743819**	**755545**

परीक्षा	2020-21	2021-22	2022-23
रक्षा			
1. रा.र.अ.(I)	162906	180421	373827
2. रा.र.अ.(II)	115561	357197	336220
3. स.र.से. (II)	118250	135707	116387
4. स.र.से. (I)	119892	--	155441
कुल रक्षा	**516609**	**673325**	**981875**
सकल योग	**1138992**	**1417144**	**1737420**

* इंजीनियरी सेवा परीक्षा (प्रा.) 2021 से संबंधित आंकड़े।
** इंजीनियरी सेवा परीक्षा (प्रा.) 2022 से संबंधित आंकड़े।
-- विवरणी संबंधी अवधि के दौरान परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया/ सूचना उपलब्ध नहीं है।
@ अनु.अधि./आशु., सी.वि.प्र.प. 2016 एवं 2017 का आयोजन 2021–22 में किया गया तथा परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के संबंध में सूचना 2022–23 में उपलब्ध कराई गई है। अनु.अधि./आशु., सी.वि.प्र.प. 2018 का आयोजन 2022–23 में किया गया तथा परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के संबंध में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की संख्या

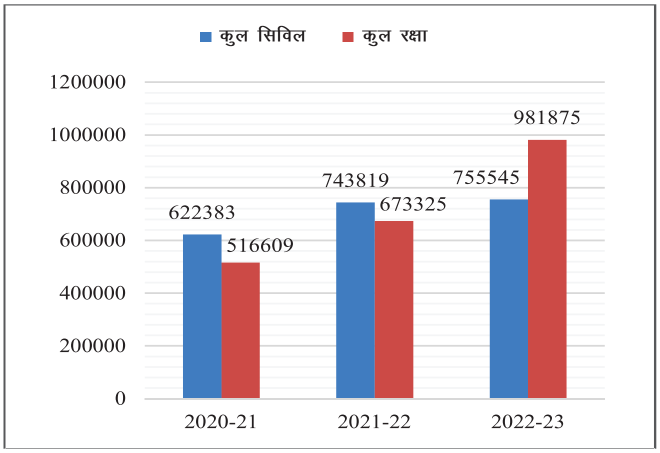

साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार

4. आयोग केवल सिविल सेवाओं/ पदों हेतु साक्षात्कार आयोजित करता है/सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन करता है। रक्षा सेवाओं के संबंध में, आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार, शारीरिक परीक्षण, आदि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सेवा चयन बोर्ड आयोजित करते हैं। आयोग ने वर्ष 2022–23 के दौरान, सिविल सेवाओं/ पदों के लिए वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 के दौरान आयोजित निम्नलिखित परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित किए तथा सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया:–

(i) सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021

(ii) भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021

(iii) सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2021

(iv) इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2022

(v) भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2022

(vi) सम्मिलित भू–वैज्ञानिक (प्रधान) परीक्षा, 2022

(vii) अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (समूह 'ख'/ ग्रेड–I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2016 एवं 2017

5. कुल मिलाकर, वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग ने विभिन्न सिविल सेवाओं/पदों के लिए 5,337 उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया/सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया। रक्षा सेवा परीक्षाओं के संबंध में साक्षात्कार, शारीरिक परीक्षण आदि रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए। विभिन्न सिविल सेवाओं/ पदों के लिए आयोग द्वारा साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारों की परीक्षावार संख्या नीचे **तालिका–3** में दी गई है:

तालिका–3

क्रम संख्या	परीक्षा	वर्ष 2022–23 के दौरान साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारों की संख्या
सिविल सेवाओं / पदों हेतु		
1.	सि.से.(प्र.), 2021	1819
2.	भा.व.सेवा, 2021	251
3.	स.चि.से., 2021	1176
4.	अनु.अधि./आशु. (समूह 'ख' / ग्रेड–I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2016 एवं 2017	931
5.	इं.से.प. (प्र.), 2022	615
6.	भा.आ.से / भा.सां.से., 2022	126
7.	सभूवैप, 2022	419
योग		**5337**

अनुशंसित उम्मीदवार

6. आयोग ने वर्ष 2022–23 के दौरान, सिविल सेवाओं/ पदों और रक्षा सेवाओं/ पदों पर नियुक्ति हेतु 4,195 उम्मीदवारों की अनुशंसा की। रक्षा सेवाओं के लिए, नियुक्ति हेतु अनुशंसाएं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं तथा रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित साक्षात्कारों एवं शारीरिक परीक्षणों पर आधारित थीं। उपर्युक्त 4,195 उम्मीदवारों में से, 2,721 उम्मीदवारों (आरक्षित सूची के माध्यम से 58 उम्मीदवारों सहित) की अनुशंसा सिविल सेवाओं/ पदों के लिए तथा 1,474 उम्मीदवारों की अनुशंसा रक्षा सेवाओं/पदों के लिए की गई। अनुशंसित उम्मीदवारों की परीक्षावार संख्या **परिशिष्ट–2** तथा नीचे **तालिका–4** में दी गई है:–

तालिका–4

क्र. सं.	परीक्षा	वर्ष 2022–23 के दौरान अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या
(क) सिविल सेवाओं/पदों हेतु		
1.	सि.से.(प्र.), 2021	748
2.	भा.व.सेवा, 2021	108
3.	स.चि.से., 2021	780
4.	अनु.अधि./आशु. (समूह 'ख'/ग्रेड–I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2016 एवं 2017	587
5.	इं.से.प. (प्र.), 2022	213
6.	भा.आ.से/भा.सां.से., 2022	52
7.	स.भू.वै.प., 2022	175
योग		**2663**
(ख) रक्षा सेवाओं / पदों के लिए		
1.	रा.र.अ(II), 2021	462
2.	स.र.से.(II), 2021	247
3.	रा.र.अ(I), 2022	519
4.	स.र.से.(I), 2022	246
योग		**1474**
(ग)	आरक्षित सूची के माध्यम से अनुशंसित उम्मीदवार	**58**
(क), (ख) और (ग) का सकल योग		**4195**

पद–आवेदक अनुपात

7. किसी परीक्षा–विशेष के आवेदन पत्रों की संख्या को उस परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या से भाग देने पर पद आवेदक अनुपात (एपीआर) प्राप्त होता है। पद आवेदक अनुपात से प्रत्येक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवाओं/ पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों का सूचकांक प्राप्त होता है। पद आवेदक अनुपात की गणना के अनुसार, भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021 के माध्यम से भरे गए प्रत्येक पद के लिए 2543.73 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसका अनुपात सभी परीक्षाओं में सर्वाधिक था **(परिशिष्ट–11)**। विवरण **तालिका–5** में दिया गया है :

तालिका–5

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	आवेदकों की संख्या	अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	पद आवेदक अनुपात	पद अनुशंसा अनुपात
1.	सिविल सेवा परीक्षा, 2021	749	*1093984	748	1460.59	0.99
2.	भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021	110	*279810	108	2543.73	0.98
3.	इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022	246	*141058	213	573.41	0.86
4.	भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2022	53	14529	52	274.13	0.98
5.	सम्मिलित भू–वैज्ञानिक परीक्षा, 2022	192	*28658	175	149.26	0.91
6.	अनुभाग अधिकारी / आशुलिपिक समूह 'ख'/ग्रेड–I सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2016 एवं 2017	1281	1705	587	1.33	0.46
7.	सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2021	845	60154	780	71.19	0.92
	योग	**3476**	**1619898**	**2663**	**466.02**	**0.77**

* प्रारंभिक परीक्षाओं में आवेदकों की संख्या।

पद–अनुशंसा अनुपात

8. अंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या को पदों की संख्या से भाग देने पर पद अनुशंसा अनुपात (आरपीआर) प्राप्त होता है। विभिन्न परीक्षाओं के लिए पद अनुशंसा अनुपात तालिका–5 में दिया गया है। विवरण **परिशिष्ट–4** और **परिशिष्ट–5** में दिया गया है।

9. सिविल सेवा परीक्षा, 2021

मुख्य विशेषताएं

(i) सिविल सेवा परीक्षा, 2021 की अधिसूचना 04 मार्च, 2021 को जारी की गई। अधिसूचना के संदर्भ में, उपर्युक्त परीक्षा के लिए कुल 10,93,984 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिसमें से 5,08,619 उम्मीदवार उक्त परीक्षा में बैठे। सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021 की लिखित परीक्षा 07 जनवरी, 2022 से 16 जनवरी, 2022 तक आयोजित की गई, जिसमें 8,930 उम्मीदवार बैठे। व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार 5 अप्रैल, 2022 से 26 मई, 2022 तक आयोजित किए गए।

अनुशंसाएं

(ii) सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021 का अंतिम परिणाम 30 मई, 2022 को घोषित किया गया। इस परिणाम के अंतर्गत 685 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई। सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021 की आरक्षित सूची 10 अक्तूबर, 2022 को जारी की गई, जिसके अंतर्गत 63 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई। उक्त अनुशंसाओं के अंतर्गत आयोग ने कुल 748 उम्मीदवारों की अनुशंसा की जिनमें 106 अ.जा., 60 अ.ज.जा., 215 अ.पि.व. तथा 77 ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार शामिल थे।

महिला उम्मीदवार

(iii) सिविल सेवा परीक्षा, 2021 के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित महिला उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 2020 में 238 की तुलना में 201 थी। सिविल सेवा परीक्षा, 2020 और सिविल सेवा परीक्षा, 2021 की प्रधान परीक्षा में बैठने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या क्रमश: 1,333 और 1,330 थी। सिविल सेवा परीक्षा, 2020 और सिविल सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर जिन महिला उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया, उनकी संख्या क्रमश: 437 और 408 थी।

पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार

(iv) सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021 के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित **पीडब्ल्यूबीडी** उम्मीदवारों की संख्या 25 थी।

साक्षात्कार

(v) सिविल सेवा परीक्षा, 2021 के लिए 05 अप्रैल, 2022 से 26 मई, 2022 तक पांच/चार व्यक्तित्व परीक्षण बोर्डों का गठन किया गया (चार बोर्ड 05 अप्रैल, 2022 से 22 अप्रैल, 2022 तक) तथा पांच बोर्ड 25 अप्रैल, 2022 से 26 मई, 2022 तक)। उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी, हिन्दी अथवा भारतीय भाषाओं में से कोई भी एक भाषा चुनने की अनुमति थी। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हक कुल 1,824 उम्मीदवारों में से (वास्तव में 1,819 उम्मीदवार ही व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित हुए) 1,594 उम्मीदवारों ने अंग्रेजी, जबकि 230 उम्मीदवारों ने किसी एक भारतीय भाषा को साक्षात्कार के माध्यम के रूप में चुना। इस संबंध में विवरण **तालिका–6** में दिया गया है।

तालिका–6

क्र. सं.	माध्यम	उम्मीदवारों की संख्या
1.	गुजराती	3
2.	हिन्दी	220
3.	मराठी	3
4.	पंजाबी	1
5.	तमिल	2
6.	उर्दू	1
	योग	**230**

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022

10. विशेषताएं

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022 को 22 सितंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया। उक्त परीक्षा हेतु 1,41,058 उम्मीदवारों ने आवेदन किया तथा 20 फरवरी, 2022 को आयोजित इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2022 में 48,453 उम्मीदवार उपस्थित हुए। इंजीनियरी सेवा (प्रा.) परीक्षा, 2022 का परिणाम 30 मार्च, 2022 को घोषित किया गया। कुल 1,655 उम्मीदवारों ने प्रधान परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त की जिनमें अ.जा. के 220, अ.ज.जा. के 113, अ.पि.व. के 494, सामान्य श्रेणी के 671 तथा ईडब्ल्यूएस के 157 (जिसमें 35 पीएच–I और 10 पीएच–III उम्मीदवार शामिल हैं) उम्मीदवार थे। इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा 26 जून, 2022 को आयोजित की गई, जिसमें 1,371 उम्मीदवार उपस्थित हुए तथा इसका परिणाम 03 अगस्त, 2022 को घोषित किया गया। कुल 632 उम्मीदवारों ने व्यक्तित्व परीक्षण हेतु अर्हता प्राप्त की जिनमें अ.जा. के 81, अ.ज.जा. के 47, अ.पि.व. के 210, सामान्य श्रेणी के 247 तथा ईडब्ल्यूएस के 47 उम्मीदवार (18 पीएच–I एवं 03 पीएच–III उम्मीदवारों सहित) शामिल थे। तथापि, व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड के समक्ष केवल 615 उम्मीदवार उपस्थित हुए। उम्मीदवारों के साक्षात्कार हेतु 1 व्यक्तित्व

परीक्षण बोर्ड (पीटी बोर्ड) (07 अक्तूबर एवं 10 से 14 अक्तूबर, 17 से 21 अक्तूबर, 31 अक्तूबर से 04 नवंबर, 9 से 11 नवंबर तक), 2 व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड (28 नवंबर से 02 दिसंबर तक) 03 व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड (05 से 09 दिसंबर तक) तथा 03 व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड (02 व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड 12 से 15 दिसंबर, 2022 तथा 1 व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड 12 से 16 दिसंबर 2022 तक) आयोजित किए गए। अंतिम परिणाम दिनांक 23.12.2022 को घोषित किया गया तथा कुल 213 उम्मीदवारों (कुल 246 रिक्तियों में से) की अनुशंसा की गई, जिनमें अ.जा. के 34, अ.ज.जा. के 17, अ.पि.व. के 66, सामान्य श्रेणी के 80 तथा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 16 [बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 07 आरक्षित रिक्तियों सहित (06 पीडब्ल्यूबीडी–1 वाले उम्मीदवारों के लिए तथा 01, पीडब्ल्यूबीडी–3 वाले उम्मीदवारों के लिए) उम्मीदवार शामिल थे] इसके अलावा, इंजीनियरी सेवा परीक्षा नियमावली, 2022 के नियम 13 (iv) एवं (v) के अनुसार, आयोग ने 66 उम्मीदवारों की एक समेकित आरक्षित सूची तैयार की जिसमें अ.जा. के 01, अ.ज.जा. का 0, अ.पि.व. के 29, सामान्य श्रेणी/अना. के 33 तथा ईडब्ल्यूएस के 03 उम्मीदवार शामिल थे। आरक्षित सूची पर नोडल मंत्रालय अर्थात् संचार मंत्रालय से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। विवरण **परिशिष्ट– 10** में उल्लिखित है।

11. वर्ष 2022–23 के दौरान लागू किए गए परिवर्तन

1. वित्तीय वर्ष 2021–2022 के दौरान हिमाचल प्रदेश में दो नए परीक्षा केन्द्रों यथा मंडी और धर्मशाला को आरंभ किया गया। इन परीक्षा केन्द्रों को सिविल सेवा (प्रारंभिक), राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी (II), सम्मिलित सक्षा सेवा (II) तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमाण्डेट) परीक्षाओं के लिए प्रचालित किया गया।
2. 07 अगस्त, 2022 को आयोजित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमाण्डेट) परीक्षा, 2022 के लिए उत्तराखण्ड में अल्मोड़ा और श्रीनगर परीक्षा केन्द्र को भी प्रचालित किया गया।

अध्याय–4

चयन द्वारा सीधी भर्ती

संविधान के अनुच्छेद 320 और अनुच्छेद 321 के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग को केन्द्र सरकार, संघ शासित क्षेत्रों, सांविधिक संगठनों, स्थानीय निकायों और लोक संस्थाओं के ग्रुप "क" पदों और राजपत्रित ग्रुप "ख" पदों के लिए चयन पद्धति द्वारा सीधी भर्ती करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

प्राप्त अधियाचनाओं की संख्या

2. आयोग को विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों से पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त 1,642 पदों के लिए 198 अधियाचनाओं की तुलना में, **वर्ष 2022–23 के दौरान 4,411 पदों के लिए 233 अधियाचनाएं प्राप्त हुईं।** आयोग ने 2021–22 के दौरान 3,930 पदों के लिए 402 अधियाचनाओं की तुलना में, वर्ष 2022–23 के दौरान 7,206 पदों के लिए कुल मिलाकर 489 अधियाचनाओं (बैकलॉग सहित) पर कार्रवाई की। पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त अधियाचनाओं और इनसे सम्बद्ध पदों का चित्रण **आरेख–1** में दर्शाया गया है।

आरेख–1: प्राप्त अधियाचनाओं और उनमें निहित पदों की संख्या

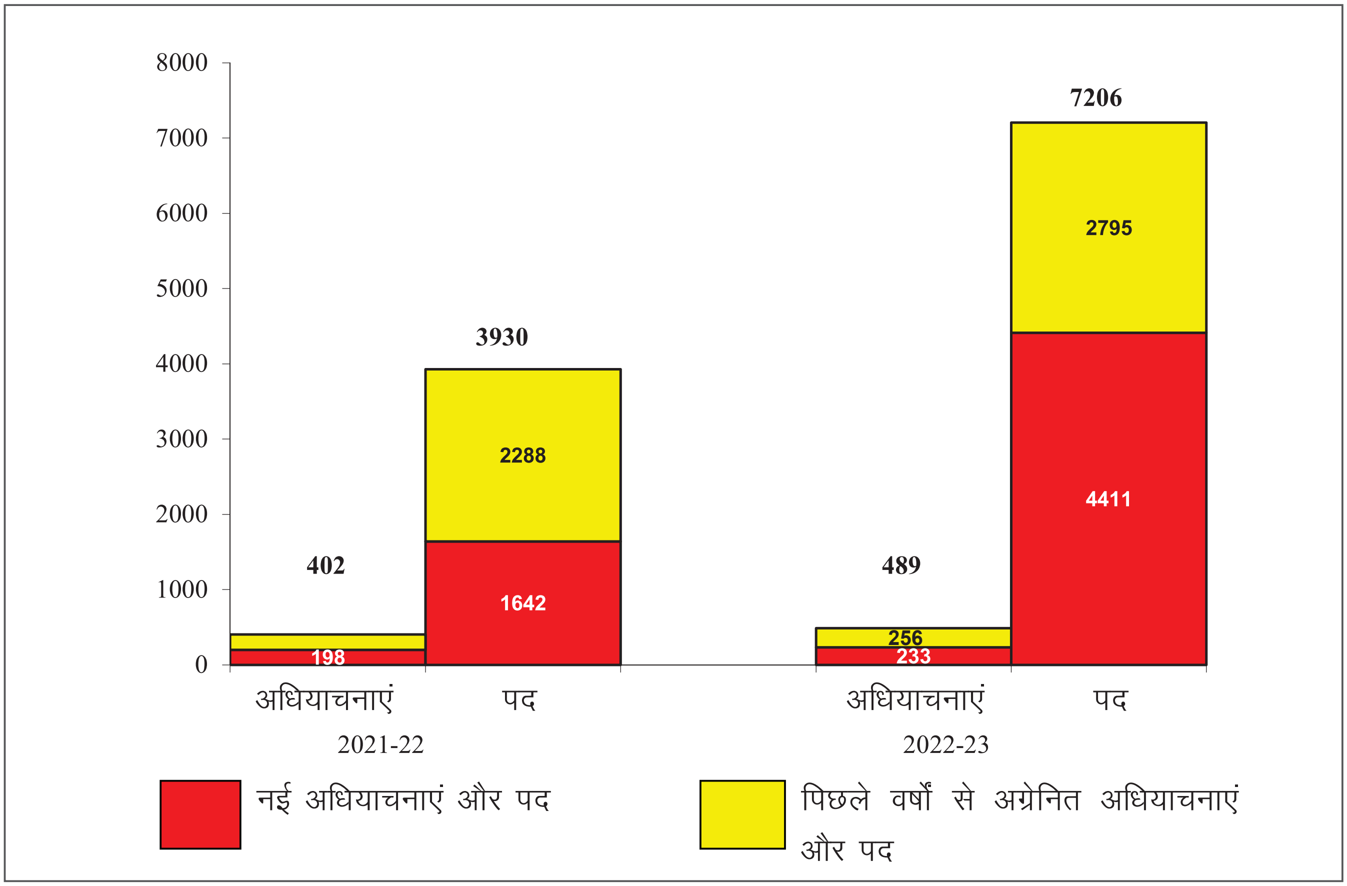

3. पिछले वर्ष 2021–22 की तुलना में वर्ष 2022–23 के दौरान संबंधित मंत्रालयों/ विभागों से आयोग को प्राप्त नई अधियाचनाओं की संख्या के साथ–साथ पदों की संख्या में आई महत्वपूर्ण वृद्धि को आरेख–1 में दर्शाया गया है।

प्राप्त आवेदन पत्रों, साक्षात्कार किए गए और अनुशंसित उम्मीदवारों का सांख्यिकीय सार

4. वर्ष 2022–23 के दौरान, आयोग ने 1,741 पदों के लिए 184 अधियाचनाओं के संबंध में आवेदन आमंत्रित करने हेतु 25 विज्ञापन जारी किए। वर्ष 2022–23 के दौरान विज्ञापित पदों की मंत्रालय–वार संख्या **परिशिष्ट–12** में दी गई है। न्यायालय के आदेशों, अधियाचनाओं को वापस ले लेने आदि जैसे विभिन्न कारणों से, विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद 183 पदों के लिए 11 अधियाचनाओं के संबंध में भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई।

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग को कुल 11,58,128 ऑन–लाइन आवेदन प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान कुल 10,80,116 आवेदनों को अंतिम रूप दिया गया, जिनमें पिछले वर्ष प्राप्त आवेदन भी शामिल हैं। लघुसूची तैयार करने के बाद, आयोग द्वारा 7,913 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जिनमें से 6,123 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए आए। वर्ष 2022–23 के दौरान, आयोग द्वारा 1,736 पदों के लिए कुल 161 अधियाचनाओं को अंतिम रूप देते हुए विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु 1,582 उम्मीदवारों को अनुशंसित किया गया। इसे **आरेख–2** में दर्शाया गया है।

आरेख–2: प्राप्त हुए आवेदन पत्रों, साक्षात्कार किए गए तथा अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या

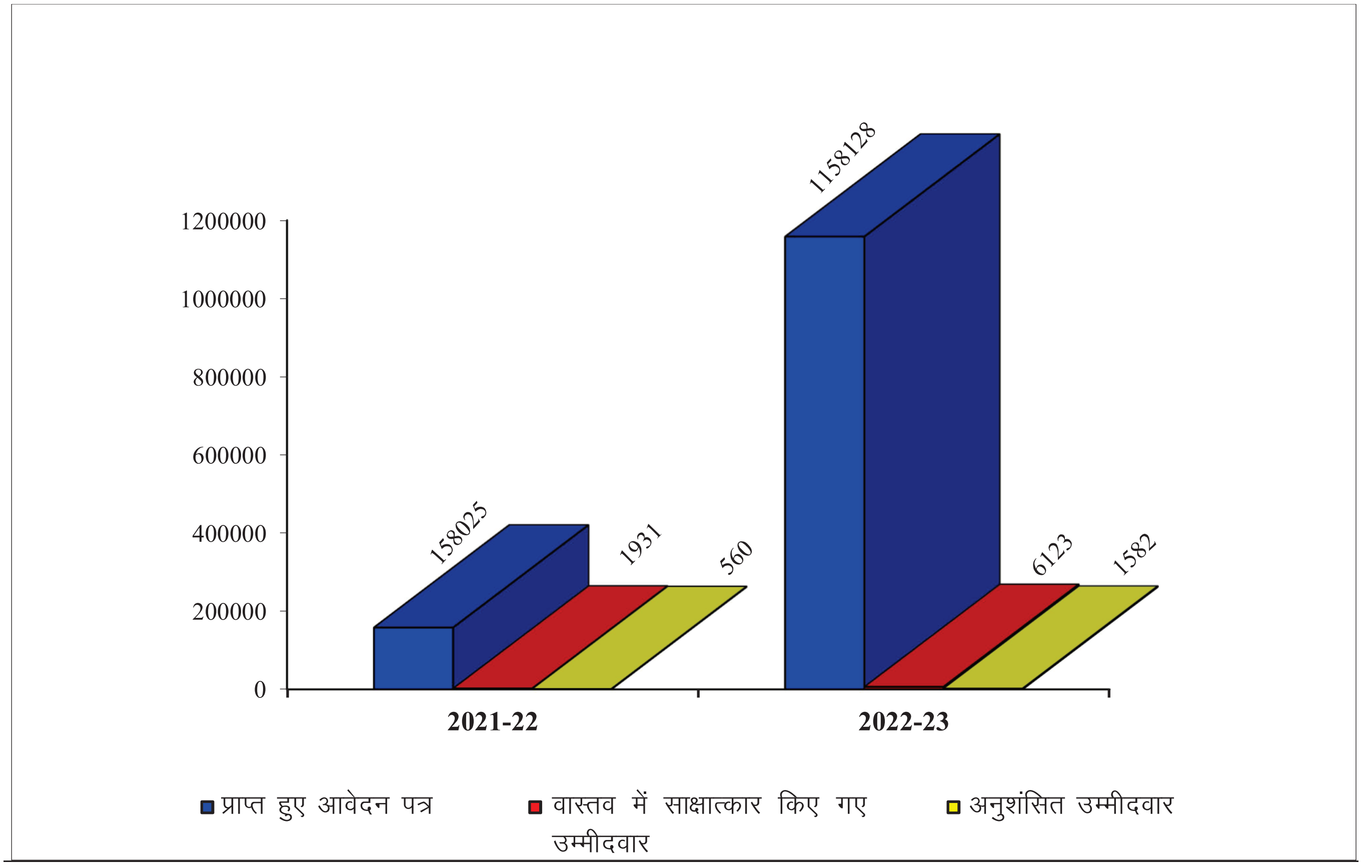

5. वर्ष 2022–23 के दौरान, इंजीनियरी, वैज्ञानिक तथा तकनीकी (इंजीनियरी को छोड़कर), गैर–तकनीकी तथा चिकित्सा के चार विस्तृत विषयों के अन्तर्गत उन पदों की संख्या, जिनके संबंध में भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया, अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या, पद आवेदक अनुपात तथा पद अनुशंसा अनुपात का विवरण **तालिका–1** में दिया गया है।

तालिका–1: वर्ष 2022–23 के दौरान अंतिम रूप दिए गए पदों और अनुशंसित उम्मीदवारों की विस्तृत विषयवार संख्या

विस्तृत विषय	पदों की संख्या	आवेदकों की संख्या	अनुशंसित उम्मीदवार	पद आवेदक अनुपात	पद अनुशंसा अनुपात
इंजीनियरी	164	25836	156	158	0.95
वैज्ञानिक एवं तकनीकी (इंजीनियरी को छोड़कर)	194	26184	182	135	0.94
गैर–तकनीकी	992	1023341	971	1032	0.98
चिकित्सा	386	4755	273	12	0.71
कुल	**1736**	**1080116**	**1582**	**622**	**0.91**

टिप्पणी: 1. पद–आवेदक अनुपात = आवेदकों की संख्या को पदों की संख्या से विभाजित करके।
2. पद–अनुशंसा अनुपात = अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या को पदों की संख्या से विभाजित करके।

6. उपर्युक्त चार विस्तृत विषयों, जिनके संबंध में भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया, में विषय/विशेषज्ञता–वार तथा समुदाय–वार, पदों की संख्या तथा वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या **परिशिष्ट–13, 14, 15 तथा 16** में दर्शाई गई है। पिछले वर्ष के संगत आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2022–23 में प्रतिशतता की भिन्नता दर्शाने वाला विवरण (विषय–वार) **परिशिष्ट–2** में दिया गया है।

भर्ती परीक्षण

7. भर्ती परीक्षण उन मामलों में आयोजित किए जाते हैं जहां बहुत अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं। भर्ती परीक्षण पद्धति का उद्देश्य उपयुक्त संख्या में उम्मीदवारों को लघुसूचीबद्ध करना है। भर्ती परीक्षण में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को प्रत्येक मामले के आधार पर उपयुक्त महत्व (वेटेज) दिया जाता है। अंतिम चयन के लिए भर्ती परीक्षण के बाद साक्षात्कार होता है।

8. वर्ष 2022–23 के दौरान, 912 पदों के लिए भर्ती के 29 मामलों में भर्ती परीक्षण आयोजित किए गए। इन मामलों का विवरण **परिशिष्ट–17** में दिया गया है।

पद–आवेदक अनुपात (एपीआर)

9. पद–आवेदक अनुपात (एपीआर) एक पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या का सूचक है। चयन द्वारा सीधी भर्ती के मामलों में, जिन्हें वर्ष 2022–23 में अंतिम रूप दिया गया, प्रति पद औसतन 622 आवेदक थे। **आरेख–3** से यह पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में वैज्ञानिक एवं तकनीकी तथा गैर–तकनीकी विषयों के मामले में एपीआर में वृद्धि हुई है, परंतु इंजीनियरी और चिकित्सा विषयों के मामले में इसमें कमी आई है।

आरेख—3: वर्ष—वार पद आवेदक अनुपात

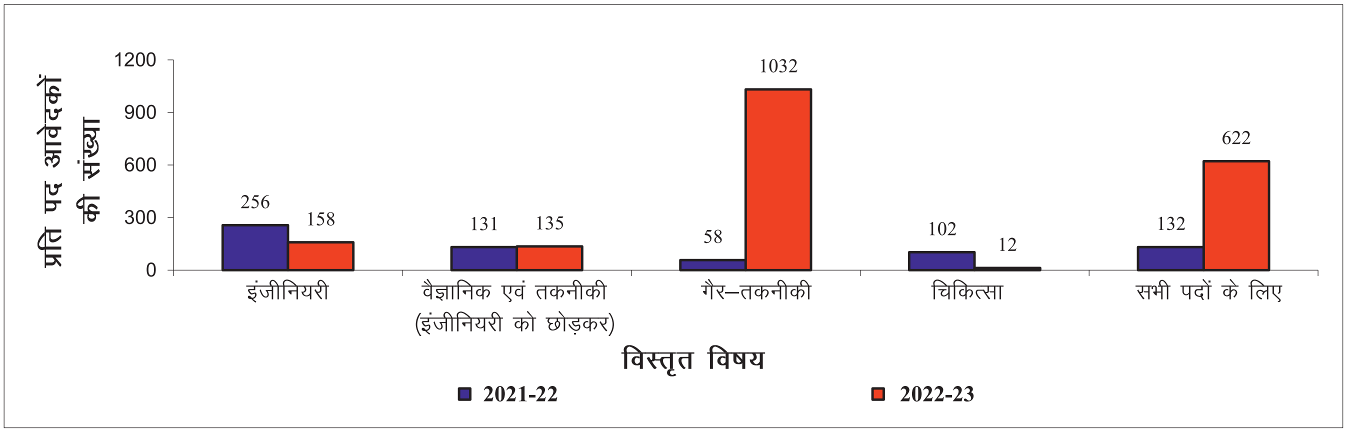

पद अनुशंसा अनुपात (आरपीआर)

10. पद अनुशंसा अनुपात (आरपीआर) का 1 से कम होना उस पद के लिए योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता को दर्शाता है। **आरेख—4** यह दर्शाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2022—23 में इंजीनियरी एवं चिकित्सा विषयों के पदों के संबंध में आरपीआर कम है।

आरेख—4: वर्ष—वार पद अनुशंसा अनुपात

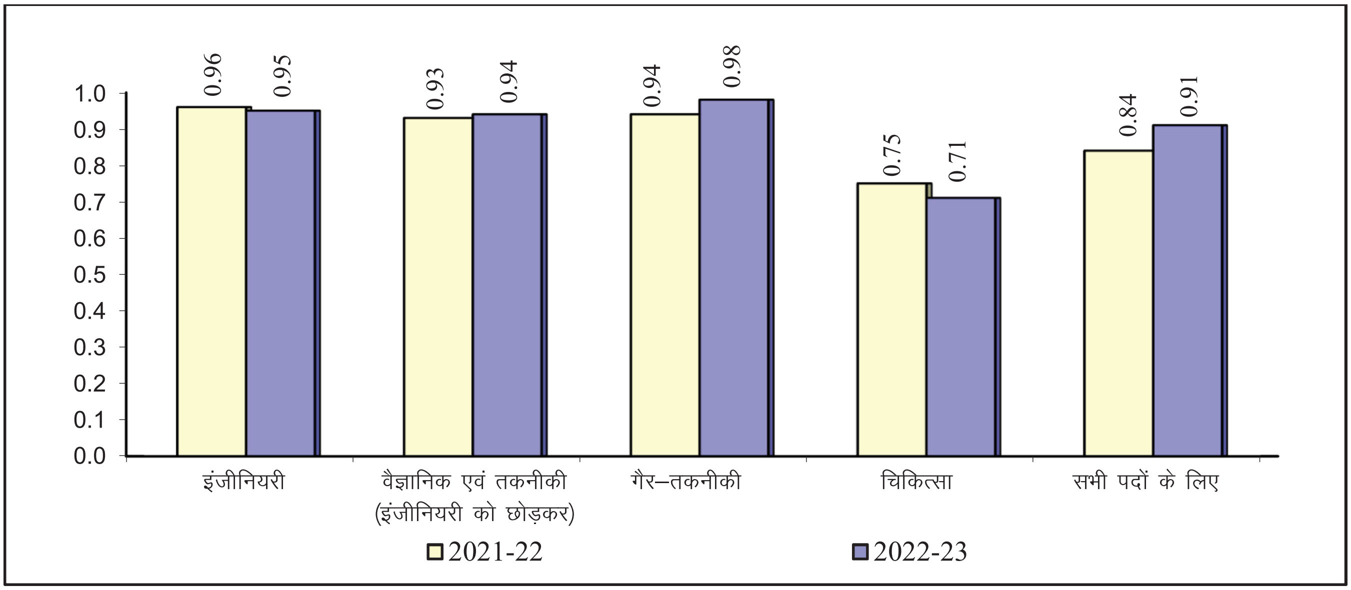

कोई उम्मीदवार योग्य नहीं पाया गया

11. वर्ष के दौरान, 154 पदों को भरने के लिए कोई उम्मीदवार योग्य नहीं पाए जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया निष्फल रही। इनमें से अधिकांश पदों में चिकित्सा या इंजीनियरी में विशेषज्ञता योग्यताएं अपेक्षित थीं।

विपुल संख्या में भर्ती संबंधी मामले

12. ऐसे मामले, जहां 500 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, विपुल भर्ती के मामले माने जाते हैं। वर्ष 2022—23 के दौरान, 1,228 पदों के लिए 44 ऐसे मामलों को अंतिम रूप दिया गया, जिनके लिए 10,65,666 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। ऐसे मामलों का विवरण **परिशिष्ट—18** में दिया गया है।

सांविधिक निकायों / स्थानीय प्राधिकरणों के लिए भर्ती

13. वर्ष 2022–23 के दौरान, सांविधिक निकायों/ स्थानीय प्राधिकरणों के लिए भी आयोग द्वारा भर्ती की गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रवर्तन अधिकारी/ लेखा अधिकारी के पद के लिए 421 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई थी तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद के लिए 18 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई थी।

अधिशेष अधिकारियों की भर्ती

14. वर्ष 2022–23 के दौरान कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्विकास डिवीजन द्वारा प्रायोजित एक अधिशेष अधिकारी को, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए भी अनुशंसित किया गया था।

आयोग की दक्षता और कार्यप्रणाली में सुधार लाने हेतु किए गए परिवर्तन

15. प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास से तालमेल रखते हुए भर्ती मामलों की प्रभावी और त्वरित प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने के क्रम में भर्ती प्रणाली और ऑन–लाइन भर्ती आवेदन सॉफ्टवेयर में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

15.1 संवीक्षा संबंधी विवरण तथा संवीक्षा हेतु अपनाए गए मानदण्ड अपलोड करने के बाद, मापदण्डों को अंतिम रुप देने से पहले उम्मीदवारों को इस संबंध में अभ्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का विकल्प दिया जाता है। इससे, आयोग द्वारा किए जाने वाले चयनों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है।

15.2 अंतिम चयन करते समय भर्ती परीक्षण में दिए गए अंकों और साक्षात्कार के अंकों के दिए गए क्रमशः वेटेज के संबंध में सूचना, उम्मीदवारों के सूचना के लिए और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु आयोग के भर्ती विज्ञापन में प्रकाशित किया जाता है।

साक्षात्कार द्वारा भर्ती (भर्ती परीक्षण सहित) मामलों के संबंध में आने वाली कठिनाइयां

16 विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विभिन्न विषयों में जारी डिग्रियों में समान योग्यताओं तथा विशेषज्ञताओं के नामों की भिन्नता के कारण उम्मीदवारों द्वारा धारित विभिन्न योग्यताओं की संगतता और समतुल्यता के निर्धारण में कठिनाइयां आती हैं।

16.1 कई भर्ती नियमों में संबंधित पद के लिए अपेक्षित योग्यता के संदर्भ में 'समतुल्य डिग्री' शब्द शामिल किया जाता है, जिसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जाता है। इन पदों के लिए, विज्ञापन में दी गई अपेक्षित अनिवार्य योग्यता/वांछनीय योग्यता के समतुल्य डिग्री धारी उम्मीदवारों से काफी संख्या में आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। विभिन्न डिग्रियों की समतुल्यता निर्धारित करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, अतः आयोग को मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों से प्रत्येक मामले के आधार पर, संबंधित पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य योग्यता/ वांछनीय योग्यता के संबंध में डिग्री की समतुल्यता के संदर्भ में अलग से स्पष्टीकरण मांगना पड़ता है, जिससे मामलों की प्रोसेसिंग में विलंब होता है।

16.2 उम्मीदवार, दिए गए अनुदेशों का पालन नहीं करते हैं। ऑन–लाइन आवेदनों के साथ अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से संवीक्षा प्रक्रिया के पूरा होने में विलंब हो जाता है।

अध्याय–5

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व

वर्ष 2022–23 के दौरान, आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए कुल 1409 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई। वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित/पूर्ण हुई परीक्षाओं के लिए इन श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों का ब्यौरा **परिशिष्ट–25** में दिया गया है। वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 का तुलनात्मक विवरण **तालिका–1** में दिया गया है।

तालिका–1

विवरण	2021-22				2022-23			
	आरक्षित पद	आरक्षित पदों के लिए अनुशंसित	कमी	अनारक्षित पदों के लिए अनुशंसित	आरक्षित पद	आरक्षित पदों के लिए अनुशंसित	कमी	अनारक्षित पदों के लिए अनुशंसित
परीक्षा द्वारा भर्ती	1157	1152	05	72	1697	1409*	@288	154
		99 %				83 %		

*आंकड़ों में वे 93 उम्मीदवार शामिल हैं जिनकी अनुशंसा सामान्य/मानक स्तर के साथ–साथ उनके लिए आरक्षित पदों के लिए की गई थी। आरक्षित सूची जारी होने के बाद उनकी अंतिम स्थिति का पता चलेगा।

@288 उम्मीदवारों की कमी, अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड बी/ग्रेड–I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2016 एवं 17 के संबंध में है, जिसमें उपयुक्त उम्मीदवार नहीं पाए गए थे।

2. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में वर्ष 2022–23 के दौरान आवेदन करने वाले, परीक्षाओं में बैठने वाले, जिनका साक्षात्कार किए गए (या जिनके सेवा रिकार्डों का मूल्यांकन किया गया) और अनुशंसित अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों का ब्यौरा **परिशिष्ट–4 और परिशिष्ट–5** में उपलब्ध है। **प्रतिशत–वार विवरण आरेख 1,2,3 एवं 4 में क्रमशः दर्शाया गया है।** उपर्युक्त के अतिरिक्त, वर्ष 2022–23 के दौरान आरक्षित (रिजर्व) सूची में से 01 अनुसूचित जाति, 22 अन्य पिछडा वर्ग और 08 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की भी अनुशंसा की गई थी। इसका विवरण **परिशिष्ट–6** में दिया है।

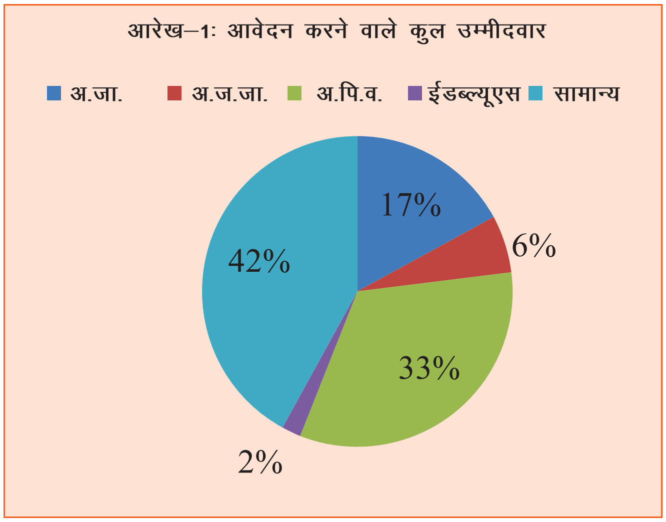

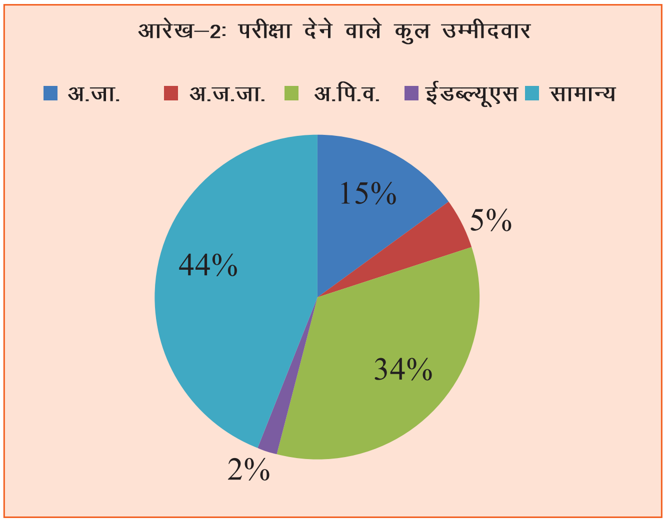

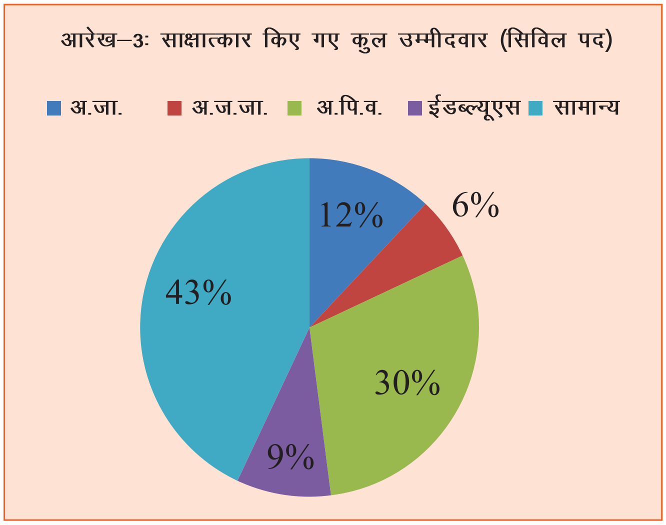

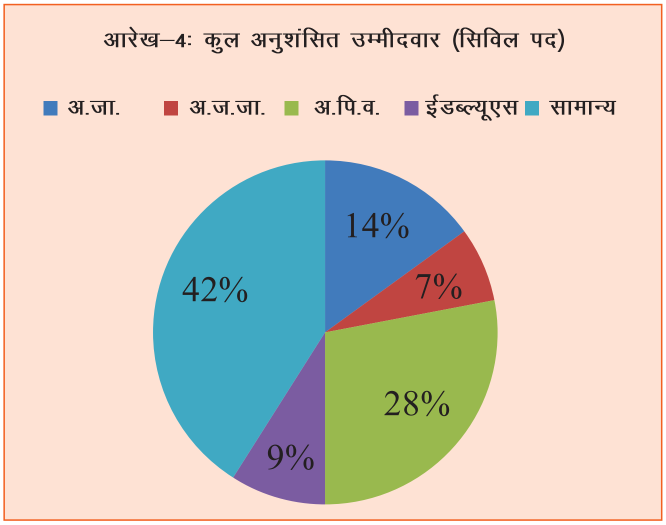

चयन द्वारा सीधी भर्ती

1. वर्ष 2022–23 के दौरान अ.जा., अ.ज.जा. अ.पि.व और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या और इन पदों के विरुद्ध अनुशंसित उम्मीदवारों का विवरण **तालिका–2** में दिया गया है।

तालिका–2 : वर्ष 2022–23 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित पदों हेतु भर्ती को अंतिम रूप दिया गया

विवरण	अ.जा	अ.ज.जा	अ.पि.व	ईडब्ल्यूएस	कुल
1. आरक्षित पद	228	116	448	143	935
2. आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार	187752	54888	386436	64245	693321
3. साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवार	1037	455	1800	390	3682
4. साक्षात्कार में उपस्थित हुए उम्मीदवार	807	349	1523	342	3021
5. अनुशंसित उम्मीदवार	220	110	390	95	815
6. कमी	8	6	58	48	120
उपर्युक्त मद 6 में से,					
(i) वे पद जिनके लिए किसी अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया **(ब्यौरा परिशिष्ट–26 में दिया गया है)**	2	4	3	19	28
(ii) वे पद जिनके लिए कोई अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाया गया	6	2	55	29	92

2. वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा 935 आरक्षित पदों (228 अ.जा.,116 अ.ज.जा., 448 अ.पि.व तथा 143 ईडब्ल्यूएस) के लिए कुल 815 उम्मीदवारों (220 अ.जा.,110 अ.ज.जा., 390 अ.पि.व तथा 95 ईडब्ल्यूएस) की अनुशंसा की गई।

3. इसके अतिरिक्त, अनारक्षित पदों के लिए कुल 136 उम्मीदवारों (15 अ.जा., 06 अ.ज.जा, 94 अ.पि.व और 21 ईडब्ल्यूएस) की अनुशंसा की गई। ब्यौरा परिशिष्ट–27 में दिया गया है।

4. वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 के दौरान अ.जा. अ.ज.जा., अ.पि.व और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों और अनुशंसित उम्मीदवारों का तुलनात्मक विवरण **तालिका–3** में दिया गया है।

तालिका–3 : चयन द्वारा सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या तथा अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या

2021-22					2022-23				
आरक्षित पद	आरक्षित पदों के लिए अनुशंसित अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार	कमी	अनारक्षित पदों के लिए अनुशंसित अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस के कुल अनुशंसित उम्मीदवार	आरक्षित पद	आरक्षित पदों के लिए अनुशंसित अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार	कमी	अनारक्षित पदों के लिए अनुशंसित अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार	अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व./ ईडब्ल्यूएस के कुल अनुशंसित उम्मीदवार
338	259 (76.6%)	79 (23.4%)	58	317 (93.8%)	935	815 (87.2%)	120 (12.8%)	136	951 (101.7%)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तथा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण

5. आयोग ने मानदंडों में छूट के आधार पर नियुक्ति हेतु चुने गए अनुसूचित जाति के 23, अनुसूचित जनजाति के 12 तथा अन्य पिछड़े वर्ग के 35 उम्मीदवारों के साथ–साथ बेंचमार्क दिव्यांगता वाले तीन उम्मीदवारों (जिसमें 01 अ.पि.व. और 02 सामान्य उम्मीदवार शामिल हैं) को सामान्य स्तर तक लाने के लिए उन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुशंसा की। पद पर उनकी नियुक्ति के पश्चात, अनुशंसित की गई सेवाकालीन प्रशिक्षण की अवधि तीन माह से एक वर्ष तक थी। अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., ईडब्ल्यूएस तथा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों का समुदाय–वार तथा अवधि–वार विवरण, जिनके लिए आयोग ने वर्ष 2022–23 के दौरान सेवाकालीन प्रशिक्षण की अनुशंसा की, **तालिका–4** में दिया गया है।

तालिका–4: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तथा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उन उम्मीदवारों का समुदाय–वार तथा अवधि–वार विवरण जिनके लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की अनुशंसा की गई

सेवाकालीन प्रशिक्षण की अवधि	समुदाय–वार उम्मीदवार					
	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूबीडी	कुल
3 महीने	5	2	3	0	2	**12**
6 महीने	10	8	11	0	1	**30**
9 महीने	2	1	4	0	0	**7**
एक वर्ष	6	1	17	0	0	**24**
कुल	**23**	**12**	**35**	**0**	**3**	**73**

चयन द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से अनुशंसित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति

6. वर्ष 2022—23 के दौरान, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 68 पदों के लिए कुल 38 उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई। इसके अतिरिक्त, चार और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों की भी उनके लिए उपयुक्त पदों के लिए अनुशंसा की गई थी। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या तथा इन पदों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की विषय—वार संख्या **तालिका—5** में दी गई है।

तालिका—5: वर्ष 2022—23 के दौरान बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों तथा उनके लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की विषय—वार संख्या

क्रम सं	विषय	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	ऐसे अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या
1.	इंजीनियरी	6	2
2.	वैज्ञानिक एवं तकनीकी	12	6
3.	गैर—तकनीकी	37	28
4.	चिकित्सा	13	2
कुल		**68**	**38**

अध्याय–6

भर्ती नियम, सेवा नियम तथा भर्ती की पद्धति

आयोग को भारत सरकार/संघ शासित क्षेत्रों और कतिपय सांविधिक संगठनों यथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), आदि के अंतर्गत आने वाले सिविल पदों तथा सेवाओं के संबंध में भर्ती नियम और सेवा नियमों को बनाने/ उनमें संशोधन करने के लिए परामर्श देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। नए सृजित पदों के लिए अधिसूचित भर्ती नियम न होने पर, आयोग इन पदों को भरने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भर्ती की 'एकबारगी पद्धति' के निर्धारण पर परामर्श देता है। वर्ष 2022–23 के दौरान, आयोग को 319 पदों के संबंध में भर्ती नियम बनाने और उनमें संशोधन करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें भर्ती की एकबारगी पद्धति के निर्धारण के लिए 26 प्रस्ताव भी शामिल हैं। 83 पदों के संबंध में प्रस्ताव पिछले वर्ष से अग्रानीत किए गए। इस प्रकार वर्ष 2022–23 के दौरान 402 (319+83) प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई। वर्ष के दौरान आयोग ने भर्ती नियमों/सेवा नियमों को बनाने/उनमें संशोधन करने के 329 प्रस्तावों में अपना परामर्श दिया, जिसमें एकबारगी पद्धति हेतु 26 प्रस्ताव भी शामिल हैं। शेष 73 प्रस्तावों को अगले वर्ष अर्थात् 2023–24 के लिए अग्रेनीत किया गया। इस प्रकार, आयोग द्वारा कुल प्रस्तावों का 81.84 प्रतिशत में परामर्श दिया गया था।

2. वर्ष के दौरान, आयोग ने सेवा नियमों को बनाने/ उनमें संशोधन करने के निम्नलिखित 7 प्रस्तावों के संबंध में सलाह दी है:–

i. केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क)

ii. दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (होम्योपैथी का अध्यापन संवर्ग) नियमावली

iii. केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) नियमावली

iv. दिल्ली लेखा सेवा नियमावली

v. भारतीय रेडियो नियामक सेवा नियमावली

vi. केन्द्रीय श्रम सेवा नियमावली

vii. भारतीय रेल प्रबंधन सेवा नियमावली

3. पदों की संख्या, जिनके लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रस्ताव प्राप्त किए गए और परामर्श दिए गए, उनका विवरण **तालिका–1** तथा **आरेख–1** में दिया गया है:–

तालिका–1 : पिछले पांच वर्षों के दौरान मूल्यांकन किए गए भर्ती नियमावली प्रस्ताव

क्रम सं.	वर्ष	अग्रानीत	प्राप्त	कुल [(ii)+(iii)]	पद, जिन पर परामर्श दिया गया/ निपटान किया गया	अग्रेनीत
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
1.	2018-19	23	693	716	607	109
2.	2019-20	109	523	632	575	57
3.	2020-21	57	232	289	240	49
4.	2021-22	49	276	325	242	83
5.	2022-23	83	319	402	329	73

आरेख–1: पिछले पांच वर्षों के दौरान मूल्यांकन किए गए भर्ती नियमावली प्रस्ताव

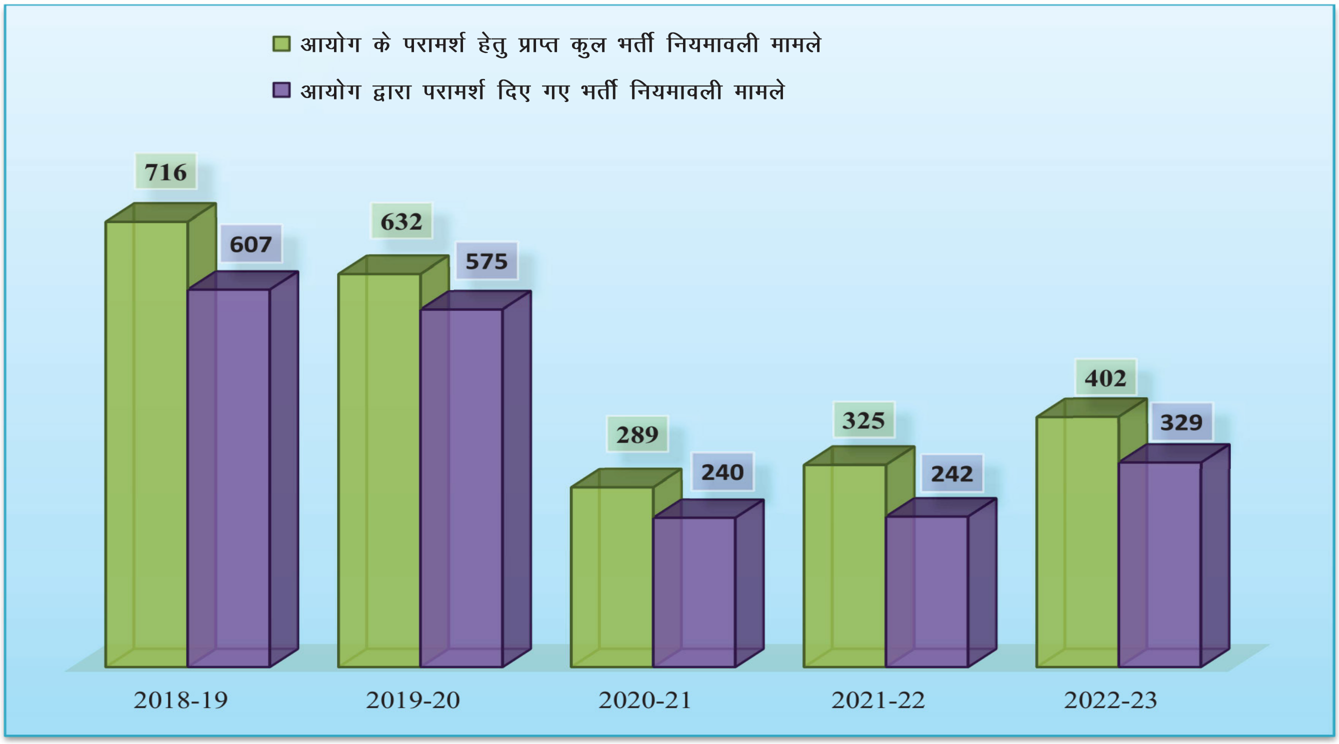

भर्ती नियमावली निरूपण, संशोधन, मॉनीटरिंग प्रणाली (आरआरएफएएमएस)

4. भर्ती नियमावली को बनाने/उनमें संशोधन करने के लिए प्रस्तावों को जमा किए जाने हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक ऑन–लाईन प्रणाली अर्थात् भर्ती नियम निरूपण, संशोधन मॉनीटरिंग प्रणाली (आरआरएफएएमएस) पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल दिनांक 03.12.2018 से संघ लोक सेवा आयोग में प्रचालन में सक्रिय है। आरआरएफएएमएस पोर्टल पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुमोदित भर्ती नियम प्रस्ताव, आयोग में ऑन–लाइन प्राप्त किए जा रहे हैं। संबंधित स्वायत्त संगठनों तथा संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के साथ–साथ भर्ती नियमों के अभाव में भर्ती की एकबारगी पद्धति के प्रस्ताव भी आयोग को सीधे पोर्टल में प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे प्रस्तावों के संबंध में आयोग का परामर्श भी संबंधित मंत्रालय/विभाग को

ऑन–लाइन भेजा जाता है। 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के दौरान, भर्ती नियमों को बनाने/उनमें संशोधन/एकबारगी भर्ती पद्धति के 295 प्रस्तावों पर आयोग का परामर्श ऑन–लाइन आरआरएफएएमएस के माध्यम से जारी किया गया।

एकल खिड़की प्रणाली

5. सेवा नियमावलियों को बनाने/ उनमें संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव एकल खिड़की के माध्यम से ऑफ–लाइन प्राप्त किए जा रहे हैं क्योंकि आरआरएफएएमएस को इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि वह केवल भर्ती नियमों के ही फील्ड कैप्चर कर सके। इसी प्रकार, जिन विभागों/मंत्रालयों/कार्यालयों के भर्ती नियमावली बनाने/ उनमें संशोधन करने से संबंधित प्रस्ताव जो अभी तक आरआरएफएएमएस पर नहीं हैं (हालांकि ये बहुत कम हैं), वे भी अभी एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से आयोग में प्राप्त किए जा रहे हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत पूर्व–निर्धारित जांच–सूची के आधार पर संबंधित मंत्रालयों/ विभागों से प्राप्त प्रस्तावों की प्रारंभिक जांच की जाती है और सुनिश्चित करती है कि हर प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव ही आयोग में स्वीकार किए जाएं।

अध्याय—7

पदोन्नतियां और प्रतिनियुक्तियां

राज्य सेवा अधिकारियों का अखिल भारतीय सेवाओं में समावेशन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों के अन्तर्गत राज्य सेवा अधिकारियों का अखिल भारतीय सेवाओं यथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (भा.प्र.से.)/भारतीय पुलिस सेवा (भा.पु.से.)/भारतीय वन सेवा (भा.व.से.) में समावेशन भारत सरकार द्वारा बनाए गए पदोन्नति संबंधी विनियमों द्वारा शासित होता है। आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में चयन समिति, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में सम्मिलित करने के लिए चयन करती है। भारत सरकार (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ने 25 जुलाई, 2000 की अपनी अधिसूचना द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा संबंधी पदोन्नति विनियमों में संशोधन किया है ताकि वर्ष—वार चयन सूचियां तैयार की जा सकें। तदनुसार, वर्ष के दौरान विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में समावेशन के लिए वर्ष 2021 की रिक्तियों के लिए चयन सूचियां तैयार की गईं। इसके अलावा, कुछ राज्यों के मामले में जहां पिछली रिक्तियां (बैकलॉग) थीं, पिछले वर्षों की चयन सूचियां भी तैयार की गई।

2. पिछले पांच वर्षों के दौरान, अखिल भारतीय सेवाओं में समावेशन के लिए विभिन्न राज्यों के जिन अधिकारियों पर विचार किया गया और जिनकी अनुशंसा की गई, उनके तुलनात्मक आंकड़े **आरेख—1** में दिए गए हैं:

आरेख—1: अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति (कुल)

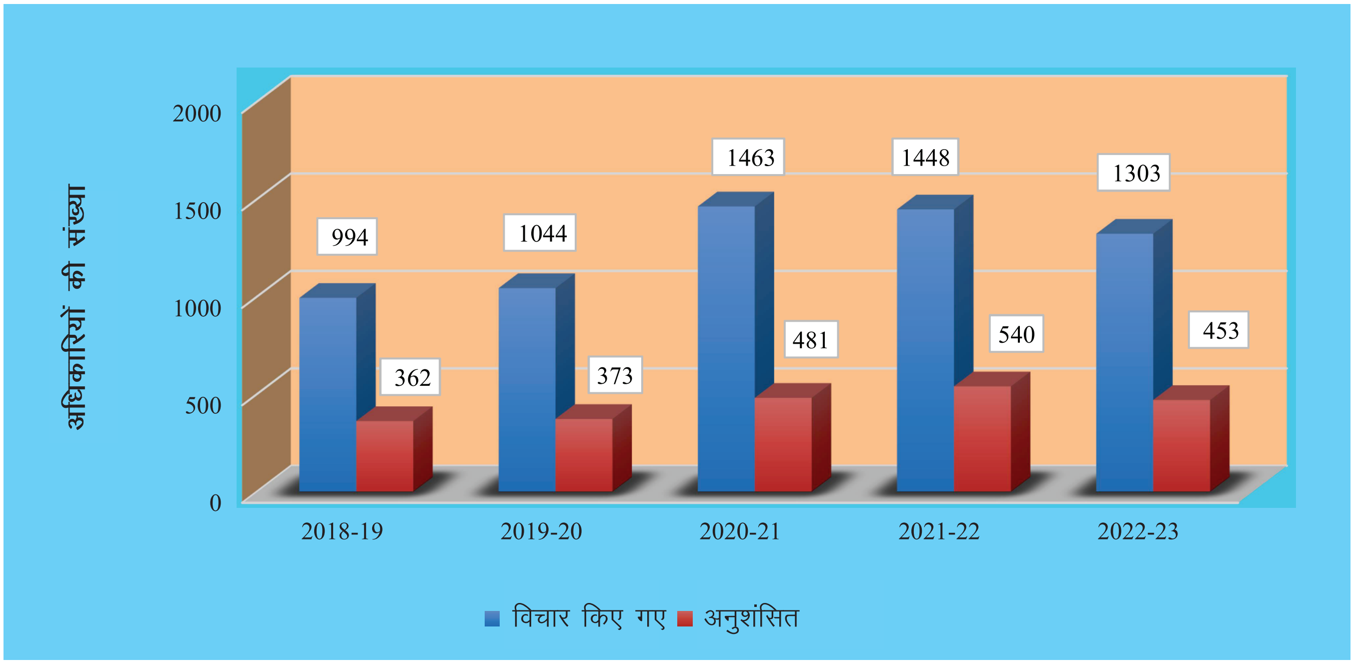

3. वर्ष 2022–23 के दौरान, आयोग ने विभिन्न राज्यों के 1303 अधिकारियों के नामों पर विचार किया, जिनमें से 453 अधिकारियों की अखिल भारतीय सेवाओं में समावेश करने के लिए अनुशंसा की गई, जबकि वर्ष 2021–22 के दौरान, कुल 1448 अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया था जिनमें से 540 अधिकारियों की अखिल भारतीय सेवाओं में समावेश करने के लिए **तालिका –1** में दर्शाए अनुसार अनुशंसा की गई थी।

तालिका–1 : अनुशंसित अधिकारियों की सेवा–वार संख्या

विवरण	2021-22	2022-23
भा.प्र.से (राज्य सिविल सेवा से)	173	253
भा.प्र.से (गैर–राज्य सिविल सेवा से)	16	24
भा.पु.से	222	106
भा.व.से	129	70
कुल	**540**	**453**

4 पिछले दो वर्षों के दौरान अखिल भारतीय सेवाओं में समावेश करने के लिए विभिन्न राज्यों के अधिकारियों पर विचार किया गया और जिनकी अनुशंसा की गई, उनके सेवा–वार तुलनात्मक आंकड़े **आरेख–2** में दिए गए हैं।

आरेख–2: विचार किए गए और अनुशंसित अधिकारियों की सेवा–वार संख्या

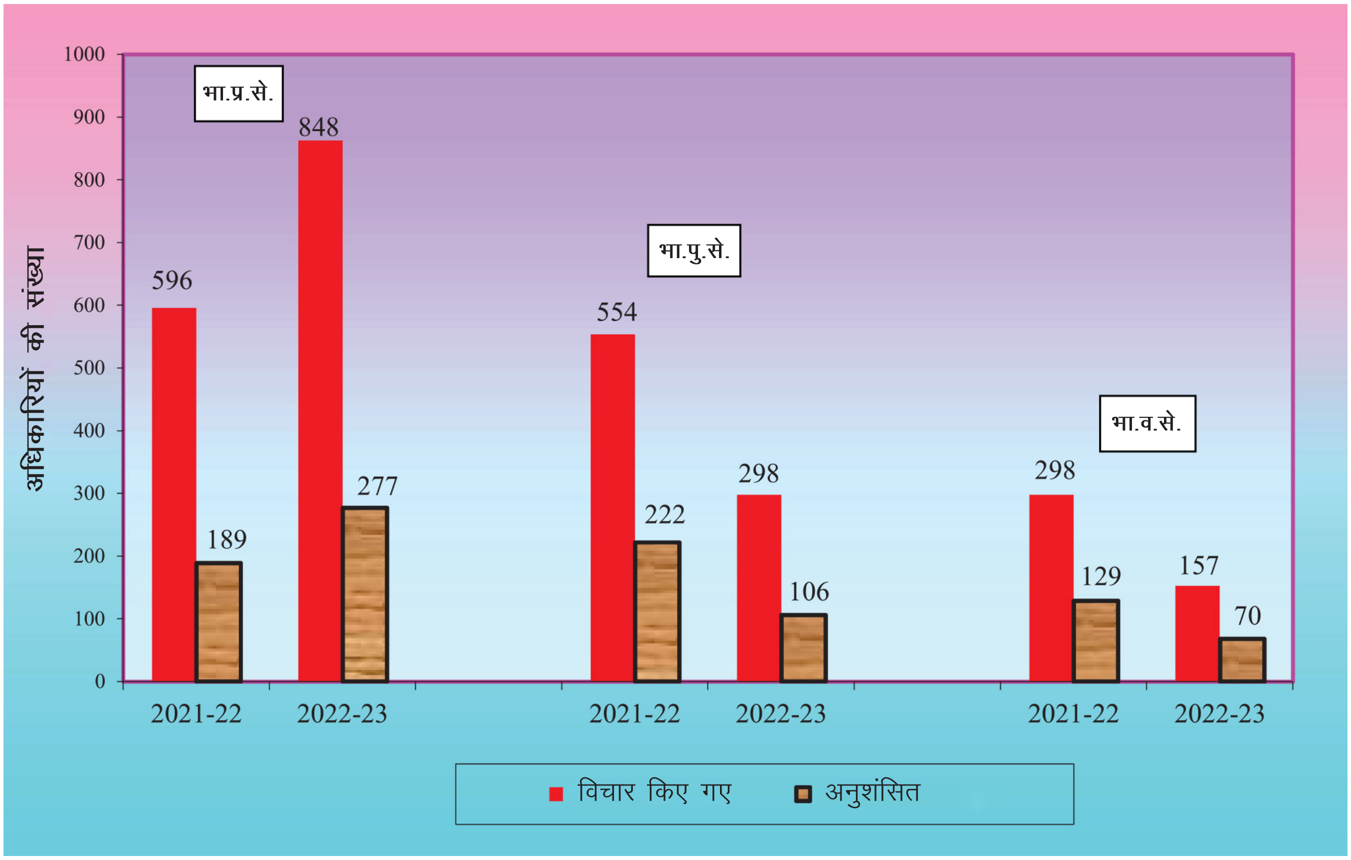

5. वर्ष 2022–23 के दौरान, 120 संवर्गों/उप–संवर्गों में से 38 के संबंध में वर्तमान चयन सूची अर्थात् वर्ष 2021 की चयन सूची तैयार करने के लिए चयन समिति की बैठकें (एससीएम) आयोजित की गईं। 25 संवर्गों/उप–संवर्गों में भारत सरकार द्वारा "शून्य" रिक्तियां निर्धारित की गईं अथवा वर्ष 2021 की रिक्ति हेतु अर्हक अधिकारी की अनुपलब्धता होने के कारण चयन समिति की बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी। संबंधित विवरण **परिशिष्ट–19** में दिया गया है। इस प्रकार, वर्ष 2022–23 के दौरान शामिल संवर्गों/उप संवर्गों की कुल प्रतिशतता 53% रही। आयोग ने वर्ष 2022 के आरंभ से ही अखिल भारतीय सेवाओं में समावेशन की प्रक्रिया के निर्धारण की गति बढ़ाने के भरसक प्रयास किए ताकि राज्य सेवा अधिकारियों की संबंधित अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन समिति की बैठकें आयोजित करने में विलंब न हो। जनवरी माह में ही सभी राज्य सरकारों/संवर्गों और केन्द्रीय सरकार के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को पत्र जारी किए गए थे जिसमें मॉडल कैलेन्डर में सुझाई गई तारीखों के अनुसार रिक्तियों को निर्धारित करने और चयन समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था।

6. शेष संवर्गों/उप–संवर्गों के संबंध में चयन सूचियां विभिन्न कारणों यथा भारत सरकार द्वारा रिक्तियों का निर्धारण नहीं किया जाना, वरिष्ठता संबंधी विवाद, पूर्व वर्षों की चयन–सूचियों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना और राज्य सरकारों से प्रस्तावों का प्राप्त नहीं होना/विलम्ब से प्राप्त होना, आदि से तैयार नहीं की जा सकीं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी **आरेख–3** में दर्शाई गई है तथा **परिशिष्ट–22** में दी गई है।

आरेख–3: वर्ष 2022–23 के दौरान चयन समिति की बैठकों का ब्यौरा

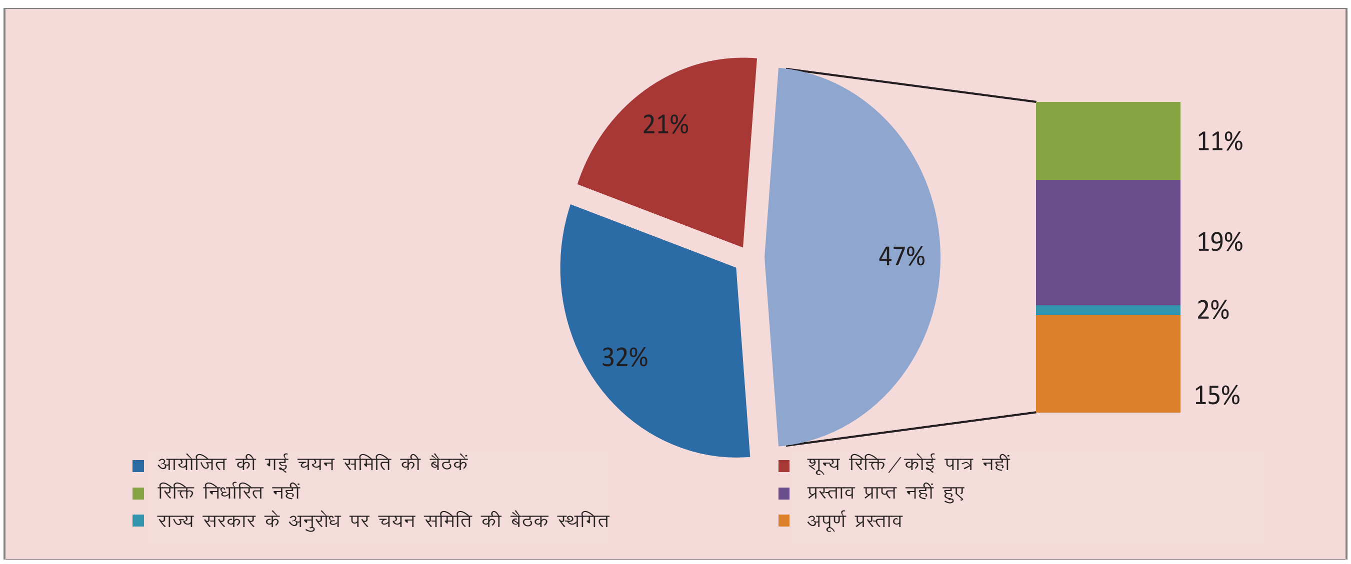

7. वर्ष 2022–23 के दौरान, चयन समिति की 32 बैठकों में 32 संवर्गों/ उप संवर्गों की चयन सूचियां केवल वर्तमान वर्ष 2021 के लिए तैयार की गईं और चयन समिति की 06 अन्य बैठकों में 20 चयन सूचियां तैयार की गईं जिनमें वर्तमान वर्ष की 06 चयन सूचियां एवं पिछले वर्षों की 14 चयन सूचियां शामिल थीं। इसके अतिरिक्त, चयन समिति की अन्य 15 बैठकों में, केवल पिछले वर्षों के लिए 36 चयन सूचियां तैयार की गईं। इस प्रकार, वर्ष 2022–23 के दौरान चयन समिति की कुल 53 बैठकें **(परिशिष्ट–20)** आयोजित की गईं, जिनमें 88 चयन सूचियां तैयार की गईं। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निदेशों के

अनुसरण में, चयन समिति की 08 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई, जिनमें 13 चयन सूचियों की समीक्षा की गई। इस प्रकार, वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल 101 चयन सूचियां तैयार/ समीक्षा की गई। इस संबंध में ब्यौरा **तालिका–2** में दर्शाया गया है।

तालिका– 2: वर्ष 2022–23 के दौरान तैयार की गई चयन सूची

क्रम सं.	विवरण	चयन सूचियों की सं.
1.	केवल मौजूदा वर्ष के लिए तैयार की गई चयन सूचियां (चयन सूची 2021)	32
2.	मौजूदा वर्ष के लिए तैयार की गई चयन सूचियां (चयन सूची 2021) पिछले वर्षों की भी चयन सूचियों सहित	20
3.	केवल पिछले वर्ष के लिए तैयार की गई चयन सूचियां	36
4.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में समीक्षा बैठकों में पिछले वर्षों की चयन सूचियों की समीक्षा की गई **(परिशिष्ट–21)**	13
	कुल	**101**

राज्यों में पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल प्रमुख) के पद पर नियुक्ति हेतु भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को पैनल में शामिल करना।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 310/1996 (प्रकाश सिंह एवं अन्य, बनाम भारत संघ एवं अन्य) में दिनांक 22 सितम्बर, 2006 के अपने आदेश के तहत अन्य बातों के साथ–साथ, यह निदेश दिया था कि राज्य के पुलिस महानिदेशक का चयन राज्य सरकार द्वारा विभाग के उन तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से किया जाए, जिनका नाम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद (पुलिस बल प्रमुख) के लिए पैनल में शामिल किया गया है। यह सूचित किया जाता है कि आयोग को राज्यों में पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल प्रमुख) के पद पर पदोन्नति/नियुक्ति के मामले में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत पदोन्नति के लिए आयोग से परामर्श लेने का प्रावधान नहीं था। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त विशिष्ट आदेश के मद्देनजर, पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने हेतु आयोग की सहायता के लिए सभी संबंधित प्राधिकारियों को निदेश देने और इस प्रकार के पैनल में शामिल करने के तौर–तरीकों के संबंध में निदेश प्राप्त करने हेतु आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अंतर्वादीय आवेदन–पत्र (आई ए) दाखिल किए। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार आयोग द्वारा दायर अंतर्वादीय आवेदन–पत्र (आई ए) माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित थे।

9. इसी बीच, दिनांक 22.09.2006 के निर्णय में संशोधन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दायर आई ए में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 03.07.2018 के आदेश द्वारा यह निदेश दिया कि सभी राज्य दिनांक 22.09.2006 के निर्णय में दिए निदेशानुसार पैनल तैयार करने के लिए पुलिस महानिदेशक के पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम तीन माह पहले अर्थात् समय रहते अपने प्रस्ताव भेजेंगे।

10. वर्ष 2022–23 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सिक्किम, बिहार, नागालैंड झारखण्ड, असम और गुजरात राज्यों में पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल प्रमुख) के पद पर नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने हेतु एम्पैनलमेंट समिति की 09 बैठकें आयोजित की गई।

पदोन्नतियां और प्रतिनियुक्तियां

11. भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने और एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानान्तरण करने के संबंध में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों और ऐसी नियुक्तियों, पदोन्नतियों अथवा स्थानांतरणों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारण के लिए आयोग से परामर्श करने का प्रावधान है।

12. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, आयोग केन्द्र सरकार और संघ शासित क्षेत्रों की विभिन्न सिविल सेवाओं और पदों पर पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति [अल्पकालीन संविदा सहित (आई एस टी सी),/ आमेलन से संबंधित कार्य करता है। अनुच्छेद 321 के प्रावधानों के अनुसार, आयोग को स्थानीय प्राधिकरणों, निगमित निकायों अथवा सार्वजनिक संस्थाओं, जहां भी संगत अधिनियमों में इसके लिए प्रावधान है, में पदों पर पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन का कार्य भी सौंपा गया।

13. आयोग ने वर्ष 2022—23 के दौरान, वर्ष 2021—22 में 4,773 अधिकारियों की तुलना में 12,879 अधिकारियों की पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन द्वारा उनकी नियुक्ति हेतु अनुशंसा की। इस प्रक्रिया में, आयोग ने वर्ष 2022—23 के दौरान 21,561 अधिकारियों के सेवा अभिलेखों पर विचार किया जबकि वर्ष 2021—22 के दौरान 7,855 अधिकारियों के सेवा रिकार्डों पर विचार किया गया था।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन प्रस्तावों के लिए एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम)

14. पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन के प्रस्तावों में प्रक्रियागत तेजी लाने के लिए, आयोग में 01 अगस्त, 2010 से एकल खिड़की प्रणाली शुरू की गई थी।

15. 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, वर्ष 2022—23 के दौरान एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त / वापस किए गए प्रस्तावों तथा स्वीकृत किए गए मामलों की प्रोसेसिंग का चरणबद्ध ब्यौरा निम्नलिखित **तालिका—3** में दिया गया है:

तालिका—3: प्राप्त / वापस किए गए प्रस्ताव तथा कार्रवाई का चरण

पदोन्नति मामले							
प्राप्त कुल मामले	उसी समय संवीक्षा के पश्चात स्वीकृत/वापस किए गए (एसडब्ल्यूएस)	पिछले वर्ष से अग्रानीत	बैठक आयोजित / परामर्श पत्र जारी किया गया / निपटाए गए	विस्तृत जांच के बाद वापस किए गए	सदस्य नामित किए गए / बैठक निर्धारित की गई	जवाब / दस्तावेज प्रतीक्षित	परीक्षण/ प्रस्तुतीकरण के अधीन
731	548 (स्वीकृत) 183 (वापस किए गए)	171	502	50	60	32	75
प्रतिनियुक्ति मामले							
प्राप्त कुल मामले	उसी समय संवीक्षा के पश्चात स्वीकृत/वापस किए गए (एसडब्ल्यूएस)	पिछले वर्ष से अग्रानीत	बैठक आयोजित / परामर्श पत्र जारी किया गया / निपटाए गए	विस्तृत जांच के बाद वापस किए गए	सदस्य नामित किए गए / बैठक निर्धारित की गई	जवाब / दस्तावेज प्रतीक्षित	परीक्षण/ प्रस्तुतीकरण के अधीन
349	211 (स्वीकृत) 138 (वापस किए गए)	57	179	11	35	14	29

केंद्रीय सेवाओं में पदोन्नतियां

16. वर्ष 2022–23 के दौरान, एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत विभागीय पदोन्नति समिति (वि.प.स.) के कुल 548 प्रस्ताव स्वीकार किए गए। पिछले वर्ष अर्थात् 2021–22 से 171 विभागीय पदोन्नति समिति प्रस्ताव अग्रेनीत किए गए थे। 502 मामलों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की गई तथा संबंधित मंत्रालयों/ विभागों को परामर्श पत्र जारी किए गए। विभागीय पदोन्नति समिति के 50 प्रस्तावों को विस्तृत जांच के बाद मंत्रालयों/ विभागों को वापस किया गया। 60 मामलों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों की तारीख निर्धारित की गई या इन बैठकों की अध्यक्षता के लिए सदस्य नामित किए गए। 31 मार्च, 2023 तक 32 मामलों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों से कतिपय प्रश्नों के उत्तरों की प्रतीक्षा थी तथा शेष 75 मामलों में विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई हो रही थी।

17. निपटान में लगने वाले 120 दिन के सामान्य समय (एन टी डी) की तुलना में वर्ष 2022–23 के दौरान विभागीय पदोन्नति समिति के मामलों के निपटान में लगने वाला औसत समय 63 दिन था। पिछले पांच वर्षों के दौरान आयोग द्वारा स्वीकार किए गए कमी वाले मामलों तथा विभागीय पदोन्नति समिति के प्रस्तावों के निपटान में लगने वाले समय का विवरण **तालिका–4** में दिया गया है:

तालिका– 4: कमी वाले प्रस्तावों तथा निपटान समय का ब्यौरा – डी पी सी मामले

प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत उसी समय संवीक्षा के पश्चात् लौटाए गए उन प्रस्तावों की संख्या जिनमें कमियां पाई गई थीं (कमी वाले प्रस्तावों का प्रतिशत)	स्वीकार किए गए प्रस्तावों की संख्या	निपटान में लगने वाले 120 दिन के सामान्य समय की तुलना में स्वीकृत प्रस्तावों के निपटान में लगने वाला औसत समय
वर्ष 2018-19			
675	138 (20%)	537	44 दिन
वर्ष 2019-20			
652	137 (21%)	515	48 दिन
वर्ष 2020-21			
583	155 (27%)	428	51 दिन
वर्ष 2021-22			
810	229 (28%)	581	63 दिन
वर्ष 2022-23			
731	183 (25%)	548	63 दिन

18. आयोग ने वर्ष 2022–23 में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की 502 बैठकों में 12,749 अधिकारियों की अनुशंसा की, जबकि वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की 489 बैठकों में 4,662 अधिकारियों की अनुशंसा की गई थी।

19. वर्ष 2022–23 के दौरान पदोन्नति के लिए जिन 12,749 अधिकारियों की अनुशंसा की गई, उनमें से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 1340 अधिकारियों की अनुशंसा उनके लिए आरक्षित 1952 रिक्तियों के लिए की गई थी। पात्र अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण शेष 612 आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी की अनुशंसा नहीं की जा सकी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुल 803 अधिकारियों को अनारक्षित रिक्तियों के लिए समूह 'ख' से समूह 'क' में पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया गया। ऐसे मामलों का मंत्रालय/ विभाग–वार ब्यौरा **परिशिष्ट–24** में दिया गया है।

प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/ आमेलन

20. वर्ष 2022–23 के दौरान, एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन के कुल 211 प्रस्ताव स्वीकार किए गए। पिछले वर्ष अर्थात् 2021–22 से 57 प्रतिनियुक्ति प्रस्ताव अग्रानीत किए गए थे। चयन समिति की बैठकें/ चयन समिति की बैठकें (पीटी) आयोजित की गईं तथा 105 मामलों में संबंधित मंत्रालयों/ विभागों को परामर्श पत्र जारी किए गए तथा 74 मामले विभिन्न कारणों से निष्फल हो गए। विस्तृत परीक्षण के बाद 11 प्रतिनियुक्ति प्रस्ताव मंत्रालयों/विभागों को वापस किए गए। इसके अलावा, 35 मामलों में चयन समिति की बैठकों की तारीख निर्धारित की गई अथवा सदस्य नामित किए गए। 14 मामलों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों से कतिपय प्रश्नों के उत्तरों की प्रतीक्षा थी तथा 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार शेष 29 मामलों पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जा रही थी।

21. वर्ष 2022–23 के दौरान प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन के लिए स्वीकार किए गए प्रस्तावों के निपटान में लगने वाला औसत समय, निपटान के लिए निर्धारित 180 दिनों के सामान्य समय की तुलना में 86 दिन था। पिछले पांच वर्षों के दौरान आयोग द्वारा स्वीकार किए गए कमी वाले प्रस्तावों तथा प्रस्तावों के निपटान में लगे समय का विवरण नीचे **तालिका–5** में दिया गया है:

तालिका –5: प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन मामलों में कमियों वाले प्रस्तावों तथा निपटान समय का विवरण

प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत उसी समय संवीक्षा के पश्चात् लौटाए गए उन प्रस्तावों की संख्या जिनमें कमियां पाई गई थीं (कमी वाले प्रस्तावों का प्रतिशत)	स्वीकार किए गए प्रस्तावों की संख्या	निपटान में लगने वाले 180 दिन के सामान्य समय की तुलना में स्वीकृत प्रस्तावों के निपटान में लगने वाला औसत समय
वर्ष 2018-19			
295	116 (39%)	179	117 दिन
वर्ष 2019-20			
276	98 (36%)	178	95 दिन
वर्ष 2020-21			
270	136 (50%)	134	97 दिन
वर्ष 2021-22			
353	146 (41%)	207	106 दिन
वर्ष 2022-23			
349	138(40%)	211	86 दिन

22. आयोग ने वर्ष 2022–23 के दौरान प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन के लिए चयन समिति/ चयन समिति (पीटी) की आयोजित की गई 105 बैठकों में 130 अधिकारियों की अनुशंसा की, जबकि वर्ष 2021–22 के दौरान चयन समिति/चयन समिति (पी टी) की 99 बैठकों में 111 अधिकारियों की अनुशंसा की गई थी।

मंत्रालयों/ विभागों द्वारा सूचित तदर्थ नियुक्तियां

23. सरकार द्वारा समूह 'क' और समूह 'ख' के विभिन्न पदों पर की गई ऐसी सभी नियुक्तियों को तदर्थ माना जाता है, जहां लंबित नियुक्तियां/पदोन्नतियां आयोग द्वारा की जानी हों। सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा मासिक तथा अर्ध–वार्षिक विवरणियों में इनके बारे में आयोग को सूचना भेजना अपेक्षित होता है। तथापि, वर्ष 2022–23

के दौरान 60 मंत्रालयों/विभागों तथा संघ शासित क्षेत्रों से मासिक/अर्ध–वार्षिक विवरणियां प्राप्त नहीं हुई जिनका ब्यौरा **परिशिष्ट–23** में दिया गया है।

24. वर्ष 2022–23 के दौरान, संघ शासित क्षेत्रों सहित 01 मंत्रालय/विभाग ने नई तदर्थ नियुक्तियां किए जाने के बारे में सूचित किया है। उपर्युक्त विवरणी के अनुसार शून्य तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान, 01 मंत्रालय/विभाग/संघ शासित क्षेत्र ने अपनी रिपोर्ट भेजी है, जिनके अनुसार 05 तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं।

25. वर्ष 2022–23 के अंत तक, मंत्रालयों/विभागों ने ऐसी कोई तदर्थ नियुक्तियां किए जाने के बारे में सूचित नहीं किया है, जो एक वर्ष से अधिक अवधि से चल रही थी।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/न्यायालय के निर्णयों/ आदेशों को कार्यान्वित करना।

26. आयोग, मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न पदों पर पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति/ आमेलन से संबंधित ऐसे प्रस्तावों की जांच कर उन पर कार्रवाई करता है, जिनमें भर्ती नियमों के अनुरूप आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

27. तदनुसार, ऐसे पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की बैठकें/चयन समिति की बैठकें (पी टी) आयोग में आयोजित की जाती हैं। अधिकारियों/ उम्मीदवारों से संबंधित आयोग की अनुशंसाओं को संबंधित मंत्रालयों / विभागों/संगठनों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दिया जाता है और ऐसी अनुशंसाओं को नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया जाना होता है। आयोग परामर्शदाता निकाय के रूप में कार्य करता है तथा पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए पैनल की अनुशंसा करता है। पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति के मामलों में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/न्यायालय के किसी निदेश के कार्यान्वयन का दायित्व मुख्य तौर पर संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन/ संघ शासित क्षेत्र का होता है।

अध्याय–8

अनुशासनिक मामले

संविधान के अनुच्छेद 320 (3) (ग) में प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार या राज्य सरकार (अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में) के अधीन सिविल क्षमता में कार्यरत किसी कर्मचारी को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनिक मामलों तथा ऐसे मामलों से संबंधित अभ्यावेदनों या याचिकाओं पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा। आयोग के साथ परामर्श उन संगत पेंशन नियमों के अंतर्गत भी अपेक्षित है जहां राष्ट्रपति किसी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की पेंशन रोकने अथवा वापस लेने का प्रस्ताव करते हैं। तदनुसार मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों द्वारा परामर्श हेतु अनुशासनिक मामले आयोग को संदर्भित किए जाते हैं।

2. संघ लोक सेवा आयोग में अनुशासनिक मामलों के त्वरित निपटान एवं परिहार्य विलम्ब को कम करने हेतु सितम्बर, 2010 में पांच मंत्रालयों को शामिल करते हुए एकल खिड़की प्रणाली प्रारम्भ की गई थी। धीरे–धीरे इस प्रणाली में सभी मंत्रालयों/ विभागों को शामिल किया गया। 01 जनवरी, 2013 से सभी राज्य सरकारों को भी एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत लाया जा चुका है। मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों तक पहुँच को आसान बनाने तथा अनुशासनिक, मामलों की प्रस्तुति के लिए 'एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) के तहत ई–अपाइंटमेंट' की शुरूआत की गई थी जो 20 नवंबर, 2018 से प्रचालन में है। इस प्रकार लिए गए अपाइंटमेंट के अनुसार प्राप्त होने वाले मामलों की प्रारम्भिक तौर पर संवीक्षा जांच–सूची के अनुरुप एकल खिड़की पर की जाती है। सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों को ही आगे की जांच तथा परामर्श हेतु आयोग द्वारा स्वीकार किया जाता है।

3. एकल खिड़की प्रणाली प्रारम्भ होने से संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों द्वारा दस्तावेजी और प्रक्रियागत अपेक्षाओं का काफी हद तक अनुपालन करके प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिससे प्रोसेसिंग समय में कमी आई है और मामलों का निपटान समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

4. वर्ष 2022–23 के दौरान एकल खिड़की (सिंगल विंडो) पर 702 मामले प्राप्त हुए। इनमें से 467 मामलों को स्वीकार किया गया और 235 मामलों को दस्तावेजों में कमियों के कारण वापस कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, छह मामले सीधे डाक के माध्यम से प्राप्त हुए। इस प्रकार, आयोग में कुल 473 मामले प्राप्त हुए।

5. पिछले पांच वर्षों तथा वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा प्राप्त किए गए तथा कार्रवाई किए गए अनुशासनिक मामलों की संख्या को नीचे **तालिका–1** में दर्शाया गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग को 473 अनुशासनिक मामले परामर्श हेतु प्राप्त हुए। पिछले वर्ष अर्थात 2021–22 से अग्रानीत 323 मामलों, जो कि 01 अप्रैल, 2022 को आयोग के पास लंबित थे, को शामिल करके वर्ष के दौरान आयोग के पास कुल 796 मामले थे। इन कुल 796 मामलों में से 510 मामलों में आयोग द्वारा परामर्श दिया गया तथा प्रक्रियागत कमियों के कारण 55 मामले लौटा दिए गए, जिससे वर्ष के अंत में 231 मामले शेष रहे, जैसा कि नीचे की तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका—1

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में अग्रानीत मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान भेजे गए परामर्श पत्रों की संख्या	वर्ष के दौरान वापस किए गए मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में शेष बचे मामलों की संख्या
2017-18	119	582	372	66	263
2018-19	263	595	493	63	302
2019-20	302	578	447	47	386
2020-21	386	502	433	54	401
2021-22	401	515	535	58	323
2022-23	323	473	510	55	231

6. वर्ष 2022—23 के अंत तक लंबित पड़े अनुशासनिक मामलों की संख्या में कमी आई है और अब, 231 मामले हो गए जो कि पूर्व वर्ष 2021—22 के अंत तक के 323 लंबित मामलों की तुलना में लगभग 28 प्रतिशत है। यह पिछले छह वर्षों की सबसे कम लंबित स्थिति है।

7. कदाचार, आरोपित अधिकारियों की वर्ग—वार संख्या और आयोग के परामर्श का विवरण **परिशिष्ट—28** में दर्शाया गया है। इस परिशिष्ट में उन मामलों की संख्या को भी दर्शाया गया है, जिन्हें दस्तावेजीय/ प्रक्रियागत कमियों के कारण संबंधित मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों को वापस कर दिया गया है।

8. उन 510 मामलों के संबंध में मंत्रालय/ विभाग तथा राज्य सरकार—वार विवरण, जिनमें आयोग ने परामर्श दिया, **परिशिष्ट—29** में दिया गया है।

9. 356 मामलों में आरोप सत्यनिष्ठा के संदेहास्पद होने से संबंधित थे। इनमें से आयोग ने 314 मामलों में दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने, 27 मामलों में लघु शास्ति अधिरोपित करने तथा 15 मामलों में कोई शास्ति अधिरोपित नहीं करने का परामर्श दिया। कर्तव्यनिष्ठा में कमी संबंधी मामलों सहित कदाचार की अन्य श्रेणियों के 154 मामले थे। इन मामलों में आयोग ने 79 मामलों में दीर्घ शास्ति, 53 मामलों में लघु शास्ति अधिरोपित करने और 22 मामलों में कोई शास्ति अधिरोपित नहीं करने का परामर्श दिया।

10. वर्ष 2022—23 के आरंभ में, आयोग द्वारा जारी पिछले वर्षों के कुल 554 परामर्श पत्रों में, मंत्रालयों/विभागों एवं राज्य सरकारों से अंतिम आदेश प्रतीक्षित थे। वर्ष 2022—23 के दौरान, इन 554 मामलों में से 362 मामलों के संबंध में आदेश प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022—23 के दौरान जारी 510 परामर्श पत्रों में से 246 मामलों में आदेश प्राप्त हुए थे। इस प्रकार, आयोग को वर्ष 2022—23 के दौरान कुल 608 आदेश प्राप्त हुए।

11. इन 608 मामलों में से, कुल 603 मामलों में सरकार द्वारा जारी आदेश आयोग के परामर्श के अनुसार थे। पांच मामलों में, वर्ष 2022—23 के दौरान सरकार से प्राप्त आदेश आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं थे। इन मामलों का विवरण **अध्याय—9** में दिया गया है।

अध्याय–9

अनुशासनिक मामलों में सरकार द्वारा आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया जाना

ऐसे पांच मामले, जिनमें सरकार द्वारा पारित आदेश आयोग द्वारा दिए गए परामर्श के अनुरूप नहीं थे, का विवरण नीचे दिया गया है:

(I)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग के एक सहायक आयुक्त (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9 के तहत कार्रवाई

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग के एक सहायक आयुक्त (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही पर नवंबर, 2018 में वित्त मंत्रालय द्वारा आयोग का परामर्श मांगा गया।

2. आरोपित अधिकारी (सीओ) के विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9 के तहत दिनांक 4 अगस्त, 2012 के आरोप पत्र के अंतर्गत आरोप के निम्नलिखित अनुच्छेद पर कार्रवाई शुरू की गईः

I. *आरोपित अधिकारी, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), थार ड्राई पोर्ट, जोधपुर (अब सेवानिवृत्त) दिनांक 11.08.2008 से 25.10.2008 तक की अवधि के दौरान आईसीडी, थार ड्राई पोर्ट, जोधपुर के प्रभारी के रूप में कार्य करते हुए, कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखने में विफल रहे और एक सरकारी सेवक के रूप में अशोभनीय कार्य किया, जिसमें वे सीबीईसी परिपत्र संख्या 15/97–सीमा शुल्क, दिनांक 03.06.1997; के पैरा 5 के संदर्भ में ड्यूटी एंटाइटेलमेंट पासबुक योजना (डीईपीबी) के तहत निर्यात के लिए निर्दिष्ट 54 शिपिंग बिलों में से माल के नमूने लेने का आदेश देने में विफल रहे; सीबीईसी परिपत्र संख्या 56/2002– सीमा शुल्क, दिनांक 09.09.2002 के अनुसार, बाजार मूल्य की जांच कराने में विफल रहे; यह ध्यान देने में विफल रहे कि निर्यातक ने शिपिंग बिल संख्या 53 से 58 दिनांक 11.08.2008 में वर्तमान बाजार मूल्य (पीएमवी) घोषित नहीं किया था, जैसा कि सीबीईसी परिपत्र संख्या 15/97– सीमा शुल्क, दिनांक 03.06.1997 में अपेक्षित था; यह इंगित करने में विफल रहे कि निर्यातकों ने सभी 54 शिपिंग बिलों पर अधूरी जानकारी प्रदान की थी; उन शिपिंग बिलों पर निर्यात माल के अस्पष्ट विवरण को स्वीकार कर लिया और मैसर्स चंद्रहंस ब्रदर्स, जी–577, बासनी सेकेंड फेज, 10वीं रोड, एमआईए, जोधपुर द्वारा दाखिल 54 शिपिंग बिलों के तहत कवर किए गए निर्यात माल की क्लिरेन्स से संबंधित मूल्यांकन सहित सही मूल्यांकन और जांच सुनिश्चित करने के लिए अधीक्षक (मूल्यांकन) और अधीक्षक (जांच) और उनके अधीनस्थों द्वारा किए गए कार्यों की संवीक्षा करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप कुल 54 शिपिंग बिलों में निर्यातित माल यानी पॉली एक्स फैब्रिक्स का 31.18 करोड़ रुपए अधिमूल्यांकन हुआ और उनको डीईपीबी*

का अनापेक्षित गलत तरीके से लाभ प्रदान किया गया। इस प्रकार, उक्त आरोपित अधिकारी ने केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1) (ii), (iii) और 3(2) (i) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

3. आरोपित अधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार किया और अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने मामले को जांच के लिए भेज दिया। जांच अधिकारी ने आरोपित अधिकारी पर लगे आरोपों को 'सिद्ध' माना। अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच के निष्कर्ष से अस्थायी रूप से अपनी सहमति व्यक्त की और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए मामले को नवंबर, 2018 में आयोग के पास उनके परामर्श के लिए भेज दिया।

4. आयोग ने मामले के विस्तृत विश्लेषण करने पर यह पाया कि 11 अगस्त, 2008 से 25 अक्टूबर, 2008 तक की अवधि के दौरान, मैसर्स चंद्रहंस ब्रदर्स, जोधपुर ने आईसीडी थार ड्राई पोर्ट, जोधपुर में ड्यूटी एंटाइटेलमेंट पासबुक स्कीम (डीईपीबी) के तहत निर्यात के लिए 54 शिपिंग बिल दाखिल किए गए थे, जहां आरोपित अधिकारी प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। आरोपित अधिकारी संबंधित शिपिंग बिलों के तहत निर्यात के लिए निर्दिष्ट माल से कथित तौर पर नमूने निकालने का आदेश देने में विफल रहे। इसके अलावा, निर्यातक ने 11 अगस्त, 2008 के शिपिंग बिल क्रम संख्या 53 से 58 तक के संबंध में वर्तमान बाजार मूल्य (पीएमवी) घोषित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, निर्यातक ने कंसाइनी का पता, वास्तविक माल का विवरण, क्रेता का आर्डर संख्या और तारीख आदि जैसी अधूरी जानकारी प्रदान की थी। आरोपित अधिकारी ने उपर्युक्त अधूरे शिपिंग बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर किए और अपने अधीनस्थों से अधूरे शिपिंग बिलों को स्वीकार किया।

4.1 आयोग ने पाया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से इस बात की पुष्टि हुई है कि 54 निर्यात कंसाइनमेंट्स में से 48 शिपिंग बिलों में, वर्तमान बाजार मूल्य घोषित पाया गया था, लेकिन इनमें अन्य महत्वपूर्ण विवरण जैसे कि कंसाइनी का पता, वास्तविक माल का विवरण, क्रेता का ऑर्डर संख्या और तारीख शामिल नहीं थे। बिलों का अवलोकन करने पर यह भी उजागर हुआ कि इन पर आरोपित अधिकारी द्वारा आईसीडी थार ड्राई पोर्ट के 'प्रभारी' के रूप में प्रतिहस्ताक्षर किए गए थे।

4.2 आयोग ने आगे यह पाया कि डिपो के प्रभारी के रूप में, यह सुनिश्चित करना आरोपित अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि उनके अधीनस्थों द्वारा किया गया कार्य भी नियमों के अनुरूप किया गया हो। आरोपित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि नमूना लेने का आदेश उपयुक्त अधिकारी द्वारा दिया गया हो। समय अवधि कम होने के बावजूद, यह सुनिश्चित करना आरोपित अधिकारी का कर्तव्य था कि संबद्ध कार्य निर्धारित मानदंडों/प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया हो।

4.3 इसके अतिरिक्त, आयोग ने पाया कि आरोपित अधिकारी ने यह स्वीकार किया था कि परिपत्र संख्या 56/2002, के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, विशेष आसूचना और जांच शाखा (एसआईआईबी) को बाजार जांच की जानी नहीं सौंपी गई थी। इसलिए, आरोपित अधिकारी निर्यात के अंतर्गत माल के मूल्यांकन सहित, सही मूल्यांकन और जांच सुनिश्चित करने के लिए अधीक्षक (मूल्यांकन) और अधीक्षक (जांच) और उनके अधीनस्थों द्वारा किए गए कार्यों की संवीक्षा करने में विफल रहे जिससे माल का अधिमूल्यांकन हुआ और परिणामस्वरूप डीईपीबी का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

4.4 आयोग ने नोट किया कि आरोपित अधिकारी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि वे सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत थे और यह बेसिक कार्य निवारक अधिकारी और अधीक्षक/मूल्यांकनकर्ताओं के पास था। इसके अलावा, परिपत्र संख्या 15/97 के अनुसार, निर्यात के लिए निर्दिष्ट माल से नमूना लेने का आदेश दिया जाना आरोपित अधिकारी के लिए अनिवार्य नहीं था और घोषित वर्तमान बाजार मूल्य (पीएमवी) को माल की जांच के समय सीमा शुल्क के उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया

जाना अपेक्षित था। दूसरे शब्दों में, आरोपित अधिकारी के अनुसार, इन सभी पहलुओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त अधिकारी संबंधित अधीक्षक/मूल्यांकनकर्ता थे। आरोपित अधिकारी ने यह भी दलील दी कि उनके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं था।

4.5 आयोग ने पाया कि आरोपित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत बचाव स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि उपर्युक्त ड्राई पोर्ट के 'प्रभारी' होने के नाते, कार्य को निर्धारित प्रक्रिया और प्रचलित निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाना उनकी जिम्मेदारी थी। अपर्याप्त स्टाफ के संबंध में भी उनकी दलील न तो विश्वसनीय थी और न ही औचित्यपूर्ण थी।

4.6 आयोग ने पाया कि आरोपित अधिकारी, इस प्रकार अपने अधीनस्थों द्वारा किए गए कार्यों की संवीक्षा करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात किए गए सामान का 31.18 करोड़ रुपए अधिमूल्यांकन हुआ और निर्यातक को डीईपीबी के अनपेक्षित लाभ अनुचित तरीके से प्रदान किए गए।

4.7 आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, आरोपित अधिकारी ने सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1)(ii) (कर्तव्य के प्रति सत्यनिष्ठा बनाए रखना), नियम 3(1)(iii) (सरकारी सेवक के रुप में अशोभनीय तरीके से कार्य किया) और 3(2)(i) (पर्यवेक्षी पद पर कार्य करने वाला प्रत्येक सरकारी सेवक तत्समय अपने नियंत्रण और प्राधिकार के तहत सभी सरकारी सेवकों की कर्तव्य के प्रति निष्ठा और समर्पण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा) के प्रावधानों का उल्लंघन किया। तथापि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रक्रियात्मक चूक करने का आरोप सिद्ध पाया गया, आरोपित अधिकारी की ओर से किसी प्रकार की बदनीयती स्थापित होनी नहीं पायी गई ।

5 अपने प्रेक्षणों और निष्कर्षों के मद्देनजर, आयोग का यह निष्कर्ष है कि आरोपित अधिकारी के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया गया और आयोग ने आरोपित अधिकारी पर "तीन (03) वर्ष की अवधि के लिए 10% (दस प्रतिशत) मासिक पेंशन, जो अन्यथा देय है, को रोकने" की शास्ति अधिरोपित करने का परामर्श दिया। आयोग का परामर्श अनुशासनिक प्राधिकारी को दिनांक 30 अप्रैल, 2019 को संसूचित कर दिया गया।

6. यह पाया गया कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने दिनांक 8 मई, 2019 के पत्र के माध्यम से आयोग के परामर्श की एक प्रति आरोपित अधिकारी को उनका अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए, यदि कोई हो, भेज दी। तथापि, पर्याप्त समय अवधि बीत जाने के बाद भी यूपीएससी के परामर्श के विरुद्ध आरोपित अधिकारी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और अनुशासनिक प्राधिकारी ने उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना इस मामले पर आगे की कार्यवाही शुरु की। यूपीएससी के परामर्श और मामले के अन्य तथ्यों पर विचार करने के उपरांत, अनुशासनिक प्राधिकारी ने पाया कि सिद्ध आरोपों की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, आयोग द्वारा अनुशंसित शास्ति की मात्रा अर्थात् 10% (दस प्रतिशत) मासिक पेंशन, जो अन्यथा देय है, को 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए रोकना' कम प्रतीत हुआ। अतः, अनुशासनिक प्राधिकारी ने यूपीएससी के परामर्श से अपनी असहमति जताई और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02 मार्च, 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39023/02/2006–स्था.(ख) के अनुसरण में इस मामले को दिनांक 27 जुलाई, 2020 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में सक्षम प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उच्चतर शास्ति लगाए जाने के मत से सहमत थे।

7. तदनुसार, वित्त मंत्रालय ने इस मामले में आयोग के परामर्श से असहमति जताते हुए दिनांक 31 मार्च, 2022 को आरोपित अधिकारी पर तीन (03) वर्षों की अवधि के लिए मासिक पेंशन का 50% (पचास प्रतिशत), जो अन्यथा देय है, को रोकने की शास्ति अधिरोपित करने का आदेश जारी कर दिया।

8. चूंकि सरकार द्वारा पारित आदेश आयोग के परामर्श के अनुसार नहीं था, इसलिए इसे आयोग के परामर्श को अस्वीकार करने का मामला माना गया है।

(II)

उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा पारित दंड आदेश के विरुद्ध एक पूर्व—प्राचार्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) द्वारा दायर की गई अपील पर कार्रवाई

पूर्व—प्राचार्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनिक कार्यवाही पर जनवरी, 2018 में गृह मंत्रालय द्वारा आयोग का परामर्श मांगा गया।

2. आरोपित अधिकारी (सीओ) के विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के तहत दिनांक 22 अप्रैल, 2014 के आरोप पत्र के अंतर्गत आरोप के निम्नलिखित अनुच्छेद पर कार्रवाई शुरू की गईः

आरोपित अधिकारी ने दिल्ली के राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय में प्राचार्य/ स्कूल प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए 29 अगस्त, 2012 को एक गंभीर कदाचार किया जिसमें उन्होंने एक टूर ऑपरेटर से उनके विद्यालय के शिक्षकों, जिनकों उक्त ऑपरेटर द्वारा टूर पर ले जाया गया था, के एलटीसी बिलों को मंजूरी देने के लिए 3000/— रूपए की रिश्वत की मांग की, धनराशि प्राप्त की और उसे स्वीकार किया।

उपर्युक्त भूल—चूक के कृत्यों द्वारा आरोपित अधिकारी ने सत्यनिष्ठा और समर्पण में कमी तथा कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा प्रदर्शित की है और सरकारी कर्मचारी के रूप में अशोभनीय कार्य किया जो केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

3. आरोपित अधिकारी ने आरोप को स्वीकार करने से इंकार किया और परिणामस्वरुप अनुशासनिक प्राधिकारी ने मामले को जांच के लिए भेज दिया। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में एकमात्र आरोप को सिद्ध माना। अनुशासनिक प्राधिकारी ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, आरोपित अधिकारी पर दिनांक 1 जून, 2017 के आदेश के तहत 'सेवा से निष्कासन, जो सरकार के तहत भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं मानी जाएगी' की शास्ति अधिरोपित की गई। उक्त शास्ति से व्यथित होकर आरोपित अधिकारी ने दिनांक 12 जुलाई, 2017 को माननीय राष्ट्रपति के समक्ष अपील दायर की। अपील का मामला जनवरी, 2018 में परामर्श के लिए आयोग को भेजा गया था।

4. मामले का विस्तृत विश्लेषण करने पर आयोग ने पाया कि आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता द्वारा 3,000/— रुपए की रिश्वत की मांग करने का आरोप जांच अधिकारी द्वारा 'सिद्ध' पाया गया और पंच गवाह के साक्ष्य के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा इस पर सहमति जताई गई थी। हालाँकि, आयोग ने पाया कि यह रिकॉर्ड पर है कि शिकायतकर्ता ने स्वयं इस बात से इनकार किया कि आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता ने रुपयों की कोई मांग की थी। यदि शिकायतकर्ता स्वयं आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता द्वारा किसी भी प्रकार का अवैध परितोषण/रिश्वत राशि की मांग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर देता है, तो पंच गवाह का साक्ष्य अपनी विश्वसनीयता खो देता है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, आरोपित अधिकारी/ अपीलकर्त्ता के हाथों पर फिनोलफथेलिन पाउडर का कोई निशान नहीं पाया गया। रिकॉर्ड पर मौजूद यह तथ्य पंच गवाह के साक्ष्य की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। अतः, आयोग ने आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता द्वारा रिश्वत की मांग करने के आरोप के इस घटक को अंतिम रूप से सिद्ध नहीं ठहराया।

4.1 शिकायतकर्ता से 3,000/— रुपए की रिश्वत 'प्राप्त करने' से संबंधित आरोप के दूसरे घटक के संबंध में, आयोग ने पाया कि यह मान लेना तार्किक है कि 29 अगस्त, 2012 से पहले यानी जिस दिन शिकायतकर्ता आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता के कार्यालय में आया था, अपीलकर्त्ता रिश्वत की राशि के कथित भुगतान के संबंध

में शिकायतकर्ता से पहले ही मिल चुका था। हालाँकि, रिकॉर्ड पर ऐसी किसी मुलाकात के बारे में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। इसके विपरीत, शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार, वास्तव में वह दिनांक 27 अगस्त, 2012 को विद्यालय के शिक्षकों से मिला था, न कि प्राचार्य (अपीलकर्ता) से। शिकायतकर्ता द्वारा आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता के साथ दिनांक 29 अगस्त, 2012 से पहले किसी भी मुलाकात के बारे में इस तरह से स्पष्ट इनकार किए जाने के बावजूद, यह समझ से परे था कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने यह अनुमान कैसे लगा लिया कि शिकायतकर्ता 'संभवत: अपीलकर्त्ता के प्रभाव के अधीन था'। आयोग ने पाया कि आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता के अनुसार उसने संबंधित शिक्षकों को उनके एलटीसी बिलों में कुछ दस्तावेजों में कमियां होने के बारे में बताया था। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं था, जो आरोपित अधिकारी/ अपीलकर्त्ता के ऐसे दावे को अस्वीकार/उसका खंडन करता हो। अतः, यदि ऐसा दावा विश्वसनीय था, तो आरोपी अधिकारी/अपीलकर्ता, शिकायतकर्ता से उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर रहे थे, जिनमें शिक्षकों के एलटीसी बिलों में कमी पाई गई थी, जिन्हें आरोपी अधिकारी/अपीलकर्त्ता द्वारा इसके बारे में सूचित किया गया था। और, यह उम्मीद करते हुए कि शिकायतकर्ता वास्तव में उन दस्तावेजों को लिफाफे में प्रस्तुत कर रहा था, आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता का कहना है कि उन्होंने शिकायतकर्ता से उन दस्तावेजों को जांच के लिए बगल के कमरे में क्लर्क को सौंपने के लिए कहा था। आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता के इस दावे को भी रिकॉर्ड पर अस्वीकार नहीं किया गया। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने माना कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे निर्णायक/अंतिम तौर पर यह सिद्ध हो सके कि आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता ने एलटीसी बिलों पर मंजूरी देने के लिए शिकायतकर्ता से 3,000/– रुपए की रिश्वत लेने का कोई प्रयास किया था।

4.2 जहां तक आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता द्वारा शिकायतकर्ता से 3,000/– रुपए की रिश्वत 'स्वीकार' करने के घटक का संबंध है, आयोग ने नोट किया कि इस तथ्य पर ध्यान देना महत्वपूर्ण था कि शिकायतकर्ता के स्वयं के साक्ष्य के अनुसार, उसने नोटों से भरा लिफाफा आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता की मेज पर छोड़ दिया था और उसे सूचित किया था कि लिफाफे में करेंसी है। यह भी नोट करना महत्वपूर्ण था कि रिकॉर्ड के अनुसार आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता के हाथों पर, फिनोलफथेलिन पाउडर का कोई निशान नहीं पाया गया था। इसके अलावा, एफएसएल (न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला) के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, जो एक गवाह थे, के अनुसार, यह 'एसीबी' टीम द्वारा अपीलकर्त्ता की मेज से बरामद लिफाफे का 'वॉश नमूना' था, जिसमें फिनोलफथेलिन पाउडर और सोडियम कार्बोनेट पाया गया था, न कि आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता का 'हैंड वॉश'। इस प्रकार, आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता को रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया, शिकायतकर्ता ने करेंसी नोटों से भरा लिफाफा अपीलकर्त्ता की मेज पर छोड़ दिया था, जिसने संभवतः लिफाफे को छुआ भी नहीं था। जहां तक आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता को इस बात की जानकारी होना कि प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा उसकी मेज पर रखे गए लिफाफे में करेंसी है और उसने लिफाफे को मेज पर ही रहने देने के अलावा कुछ नहीं किया, आयोग ने पाया कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा रुपयों से भरा लिफाफा मेज पर रखने और आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता को इसके बारे में सूचना देने और आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता के कार्यालय कक्ष से बाहर निकलने के तुरंत बाद, ट्रैप टीम आरोपित अधिकारी/ अपीलकर्त्ता के कार्यालय कक्ष में दाखिल हुई। इस बीच आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता ने लिफाफे को छुआ नहीं था, जो कि एफएसएल रिपोर्ट द्वारा समुचित रुप से संदेह से परे साबित हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में, यह विश्वास करना उचित था कि अपीलकर्त्ता के पास उस लिफाफे के संबंध में कुछ भी करने का समय नहीं था जो उसकी मेज पर रिश्वत की रकम की मांग किए बिना रखा गया था। हालाँकि शिकायतकर्ता द्वारा आरोपित अधिकारी/

अपीलकर्त्ता को रिश्वत की पेशकश करने का स्पष्ट प्रयास किया गया था, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह साबित करता हो कि आरोपित अधिकारी/ अपीलकर्त्ता ने रिश्वत की मांग की थी या उसे स्वीकार किया था जिसे उसे देने का प्रयास किया गया था।

4.3 आयोग ने नोट किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णय हैं जिनमें शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ट्रैप मामलों में अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा अवैध परितोषण की मांग की गई थी और इसे स्वीकार किया गया था। शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मांग का सबूत पाए बिना, अभियुक्त के पास से केवल करेंसी नोटों को कब्जे में लेने और बरामद करने से अपराध किया जाना प्रदर्शित नहीं होता है। वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता ने स्वयं रिकॉर्ड पर कहा था कि आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता ने रिश्वत की रकम की मांग नहीं की थी। इसके अलावा रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह साबित करता हो कि आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता ने रिश्वत की रकम स्वीकार की थी, जो कि स्पष्टतः उसे देने की कोशिश की गई थी। गवाहों और शिकायतकर्ता के बयानों में गंभीर और स्पष्ट विरोधाभासों को देखते हुए अपीलकर्त्ता द्वारा रिश्वत की रकम स्वीकार करने की बात संभाव्यता की प्रबलता के मद्देनजर सिद्ध नहीं होती है। आयोग ने पाया कि आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता द्वारा अपने विद्यालय के शिक्षकों के एलटीसी बिलों को मंजूरी देने के लिए 3,000/– रुपए की रिश्वत 'स्वीकार' करने से संबंधित आरोप का यह घटक साबित नहीं पाया गया।

4.4 इस प्रकार, आयोग ने माना कि आरोपित अधिकारी/ अपीलकर्त्ता द्वारा शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि की मांग करने, प्राप्त करने और स्वीकार करने का आरोप सिद्ध नहीं हुआ।

5. आयोग ने नोट किया कि अपीलकर्त्ता ने अपनी अपील में यह तर्क दिया था कि अनुशासनिक प्राधिकारी उनके विस्तृत अभ्यावेदन पर विचार करने में विफल रहे और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा शास्ति का अनुचित और गैर–वाजिब आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में, आयोग ने पाया कि इस विषय पर भारत सरकार के अनुदेशों में यह प्रावधान किया गया है कि यह आवश्यक है कि अनुशासनिक कार्यवाहियों में आदेश केवल संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा नियमों के अनुसार जारी किए जाने चाहिए, और ऐसे आदेश न्यायिक आदेश के अनुरूप होने चाहिएं। अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्राधिकारियों द्वारा सभी कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप, स्वत:–पूर्ण, स्पष्ट और सकारण आदेश जारी किए जाने चाहिएं। इस मामले में, आयोग द्वारा यह देखा गया कि अपीलकर्त्ता पर सेवा से निष्कासन की शास्ति लगाने वाला शासकीय आदेश इस विषय पर जारी शासकीय अनुदेशों के अनुरूप नहीं था और इसलिए, यह स्वतः–पूर्ण, स्पष्ट और सकारण आदेश नहीं था। इसके अलावा, उक्त आदेश में जांच रिपोर्ट के विरुद्ध अपीलकर्त्ता के अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों का विशिष्ट रूप से खंडन/समाधान नहीं किया गया।

6. आयोग के निष्कर्ष के अनुसार यह स्पष्ट था कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेज, संभाव्यता की प्रबलता के आधार पर भी अपीलकर्त्ता के विरुद्ध आरोप को निर्णायक/ अंतिम रूप से सिद्ध करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष का समर्थन करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य प्रदान नहीं करते हैं। इसके अलावा, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी शास्ति का आदेश स्वत:–पूर्ण, स्पष्ट और सकारण नहीं था और इसलिए, यदि अपीलकर्त्ता की अपील पर विचार नहीं किया जाता तो यह न्याय की विफलता होगी। आयोग ने परामर्श दिया कि अपीलकर्त्ता द्वारा दायर अपील को स्वीकार किया जाए और लगाई गई शास्ति रद्द की जाए। आयोग का परामर्श मंत्रालय को दिनांक 21 जनवरी, 2019 को संसूचित कर दिया गया।

7. मंत्रालय ने 23 अक्टूबर, 2019 को, अपील मामले में आयोग के परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए मामले को फिर से इस आधार पर आयोग को भेजा कि उन्हें जीएनसीटीडी द्वारा सूचित किया गया था कि अदालत

द्वारा अपीलकर्त्ता को एफआईआर संख्या 13/12 के अंतर्गत एक आपराधिक मामले में दिनांक 27 मार्च, 2018 के निर्णय के तहत दोषी ठहराया गया था और यह एक नया तथ्य था जो जीएनसीटीडी द्वारा प्रारंभिक संदर्भ देते समय प्रदान नहीं किया गया था। मंत्रालय ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 मार्च, 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39023/02/2006–स्था.(ख) के प्रावधानों के अनुसरण में आयोग से अपने परामर्श पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया।

8. आयोग ने मामले पर विचार करते हुए पाया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 जुलाई, 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/6/2007–स्था.(ए–III) में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान किया गया है कि किसी आरोपित अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में दोषसिद्धि के साथ–साथ उसी कदाचार के लिए नियमों के उल्लंघन के लिए शुरू की गई विभागीय कार्यवाही के आधार पर एक साथ कार्रवाई की जा सकती है। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन मौजूदा मामले को कवर नहीं करता है जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोपित अधिकारी/अपीलकर्त्ता पर सेवा से निष्कासन की शास्ति अधिरोपित की गई थी और रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और साक्ष्यों के मूल्यांकन के आधार पर, आयोग ने सीसीएस (सीसीए) नियमावली के अनुसार शास्ति को रद्द करने का परामर्श दिया था और यह आपराधिक कार्यवाही से स्वतंत्र परामर्श था। आयोग का यह निष्कर्ष था कि जहां तक मौजूदा मामले का संबंध है, सीसीएस (सीसीए) नियमावली के अनुसार, माननीय न्यायालय के निर्णय को एक नया तथ्य नहीं माना जा सकता है, और इसलिए इस अपील मामले में आयोग का परामर्श अपरिवर्तित है। यह परामर्श मंत्रालय को 01 जून, 2020 को संसूचित किया गया था ।

9. आयोग के परामर्शों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया, और उन्होंने पाया कि जीएनसीटीडी द्वारा की गई जांच में अपीलकर्त्ता के विरुद्ध 28 अगस्त, 2012 को एक टूर ऑपरेटर से 3,000/– रुपए की रिश्वत मांग करने, प्राप्त करने और स्वीकार करने के आरोप सिद्ध पाए जाने के बाद, उन पर सेवा से निष्कासन की शास्ति अधिरोपित की गई थी और अपीलकर्त्ता को न्यायालय में भी दोषी ठहराया गया था। अपीलकर्त्ता के विरुद्ध साबित हुए आरोप गंभीर प्रकृति के थे और यूपीएससी ने सेवा से निष्कासन की पूर्व की शास्ति को रद्द करने का परामर्श देते हुए अपीलकर्त्ता पर कोई शास्ति/दंड प्रस्तावित नहीं किया था। मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी ने उपर्युक्त प्रेक्षणों के मद्देनजर, यूपीएससी के दिनांक 21 जनवरी, 2019 के परामर्श से अस्थायी रूप से असहमत होने का निर्णय लिया। मंत्रालय द्वारा दिए गए असहमति के कारण संक्षेप में इस प्रकार थे:

(i) *यह तथ्य कि शिकायतकर्ता गवाह के साथ एसीबी कार्यालय और अपीलकर्त्ता के कार्यालय गया, अनुशासनिक प्राधिकारी के केस को दृढ़ता प्रदान करता है। यदि शिकायतकर्ता को झूठी शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया जाता तो वह इस तथ्य को वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ला सकता था या शिकायत कर सकता था। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उस पर ऐसी शिकायत लिखने या देने के लिए उस पर कोई जबरदस्ती की गई हो या दबाव डाला गया हो।*

(ii) *इस प्रेषण के संबंध में कि 29 अगस्त, 2012 से पहले आरोपित प्राधिकारी और शिकायतकर्ता के बीच मुलाकात होने के बारे में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, सक्षम प्राधिकारी ने कहा कि 20 अक्टूबर, 2015 के उनके बयान के अनुसार, शिकायतकर्ता ने प्राचार्य (अपीलकर्ता) से मुलाकात की थी और अपीलकर्त्ता ने उसका मोबाइल नंबर भी मांगा था। यह सब किसी शिक्षक का फोन आने के बाद शिकायतकर्ता के एसीबी अधिकारियों से मिलने से पहले हुआ था। शिकायतकर्ता और अपीलकर्त्ता के बीच यह पूर्व मुलाकात रिश्वत की मांग करने को बल प्रदान करता है। 20 अक्टूबर, 2015 को अपने बयान में शिकायतकर्ता ने कहा था कि*

उसने अपीलकर्त्ता को लिफाफे में धन होने के बारे में सूचित किया था।

(iii) *सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के माध्यम से टिकट बुक करके एलटीसी लेने का दावा नहीं कर सकता है और इसलिए, टूर ऑपरेटर को कोई दस्तावेज जमा करने की अनुमति देने का कोई मतलब नहीं था। यह तथ्य कि अपीलकर्त्ता ने निजी व्यक्ति (शिकायतकर्ता/टूर ऑपरेटर) को संबंधित शिक्षकों के एलटीसी दस्तावेजों के साथ अपने कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी, अपीलकर्त्ता के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए एक मजबूत बिंदु/आधार था।*

(iv) *इस प्रेक्षण के संबंध में कि अपीलकर्त्ता के हाथों पर फिनोलफथेलिन पाउडर का कोई निशान नहीं पाया गया क्योंकि उसने करेंसी वाले लिफाफे को छुआ नहीं था, सक्षम प्राधिकारी ने पाया कि जैसा कि शिकायतकर्ता ने कहा था, उसने आरोपी अधिकारी को लिफाफे में रुपयों के बारे में सूचित किया था। और यह सब आरोपी अधिकारी की जानकारी में था और उन्होंने रिश्वत का विरोध नहीं किया, जो उनकी बदनीयती को साबित करता है। संभाव्यता की प्रबलता के आधार पर रिश्वत लेने का आरोप भी सिद्ध पाया गया।*

(v) *यूपीएससी के इस प्रेक्षण के संबंध में कि अनुशासनिक प्राधिकारी का आदेश सकारण व स्वतः पूर्ण नहीं था, सक्षम प्राधिकारी ने पाया कि उन्होंने इस मुद्दे की जांच की थी और पाया कि केवल इस आधार पर मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजने से इस मामले में अंतिम निर्णय लेने में और विलंब होगा। साथ ही, भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराए गए कर्मचारी को सरकारी सेवा में बनाए रखना जनहित के खिलाफ होगा। अपील मामले का निर्णय करते समय नियमानुसार एक सकारण एवं स्वतःपूर्ण आदेश जारी किया जाना चाहिए।*

(vi) *शास्ति आदेश को रद्द करने के परामर्श के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी ने पाया कि अपीलकर्त्ता को माननीय न्यायालय में समान आरोपों पर दोषी ठहराया गया था, जो अनुशासनिक प्राधिकारी के मामले को बल प्रदान करता है। चूंकि आपराधिक कार्यवाही में आवश्यक सबूत का मानक 'समुचित संदेह से परे सबूत' है और विभागीय कार्यवाही में यह 'संभाव्यता की प्रबलता' है; इसलिए शास्ति अधिरोपित करने में अनुशासनिक अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई उचित पाई गई।*

10. सक्षम प्राधिकारी द्वारा यूपीएससी के परामर्श और असहमति नोट की एक प्रति अपीलकर्त्ता को उनके अभ्यावेदन के लिए, यदि कोई हो, भेजी गई थी। अपीलकर्त्ता ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिस पर विचार करने के बाद जीएनसीटीडी द्वारा इसे सारहीन पाया गया। चूंकि सक्षम प्राधिकारी ने आयोग के परामर्श से असहमत होने का निर्णय किया, अतएव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 मार्च, 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39023/02/2006–स्था.(ख) के अनुसरण में पूरा मामला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में प्राधिकारी ने अपीलकर्त्ता द्वारा दायर अपील को अस्वीकार करते हुए, मंत्रालय के प्रस्ताव से सहमति जताई ।

11. 03 अक्टूबर, 2022 को, गृह मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी ने इस मामले में आयोग के परामर्श से असहमति जताते हुए, आदेश जारी कर अपील को खारिज कर दिया और अपीलकर्त्ता पर अधिरोपित की गई शास्ति की पुष्टि की।

12. चूंकि सरकार द्वारा पारित आदेश आयोग के परामर्श के अनुसार नहीं था, इसलिए इसे आयोग के परामर्श को अस्वीकार करने का मामला माना गया है।

(III)

राजस्व विभाग के एक आयकर उपायुक्त (सेवानिवृत्त) के विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 1965 के नियम 14 के अन्तर्गत कार्रवाई जिसे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9 के अन्तर्गत जारी रखा गया

राजस्व विभाग में एक आयकर उपायुक्त के विरूद्ध शुरू की गई अनुशासनिक कार्यवाही पर वित्त मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2017 में आयोग का परामर्श मांगा गया।

2. आरोपित अधिकारी (सी ओ) के विरूद्ध आरोपों के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर आरोप–पत्र दिनांक 17 नवम्बर, 2009 के द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), 1965 के नियम 14 के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू की गई :

I. *आयकर अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए, आरोपित अधिकारी (सी ओ) ने (एच यू एफ–हिंदू अविभक्त परिवार) के कर्त्ता के रूप में 6,00,000/– रूपये में मुम्बई के सांता क्रूज (पूर्व) में जून, 1999 में एक फ्लैट अर्जित किया। हालांकि, आरोपित अधिकारी यह साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे कि उक्त फ्लैट एच यू एफ से संबंधित है और उक्त फ्लैट के अर्जन के लिए निधियों के स्रोत को भी स्पष्ट करने में असफल रहे। आरोपित अधिकारी ने केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(2) के अन्तर्गत यथा अपेक्षित निर्धारित प्राधिकारी को उक्त फ्लैट के अर्जन की सूचना भी नहीं दी।*

उक्त कृत्यों के द्वारा आरोपित अधिकारी सम्पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं कर्त्तव्य परायणता बनाए रखने में असफल रहे और ऐसा आचरण प्रदर्शित किया जो एक सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है जिससे केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1) (i), 3(1) (ii) और 3(1) (iii) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

II. *आरोपित अधिकारी ने आयकर निरीक्षक के रूप में कार्य करते हुए, अप्रैल, 1985 में वकोला सांता क्रूज (पूर्व), मुम्बई में अपने और अपनी पत्नी के नाम संयुक्त रूप से 1,61,000/– रूपये में एक अन्य फ्लैट खरीदा था। उक्त फ्लैट जनवरी, 2000 में 7,00,000/– रूपये में बेच दिया गया। हालांकि, आरोपित अधिकारी उक्त फ्लैट के अर्जन के लिए निधियों के स्रोत को स्पष्ट करने में असफल रहे। उन्होंने उक्त फ्लैट के अर्जन एवं बिक्री की भी केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(2) के अन्तर्गत यथा अपेक्षित सूचना निर्धारित अधिकारी को नहीं दी।*

उपर्युक्त कृत्यों से, आरोपित अधिकारी सम्पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं कर्त्तव्य परायणता बनाए रखने में विफल रहे और ऐसे आचरण का प्रदर्शन किया जो एक सरकारी सेवक को शोभा नहीं देता है और इस प्रकार उन्होंने केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1) (i), 3(1) (ii) और 3(1) (iii) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

III. *आरोपित अधिकारी ने सहायक आयुक्त के रूप में कार्य करते हुए, अपने केनरा बैंक सेविंग एकाउंट नं. 40213 से अपने पुत्र को जनवरी, 2004 में 3,75,000/– रूपये का भुगतान किया। हालांकि, आरोपित अधिकारी उक्त भुगतान के लिए निधियों के स्रोत को स्पष्ट करने में विफल रहे। आरोपित अधिकारी ने केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली के नियम 18(3) के अन्तर्गत यथा अपेक्षित, निर्धारित प्राधिकारी को उपर्युक्त भुगतान की सूचना भी नहीं दी।*

उपर्युक्त कृत्यों से, आरोपित अधिकारी सम्पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं कर्त्तव्य परायणता बनाए रखने में विफल रहे हैं और उन्होंने ऐसे आचरण का प्रदर्शन किया है जो किसी सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है और इस प्रकार उन्होंने

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1) (i), 3(1) (ii) और 3(1) (iii) का उल्लंघन किया है।

3. आरोपित अधिकारी द्वारा आरोपों से मना करने के परिणामस्वरूप, अनुशासनिक प्राधिकारी ने मामले को जांच के लिए भेज दिया। इसी बीच, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर आरोपित अधिकारी 31 जनवरी, 2010 को सेवानिवृत्त हो गए और तदुपरांत उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9 के अन्तर्गत जारी मानी गई। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में आरोप के सभी तीनों अनुछेदों को सिद्ध ठहराया। अनुशासनिक प्राधिकारी, जांच अधिकारी के निष्कर्ष से अनन्तिम रूप से सहमत थे और उन्होंने जांच रिपोर्ट की एक प्रति आरोपित अधिकारी को अभ्यावेदन, यदि कोई हो, देने का एक अवसर प्रदान करने के लिए अग्रेषित कर दिया। तत्पश्चात, आरोपित अधिकारी ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और इस मामले के सभी संगत रिकार्डों/पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के उपरान्त, राष्ट्रपति ने अनंतिम रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि सिद्ध आरोप गम्भीर कदाचार और आरोपित अधिकारी की ओर से अपनी सेवा अवधि के दौरान लापरवाही बरतने की श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार आरोपित अधिकारी पर सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9 के अनुसार पेंशन में कटौती की शास्ति अधिरोपित किए जाने का यह एक उपयुक्त मामला है। इस मामले में केस रिकार्ड विचार एवं परामर्श के लिए आयोग को अक्तूबर, 2017 में भेजा गया।

4. आयोग ने इस मामले के रिकार्ड की सावधानीपूर्वक जांच की और यह पाया कि अनुच्छेद–I के अन्तर्गत आरोपित अधिकारी पर यह आरोप था कि आयकर अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए आरोपित अधिकारी ने कलीना, सांताक्रूज(पू.), मुम्बई में जून 1999 में 6,00,000/– रूपये में स्वयं को कर्त्ता के रूप में रखते हुए अपने नाम (हिंदू अविभक्त परिवार) से एक फ्लैट अर्जित किया। हालांकि, आरोपित अधिकारी ने उक्त फ्लैट के अर्जन की सूचना निर्धारित प्राधिकारी को नहीं दिया जैसा कि सी सी एस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(2) के अन्तर्गत अपेक्षित था और वह उक्त फ्लैट के अर्जन के लिए निधि के स्रोत को स्पष्ट करने में भी विफल रहे।

4.1 आयोग ने नोट किया कि इस मामले में संगत आचरण नियमों और अनुदेशों में निम्नलिखित प्रावधान है:

(क) सी सी एस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(2) में यह प्रावधान है कि :

"(2) कोई भी सरकारी सेवक, निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना, किसी अचल सम्पत्ति को अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टे पर, गिरवी रखकर, बिक्री द्वारा, उपहार या अन्यथा द्वारा अर्जित या उसका निपटान नहीं करेगा :

बशर्ते कि सरकारी सेवक द्वारा निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी, यदि ऐसा लेन–देन उसके साथ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जिसका शासकीय कार्य–व्यवहार हो।

(ख) गृह मंत्रालय के का.ज्ञा.सं. 25/18/59–स्था. (क) दिनांक 28 अगस्त, 1959 एवं कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के का.ज्ञा.सं. 11013/13/78–स्था (क) दिनांक 11 सितम्बर, 1978 के द्वारा संसूचित नियम 18 के नीचे भारत सरकार के निर्णय में यह प्रावधान है कि :

"(IV) हिंदू अविभक्त संयुक्त परिवार के सदस्यों के रूप में लेन–देन के लिए सरकार की पूर्व अनुमति अपेक्षित नहीं है। ऐसे मामलों में, अचल सम्पत्ति में लेन–देन वार्षिक सम्पत्ति विवरणी में शामिल की जानी चाहिए और चल सम्पत्ति में लेन–देन की सूचना निर्धारित प्राधिकारी को लेन–देन पूर्ण होने पर तत्काल या उसके सरकारी सेवक की जानकारी में आने के तुरन्त बाद दी जानी

चाहिए। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसी सम्पत्ति में अपने हिस्से की जानकारी देने में असमर्थ है तो वह सम्पूर्ण सम्पत्ति और जिनका उसमें हिस्सा है, उनके नामों का विवरण दे सकता है।"

4.2 आयोग ने यह पाया कि फ्लैट के हस्तान्तरण के लिए जून, 1999 समझौते से यह स्पष्ट था कि यह समझौता विक्रेता और आरोपित अधिकारी के मध्य 6 लाख रूपये में उक्त सम्पत्ति की बिक्री/हस्तान्तरण के लिए था। स्पष्ट रूप से, फ्लैट की खरीद के लिए भुगतान आरोपित अधिकारी के सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में एसबी एकाउंट नं. 11954 से किया गया था। एकाउंट नं. 11954 की पासबुक के संगत पृष्ठ की प्रति के अवलोकन से पता चलता है कि 15 जून, 1999 को इस एकाउंट में 6,96,064.50 रू. की धनराशि जमा की गई थी और 17 जून, 1999 को 6,00,900/– रू. की धनराशि इस एकाउंट से निकाली गई थी। जहां तक इस फ्लैट के अर्जन के लिए धन के स्रोत का संबंध है, आरोपित अधिकारी का कथन था कि इस सम्पत्ति को अर्जित करने के लिए धन हिंदू अविभक्त परिवार में काफी पहले खरीदी गई सम्पत्ति में उसके अपने हिस्से की बिक्री से आया था। तथापि, अपने एच यू एफ की निधियों के बारे में अपने दावे को पुख्ता करने के लिए आरोपित अधिकारी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया था।

4.3 आरोपित अधिकारी का यह तर्क कि सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, में उनका एकाउंट नम्बर उनके एच यू एफ के नाम है और पासबुक के प्रथम पृष्ठ पर बैंक ने गलती से आरोपित अधिकारी के एच यू एफ का नहीं बल्कि आरोपित अधिकारी के नाम का उल्लेख कर दिया है। बाद में, बैंक ने एक 10 डिजिट का कम्प्यूटरीकृत एकाउंट नं जारी किया जिसकी पासबुक से यह प्रदर्शित होता है कि एकाउंट एच यू एफ के कर्ता द्वारा प्रचालित किया जाता था। हालांकि, इस तथ्य के आलोक में आरोपित अधिकारी का तर्क मानने लायक नहीं था कि दोनों मामलों में एकाउंट नं. अलग–अलग थे और आरोपित अधिकारी ने यह सिद्ध करने के लिए कि दोनों एकाउंट नं. एक ही हैं, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था और बाद वाला एकाउंट पहले एकाउंट के अनुक्रम में है। इसके अतिरिक्त और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों एकाउंट प्रचालित करने का तरीका अलग था। इसके आलोक में, यह स्पष्ट था कि आरोपित अधिकारी उक्त फ्लैट के अर्जन के लिए धन के स्रोत को उचित रूप से स्पष्ट करने में विफल रहे। अतः संभावना यह थी कि आरोपित अधिकारी की निधियां इस सम्पत्ति के अर्जन के लिए उपयोग में लाई गई थी और तद्नुसार सम्पत्ति आरोपित अधिकारी की थी। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि यदि सम्पत्ति आरोपित अधिकारी के हिंदू अविभक्त परिवार की थी तो भी ऊपर संदर्भित भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, इसकी सूचना विभाग को दी जानी चाहिए थी। तथापि, आरोपित अधिकारी की संगत वार्षिक अचल सम्पत्ति विवरणी का अध्ययन करने से पता चलता है कि आरोपित अधिकारी ने इस सम्पत्ति का अर्जन अपनी अचल सम्पत्ति विवरणियों में शामिल नहीं किया था। यह भी पता चला कि आरोपित अधिकारी ने स्वयं यह स्वीकार किया कि उसने इस सम्पत्ति का अर्जन और धन के स्रोत की सूचना विभाग को नहीं दी है क्योंकि उसकी यह धारणा थी कि एच यू एफ द्वारा किए गए लेन–देन की सूचना विभाग को नहीं देनी होती है। हालांकि, सी सी एस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(2) और ऊपर उल्लिखित भारत सरकार के निर्णय की अपेक्षाओं के अनुसार, सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में विभाग को सूचित किया जाना अपेक्षित था। वह भी पूरी तरह से नियम के प्रावधानों के बारे में अवगत थे क्योंकि वह काफी वरिष्ठ आयकर अधिकारी थे। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। अतः आयोग ने इस अनुच्छेद को सिद्ध ठहराया।

4.4 अनुच्छेद–II के बारे में आरोपित अधिकारी के विरूद्ध यह आरोप था कि उन्होंने स्वयं एवं अपनी पत्नी के नाम से वकोला, मुम्बई में अप्रैल, 1985 में एक फ्लैट खरीदा और इसे जनवरी, 2000 में बेच दिया, हालांकि, इस फ्लैट के अर्जन के लिए निधियों के स्रोत और इसके अर्जन एवं बिक्री की सूचना भी निर्धारित प्राधिकारी को

नहीं दी जैसा कि सी सी एस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(2) के अन्तर्गत अपेक्षित था। जहां तक फ्लैट के अर्जन के लिए निधियों के स्रोत का संबंध है, आयोग ने पाया कि आरोपित अधिकारी ने यह प्रस्तुत किया कि यह 1971 से उसकी एवं उसकी पत्नी द्वारा की गई बचतों से किया गया जिसका भुगतान मुम्बई में केनरा बैंक, में उनके संयुक्त बैंक एकाउंट से 5 वर्ष से अधिक अवधि के दौरान किया गया। इस संबंध में बैंक एकाउंट के स्टेटमेंट से यह देखा गया कि रु. 2,000/– से लेकर रू. 2,613 तक के अनेक भुगतान फ्रेंड्स को–आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि. को किए गए थे। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस फ्लैट के अर्जन की सूचना आरोपित अधिकारी ने अपनी अचल सम्पत्ति विवरणी में दी थी इसलिए उनका यह कहना कि इस फ्लैट की खरीद के लिए निधियों का स्रोत केनरा बैंक में उनके एकाउंट से किस्तों में उनकी और उनकी पत्नी की बचतों से किया गया, तर्क संगत प्रतीत होता है और इसलिए यह स्वीकार्य है। हालांकि, आरोपित अधिकारी ने इस फ्लैट की बिक्री की पूर्व सूचना निर्धारित प्रधिकारी को नहीं दी थी। आरोपित अधिकारी का यह कहना था कि इस फ्लैट की बिक्री की पूर्व सूचना आयकर आयुक्त, मुम्बई को दी गई थी और यह कि उनका रिकार्ड जुलाई, 2005 की बाढ़ में खो गया था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उसके विभाग में व्यापक पुनर्संरचना होने के कारण रिकार्ड को फिर से तैयार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अपने दावे को पुष्ट करने के लिए आरोपित अधिकारी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। यह विश्वास करना मुश्किल था कि आरोपित अधिकारी ने अपना रिकार्ड अपने पैतृक घर में अपने मूल स्थान ठाणे जिले में रखा था जबकि वह मुम्बई में कार्यरत थे और वहीं रहते थे। अतः, आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि ऊपर कथित सम्पत्ति के अर्जन की सूचना उन्होंने विभाग को दी थी किन्तु उन्होंने उक्त सम्पत्ति की बिक्री की सूचना विभाग को नहीं दी। आयोग ने इस अनुच्छेद को आंशिक रूप से सिद्ध ठहराया।

4.5 अनुच्छेद–III के बारे में, आयोग ने यह देखा कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत यह आरोप था कि सहायक आयकर आयुक्त के रूप में कार्य करते हुए आरोपित अधिकारी ने अपने केनरा बैंक के सेविंग खाते से अपने पुत्र को रू. 3,75,000/– का भुगतान किया। हालांकि, इस भुगतान के लिए धन स्रोत को बताने में आरोपित अधिकारी असमर्थ रहे और उन्होंने इसकी सूचना भी निर्धारित प्राधिकारी को नहीं दी जैसा कि सी सी एस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(3) के अन्तर्गत अपेक्षित था। उक्त नियम में निम्नलिखित प्रावधान है :–

> *"(3) जहां सरकारी सेवक अपने नाम में या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में चल सम्पत्ति के बारे में कोई लेन–देन करता है तो ऐसे लेन–देन की तारीख से एक महीने के भीतर उसे इसकी सूचना निर्धारित प्राधिकारी को देनी होगी यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य सरकारी सेवक के दो महीने के मूल वेतन से अधिक हो ;*
>
> *बशर्ते कि सरकारी सेवक द्वारा निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी, यदि ऐसा लेन–देन उसके साथ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जिसका शासकीय कार्य–व्यवहार हो।"*

4.6 आयोग ने यह पाया कि आरोपित अधिकारी और उनकी पत्नी के नाम से धारित एकाउंट विवरण 01 जनवरी, 2001 से 01 अगस्त, 2005 तक, रू. 3,75,000/– का एक भुगतान उनके पुत्र को चैक नं. 298290 के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त, आरोपित अधिकारी ने अपने बचाव संक्षेप में और जांच रिपोर्ट पर अपने अभ्यावेदन में यह स्वीकार किया कि उक्त धनराशि का भुगतान उनके द्वारा अपने पुत्र को किया गया। उन्होंने कहा कि यह धनराशि उन्होंने अपने पुत्र को उपहार स्वरूप दी। हालांकि आरोपित अधिकारी अपने इस दावे को कि उन्होंने इसकी सूचना निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दी थी, पुष्ट करने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे। उनका यह दावा कि उनका पैतृक घर उनके मूल स्थान पर जुलाई, 2005 में आई बाढ़ में ढह गया था और

उनका सारा रिकार्ड नष्ट हो गया था, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार, आयोग ने इस अनुच्छेद को सिद्ध ठहराया।

5. ऊपर चर्चा किए गए प्रेक्षणों एवं निष्कर्षों के आलोक में और इस मामले के सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरोपित अधिकारी पर सिद्ध आरोप उनकी ओर से किया गया गम्भीर कदाचार है और परामर्श दिया कि इस मामले में तभी न्याय होगा जब आरोपित अधिकारी को अन्यथा स्वीकार्य मासिक पेंशन के 15% को दो वर्ष की अवधि के लिए रोकने की शास्ति उन पर अधिरोपित की जाएगी। आयोग का परामर्श राजस्व विभाग को 30 मई, 2018 को संसूचित कर दिया गया।

6. 28 जून, 2018 को विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श की एक प्रति आरोपित अधिकारी को अभ्यावेदन, यदि कोई हो, देने के लिए अग्रेषित कर दी। हालांकि, बाद में अनुशासनिक प्राधिकारी आयोग द्वारा दिए गए परामर्श से निम्नलिखित आधारों पर असहमत थे :

(क) सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9 के अन्तर्गत पेंशन या ग्रेच्युटी, या दोनों, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से चाहे सदैव के लिए या किसी निर्धारित अवधि के लिए रोकने की शास्ति किसी सेवानिवृत सरकारी सेवक द्वारा अपनी सेवा अवधि के दौरान किए गए गम्भीर कदाचार के कारण अधिरोपित की जाती है। आरोपित अधिकारी को अस्पष्ट परिसम्पतियां अधिग्रहीत किए हुए पाया गया है (जैसा कि अनुच्छेद–I में है) और वे ऐसे लेन–देन (जैसा कि अनुच्छेद III में है) में लिप्त पाए गए हैं जिसे अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किसी भी ठोस साक्ष्य के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया गया है। उक्त कदाचार पर्याप्त रूप से गम्भीर प्रकृति के हैं जिनके लिए आरोपों की गम्भीरता के अनुरूप शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए।

(ख) हालांकि आरोपित अधिकारी एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं जो सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के द्वारा नियंत्रित होते हैं और यह नोट किया जाना प्रासंगिक है कि सेवारत सरकारी सेवकों के मामलों में सी सी एस (सी सी ए) नियमावली, 1965 के नियम 11 के अनुसार आय के ज्ञात स्रोतों से असमानुपातिक परिसम्पत्तियां रखने के आरोपों के बारे में उनके विरूद्ध सामान्यतः सेवा से निष्कासन/बरखास्तगी (असाधारण मामलों के सिवाय) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

कदाचार की गम्भीरता पर विचार करते हुए, यह उचित होगा यदि सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9 का अवलम्ब लेते हुए, आरोपित अधिकारी को अन्यथा देय मासिक पेंशन के 50% (पचास प्रतिशत) को दो वर्ष की अवधि के लिए रोकने की शास्ति उन पर अधिरोपित की जाए।

7. संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से असहमति को हल करने के लिए, अनुशासनिक प्राधिकारी ने इस मामले को का. एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 02 मार्च, 2016 के का.ज्ञा.सं. 39023/02/2006–स्था. (ख) की शर्तों के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को संदर्भित कर दिया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सक्षम प्राधिकारी आरोपित अधिकारी को अन्यथा स्वीकार्य मासिक पेंशन के 50% को दो वर्ष की अवधि के लिए रोकने संबंधी अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए।

8. अनुशासनिक प्राधिकारी ने इस मामले में आरोपित अधिकारी को अन्यथा स्वीकार्य मासिक पेंशन का 50% दो वर्ष की अवधि के लिए रोकने संबंधी शास्ति अधिरोपित करने के लिए, आयोग के परामर्श की असहमति स्वरूप अन्तिम आदेश 20 जनवरी, 2023 को जारी कर दिए।

9. चूंकि सरकार द्वारा पारित आदेश आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं था इसलिए इस मामले को आयोग के परामर्श को अस्वीकार करने के रूप में माना गया है।

(IV)

केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), मत्स्य पालन विभाग के एक वरिष्ठ प्रशिक्षक (प्रशिक्षण) के विरूद्ध सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत कार्रवाई।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा मत्स्य पालन विभाग के केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) में एक वरिष्ठ प्रशिक्षक (प्रशिक्षण) के विरूद्ध आरम्भ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही में नवंबर, 2020 में आयोग का परामर्श मांगा गया।

2. आरोपित अधिकारी (सीओ) के विरूद्ध सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत 11 मई, 2020 के आरोप पत्र के द्वारा निम्नलिखित आरोपों पर कार्यवाही शुरू की गई:

I. *आरोपित अधिकारी ने, केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), कोच्चि में वरिष्ठ प्रशिक्षक (प्रशिक्षण) के रूप में कार्य करते हुए, संस्थान में संचालित विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षुओं से अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुल्क लिया। विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क के रूप में 1,01,250/– (एक लाख एक हजार दो सौ पचास रुपये मात्र) की राशि एकत्र की गई थी, लेकिन उनके द्वारा आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ), सिफनेट, कोच्चि के माध्यम से सरकारी खाते में नहीं भेजी गई। उनके द्वारा राशि का दुर्विनियोजन किया गया क्योंकि उन्होंने इसे समय पर जमा नहीं किया और उन्होंने राशि तभी भेजी जब उनके कदाचार का पता चला। इस प्रकार उन्होंने स्वयं के वित्तीय लाभ के लिए शुल्क/राशि रखने का सुविचारित प्रयास किया।*

उपर्युक्त कृत्यों के द्वारा, आरोपी अधिकारी ने अपने लिए वित्तीय लाभ प्राप्त करने हेतु सरकारी सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया, इस प्रकार से उन्होंने केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1)(i), (ii), (iii), (vi) और (xv) का उल्लंघन किया।

II. *आरोपित अधिकारी ने, केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), कोच्चि में वरिष्ठ प्रशिक्षक (प्रशिक्षण) के रूप में कार्य करते हुए प्रशिक्षुओं से लिए गये प्रशिक्षण शुल्क को डीडीओ, सिफनेट, कोच्चि के माध्यम से सरकारी खाते में न भेजकर दुर्विनियोजन कर लिया। जब ये घटनाएं प्रकाश में आईं/पता चली तो अल्पावधि पाठ्यक्रम प्रशिक्षण से संबंधित कुछ फाइलें भी गायब पाई गईं। जांच की गई तो आरोपित अधिकारी ने एक फाइल के गुम होने की पूरी जिम्मेदारी ली और दूसरी फाइल के लिए उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। आरोपित अधिकारी की ओर से साक्ष्यों को नष्ट करने/उनके साथ छेड़छाड़ करने का यह कदाचार गंभीर है।*

कदाचार के ऊपर उल्लिखित कृत्य द्वारा, आरोपी अधिकारी पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना और उच्च नैतिक मानकों और ईमानदारी को बनाए रखने में भी विफल रहे। इस प्रकार, आरोपी अधिकारी ने केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1)(i) (iii) और (vi) का उल्लंघन किया।

3. आरोपी अधिकारी द्वारा आरोपों को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने के परिणामस्वरूप, अनुशासनात्मक प्राधिकारी (डीए) ने जांच का संचालन नहीं करने का फैसला लिया और किसी भी जांच अधिकारी को नियुक्त नहीं किया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने पाया कि आरोपी अधिकारी द्वारा किये गये कदाचार/गलत कार्यों को उनकी अज्ञानता नहीं कहा जा सकता है। आरोपी अधिकारी ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और उन्होंने एकत्र की गई फीस/राशि को वित्तीय लाभ प्राप्त करने

हेतु अपने पास रखने का सुविचारित प्रयास किया। जब मामले की जांच की गई तो आरोपित अधिकारी ने एक फाइल के खो जाने की पूरी जिम्मेदारी ली और दूसरी फाइल के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। अनुशासनिक प्राधिकारी ने पाया कि आरोपित अधिकारी द्वारा किए गए कदाचार उनकी स्वयं की स्वीकृति से अस्थायी रूप से सिद्ध हो गए थे और उन्होंने आरोपित अधिकारी पर सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत उपयुक्त शास्ति लगाने का फैसला किया। मामले के रिकॉर्ड को नवंबर, 2020 में विचार एवं परामर्श के लिए आयोग के पास भेज दिया गया।

4. आयोग ने मामले के रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि अनुच्छेद– I के तहत आरोपित अधिकारी के विरूद्ध आरोप यह था कि वर्ष 2010–2014 की अवधि के दौरान आरोपित अधिकारी ने वरिष्ठ प्रशिक्षक (प्रशिक्षण), सिफनेट, कोच्चि के रूप में काम करते हुए 1,01,250/– रुपये (एक लाख एक हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) का दुर्विनियोजन किया, जो उनके द्वारा प्रतिभागियों से विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में एकत्रित किया गया था लेकिन वे इसे सरकारी खाते में जमा करने में विफल रहे। उन्होंने अपने वित्तीय लाभ के लिए शुल्क/राशि रखने का सुविचारित प्रयास किया और धनराशि सरकारी खाते में तभी भेजी जब उनके कदाचार का पता चल गया।

4.1 आयोग ने पाया कि आरोपित अधिकारी ने अपने नोट संख्या 1–40/2010–प्रशिक्षण दिनांक 11 नवंबर, 2013 के द्वारा सहायक निदेशक (रा.भा.) के माध्यम से खजांची को 12,750/– रुपये की राशि भेजी थी, जिसमें यह सूचित किया गया था कि उक्त धनराशि 2 सितंबर, 2013 से 6 सितंबर, 2013 तक आयोजित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों से एकत्रित अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुल्क थी। उक्त धनराशि सरकारी खाते में जमा करने के लिए 11 नवंबर, 2013 को डीडीओ को भेज दी गई थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि आरोपित अधिकारी ने स्वयं पाठ्यक्रम शुल्क एकत्र किया था और अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए दो महीने से अधिक समय तक राशि अपने पास रखी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मामले का पता चलने के बाद ही आरोपी अधिकारी ने अपने द्वारा वसूल की गई फीस की राशि सरकारी खाते (खजांची/डीडीओ के माध्यम से) में भेजी थी। बाद में, 2 दिसंबर, 2013 के अपने नोट के माध्यम से उन्होंने सरकारी खाते में 65,100/– रुपये, जिसे वह काम के दबाव के कारण सरकारी खाते में जमा नहीं कर सके थे, भेजने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति मांगी। आरोपित अधिकारी ने यह भी कहा कि उक्त धनराशि छात्रों के मेस संग्रह और छात्रों से एकत्र किए गए अल्पकालिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण शुल्क से संबंधित है। मुख्य प्रशिक्षक (प्रशिक्षण) द्वारा उन पाठ्यक्रमों के विवरण के बारे में जिनके लिए उन्होंने पाठ्यक्रम शुल्क एकत्र किया था और सरकारी खाते में राशि नहीं भेजने के कारणों के बारे में पूछने पर आरोपित अधिकारी ने बताया कि वह एकत्रित शुल्क को अपनी मेज की दराज में रखते थे और वह इसे सरकारी खाते में भेजना भूल गये। उन्होंने आगे बताया कि दराज की सफाई करते समय उन्हें शुल्क राशि वहां पड़ी हुई मिली और उसके बाद उन्होंने इसे डीडीओ के माध्यम से सरकारी खाते में भेज दिया। निदेशक, सिफनेट के एक अन्य प्रश्न/ज्ञापन में आरोपित अधिकारी से उस राशि के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया जो उन्होंने छात्रों से अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए एकत्र की थी, लेकिन सरकारी खाते में जमा नहीं की थी तो आरोपित अधिकारी ने बताया कि चूंकि प्रशिक्षण से संबंधित सारा काम वह अकेले संभाल रहे थे इसलिए वह पाठ्यक्रम की फीस सरकारी खाते में भेजना भूल गये। हालाँकि, यह पाया गया कि आरोपित अधिकारी ने अपने द्वारा धन रखने और उसे सरकारी खाते में जमा नहीं करने के लिए सरकारी खाते में शुल्क के संग्रहण/जमा करने की प्रणाली को जिम्मेदार ठहराया। यद्यपि, उन्होंने सरकारी खाते में पाठ्यक्रम शुल्क जमा न होने या न भेजने की नैतिक जिम्मेदारी ली। उन्होंने घाटे की राशि को सरकारी खाते में जमा करने की भी अनुमति मांगी और पाठ्यक्रम शुल्क सरकारी खाते में न भेजने के लिए माफी भी मांगी और बाद में इसे खजांची/डीडीओ के पास जमा कर दिया।

4.2 आयोग ने यह नोट किया कि आरोपित अधिकारी ने काम की बढ़ती मात्रा के कारण अत्यधिक कार्यभार होने का दावा करके अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। निदेशक, सिफनेट द्वारा जारी 10 मार्च, 2014 के ज्ञापन के जवाब में, आरोपित अधिकारी ने स्वीकार किया था कि उन्होंने प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण) के रूप में छात्रों से फीस एकत्र की थी और उसे खजांची को, जब भी प्रशिक्षण अनुभाग अन्य कार्यों में व्यस्त था प्रेषित कर दिया जाता था। बाद में कार्यालय की अनुमति से फीस सरकारी खाते में भेज दी जाती थी। उन्होंने दावा किया कि उनके द्वारा फीस को रोक कर रखना कोई जानबूझकर किया गया कृत्य नहीं था।

4.3 आयोग ने आरोपित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंबद्ध, अप्रासंगिक और संदर्भ से हटकर पाया। सिफनेट के निदेशक ने कहा कि दोषपूर्ण प्रणाली के बारे में आरोपित अधिकारी द्वारा अपने बचाव में प्रस्तुत दलील स्वीकार्य नहीं थी। घटना प्रकाश में आने के बाद ही आरोपित अधिकारी ने प्रतिभागियों से ली गयी फीस की राशि जमा की। आरोपित अधिकारी द्वारा दिए गए कारण/औचित्य अतार्किक और अनुचित पाए गए और इस प्रकार आरोपित अधिकारी को सरकारी धन के दुर्विनियोजन के लिए जिम्मेदार पाया गया।

4.4 आयोग ने पाया कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने आरोपित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत निवेदनों को जांचने के बाद माना कि यह नहीं कहा जा सकता कि कदाचार/गलत कार्य अज्ञानता के कारण हुआ है। यहां तक कि कदाचार सामने आने के बाद भी आरोपित अधिकारी ने पाठ्यक्रम फीस की पूरी राशि जमा नहीं करवाई। दूसरी बार में भी उन्होंने पूरी रकम नहीं भेजी। तीसरी बार जब जांच हुई और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, तो आरोपित अधिकारी ने पाठ्यक्रम की बाकी फीस भेजी। इस प्रकार, यह साबित हो गया कि आरोपित अधिकारी ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया तथा अपने वित्तीय लाभ हेतु शुल्क/राशि रखने का सुविचारित प्रयास किया जो कि पूर्ण सत्यनिष्ठा/ईमानदारी बनाए रखने में विफलता के समान है और कर्तव्य के प्रति समर्पण की कमी को दर्शाता है। इस प्रकार आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि अनुशासनिक प्राधिकारी के विचार उचित और सही प्रतीत होते हैं तथा आरोपित अधिकारी ने तथ्यात्मक स्थिति से इनकार नहीं किया है। उपर्युक्त को देखते हुए तथा आरोपित अधिकारी द्वारा स्वयं आरोप स्वीकार करने के आधार पर आयोग ने आरोपित अधिकारी के खिलाफ आरोप के अनुच्छेद–I को सिद्ध ठहराया।

5. अनुच्छेद–II के संबंध में, आयोग ने नोट किया कि आरोपित अधिकारी ने 2010–2014 की अवधि के दौरान सिफनेट, कोच्चि में वरिष्ठ प्रशिक्षक (प्रशिक्षण) के रूप में काम करते हुए विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षुओं .से प्रशिक्षण शुल्क एकत्र किया लेकिन इसे सरकारी खाता में जमा नहीं किया। जब विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए आरोपित अधिकारी द्वारा एकत्र की गई फीस की राशि के दुर्विनियोजन की घटनाएं प्रकाश में आईं तो यह नोट किया गया कि संबंधित फाइल संख्या 1–14/2013–प्रशिक्षण एवं संख्या 11– 2/2010/प्रशिक्षण भी गायब पाई गई और उनका पता नहीं लगाया जा सका। जब जांच की गई तो आरोपित अधिकारी कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहे और बल्कि एक फाइल के गायब हो जाने की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की और दूसरी फाइल के लिए उन्होंने कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया।

5.1 आयोग ने नोट किया कि चूंकि आरोपित अधिकारी ने आरोप पत्र के अपने जवाब में आरोप स्वीकार कर लिया, इसलिए अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच करने से इनकार कर दिया और अनुच्छेद– II में आरोप को साबित माना।

5.2 आयोग ने पाया कि खोई हुई फाइल संख्या 1–14/2013–प्रशिक्षण के संबंध में आरोपित अधिकारी ने स्वीकार किया कि वह सितंबर, 2013 के दूसरे–तीसरे सप्ताह के दौरान पाठ्यक्रम स्थगन पर एक नोट लिखने के लिए फाइल को अपने साथ ले गया था और आगे की टिप्पणी/संदर्भ के लिए इस फाइल को मुख्य प्रशिक्षक (एमई) को भेज दिया था। हालाँकि, मुख्य प्रशिक्षक (एमई)

ने बताया कि उन्हें जो भी फाइलें मिलीं, उन्होंने उन्हें तुरंत अनुभाग को वापस कर दिया था। संबंधित डीलिंग हैंड ने सूचित किया था कि चूंकि संबंधित फाइल वापस नहीं मिली, इसलिए आगे के अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक पार्ट फाइल खोली गई थी ताकि आगे के अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के आवेदन प्रस्तुत किए जा सकें। हालाँकि, आरोपित अधिकारी ने न तो गायब फाइल के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और न ही इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी दी। आरोपित अधिकारी ने स्वीकार किया था कि उन्होंने पाठ्यक्रम के स्थगन पर एक नोट लिखने के लिए प्रशिक्षण अनुभाग से सितंबर, 2013 के दौरान उक्त फाइल ली थी और इसे जानकारी के लिए आईसी (एमई) और मुख्य प्रशिक्षक (एफटी) को मार्क किया था, लेकिन दोनों ने उक्त फाइल की प्राप्ति से इनकार कर दिया था। प्रशिक्षण अनुभाग के प्रभारी होने के नाते आरोपित अधिकारी ने उक्त फाइल के गायब हो जाने की पूरी जिम्मेदारी ली। हालाँकि, आरोपित अधिकारी ने अन्य गायब फाइल संख्या 11–2/2010–प्रशिक्षण के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। आयोग ने पाया कि आधिकारिक अभिलेखों/फाइलों के खो जाने को सबूतों को नष्ट करने/छेड़छाड़ करने के रूप में देखा जा सकता है। कदाचार के इस कृत्य से, आरोपित अधिकारी पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखने में विफल रहे और वह उच्च नैतिक मानकों और ईमानदारी को बनाए रखने में भी विफल रहे।

5.3 इस प्रकार आयोग ने पाया कि उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, फाइलों के गायब हो जाने के लिए आरोपित अधिकारी के खिलाफ आरोप स्थापित हुआ। हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित नहीं किया था कि गायब फाइलों को/के साथ आरोपित अधिकारी द्वारा इरादतन नष्ट/छेड़छाड़ किया गया था और आरोपित अधिकारी ने स्वयं इसे स्वीकार नहीं किया था, आरोपित अधिकारी द्वारा प्रशिक्षुओं से अल्पकालिक पाठ्यक्रम के लिए एकत्र की गई फीस की राशि का दुर्विनियोजन करने की परिस्थितियों को देखते हुए, इस संभावना की बहुत ज्यादा प्रबलता थी कि आरोपित अधिकारी ने अपने विरुद्ध लगे आरोपों से बचने के लिए फाइलें प्रस्तुत नही की। इस प्रकार, आयोग ने अनुच्छेद–II में लगे आरोप को भी साबित पाया।

5.4 अपनी टिप्पणियों और निष्कर्षों के आलोक में आयोग ने परामर्श दिया कि आरोपित अधिकारी पर समय वेतनमान में निचले स्तर पर दो चरणो की कटौती की शास्ति तीन साल की अवधि के लिए इस शर्त के साथ अधिरोपित की जाए कि इस अवधि के दौरान आरोपित अधिकारी वेतनवृद्धि अर्जित नहीं करेंगे तथा उक्त अवधि की समाप्ति पर भी कटौती का प्रभाव उनकी स्थगित की गई भावी वेतनवृद्धियों पर पडेगा। आयोग का परामर्श 08 जुलाई, 2021 को मत्स्य पालन विभाग को संसूचित कर दिया गया था।

6. 17 दिसंबर, 2021 को विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श की एक प्रति आरोपित अधिकारी को उनके अभ्यावेदन, यदि कोई हो, के लिए भेजी। आरोपित अधिकारी ने 12 जनवरी, 2022 को पत्र के माध्यम से अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिया और इस मामले में उदार रुख अपनाते हुए उन्हें माफ करने का अनुरोध किया। अनुशासनिक प्राधिकारी ने मामले के संपूर्ण तथ्यों के साथ–साथ आरोपित अधिकारी के अभ्यावेदन पर विचार करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से असहमति जतायी और पाया कि स्वीकार्य पेंशन लाभ के साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति का अधिक कठोर दण्ड आरोपित अधिकारी पर अधिरोपित किया जाना था। अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत असहमति के कारण इस प्रकार थे:

i. *संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित दण्ड की मात्रा अर्थात् "समय वेतनमान में निचले स्तर पर दो चरणों की कटौती की शास्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त के साथ अधिरोपित की जाए कि इस अवधि के दौरान आरोपित अधिकारी वेतनवृद्धि अर्जित नहीं करेंगे तथा उक्त अवधि की समाप्ति पर भी कटौती का प्रभाव उनकी स्थगित की गई भावी वेतनवृद्धियों पर पडेगा"* आरोपित

पदाधिकारी के कदाचार की गंभीरता के अनुरूप नहीं है।

ii. *हालांकि आरोपित पदाधिकारी ने दोनों आरोपों यानी सरकारी धन के दुर्विनियोजन और सबूतों को नष्ट करने को स्वीकार कर लिया, फिर भी लगाए जाने वाली शास्ति की मात्रा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।*

iii. *आरोपित पदाधिकारी ने दुर्विनियोजित की गई सरकारी धनराशि को सरकारी राजकोष में जमा करने में अनिच्छा प्रदर्शित की, क्योंकि उन्होंने टुकड़ों में ऐसा किया और तीसरी/अंतिम जमा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू होने के बाद ही की गई। अधिकारियों के संज्ञान में आने पर दुर्विनियोजित किए गए सरकारी धन को जमा करने में अनिच्छा दिखाने वाले आरोपित अधिकारी का आचरण उनकी ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति निष्ठा की कमी को दर्शाता है। किसी सरकारी कर्मचारी के लिए इस तरह के कदाचार का कृत्य अत्यंत अशोभनीय है।*

iv. *आरोपित अधिकारी द्वारा सबूतों को नष्ट करना कदाचार करने के प्रति उनके स्पष्ट इरादे को दर्शाता है, जो पुनः एक सरकारी कर्मचारी के लिए सबसे अशोभनीय कार्य है, इसलिए वह किसी भी उदारता के पात्र नहीं हैं।*

7. आयोग के परामर्श से असहमति का समाधान करने के लिए, अनुशासनिक प्राधिकारी ने कार्यालय ज्ञापन सं. 39023/02/2006—स्था. (ख) दिनांक 2 मार्च, 2016 के अनुसार मामले को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सक्षम प्राधिकारी आरोपित अधिकारी पर अधिक शास्ति अधिरोपित करने के अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रस्ताव से सहमत हो गए।

8. 26 अक्तूबर, 2022 को अनुशासनिक प्राधिकारी ने इस मामले में आयोग के परामर्श से असहमति जताते हुए स्वीकार्य पेंशन लाभ के साथ, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने का आदेश जारी कर दिया।

9. चूंकि सरकार द्वारा पारित आदेश आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं था, इसलिए इसे आयोग के परामर्श को अस्वीकार करने का मामला माना गया है।

(V)

राजस्व विभाग के एक अधीक्षक के विरुद्ध सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अन्तर्गत कार्रवाई जो सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9 के अन्तर्गत जारी रखी गई

वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के एक अधीक्षक के विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनिक कार्यवाही में नवंबर, 2017 में आयोग का परामर्श मांगा गया।

2. आरोपित अधिकारी (सीओ) के विरुद्ध सी सी एस (सी सी ए) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिनांक 5 नवंबर, 2009 के तहत निम्नलिखित आरोपों पर कार्रवाई शुरू की गई:

(I) *आरोपित अधिकारी ने 8 मई, 2003 से 21 अप्रैल, 2004 तक की अवधि के दौरान इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी), कोयंबटूर में अधीक्षक के रूप में काम करते हुए 14 शिपिंग बिलों का मूल्यांकन किया था, 12 शिपिंग बिलों के संबंध में लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जारी किया था और 6 अनैतिक निर्यातकों के संबंध में 4 शिपिंग बिलों के ड्रॉबैक क्लेम को संसाधित किया था ।*

आरोपित अधिकारी यह सुनिश्चित करने में असफल रहे कि शिपिंग बिल, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोयंबटूर के द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना संख्या 9/99 (सीमा शुल्क) दिनांक 31 मार्च, 2009 के अनुसार, वास्तविक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए जाएं;

(i) *शिपिंग बिल का आकलन करते हुए और लेट एक्सपोर्ट आदेश देते हुए, बोर्ड के परिपत्र क्रमांक 89/2000—सी.शु. दिनांक 7 नवंबर, 2000 में निहित अनुदेशों को कार्यान्वित किया जाए;*

(ii) *सतर्क रूप में कार्य न करते हुए, निर्यात किए गए माल के मूल्य की गलत घोषणा का पता लगाना जैसा कि सीमा शुल्क बोर्ड के परिपत्र संख्या 92/2003 दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 में दिया गया है;*

(iii) *केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयंबटूर के आयुक्त द्वारा जारी सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 10/2000 दिनांक 23 मार्च, 2000 में निहित अनुदेशों का पालन करना जबकि उन्होंने उन दस्तावेजों की वास्तविकता को सत्यापित नहीं किया जो ड्रॉबैक दावे के साथ प्रस्तुत किए गए थे और इस प्रकार काल्पनिक निर्यातकों को अनुचित ड्रॉबैक क्लेम के भुगतान की सुविधा सुगम बनाई गई;*

(iv) *केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयंबटूर के आयुक्त द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना संख्या 9/99 (सी.शु.) दिनांक 31 मार्च, 1999 में निहित अनुदेशो के अनुसार, निर्यातकों से संबंधित बैंकों द्वारा जारी किए गए बैंक वसूली प्रमाण पत्र की प्राप्ति तक वापसी दावों की निगरानी करना;*

(v) *निर्यातकों के अधिकृत प्रतिनिधियों को वापसी दावों के चैकों की व्यक्तिगत डिलीवरी के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयंबटूर के आयुक्त द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना संख्या 15/98 दिनांक 10 जुलाई, 1998 में निहित अनुदेशों का अनुसरण करना, जिससे फर्जी निर्यातकों को सरकारी पैसे का अनुचित लाभ प्राप्त करने में मदद मिली।*

आरोपित अधिकारी ने मूल्यांकन और लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जारी करने से पहले माल निर्यात को मंजूरी देकर और उनके द्वारा हैंड्ल किए गए शिपिंग बिलों के संबंध में ड्रॉबैक दावों को मंजूरी देकर, फर्जी निर्यात फर्मों के नाम पर घटिया और अत्यधिक मूल्य वाले सामानों के निर्यात में निर्यातकों के तौर–तरीकों का पता लगाने के लिए जानबूझकर आवश्यक जांच नहीं की गई, जिससे उन्हें 95,97,479/– रूपए की अनुचित ड्रॉबैक राशि का लाभ उठाने में सक्षम बनाया।

(II) *आरोपित अधिकारी यह सुनिश्चित करने में असफल रहे कि संबंधित शिपिंग बिलों के जीआर फॉर्म जिनके द्वारा आईसीडी, कोयंबटूर से माल निर्यात किया गया था, सीबीईसी के सीमा शुल्क मैनुअल के पैरा 23 (ए) के तहत सीबीईसी निर्देशों में निर्धारित अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को भेज दिए गए थे। (अध्याय 11 पृष्ठ 7.48)। आरोपित अधिकारी की ओर से उपरोक्त निष्क्रियता ने अनैतिक निर्यातकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए एक्सओएस विवरण में, निर्यात आय/विदेशी मुद्रा प्राप्त न होने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई में उनका नाम शामिल होने से बचाने में मदद की।*

आरोपित अधिकारी ने भूल–चूक के उपर्युक्त कृत्यों में घोर लापरवाही बरती और इस तरह पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में असफल रहे और ऐसा कार्य किया जो सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है और इस तरह, उन्होंने सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1)(i), 3(1)(ii) तथा 3(1)(iii), का उल्लंघन किया।

(III) *आरोपित अधिकारी अपने पर्यवेक्षी कर्तव्यों के निष्पादन में असफल रहे क्योंकि उन्होंने यह सुनिश्चित नहीं किया कि उनके अधीनस्थ अधिकारी जैसे निरीक्षक घटिया और अधिमूल्यांकित सामानों के निर्यात को रोकने के लिए निर्यात कार्गो की पूरी तरह से और प्रभावी तरीके से जांच करें, जिसके परिणामस्वरूप फर्जी और अनैतिक निर्यातकों द्वारा अनुचित ड्रॉबैक धनराशि का लाभ उठाया गया। आरोपित अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों जैसे निरीक्षकों को ड्रॉबैक दावों के साथ दायर किए गए फर्जी दस्तावेजों का पता*

लगाने के लिए ड्रॉबैक दावों को सतर्क तरीके से संसाधित करने और इस तरह फर्जी और अनैतिक निर्यातकों को अनुचित ड्रॉबैक राशि प्राप्त करने से रोकने हेतु निर्देश न देकर पर्यवेक्षी अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में भी असफल रहे। इस तरह, आरोपित अधिकारी ने लापरवाही से काम किया और फर्जी निर्यातकों को अनुचित ड्रॉबैक धनराशि का दावा करने की अनुमति दी, जिससे सरकार को भारी राजस्व हानि हुई।

आरोपित अधिकारी, भूल–चूक के उपरोक्त कृत्यों द्वारा, अपने अधीनस्थ अधिकारियों की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण करने में असफल रहे और इस तरह उन्होंने केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(2)(i) के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

3. आरोपित अधिकारी द्वारा आरोपों को अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप, अनुशासनिक प्राधिकारी (डीए) ने मामले को जांच के लिए भेज दिया। जांच अधिकारी ने अनुच्छेद–I को आंशिक रूप से प्रमाणित, अनुच्छेद–II को अप्रमाणित और अनुच्छेद–III को सिद्ध माना। अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच के निष्कर्षों को अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया और जांच रिपोर्ट की एक प्रति आरोपित अधिकारी को उनके अभ्यावेदन यदि कोई हो, के लिए भेज दी। आरोपित अधिकारी ने 30 नवंबर, 2011 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। आरोपित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर 29 फरवरी, 2012 को सेवानिवृत्त हो गए और अनुशासनिक कार्यवाही को सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के पूर्ववर्ती नियम 9 के तहत जारी रखा हुआ माना गया [अब सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 8]। यह मामला नवंबर, 2017 में परामर्श के लिए आयोग को भेजा गया।

4. आयोग ने मामले की जांच करने पर यह पाया कि अनुच्छेद–I में छह तत्व शामिल हैं। तत्व (i) में आरोप लगाया गया कि आरोपित अधिकारी यह सुनिश्चित करने में असफल रहे कि शिपिंग बिल सार्वजनिक सूचना संख्या 9/99 (सी.शु.) दिनांक 31 मार्च, 1999 के अनुसार वास्तविक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए। उक्त नोटिस में विशेष रूप से पैरा –1 में कहा गया है कि उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, उन दस्तावेजों के अलावा, एक लिखित घोषणा भी प्रस्तुत करेगा जिसमें उसका नाम, पदनाम और पता (आधिकारिक और आवासीय दोनों) होगा। इस तरह की घोषणा को दस्तावेज प्राप्त करने वाले सीमा शुल्क कर्मचारियों द्वारा रबर स्टैम्प के साथ अपना पूरा नाम दर्शाते हुए प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। पैरा–2 में कहा गया है कि जो शिपिंग बिल किसी भी संबंध में अधूरे हैं या विशिष्ट दस्तावेजों के साथ नहीं हैं, उन्हें संशोधन के लिए कमियों को निर्दिष्ट करते हुए लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर के 10 दिनों के भीतर संबंधित निर्यातक को वापस कर दिया जाना चाहिए। अन्य शिपिंग बिल जिनके साथ आवश्यक दस्तावेज पूरे हैं, के संबंध में ड्रॉबैक के भुगतान के लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कमी के अनुपालन के बाद दोबारा प्रस्तुत किए गए शिपिंग बिलों को नए दावों के रूप में माना जाएगा। पैरा 4 में कहा गया है कि निर्यातक को बिक्री आय प्राप्त होते ही बैंक वसूली प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करने के लिए एक घोषणा पत्र प्राप्त करना होगा।

4.1 आयोग ने पाया कि आरोपित अधिकारी द्वारा संवीक्षा किए गए 14 शिपिंग बिलों की जांच करने पर, ऐसा प्रतीत हुआ कि आरोपित अधिकारी द्वारा 31 मार्च, 1999 की सार्वजनिक सूचना संख्या 9/99 के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। किसी भी बिल में दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता बताने की लिखित घोषणा नहीं थी। इसी प्रकार, ड्रॉबैक दावा बिलों में लिखित घोषणा नहीं थी, जैसा कि सार्वजनिक सूचना संख्या 9/99 दिनांक 31 मार्च, 1999 में निर्दिष्ट है। रिकॉर्ड से पता चला है कि आरोपित अधिकारी द्वारा देखे गए, मूल्यांकन या ड्रॉबैक के लिए संसाधित, किसी भी शिपिंग बिल में बिक्री आय प्राप्त

होते ही निर्यातक से बैंक वसूली प्रमाणपत्र (बीआरसी) की एक प्रति प्रस्तुत करने के लिए कोई घोषणा प्राप्त नहीं की गई थी। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट था कि विभिन्न निर्यात फर्मों के नाम पर निर्यात दस्तावेजों पर मैसर्स सिंधु कार्गो, कोयंबटूर (सीएचए) के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे जांच कार्यवाही में भी अस्वीकार नहीं किया गया था। आरोपित अधिकारी का यह तर्क कि उन्होंने सीमा शुल्क स्थापनाओं में प्रचलित प्रथा का पालन किया था और सीएचए द्वारा घोषणाओं को दाखिल न करने से किसी भी तरह से आवश्यक कार्यों के निर्वहन को प्रभावित नहीं किया गया, यह स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि सार्वजनिक सूचना नंबर 9/99 में विशेष रूप से कहा गया है कि उन दस्तावेजों के अलावा, निर्यातक को अपना नाम पदनाम, पता (आधिकारिक और आवासीय दोनों) बताते हुए एक लिखित घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, जिसे उस अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना था, जो इसे प्राप्त करता है।

4.1.1 आयोग ने यह भी पाया कि आरोपित अधिकारी को सार्वजनिक सूचना के अनुसार घोषणा के लिए जोर देना चाहिए था, जबकि ड्रॉबैक दावों को प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन, आरोपित अधिकारी ऐसा करने में असफल रहे। गवाहों से जिरह के दौरान वह न तो कोई दस्तावेजी सबूत पेश कर पाए और न ही वह यह स्थापित करने में सफल रहे कि दस्तावेज वास्तविक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। इस प्रकार, यह प्रमाणित था कि आरोपित अधिकारी शिपिंग बिल/ड्रॉबैक दावों की जांच करते समय सार्वजनिक नोटिस संख्या 9/99 (सी.शु.) दिनांक 31 मार्च, 1999 में निहित निर्देशों का पालन करने में असफल रहे। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आरोप के पहले तत्व को प्रमाणित ठहराया गया।

4.2 आयोग ने पाया कि आरोपित अधिकारी के विरुद्ध आरोप का दूसरा तत्व यह था कि वह आरोप पत्र में उल्लिखित शिपिंग बिलों के संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय बोर्ड के परिपत्र 89/2000–सी.शु. दिनांक 7 नवंबर, 2000 में निहित निर्देशों को लागू करने में असफल रहे। आयोग ने यह भी पाया कि उक्त परिपत्र के पैरा (i) के अनुसार, परीक्षा रिपोर्ट में उन पैकेज संख्याओं को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जिनकी जांच की गई है। परिपत्र के पैरा (ii) में कहा गया है कि डुप्लिकेट और तीन प्रतियों वाले शिपिंग बिलों के पीछे गोदी स्टाफ द्वारा दर्ज की गई जांच रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा, घोषित एफओबी का अंकों और शब्दों में मूल्य, कार्गो की मात्रा और घोषित कुल भार भी दर्शाया जाना चाहिए। हालाँकि, इन शिपिंग बिलों को देखने पर यह स्पष्ट था कि अधिकारी ने न तो उन सामानों के पैकेज नंबर स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए थे जिनकी जांच की गई थी और न ही आरोपित अधिकारी द्वारा डुप्लिकेट और तीन प्रतियों वाले शिपिंग बिलों के पीछे दर्ज की गई जांच रिपोर्ट में अंकों और शब्दों में घोषित एफओबी मूल्य, मात्रा और कार्गो के घोषित शुद्ध वजन को बताया गया था। इसके अलावा, बोर्ड के परिपत्र संख्या 89/2000–सी.शु. दिनांक 7 नवंबर, 2000 के पैरा (iii) के अनुसार, मूल्यांकन अधिकारी को घोषित मूल्य, मात्रा और वजन पर दोनों तरफ कोई जगह छोड़े बिना लाल स्याही से गोला बनाना चाहिए। अधिकारी द्वारा मूल्यांकित शिपिंग बिलों के अवलोकन पर यह पाया गया कि अधिकारी ने उक्त परिपत्र के अनुसार घोषित मूल्य, मात्रा और वजन पर लाल स्याही से गोला नहीं बनाया था। आरोपित अधिकारी ने तर्क दिया कि लाल स्याही में मूल्यों, मात्रा और वजन का घेरा केवल कम शिपमेंट, यदि कोई हो, के कारण होने वाले परिवर्तनों को दिखाने के लिए एहतियात के तौर पर था, और इस मामले में उनके द्वारा मूल्यांकन किए गए किसी भी शिपिंग बिल में कोई कम शिपमेंट नहीं था। उपरोक्त संदर्भ में, आयोग ने पाया कि जब मूल्यांकन अधिकारियों के अनुपालन के लिए कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं, तो वैसा ही किया जाना चाहिए। इसलिए, आरोपित अधिकारी की उपरोक्त दलील को बोर्ड के परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करने के बहाने के रूप में नहीं लिया जा सकता। आयोग ने पाया कि आरोपित अधिकारी ने पैकेजों की क्रम संख्या नहीं बताने

के तथ्य को स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने दावा किया कि आवश्यक सावधानी बरतने का उद्देश्य विफल नहीं हुआ, बल्कि इसका अनुपालन किया गया। आयोग ने पाया कि एक फील्ड अधिकारी के रूप में, आरोपित अधिकारी को अनुदेश जारी करने के पीछे की परिस्थितियों/इरादों पर विचार करने के बजाय अनुदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए था। इस प्रकार, इस संबंध में आरोपित अधिकारी का तर्क विचार योग्य नहीं था और अनुच्छेद–I के तहत आरोप के दूसरे तत्व को आयोग द्वारा प्रमाणित ठहराया गया।

4.3 आयोग ने नोट किया कि आरोपित अधिकारी के विरुद्ध आरोप का तीसरा तत्व यह था कि वह बोर्ड के परिपत्र संख्या 92/2003 दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 के अनुदेशों के अनुसार सतर्क तरीके से कार्य न करके निर्यात किए गए माल के मूल्य की गलत घोषणा का पता लगाने में असफल रहे। आयोग ने पाया कि आरोपित अधिकारी ने अपने बचाव में कहा कि जांच एजेंसी ने दस्तावेज, संबंधित विभिन्न व्यक्तियों से पूछताछ और भौतिक साक्ष्य एकत्र करके काफी लंबे समय तक व्यवस्थित जांच के बाद निर्यातकों की कार्यप्रणाली का खुलासा किया। आरोपित अधिकारी ने तर्क दिया कि आईसीडी के एक अधिकारी से इस प्रक्रिया की उम्मीद नहीं की जा सकती, जिसे बहुत ही सीमित अवधि के भीतर, ज्यादातर उसी दिन, जब शिपिंग बिल प्रस्तुत किए जाते हैं, कार्गो का मूल्यांकन, जांच और पास आउट करना होता है। माल के मूल्य के रूप में खरीद आदेश और इनवॉयस (चालान) में दी गई जानकारी के आधार पर शिपिंग बिलों का मूल्यांकन किया जाना था। केवल मूल्यांकन या परीक्षण के समय, माल के विवरण से संबंधित मूल्य में कोई विसंगति दिखाई देने की स्थिति में, सैम्पल लिया जाता है। यदि माल का मूल्य घोषित विवरण के अनुरूप नहीं पाया जाता है, और साथ ही, यदि जांच के समय, जांच अधिकारियों द्वारा विसंगति पाई जाती है, तो इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके ध्यान में लाया जाता है। इस संदर्भ में, अनुशासनिक प्राधिकारी ने पाया कि भारत में अन्य जगहों पर एक निश्चित अवधि में अपनाई गई धोखाधड़ी गतिविधियों/परिपाटियों के संबंध में स्टाफ अधिकारियों को सचेत करने के लिए समय–समय पर परिपत्र जारी किए गए थे, ताकि अधिकारी ऐसी रोकथाम के लिए सावधानी बरत सकें। अधिमूल्य निर्यातों के निर्यात से संबधित कई कार्यप्रणाली परिपत्र थे। यदि आरोपित अधिकारी ने अनुदेशों का ईमानदारी से पालन किया होता और सतर्कता संबंधी नोटिसों को गंभीरता से लिया होता, तो फर्जी गतिविधियों को शुरू में ही रोका जा सकता था।

4.3.1 आयोग ने पाया कि यह उल्लेखनीय है कि आरोपित अधिकारी द्वारा मूल्यांकन किए गए शिपिंग बिल संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, पनामा और चैक गणराज्य जैसे संवेदनशील देशों को भेजे गए माल से संबंधित हैं। गंतव्य स्थान संदेह पैदा कर सकते थे लेकिन अधिकारी द्वारा इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। शिपिंग बिल संख्या 502/30.12.2003 के मामले में, जहां माल दुबई जाना था, आरोपित अधिकारी ने खुद स्वीकार किया कि विस्तृत जांच नहीं की गई और केवल 3% कार्टूनों की जांच की गई। इसके अलावा, इस मामले में, धोखेबाज निर्यातक ने खुद कहा कि उसने कई निर्यात फर्मों के नाम पर माल का निर्यात किया, जिनमें से कुछ फर्जी थे और कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम पर थे, जबकि मूल्य को कई बार बढ़ा–चढ़ाकर घोषित किया गया और परिणामस्वरूप ज्यादा ड्रॉबैक का दावा किया गया। आरोपित अधिकारी का यह तर्क कि संबंधित परिपत्र उन्हें प्रसारित नहीं किया गया था, स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वह सीमा शुल्क स्थापना में तैनात थे और उनसे यह आशा थी कि अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उन्हें नये नियमों की जानकारी होगी। उपरोक्त के मद्देनजर, आरोप का तीसरा तत्व आयोग द्वारा प्रमाणित ठहराया गया।

4.4 आयोग ने यह नोट किया कि आरोपित अधिकारी के विरुद्ध आरोप के अनुच्छेद– I का चौथा तत्व यह था कि वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोयंबटूर द्वारा 23 मार्च, 2000 को जारी किए गए सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 10/2000 में निहित निर्देशों का पालन करने में असफल

रहे, जबकि उसने ड्रॉबैक दावे के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की वास्तविकता को सत्यापित नहीं किया और इस प्रकार, फर्जी निर्यातकों को अनुचित ड्रॉबैक के भुगतान में सुविधा प्रदान करवाने में मदद की। आयोग ने नोट किया कि अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि ड्रॉबैक दावों पर कार्रवाई करते समय, आरोपित अधिकारी, मैसर्स सिंधु कार्गो द्वारा प्रस्तुत लदान बिलों की जाली प्रकृति का पता लगाने में विफल रहे। आरोपित अधिकारी ने इन चैकों की सुपुर्दगी के समय उचित सावधानी नहीं बरती थी, क्योंकि यह देखा गया था कि सभी चैक सीएचए द्वारा प्राप्त हुए थे, जिन्होंने इन लेनदेन में सहायक की भूमिका निभाई थी, जो कानूनी रूप से बोर्ड पर नहीं थे। अतः, इससे यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने घोर लापरवाही बरती और विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिसों का संज्ञान लेने में विफल रहे। आरोपित अधिकारी कंपनियों की फर्जी प्रकृति और उनके द्वारा निर्यात किए गए घटिया माल का पता लगाने में विफल रहे और उन दस्तावेजों की वास्तविकता सत्यापित नहीं की जो ड्रॉबैक दावों के साथ प्रस्तुत किए गए थे। वह यह देखने में भी असफल रहे कि ड्रॉबैक चैक निर्यातक द्वारा विधिवत अधिकृत उचित व्यक्तियों को प्रदत्त किए गए।

4.4.1 आयोग ने पाया कि आरोपित अधिकारी ने अपने बचाव में कहा कि शिपिंग बिलों पर निर्यातक फर्मों के नाम वाले रबर स्टांप लगे हुए थे, जिसके नीचे फर्म से संबंधित किसी व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए थे। सीमा शुल्क संरचनाओं में नमूना हस्ताक्षर का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। ड्रॉबैक प्रोत्साहन के लिए दावे दाखिल करते समय, शिपिंग बिलों में घोषित गंतव्यों के लिए उपयुक्त लदान/माल बिल दाखिल किए गए थे और दावों के संसाधन के लिए केवल उन लदान/माल बिलों पर विचार किया गया था। जांच के दौरान पाए गए लदान/माल ढुलाई के कथित जाली बिलों को ड्रॉबैक दावों के साथ दायर नहीं किया गया था और इसलिए ऐसे दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया। चैक उन निर्यातकों तक पहुंच गए जिन्होंने निर्यात किया था और इसकी वसूली उनके घोषित बैंक खातों के माध्यम से हो गई और इसलिए, इसका तात्पर्य यह था कि संगत सार्वजनिक नोटिसों में परिकल्पित सावधानियों/दिशानिर्देशों का उनके द्वारा नियमित कर्तव्य–निर्वहन के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से पालन किया गया था। आरोपित अधिकारी ने तर्क दिया कि उन पर लापरवाही का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि किसी भी निर्यातक ने कोई ड्रॉबैक चैक न मिलने की शिकायत नहीं की थी।

4.4.2 आयोग ने पाया कि फर्जी निर्यातकों द्वारा फर्जी फर्मों के नाम पर ड्रॉबैक दावा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली को मंत्रालय के परिपत्र संख्या 7/2000, दिनांक 8 फरवरी, 2000 के तहत सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 10/2000 दिनांक 23 मार्च, 2000 के माध्यम से परिचालित किया गया था। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट था कि विभागीय गवाहों में से एक, जो धोखाधड़ी वाले निर्यात के पीछे का मास्टरमाइंड था, ने गवाही दी थी कि उसने स्थानीय बाजार से बिना किसी खरीद बिल के घटिया वस्त्र प्राप्त किए थे, और उन्हें उनके द्वारा शुरू की गई विभिन्न फर्मों के नाम से निर्यात किया था और इनके मूल्य को सीमा शुल्क संरचनाओं के माध्यम से इसे दो से तीन गुना तक बढ़ा हुआ दर्शा दिया था। उनके मुताबिक, आरोपित अधिकारी समेत सीमा शुल्क अधिकारियों ने जानबूझकर ऐसे निर्यात की अनुमति दी थी। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने विभिन्न निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात के लिए 22 निर्यातों के लिए सात बीआरसी भी निर्मित किए थे और सीमा शुल्क संगठन के सामने इनको प्रस्तुत किया था। यदि निर्यात कानूनी रूप से किया जाता, तो फर्जी दस्तावेज बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, और इसलिए यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया कि निर्यात फर्म ड्रॉबैक राशि प्राप्त करने के लिए घटिया कपड़ों के निर्यात में लिप्त थी।

4.4.3 आयोग ने आगे पाया कि आरोप के पहले तत्व के तहत, यह स्थापित था कि आरोपित अधिकारी द्वारा अटेंड किए गए, मूल्यांकन या ड्रॉबैक के लिए संसाधित, किसी भी शिपिंग बिल में बिक्री आय प्राप्त होते ही निर्यातक से बैंक वसूली प्रमाणपत्र (बीआरसी) की एक प्रति प्रस्तुत करने

के लिए कोई घोषणा प्राप्त नहीं की गई और साथ ही आरोपित अधिकारी ने सीएचए,जो इन लेनदेन में सहायक था, को प्राप्त चैक वितरित करते समय उचित सावधानी नहीं बरती। उपरोक्त के मद्देनजर, यह प्रमाणित था कि आरोपित अधिकारी 23 मार्च, 2000 के सीमा शुल्क परिपत्र में निहित अनुदेशों का पालन करने में असफल रहे, क्योंकि उन्होंने उन दस्तावेजों की वास्तविकता को सत्यापित नहीं किया जो ड्रॉबैक दावों के साथ प्रस्तुत किए गए थे और इस तरह फर्जी निर्यातकों को अनुचित ड्रॉबैक का भुगतान किया गया। इस प्रकार, आयोग द्वारा आरोप का चौथा तत्व प्रमाणित ठहराया गया।

4.5 आयोग ने पाया कि तत्व–V के तहत विशिष्ट आरोप यह था कि आरोपित अधिकारी निर्यातकों से सीमा शुल्क सार्वजनिक सूचना संख्या 9/99 (सी.शु.), दिनांक 31 मार्च, 1999 में निहित अनुदेशों के अनुसार संबंधित बैंकों द्वारा जारी किए गए बैंक वसूली प्रमाणपत्र की प्राप्ति की निगरानी करने में असफल रहे। इस संबंध में, अनुशासनिक प्राधिकारी ने पाया कि बीआरसी की प्राप्ति तक ड्रॉबैक दावे की निगरानी व्यावहारिक रूप से संभव नहीं थी, क्योंकि निर्यात आय की वसूली निर्यात प्रभावी होने के कुछ समय बाद होती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अनुच्छेद–1 के तत्व–V को प्रमाणित नहीं ठहराया।

4.6 आयोग ने नोट किया कि आरोपित अधिकारी के विरुद्ध आरोप का छठा तत्व यह था कि वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोयंबटूर द्वारा 10 जुलाई, 1998 को जारी सार्वजनिक सूचना संख्या 15/98 जो निर्यातकों के अधिकृत प्रतिनिधि को ड्रॉबैक चैक की व्यक्तिगत डिलीवरी से संबधित था, में निहित अनुदेशों का पालन करने में असफल रहे जिससे फर्जी निर्यातकों को अनुचित रूप से सरकारी धन प्राप्त करने में मदद मिली। इस संबंध में, आयोग ने पाया कि सीमा शुल्क सार्वजनिक सूचना संख्या 15/98, दिनांक 10 जुलाई, 1998 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो निर्यातक ड्रॉबैक के लिए पात्र हैं, वे अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से नामित बैंकों को चैक डाक से भेजने के बदले चैक की व्यक्तिगत डिलीवरी की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस सुविधा का लाभ संबंधित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो/एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के सहायक सीमा शुल्क आयुक्त को उनके प्रतिनिधि के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र के साथ लिखित अनुरोध करके प्राप्त किया जा सकता है, जिसका नमूना हस्ताक्षर और फोटो निर्यातक फर्म के निदेशक/साझीदार/मालिक द्वारा सत्यापित किया जाना था। चैक की व्यक्तिगत डिलीवरी प्राप्त करने के लिए प्राधिकार पत्र और उनके प्रतिनिधियों के नमूना हस्ताक्षर को बैंकरों से पुनः सत्यापित किया जाना था। आयोग ने पाया कि आरोपित अधिकारी यह साबित करने में असफल रहे कि सार्वजनिक सूचना संख्या 15/98 दिनांक 10 जुलाई, 1998 के अनुसार, निर्यातक का सीएचए निर्यातक की ओर से चैक एकत्र करने के लिए अधिकृत था। आरोपित अधिकारी के निवेदनों के अनुसार, निर्यात करने के लिए अधिकृत व्यक्ति होने के नाते सीएचए ड्रॉबैक चैक प्राप्त करने के लिए वही अधिकृत व्यक्ति था, तो इसका मतलब यह होगा कि सार्वजनिक सूचना संख्या 15/98, दिनांक 10 जुलाई, 1998 निष्फल थी और अनावश्यक रूप से जारी की गई थी। आयोग ने यह अभिनिर्धारित किया कि वास्तव में, जब विभाग द्वारा इस तरह की जांच रखी गई थी, तो यह आश्चर्यजनक था कि आरोपित अधिकारी उक्त सार्वजनिक सूचना के निहितार्थ और महत्त्व को समझने में विफल रहे, जिसके लिए निर्यातक के नियमित सीएचए को ड्रॉबैक चैक एकत्र करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्यातक द्वारा अधिकृत करने की भी आवश्यकता थी अन्यथा इसे अधिकारी द्वारा बैंक को भेज दिया जाएगा। इसलिए, सीएचए को चैक सौंपना उक्त सार्वजनिक सूचना के अनुसार निर्धारित आचरण/कार्य प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद–I का यह तत्व कि आरोपित अधिकारी निर्यातकों के अधिकृत प्रतिनिधि को ड्रॉबैक चैक की व्यक्तिगत डिलीवरी के संबंध में सार्वजनिक सूचना में निहित अनुदेशों का पालन करने में विफल रहे, जिससे फर्जी निर्यातकों को सरकारी धन का अनुचित लाभ

प्राप्त करने में मदद मिली, आयोग द्वारा प्रमाणित ठहराया गया।

उपर्युक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने आरोप के अनुच्छेद–I को आंशिक रूप से सिद्ध ठहराया।

5. आरोप के अनुच्छेद–II को जांच अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं ठहराया गया और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया गया। इसलिए इस अनुच्छेद पर आयोग द्वारा चर्चा नहीं की गई।

6. अनुच्छेद–III के संबंध में, आयोग ने पाया कि आरोपित अधिकारी के विरुद्ध यह आरोप था कि वह अपने पर्यवेक्षी कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रहे क्योंकि उन्होंने यह सुनिश्चित नहीं किया कि उनके अधीनस्थ अधिकारियों जैसे निरीक्षकों ने, घटिया और अत्यधिक प्रचुरता से अधिमूल्य वाले सामानों के निर्यात को रोकने के लिए, निर्यात कार्गो की अच्छी तरह से और प्रभावी ढंग से जांच नहीं की जिसके परिणामस्वरूप फर्जी और अनैतिक निर्यातकों द्वारा अनुचित ड्रॉबैक धनराशि का लाभ उठाया गया। आरोपित अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ड्रॉबैक दावे के साथ दायर किए गए फर्जी दस्तावेजों का पता लगाने के लिए सतर्क तरीके से ड्रॉबैक दावों पर कार्रवाई करने का निर्देश न देकर पर्यवेक्षी अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भी असफल रहे, और इस तरह, फर्जी और अनैतिक निर्यातकों को अनुचित ड्रॉबैक राशि प्राप्त करने से रोक नहीं सके। इसके द्वारा, आरोपित अधिकारी ने असावधानीपूर्वक काम किया और फर्जी निर्यातकों को अनपेक्षित/अनुचित ड्रॉबैक राशि का दावा करने का मौका दिया, जिससे सरकार को भारी राजस्व हानि हुई। आयोग ने मामले की जांच करने पर पाया कि आरोपित अधिकारी द्वारा जिन शिपिंग बिलों के जांच का लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया गया था, से पता चला कि हालांकि मूल्यांकन अधिकारी ने जांच आदेश में यह सत्यापित करने का निदेश दिया था कि मूल्य उचित था या नहीं, जबकि जांच रिपोर्ट में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। मूल्य के सत्यापन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया जो कि आरोपित अधिकारी के इस तर्क से पूरी तरह भिन्न था कि निरीक्षकों ने उचित जांच की थी और प्रश्नगत माल की जांच की थी, जो कि विवादित शिपिंग बिलों से संबंधित सार्वजनिक सूचना संख्या 6/95 और 33/01 के खुले जांच आदेश के अनुसार था और जांच रिपोर्ट दी थी। पर्यवेक्षी अधिकारी होने के नाते, आरोपित अधिकारी अपने निरीक्षण अधिकारी की ओर से मूल्य का सत्यापन न करने की स्पष्ट चूक को इंगित करने में विफल रहे, जबकि यह जांच आदेश के मापदंडों में से एक था। अपने निरीक्षकों द्वारा कार्गो के मूल्य का सत्यापन नहीं करने की स्थिति में, आरोपित अधिकारी स्वतः संज्ञान लेकर मूल्य का सत्यापन भी कर सकते थे, जो वह करने में विफल रहे।

6.1 इसके अलावा, माल का गंतव्य पनामा, स्लोवाकिया था, इस मामले में, केवल 2% माल की जांच का आदेश दिया गया था। जांच अधिकारी, कुछ विवेक का प्रयोग करके, जांच का दायरा बढ़ा सकते थे और मूल्यांकन अधिकारी या संबंधित सहायक आयुक्त/उपायुक्त के साथ उचित परामर्श के बाद जांच के लिए सामान का एक बड़ा प्रतिशत ले सकते थे। हालाँकि प्रारंभिक जाँच, जाँच अधिकारी द्वारा की जानी थी, आरोपित अधिकारी को भी माल का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने और जाँच रिपोर्ट में मूल्य की उपयुक्तता बताने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए थी। यहां, आरोपित अधिकारी का तर्क था कि जांच रिपोर्ट में चूंकि कोई टिप्पणी नहीं थी, इसलिए यह मान लिया गया कि सभी तथ्य और आँकड़े सही थे; कि उपायुक्त, जिन्होंने सभी विवादित शिपिंग बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर किए थे और ड्रॉबैक दावों को मंजूरी दी थी, ने कभी भी उनके कर्तव्यों के पालन में कोई चूक या लापरवाही इंगित नहीं की, जिससे सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता पड़ती। इस संबंध में, यह पाया गया कि जाँच अधिकारी द्वारा आरोपित अधिकारी के विरुद्ध बताई गई चूक विशिष्ट थी कि वह मूल्य की यथार्थता के संबंध में जाँच रिपोर्ट में खामियों को इंगित करने में विफल रहे, लेकिन आरोपित अधिकारी ने उसका उल्लेख अपने प्रतिवेदन में नहीं किया था।

6.2 आरोपित अधिकारी के इस तर्क के संबंध में कि सीमा शुल्क संगठन में तैनात सभी अधिकारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क संगठन से लिए गए थे और सीमा शुल्क स्टेशनों पर तैनात करने से पहले उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, अनुशासनिक प्राधिकारी ने पाया कि आरोपित अधिकारी को 20 वर्ष की सेवा में आईसीडी में एक परीक्षक/मूल्यांकनकर्ता के रूप में अपनी सेवा की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए थी; और यदि उन्हें लगता है कि वह प्रशिक्षण के अभाव में या किसी अन्य कारण से निर्यात शिपमेंट की जांच करने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें पोस्टिंग स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। वह एक कार्यकारी अधिकारी थे, और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए गहन जाँच करें कि निर्यात विधि के अनुसार हो और कोई राजस्व हानि न हो। आयोग ने इस अनुच्छेद को प्रमाणित ठहराया ।

7. आयोग ने अपने विश्लेषण के आधार पर अनुच्छेद–I को आंशिक रूप से सिद्ध, अनुच्छेद–II को सिद्ध नहीं और अनुच्छेद–III को सिद्ध ठहराया। आयोग ने पाया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों से पता चलता है कि आरोपित अधिकारी ने बोर्ड के संबंधित परिपत्रों और समय–समय पर जारी सार्वजनिक नोटिसों में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन और व्यावहारिक उपयोग नहीं किया। यह भी देखा गया कि आरोपित अधिकारी सही पर्यवेक्षी नियंत्रण करने में विफल रहे और अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरती और, यदि आरोपित अधिकारी और उसके अधीनस्थ अधिकारियों ने बोर्ड के प्रासंगिक परिपत्रों और सार्वजनिक नोटिसों में दिए गए अनुदेशों का पालन किया होता तो अनैतिक फर्जी निर्यातकों की कार्यप्रणाली का पर्दाफाश किया जा सकता था और परिणामस्वरूप अनुचित ड्रॉबैक राशि का भुगतान रोका जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपित अधिकारी के इरादे और कृत्य संभवतः पूरी तरह से निष्कपट नहीं थे, इस प्रकार संभाव्यता की प्रबलता के आधार पर सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(2)(i) का उल्लंघन हुआ। अपनी टिप्पणियों के आलोक में, आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपित अधिकारी पर दो साल की अवधि के लिए अन्यथा स्वीकार्य मासिक पेंशन का 15% रोकने की शास्ति अधिरोपित की जाए। आयोग का परामर्श 16 जुलाई, 2018 को मंत्रालय को संसूचित कर दिया गया।

8. अनुशासनिक प्राधिकारी ने 17 जुलाई, 2018 को आरोपित अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श की एक प्रति भेज दी। आरोपित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर अनुशासनिक प्राधिकारी ने विचार किया। अनुशासनिक प्राधिकारी ने पाया कि यूपीएससी द्वारा 2 साल के लिए पेंशन में 15% की कटौती के परामर्श की शास्ति सह–अभियुक्त पर लगाए गए जुर्माने की तुलना में, कदाचार की गंभीरता के अनुरूप नहीं थी। इस प्रकार, अनुशासनिक प्राधिकारी ने यूपीएससी के परामर्श से असहमति जताई और मामले को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का ज्ञा. स. 39023/02/2006–स्था(ख) दिनांक 02.03.2016 के संदर्भ में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सक्षम प्राधिकारी, आरोपित अधिकारी पर अधिक शास्ति लगाए जाने के अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रस्ताव से सहमत हो गए।

9. अनुशासनिक प्राधिकारी ने इस मामले में अंतिम आदेश 6 जुलाई, 2022 को जारी कर दिया, जिसमें आयोग के परामर्श से असहमति जताते हुए आरोपित अधिकारी को अन्यथा स्वीकार्य मासिक पेंशन का 20% पांच साल की अवधि के लिए रोकने की शास्ति लगाई गई।

10. चूंकि सरकार द्वारा पारित आदेश आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं था, इसलिए इसे आयोग के परामर्श को स्वीकार नहीं करने के मामले के रूप में माना गया है।

अध्याय–10

आयोग के परामर्श लागू करने में विलम्ब

भर्ती नियमों की अधिसूचना में विलम्ब

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा–निर्देशों में यह प्रावधान है कि आयोग द्वारा सुझाए गए भर्ती नियमों को आयोग का परामर्श पत्र प्राप्त होने की तारीख से 10 सप्ताह के भीतर संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अधिसूचित कर दिया जाना चाहिए। वर्ष 2022–23 के आरंभ में कुल 384 मामले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा–निर्देशों के तहत निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी अधिसूचना के लिए लंबित थे। वर्ष 2022–23 के दौरान, 329 पदों के लिए भर्ती नियम/ सेवा नियम तैयार करने/संशोधित करने के प्रस्तावों पर परामर्श दिया गया था। आयोग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 31.03.2023 तक, कुल 326 भर्ती नियम प्रस्ताव विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों/ केंद्र शासित प्रदेशों/ संगठनों में अधिसूचना के लिए लंबित थे। लंबित अधिसूचनाओं की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है। मंत्रालय/विभाग–वार विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–30** पर दिए गए हैं। वर्ष 2022–23 के अंत तक अधिसूचित किए जाने हेतु लंबित मामलों की सूची नीचे **तालिका–1** तथा **आरेख–I** में दी गई है।

तालिका–1: अधिसूचना के लिए लम्बित भर्ती नियम मामले

क्र. सं.	लंबित रहने की अवधि	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अधिसूचना के लिए लंबित भर्ती नियमों के मामलों की कुल संख्या
(i)	(ii)	(iii)
1.	3 से 4 वर्ष	44
2.	2 से 3 वर्ष	64
3.	1 से 2 वर्ष	54
	10 सप्ताह से 1 वर्ष	164
कुल		**326**

आरेख–1 अधिसूचना हेतु लंबित भर्ती नियम मामले

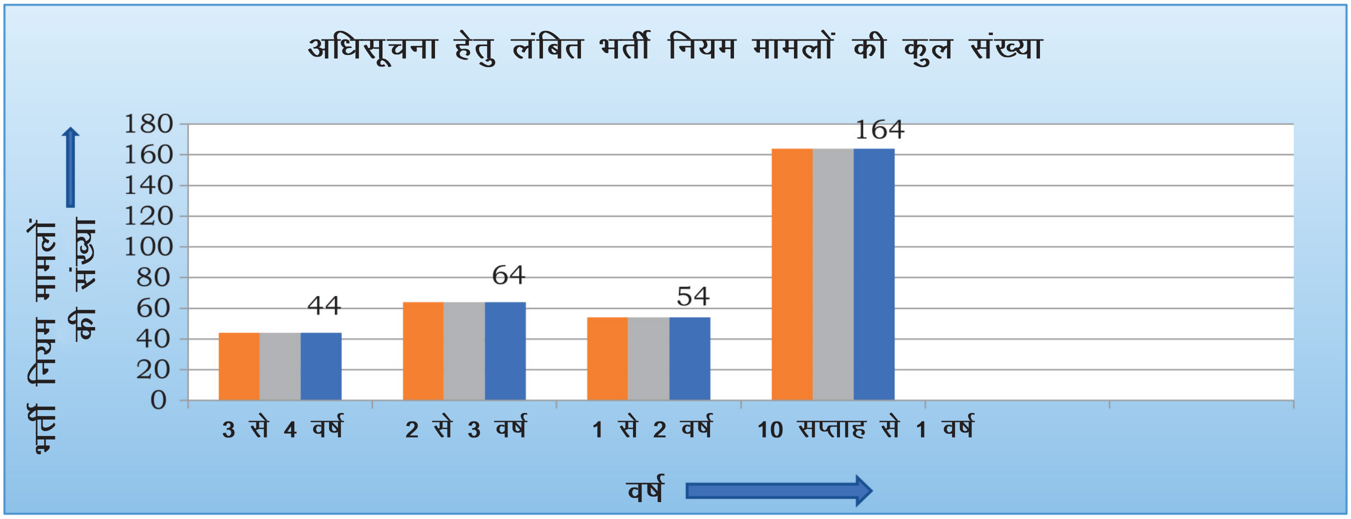

विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने में विलंब

2. 31 मार्च 2023 तक कुल 266 मामले ऐसे थे जहां विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर आयोग द्वारा संस्तुत उम्मीदवारों को नियुक्ति के प्रस्ताव भेजने में मंत्रालयों/विभागों द्वारा एक वर्ष से अधिक की देरी की गई। इनमें 51 मामले ऐसे थे जिनमें सिफारिशें किए जाने के बाद से एक वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी नियुक्ति के प्रस्ताव अभी भी दिये जाने शेष थे। 215 मामले ऐसे हैं जहां प्रस्ताव में एक वर्ष से अधिक की देरी हुई है जैसा कि **तालिका–2** में दर्शाया गया है।

तालिका–2: परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने में विलंब

क्र. सं.	विलंब की अवधि	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया गया किन्तु विलम्ब से		ऐसे मामलों की संख्या जिनमें नियुक्ति प्रस्ताव अभी जारी नहीं किया गया है	
		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
1.	4 वर्ष और उससे अधिक	--	--	09	41
2.	3 से 4 वर्ष	--	--	01	09
3.	2 से 3 वर्ष	--	--	00	01
4.	1 से 2 वर्ष	--	215	41	00
कुल		**00**	**215**	**51**	**51**

चयन द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में विलंब

3. वर्ष के दौरान, 48 ऐसे मामले थे जिनमें चयन द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा एक वर्ष से अधिक की देरी की गई, जैसा कि **तालिका–3** में दिया गया है।

तालिका–3 : चयन द्वारा सीधी भर्ती के तहत नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने में विलम्ब

क्र. सं.	विलंब की अवधि	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया गया किन्तु विलम्ब से		ऐसे मामलों की संख्या जिनमें नियुक्ति प्रस्ताव अभी जारी नहीं किया गया है	
		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
1.	4 वर्ष और उससे अधिक	0	0	18	23
2.	3 से 4 वर्ष	0	0	10	12
3.	2 से 3 वर्ष	0	0	12	0
4.	1 से 2 वर्ष	0	1	15	12
कुल		**0**	**1**	**55**	**47**

आयोग का मत

आयोग का यह दृढ़ मत है कि उनके द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में प्रतीक्षा नहीं करवाई जानी चाहिए। कई मामलों में, आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवार इस बीच किसी अन्य स्थान पर नियुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तथा सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं और इस प्रकार, इन उम्मीदवारों को चुनने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी तरह से निष्फल हो जाती है। आयोग संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव यथाशीघ्र जारी किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाने की आवश्यकता को दोहराता है।

अध्याय–11

प्रशासन, प्रशिक्षण एवं वित्त

प्रशासन

अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग को आयोग की सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं और वे विभागाध्यक्ष भी हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग (सदस्यगण) विनियमावली, 1969 (समय–समय पर यथा संशोधित) द्वारा विनियमित होती हैं।

2. सचिव, आयोग सचिवालय के प्रमुख होते हैं। 31 मार्च, 2023 को आयोग सचिवालय में कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या **1761** थी। आयोग के पदों की संवर्ग–वार, समूह–वार, स्टाफ संख्या **परिशिष्ट–32** में दी गई है। स्टाफ की सेवा शर्तें, संघ लोक सेवा आयोग (कर्मचारीवृन्द) विनियमावली, 1958 (समय–समय पर यथासंशोधित) द्वारा विनियमित होती हैं। आयोग का संगठनात्मक चार्ट **परिशिष्ट–33** पर दिया गया है। आयोग सचिवालय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों (पीडबल्यूडी) के प्रतिनिधित्व संबंधी विवरण **परिशिष्ट–34** पर दिया गया है। आयोग के पूर्व अध्यक्षों और सदस्यों की सूची **परिशिष्ट–36** पर दी गई हैं।

प्रशिक्षण

3. आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित आंतरिक–प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण **तालिका–1** एवं **तालिका–2** में दिया गया है।

तालिका–1

I. अवर सचिव/अनु अधि./सहा.अनु.अधि./वरि. सचि.सहा. स्तर के संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आयोजित नियमित आंतरिक–प्रशिक्षण।

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम
i)	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013
ii)	व्यक्तिगत वित्तीय योजना
iii)	सीसीएस छुट्टी नियमावली
iv)	तनाव प्रबंधन
v)	जेंडर संवेदीकरण
vi)	टिप्पण और प्रारूपण
vii)	साइबर सुरक्षा
viii)	सीसीएस (आचरण नियम)
ix)	रिकार्ड प्रबंधन
x)	आरटीआई आवेदनों/अपीलों का निपटान
xi)	चिकित्सा परिचर्या नियमावली

तालिका–2

II. उपर्युक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों की प्रोन्नति/नियमितीकरण तथा अन्य तकनीकी कौशल के लिए निम्नलिखित आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम
1.	45 एमटीएस के नियमितीकरण हेतु प्रशिक्षण
2.	आईएस विंग के अधिकारियों के कौशल उन्नयन के लिए एडवांस कंप्यूटर प्रशिक्षण
3.	सलाहकार सुइट / कैंटीन के सेवारत कर्मचारियों के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण
4.	आईएस विंग के वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण

वित्त

4. सचिवालय में एक अपर सचिव, जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, को आयोग के वित्तीय सलाहकार के रूप में नामित किया जाता है। वित्तीय सलाहकार आयोग का बजट तैयार करने, प्रचालित करने और नियंत्रित करने तथा व्यय नियंत्रण, निगरानी से संबंधित अन्य मामलों और आयोग को वित्तीय परामर्श देने के लिए उत्तरदायी हैं। आयोग के वित्तीय सलाहकार की सहायता, वित्त एवं बजट अधिकारी (एफ एंड बीओ) द्वारा की जाती है जो लेखा और वित्तीय पृष्ठभूमि वाले अवर सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं।

वर्ष 2022—23 के दौरान बजटीय स्थिति

5. संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे संविधान के अनुच्छेद 320 और 321 के अंतर्गत कतिपय महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ—साथ, सरकार के अधीन वरिष्ठ स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित परीक्षाओं का संचालन करना भी सम्मिलित है। संविधान के अनुच्छेद 322 और 113 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग का बजट भारत की समेकित निधि से प्रभारित होता है। वित्तीय वर्ष 2022—23 के लिए 330.58 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) का प्रावधान किया गया था जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर 370.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था। यह प्रावधान स्थापना/प्रशासनिक व्यय तथा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं के लिए था। परीक्षाओं का संचालन पूर्व—निर्धारित समय—सारिणी के अनुसार किया जाना होता है और इसलिए यह व्यय प्रतिबद्ध दायित्व प्रकृति का है जिसे आस्थगित नहीं किया जा सकता। परीक्षा एवं चयन पर होने वाला व्यय प्रत्यक्ष रूप से आयोग द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं एवं भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करता है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान किए गए बजट प्रावधानों तथा निधि के उपयोग की स्थिति तालिका—3 में दी गई है:

तालिका—3

(रूपये लाख में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अभ्यर्पित निधियां	निवल विनियोजन (अंतिम अनुदान)	वास्तविक व्यय	अव्ययित निधि	निधियों के उपयोग का प्रतिशत (कॉलम 5 की तुलना में कॉलम 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2018-19	29761.00	28075.00	1686.0	28075.00	28064.32	10.68	99.96%
2019-20	29845.00	29816.00	29.00	29816.00	29796.96	19.04	99.94%
2020-21	30538.00	28500.00	2038.00	28500.00	28493.62	6.38	99.97%
2021-22	30417.00	31618.00	--	31618.00	31616.56	1.44	99.99%
2022-23	33058.00	37000.00	--	37000.00	36999.08*	0.92	99.99%

* वर्ष 2022—23 के लिए विस्तृत विषय शीर्ष—वार व्यय और प्राप्तियाँ **परिशिष्ट—35** पर दी गई हैं।

अध्याय–12

विविध

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ii) के अंतर्गत "लोक प्राधिकरण" है। तद्नुसार, आयोग द्वारा 31 मार्च, 2023 तक अधिनियम के अंतर्गत 45 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों और 14 अपीलीय प्राधिकारियों को पदनामित किया गया था।

2. इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना के प्रसार को सुगम बनाने के लिए अग्र–सक्रिय (प्रोएक्टिव) उपायों के रूप में निम्नलिखित सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है:–

(क) आयोग

(ख) सचिवालय

(ग) विषय–सूची

(घ) सं.लो.से.आ. कार्यालय में संयुक्त सचिव (निदेशक) स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों की सूची।

(ङ) परामर्श के उद्देश्य से गठित दो या इससे अधिक व्यक्तियों की समितियों का विवरण।

(च) कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के निवारण हेतु बनी शिकायत समिति का विवरण।

(छ) अ.जा., अ.ज.जा, दिव्यांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों और अ.पि.व. के लिए संपर्क अधिकारी

(ज) संघ लोक सेवा आयोग में पारदर्शिता अधिकारी

(झ) सं.लो.से.आ. के अपीलीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों की सूची।

(ञ) केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों हेतु दिशा–निर्देश।

(ट) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की मासिक प्राप्ति तथा निस्तारण का विवरण।

(ठ) आर टी आई तिमाही विवरणियां।

(ड) संघ लोक सेवा आयोग की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची, 2015

(ढ़) विनियोजन का विवरण– संघ लोक सेवा आयोग (प्रभारित)।

(ण) सं.लो.से.आ. के अधिकारियों के अंतर्देशीय तथा विदेशी दौरों संबंधी सूचना।

(त) आयोग के समूह 'क' अधिकारियों की वेतन संरचना।

(थ) आर टी आई आवेदन पत्र – प्रथम अपील तथा उनके उत्तर।

(द) पिछली अधिसूचनाएं– कें.लो.सू.अ. के आदेश– अपीलीय प्राधिकारी।

3. सूचना का अधिकार आवेदनों और अपीलों की संख्या तथा उनके निपटान की स्थिति का विवरण नीचे **तालिका–1** में दिया गया है :

तालिका–1

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1.	वर्ष 2022–2023 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या	7006
2.	वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त आरटीआई अपीलों की कुल संख्या	478

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उपर्युक्त सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान कर दिया गया।

4. आयोग का स्थापना दिवस

आयोग का 96वां स्थापना दिवस 01 अक्तूबर, 2022 को मनाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय के संदेश को आयोग के सभी माननीय सदस्यों और स्टाफ के बीच परिचालित किया गया।

5. राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 15–16 अप्रैल, 2022 को तिरुवनंतपुरम, केरल में आयोजित 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग ने निम्नलिखित कार्यशालाएं आयोजित की :–

"अनुशासनात्मक कार्यवाही" पर कार्यशाला

संघ लोक सेवा आयोग में राज्य लोक सेवा आयोगों के अधिकारियों के लिए दिनांक 07.09.2022 को "अनुशासनात्मक कार्यवाही" पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 11 राज्य लोक सेवा आयोगों के कुल 19 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

"भर्ती नियमों" तथा "दिव्यांगजनों के लिए भर्ती" पर कार्यशाला

राज्य लोक सेवा आयोगों के अधिकारियों के लिए दिनांक 10.11.2022 एवं 11.11.2022 को क्रमशः भर्ती नियमों तथा दिव्यांगजनों के लिए भर्ती पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 12 राज्य लोक सेवा आयोगों के कुल 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

6. विदेशी प्रतिनिधिमंडल का दौरा –

श्री मोहम्मद नसीह, अध्यक्ष, सिविल सेवा आयोग, मालदीव के नेतृत्व में एक ग्यारह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एन.सी.जी.जी.) के चार अधिकारियों के साथ दिनांक 15.06.2022 को आयोग का दौरा किया।

7. सं.लो.से.आ. (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958

वर्ष 2022–23 के दौरान, आयोग ने परामर्श के अपने दायरे से छूट मांगे जाने के संबंध में सरकार से प्राप्त पाँच प्रस्तावों पर विचार किया और आयोग की टिप्पणियाँ संबंधित मंत्रालय/विभाग को भेज दी गई। संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के अन्तर्गत, 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार आयोग के कार्य–क्षेत्र से छूट दिए गए पदों/सेवाओं की सूची **परिशिष्ट–31** में दी गई है।

8. वरिष्ठता तथा सेवा संबंधी मामले

आयोग ने पारस्परिक वरिष्ठता संबंधी तीन मामलों में अपना परामर्श दिया। वर्ष 2021–22 और 2022–23 के दौरान छूट के मामलों और वरिष्ठता/सेवा से जुड़े

उन मामलों की संख्या का तुलनात्मक विवरण, जिन पर आयोग ने अपना परामर्श दिया, परिशिष्ट–3 में दिया गया है।

9. राज्य लोक सेवा आयोगों के अर्ध–वार्षिक सूचना–पत्र का प्रकाशन

राज्य लोक सेवा आयोगों के 82वें एवं 83वें अर्ध–वार्षिक सूचना–पत्र को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया। सूचना पत्र में, अन्य बातों के साथ–साथ, संघ लोक सेवा आयोग और 29 राज्य लोक सेवा आयोगों के पदधारिता संबंधी विवरण, अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति, आयोजित परीक्षाएँ/भर्तियां, विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की आयोजित बैठकों, गणमान्य व्यक्तियों आदि के दौरों के बारे में विवरण होता है।

10. सरकारी कार्य में हिंदी का प्रगामी प्रयोग

संघ लोक सेवा आयोग की हिंदी शाखा द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी राजभाषा अधिनियम/नियमों के प्रावधान तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए विभिन्न आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ ठोस प्रयास जारी रखे गए।

11. सरकार की राजभाषा नीति तथा कार्यक्रम का कार्यान्वयन

संघ लोक सेवा आयोग की हिंदी शाखा, जिसके प्रभारी निदेशक (राजभाषा) हैं जिनकी सहायता के लिए दो उप–निदेशक (राजभाषा), चार सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं अन्य सहायक स्टाफ है। यह शाखा सरकार की राजभाषा नीति और कार्यक्रमों के दिशा–निर्देश एवं अनुवीक्षण और कार्यान्वयन का कार्य देखने के साथ–साथ उन सभी दस्तावेजों के अनुवाद का कार्य भी करती है जिन्हें नियमानुसार हिंदी अथवा दोनों भाषाओं में जारी किया जाना अपेक्षित होता है।

12. राजभाषा कार्यान्वयन समिति

आयोग में सचिव की अध्यक्षता में विधिवत रूप से एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है और आयोग के सभी शाखा–प्रमुख इसके सदस्य हैं। कार्यालय में हिंदी के प्रयोग संबंधी सभी निर्णय तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति में कमी, यदि कोई हो, तो उस पर चर्चा इसी बैठक में की जाती है। वर्ष 2022–23 के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गई और समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

13. राजभाषा नियमों का अनुपालन

वर्ष 2022–23 के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अनुसरण में सामान्य आदेश, संकल्प, अधिसूचनाएँ, प्रेस विज्ञप्तियाँ, प्रशासनिक रिपोर्टें, नियम, विनियम, निविदा सूचनाएँ, निविदा प्रपत्र आदि द्विभाषी रूप में जारी किए गए। इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से सामान्यतः हिंदी में पत्राचार किया गया। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है।

14. हिंदी में प्रशिक्षण

वर्ष 2022–23 के दौरान, भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के तहत 61 कर्मचारियों को हिंदी टाइपिंग/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया। फरवरी 2022 सत्र में 38 कर्मचारियों को तथा अगस्त 2022 सत्र में 23 कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया। सभी ने वर्ष 2022–23 के दौरान सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

15. हिंदी कार्यशाला

वर्ष 2022–23 के दौरान, आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए और हिंदी में अपने दैनिक कार्य करने की झिझक को दूर करने के

लिए कुल 04 (चार) कार्यशालाएं आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में कुल 80 अधिकारियों ने भाग लिया।

16. नकद पुरस्कार और प्रोत्साहन योजनाएं

वर्तमान में, कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोग में नकद पुरस्कारों के साथ तीन प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं। राजभाषा विभाग की प्रथम प्रोत्साहन योजना के अनुसार, अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य मूलत: हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आयोग द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को 02 प्रथम पुरस्कार 5000/–रूपये प्रत्येक, 03 द्वितीय पुरस्कार 3000/–रूपये प्रत्येक, 05 तृतीय पुरस्कार 2000/–रूपए प्रत्येक प्रदान किए गए। इसी प्रकार, दूसरी प्रोत्साहन योजना के तहत हिंदी में डिक्टेशन देने वाले दो अधिकारियों को 5000/–रूपये प्रत्येक का नकद पुरस्कार दिया गया। राजभाषा नीति के तहत प्रदान किए जाने वाले इन प्रोत्साहनों के अलावा, आयोग भी हिंदी में अधिकाधिक सरकारी कार्य करने वाले अनुभागों को पुरस्कृत करने के लिए प्रोत्साहन योजना चला रहा है, जिसके तहत आयोग द्वारा 7500/–रू. का एक प्रथम पुरस्कार, 5000/–रू. का एक द्वितीय पुरस्कार, 3500/–रू. का एक तृतीय पुरस्कार और 1500/–रू. के दो प्रोत्साहन पुरस्कार इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए। वर्ष 2022 के दौरान, प्रशासन–3, विशेष सेल–1, नियुक्ति अनुभाग, ई1 (बी) और गोपनीय अनुभागों को क्रमशः पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

17. हिंदी दिवस तथा पखवाड़ा

आयोग में 14.09.2022 से 29.09.2022 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने की अपील के साथ पखवाड़ा आरंभ हुआ। इस अवधि के दौरान हिंदी टिप्पण और प्रारूप लेखन, निबंध लेखन, श्रुतलेखन, हिंदी भाषण, प्रश्नोत्तरी, हिंदी कविता पाठ, सामान्य हिंदी ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिंदी निबंध लेखन और हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता श्रेणी में हिंदी और गैर–हिंदी भाषी अधिकारियों के लिए अलग–अलग पुरस्कार रखे गए थे। विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए।

संघ लोक सेवा आयोग के विभिन्न अनुभागों में कार्यरत 09 कर्मचारियों को दिनांक 18.06.2022 को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित तकनीकी सम्मेलन में माननीय राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी में अनुकरणीय कार्य करने लिए सम्मानित किया गया।

संघ लोक सेवा आयोग के पांच अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सूरत, गुजरात में 14–15 सितम्बर, 2022 तक आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया।

18. निरीक्षण

अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा और पुनरीक्षा तथा शाखा प्रमुखों द्वारा आयोजित की गई संगठन एवं पद्धति बैठकों तथा राजभाषा शाखा के सहायक निदेशकों द्वारा किए गए निरीक्षणों द्वारा हिंदी के प्रयोग की गहन मॉनिटरिंग की जाती है। वार्षिक कार्यक्रम 2022–23 के अनुसार, राजभाषा नियमों के अनुपालन के लिए आयोग के 40 प्रतिशत अनुभागों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट संबंधित शाखा–प्रमुखों और अनुभागों को भेजी गई।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने 22.11.2022 को केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 44वीं बैठक आयोजित की जिसमें संघ लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव (प्रशासन) और निदेशक (राजभाषा) ने भाग लिया। इस बैठक में कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के विभिन्न उपायों पर विचार–विमर्श किया गया। यह बैठक सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

आयोग की वेबसाइट द्विभाषी रूप में है और विभिन्न अनुभागों द्वारा भेजे जा रहे सभी दस्तावेजों का

अनुवाद प्राथमिकता के आधार पर वेबसाइट पर अपलोड करने से पहले किया जाता है। इसका अद्यतनीकरण एक सतत प्रक्रिया है।

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट/वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को प्रत्येक तिमाही/ वर्ष "ऑन–लाइन" माध्यम से भेजी जाती है।

19. परीक्षा सुधार

आयोग की परीक्षा सुधार शाखा प्रश्न–पत्रों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए नियमित रूप से विभिन्न परीक्षाओं का विस्तृत सांख्यिकीय विश्लेषण करती है। यह विश्लेषण आयोजित परीक्षणों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने तथा परीक्षण संबंधी योजना में अपेक्षित परिवर्तन और सुधार लाने के लिए आवश्यक है।

20. सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, इंजीनियरी सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा के उम्मीदवारों के समुदाय, आयु, लिंग और अर्हता का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है।

21. उम्मीदवारों पर मिथ्या निरूपण एवं अन्य अनाचारों के लिए अधिरोपित शास्तियां

वर्ष 2022–23 के दौरान, उम्मीदवारों द्वारा किए गए अनाचार के 07 मामले आयोग के समक्ष आए। अनाचार के इन मामलों में, अन्य बातों के साथ–साथ, उम्मीदवारों द्वारा धोखेबाजी, जानकारी छिपाना, झूठी जानकारी, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना, मोबाइल फोन रखना आदि शामिल था। आयोग ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया और उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद दोषी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द करने से लेकर आयोग की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं/चयनों से दस वर्ष तक विवर्जन करने की शास्तियां अधिरोपित की।

22. स्वतंत्रता दिवस, स्थापना दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर **आयोग के मुख्य भवन को प्रकाशित किया गया।**

23. अभ्यर्थियों के लिए शाहजहां रोड पर अलग प्रवेश द्वार

साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सिविल सेवा 2022 (व्यक्तित्व परीक्षण) बोर्ड से एक अलग प्रवेश द्वार दिनांक 31.01.2023 से चालू कर दिया गया है।

24. स्वच्छता पखवाड़ा

आयोग ने 03.10.2022 से 17.10.2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। स्वच्छता गतिविधियों के एक भाग के रूप में एनेक्सी बिल्डिंग में टॉयलेट ब्लॉक (1 पुरुष शौचालय और 3 महिला शौचालय) का नवीनीकरण किया गया है।

कृतज्ञता ज्ञापन

आयोग, भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग एवं मदद के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता है, उनके इस सहयोग के बिना आयोग के लिए अपने संवैधानिक कार्यों को संपन्न करना सम्भव नहीं हो पाता।

आयोग अपने अधिकारियों और स्टाफ के अन्य सदस्यों की भी हार्दिक सराहना करता है, जिन्होंने कठोर परिश्रम और दक्षता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है।

1.	प्रो.(डा.) प्रदीप कुमार जोशी	अध्यक्ष	दिनांक 04.04.2022 (अपराह्न) को कार्यालय से पदत्याग कर दिया।
2.	डॉ. मनोज सोनी	अध्यक्ष	
3.	सुश्री स्मिता नागराज	सदस्य	दिनांक 21.09.2023 (अपराह्न) को कार्यालय से पदत्याग कर दिया।
4.	सुश्री एम. सत्यवती	सदस्य	दिनांक 12.05.2023 (अपराह्न) को कार्यालय से पदत्याग कर दिया।
5.	श्री भारत भूषण व्यास	सदस्य	दिनांक 14.11.2022 (अपराह्न) को कार्यालय से पदत्याग कर दिया।
6.	डा. टी.सी.ए. अनंत	सदस्य	दिनांक 02.01.2023 (अपराह्न) को कार्यालय से पदत्याग कर दिया।
7.	श्री राजीव नयन चौबे	सदस्य	
8.	ले. जनरल राज शुक्ला (सेवानिवृत्त)	सदस्य	
9.	सुश्री प्रीति सूदन	सदस्य	

(शशि रंजन कुमार)
सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

दिनांक:

परिशिष्ट–1

आयोग के माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यों के जीवन–वृत्त

प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी

प्रोफेसर (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी आयोग के सदस्य के रूप में पाँच साल से अधिक समय तक सेवा देने के पश्चात दिनांक 7 अगस्त, 2020 से 4 अप्रैल, 2022 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होने से पूर्व इन्होंने अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पद पर भी कार्य किया। इन्होंने निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एन आई ई पी ए), [मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार]–[अब निदेशक का पद परिवर्तित करके कुलपति एवं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एन आई ई पी ए) को परिवर्तित करके राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (एन यू ई पी ए) कर दिया गया है)] के पद पर भी कार्य किया।

प्रोफेसर जोशी ने 1977 में वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और 1981 में इन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर से वाणिज्य में पीएच.डी. किया। प्रोफेसर जोशी 28 वर्षों से अधिक समय तक शिक्षा के क्षेत्र में रहे। इन्होंने मई, 2000 से 12 जून, 2006 तक रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) में प्रोफेसर, अध्यक्ष एवं डीन प्रबंधन अध्ययन संकाय के पद पर कार्य किया। इन्होंने इस अवधि के दौरान (जून 2006 तक) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (एमपी) में अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष और व्यापार प्रशासन में अध्यक्ष, आर.डी.सी. के रूप में भी कार्य किया। इससे पहले, इन्होंने व्यापार प्रशासन विभाग, रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली (उ.प्र.) और बरेली कॉलेज, बरेली (उ.प्र.) में रीडर के पद पर भी सेवाएं दीं।

प्रोफेसर जोशी ने शिक्षाविद् के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। ये भारत सरकार के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समितियों के सदस्य रहे। ये संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार में भारत गणराज्य के 50वें वार्षिकोत्सव के लिए बनी राज्य–स्तरीय समिति के सदस्य; मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत शिक्षा सुधार संचालन समिति आयोग के पूर्व सदस्य; मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा के लिए संचालन समिति–सह–वितरण केन्द्र के पूर्व सदस्य; मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) के लिए राष्ट्रीय संसाधन समूह के पूर्व सदस्य; मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षक शिक्षा अनुमोदन बोर्ड के पूर्व सदस्य; केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री बोर्ड (सीएबीई) जो कि शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए उच्चतम परामर्शदात्री बोर्ड है, के पूर्व सदस्य भी रहे हैं।

प्रोफेसर जोशी एक प्रख्यात अनुसंधानकर्ता और शिक्षाविद् हैं जिनके पास 28 वर्षों से अधिक समय का अध्यापन का अनुभव है। इन्हें वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय नियंत्रण, लेखांकन प्रबंधन, कराधान, ग्रामीण विकास प्रबंधन, पंचायती राज संस्थान एवं खादी ग्रामोद्योग प्रबंधन आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है। इन्होंने बहुत से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में शोध पत्र प्रस्तुत और प्रकाशित किए हैं। एक सक्रिय शिक्षाविद् होने के कारण, इन्होंने विभिन्न देशों जैसे बेलजियम, हॉलैंड, इंग्लैंड, नेपाल और जापान में व्याख्यान दिए और शैक्षणिक विचार–विमर्श में भाग लिया। इन्होंने 19 स्कॉलरों

का पीएच.डी. के लिए पर्यवेक्षण किया और इनके मार्गदर्शन में लगभग 24 शोध–निबंध प्रस्तुत किए गए।

डॉ. मनोज सोनी

डॉ. मनोज सोनी वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग, एक संवैधानिक निकाय, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, के अध्यक्ष हैं। इस कार्यभार से पहले, डॉ. सोनी तीन बार कुलपति रहे। इसमें डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय (बी ए ओ यू) के कुलपति के रूप में 1 अगस्त, 2009 से 31 जुलाई, 2015 तक लगातार दो कार्यकाल और महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा (दि एम.एस.यू. ऑफ बड़ौदा) के कुलपति के रूप में अप्रैल, 2005 से अप्रैल, 2008 तक का एक कार्यकाल शामिल है। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में पदभार ग्रहण करते समय डॉ. सोनी भारत और महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के अभी तक के सबसे युवा कुलपति थे।

अन्तर–राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में विशेषज्ञता के साथ राजनीति विज्ञान के एक स्कॉलर के रूप में डॉ. सोनी ने दो विश्वविद्यालयों के कुलपति के पद की सेवा अवधि को छोड़कर, सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) वल्लभ विद्यानगर में 1991 से 2016 के बीच अन्तर–राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अध्यापन कार्य किया। डॉ. सोनी ने "पोस्ट–कोल्ड वार इन्टरनेशनल सिस्टेमिक ट्रांजिसन एण्ड इण्डो–यू.एस. रिलेशन्स" विषय पर डॉक्ट्रेट किया है। यह 1992 और 1995 के दौरान सबसे पहला और अपनी तरह का विशेष अध्ययन था। इसके द्वारा संकल्पनात्मक ढ़ांचे के माध्यम से शीतयुद्ध के बाद व्यवसथित ट्रांजिसन को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है जिसमें संभावित आंकलन की संभावनाएं हैं। यह कार्य बाद में 1998 में यू.के. में स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रकाशक अश्गेट पब्लिशिंग लि., न्यू हैम्पशायर के द्वारा "अन्डरस्टैडिंग द ग्लोबल पॉलीटिकल अर्थक्वेक" नामक शीर्षक के अंतर्गत एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ।

डॉ. सोनी को बहुत से पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। वर्ष 2013 में, डॉ. सोनी को आई टी साक्षरता के साथ समाज के वंचित वर्ग को सशक्त बनाने में अनुकरणीय नेतृत्व के लिए बेटन रूज, लुसियाना, यू.एस.ए. के मेयर प्रेसीडेंट द्वारा "ऑनरेरी मेयर–प्रेसीडेंट ऑफ द सिटी ऑफ बेटन रूज" सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 2015 में, डॉ. सोनी को चार्टेड इन्स्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउन्टेंट्स लंदन, यू.के. द्वारा दूरस्थ शिक्षा नेतृत्व के लिए वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस ग्लोबल अवार्ड दिया गया।

डॉ. सोनी ने उच्चतर शिक्षा और लोक प्रशासन की अनेक शिक्षा संस्थाओं के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अपनी सेवाएं प्रदान की। वे गुजरात विधान सभा के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक अर्द्ध–न्यायिक निकाय, जो गुजरात में गैर–सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं के फीस ढ़ांचे को विनियमित करता है, के भी सदस्य रहे हैं।

सुश्री स्मिता नागराज

सुश्री स्मिता नागराज वर्ष 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) में आयीं। उन्हें केन्द्र सरकार के साथ–साथ तमिलनाडु सरकार में विभिन्न पदों पर लोक सेवा में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरूआत तमिलनाडु सरकार से की, जहां वे विभिन्न विभागों, जिसमें ऊर्जा, वित्त, स्वास्थ्य, नगरपालिका प्रशासन और जल आपूर्ति तथा लघु उद्योग शामिल हैं, में भिन्न–भिन्न पदों पर रहीं। भारत सरकार में उन्होंने रक्षा मंत्रालय, एन एस सी एस और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में सेवाएं दी। वे केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की कार्यपालक निदेशक भी रहीं। संघ लोक सेवा आयोग में कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्रीमती नागराज ने रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव एवं महानिदेशक (अधिग्रहण) के पद पर भी कार्य किया।

श्रीमती नागराज ने 1979 में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की और भारतीय जनसंचार संस्थान(आई आई एम सी), दिल्ली से जन संचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया।

उन्होंने 01.12.2017 को संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य का पद ग्रहण किया।

श्रीमती एम. सत्यवती

श्रीमती एम.सत्यवती, जो चेन्नई, तमिलनाडु की रहने वाली हैं इनका जन्म 13 मई, 1958 को हुआ। इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास से गणित में स्नातकोत्तर किया है और स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। वे 1982 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आई।

ये एजीएमयूटी कैडर के 1982 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा से हैं, इन्होंने पुदुच्चेरी संघ शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य सरकारों के साथ काम किया है। इसके अतिरिक्त, इन्होंने केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर वाणिज्य, वस्त्र, नागर विमानन मंत्रालयों और अंतरिक्ष विभाग में और अंत में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में भी कार्य किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव बनने से पहले उनके द्वारा धारित कुछ महत्वपूर्ण पदों में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय, डीजीसीए; मुख्य सचिव, पुदुच्चेरी; अपर मुख्य सचिव, मिजोरम राज्य सरकार; सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड, प्रशासन नियंत्रक, इसरो सैटेलाइट केंद्र; विदेश व्यापार की संयुक्त महानिदेशक, वाणिज्य मंत्रालय और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पुदुच्चेरी जैसे पद शामिल हैं।

श्रीमती एम.सत्यवती ने कई प्रबंधन पाठ्यक्रम जैसे जन नेताओं के लिए वार्ता, लोक शासन में नैतिकता, ग्रामीण नियोजन और प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ई–शासन आदि में भाग लिया है।

श्रीमती एम. सत्यवती ने 09.04.2018 को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री भारत भूषण व्यास

श्री भारत भूषण व्यास को विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में कुल मिलाकर अड़तीस से अधिक वर्षों का अनुभव है। इनमें से बैंकिंग क्षेत्र (भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंधकीय पद) में छः वर्ष का और सरकार में (1986 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल) विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों: शासन, सार्वजनिक नीति, विनियामक और विकासात्मक प्रशासन में बत्तीस वर्ष का अनुभव शामिल है।

जम्मू–कश्मीर कैडर को आबंटित, श्री व्यास ने अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट (तीन जिलों के) और संभागीय आयुक्त (कश्मीर घाटी) जैसे प्रमुख पदों पर कार्य किया। उन्होंने लगभग नौ वर्षों तक राज्य में वित्त सचिव के रूप में कार्य किया और पांच वर्ष से अधिक राज्य सरकार में योजना और विकास विभाग का नेतृत्व किया।

उन्होंने जम्मू–कश्मीर में सभी राज्य विश्वविद्यालयों और दो कृषि विश्वविद्यालयों के वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया तथा वित्त सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बारह राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बोर्डों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

श्री व्यास ने लगभग चार वर्षों तक केंद्रीय वित्त मंत्रालय में कार्य किया। उन्होंने 2001 और 2002 की अवधि के दौरान विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक और जी–20 की बैठकों में देश का प्रतिनिधित्व किया। ये ब्राजील और यू के में टैक्स सुधारों का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा थे।

श्री व्यास ने 1997–98 की अवधि के दौरान यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, कृषि सुधार निगम और डीआईसीजीसी के निदेशक मंडल में कार्य किया है। बाद में उन्होंने जे एंड के बैंक के बोर्ड में पांच साल तक निदेशक के रूप में काम किया।

श्री व्यास ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)–भारत में असिस्टेंट रेजिडेंट रिप्रजेंटेटिव के रूप में भी "सतत आजीविका" के क्षेत्र से संबंधित योजनाओं में ढाई साल की अवधि के लिए कार्य किया।

श्री व्यास को 1996/1997 में जम्मू–कश्मीर में चुनाव कराने के लिए पुरस्कार दिया गया। उन्हें वर्ष

2011 में जम्मू–कश्मीर में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सराहनीय सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक भी दिया गया। उन्हें दो अवसरों पर भूकंप के बाद कश्मीर में पुनर्वास कार्य के प्रबंधन (2008) के लिए और जम्मू–कश्मीर में पंचायतों के चुनावों के सफल संचालन के लिए सिविल सेवा (टीम प्रयास) में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार प्राप्त हुआ।

श्री व्यास ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने कटरा में श्राइन बोर्ड द्वारा स्थापित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया।

श्री भारत भूषण व्यास वर्ष 2018 में मुख्य सचिव, जम्मू–कश्मीर के रूप में सेवानिवृत हुए और छः महीने के संक्षिप्त कार्यकाल के लिए राज्यपाल के सलाहकार (राज्यपाल शासन के दौरान) के रूप में सेवा करने के बाद, उन्होंने 13.12.2018 को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्य ग्रहण किया।

डॉ. टी सी ए अनंत

डॉ. टी सी ए अनंत ने 14 जनवरी, 2019 को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले वे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डीएसई), दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष थे। उन्होंने पूर्व में 2010 से 2018 तक भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् (सीएसआई) और सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा वर्ष 2006 से 2009 तक भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) के सदस्य सचिव के पद पर कार्य किया।

भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् (सीएसआई) के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की श्रृंखला के साथ–साथ आधार वर्ष 2011–12 के लिए भारतीय राष्ट्रीय लेखा प्रणाली को संशोधित किया; राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने रोजगार पर एक नया नियमित सर्वेक्षण प्रारंभ किया; और अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा दोनों की कैडर संरचनाओं की समीक्षा की, जो चिरकाल से लंबित थी। मुख्य सांख्यिकीविद् के रूप में, प्रो. अनंत ने श्रम सांख्यिकीविदों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की; संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग (यूएनएससी) के तहत "प्रगति के व्यापक उपाय" और "अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम के 2011 दौर का मूल्यांकन" पर फ्रेंड्स ऑफ दी चेयर ग्रुप की सह–अध्यक्षता की; और संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा स्थापित डेटा रिवोल्यूशन पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह के वे सदस्य रहे।

आईसीएसएसआर के सदस्य सचिव के रूप में, प्रो. अनंत ने आईसीएसएसआर की चौथी समीक्षा कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अल्पसंख्यक बहुल जिलों का पहला बेसलाइन सर्वेक्षण करने में आईसीएसएसआर के अनुसंधान प्रयासों को भी गति प्रदान की।

प्रो. अनंत ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएच. डी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकनोमिक्स से अर्थशास्त्र में एमए किया। वह मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए में अर्थशास्त्र में सहायक प्रोफेसर और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकनोमिक्स में रीडर और फिर प्रोफेसर रहे, जहां उन्होंने एमए कार्यक्रम में लॉ एंड इकोनॉमिक्स पर पाठ्यक्रम शुरू किया। उनके शोध में श्रम अर्थशास्त्र, औद्योगिक अर्थशास्त्र, विधि और अर्थशास्त्र और अर्थमिति सहित कई क्षेत्र शामिल हैं।

उन्होंने वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के मूल्य की गणना के लिए एक व्यावहारिक मॉडल विकसित करने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के माध्यम से बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल में एक संसाधन व्यक्ति (रिसोर्स पर्सन) के रूप में कार्य किया है, जिसमें वहाँ आयोजित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पहली रिट्रीट (निवर्तन) भी शामिल है। 10वें और 11वें वित्त आयोग के सलाहकार के रूप में,

उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स को विकसित करने में मदद की, जिसका उपयोग आयोग ने अपनी सिफारिशों में किया था।

प्रोफेसर अनंत ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कई विश्वविद्यालयों की परिषदों और बोर्डों के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की विशेषज्ञ समितियों में भी काम किया है।

श्री राजीव नयन चौबे

श्री राजीव नयन चौबे का जन्म 28 जनवरी, 1959 को पटना, भारत में हुआ था। वह प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज, नई दिल्ली से भौतिकी में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनाइटेड किंगडम से सामाजिक नीति और योजना में मास्टर्स डिग्री भी प्राप्त की है।

इन्होंने 1981 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होकर अपने पेशेवर कैरियर की शुरुआत की और उन्हें तमिलनाडु कैडर आबंटित किया गया। उन्होंने 1981 से 1998 तक तमिलनाडु में विभिन्न पदों पर कार्य किया, जिनमें से कन्याकुमारी और मदुरै के कलेक्टर, तमिलनाडु के औद्योगिक विकास निगम के कार्यकारी निदेशक और वित्त विभाग के सचिव आदि के रूप में कार्य प्रमुख हैं।

इन्होंने 1998 में भारत सरकार में निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और बाद में वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर प्रोन्नत हुए जहां उन्होंने सात वर्षों तक कार्य किया। इन्होंने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण में प्रधान सलाहकार, विकास आयुक्त (हथकरघा) के पद पर और पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत हाइड्रोकार्बन के महानिदेशक के पद पर भी कार्य किया। उन्हें विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर नियुक्त किया गया और बाद में विशेष सचिव, विद्युत के रूप में प्रोन्नत किया गया।

श्री चौबे को 5 जून, 2015 को नागर विमानन मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और इन्होंने 31.01.2019 को अपनी सेवानिवृत्ति होने तक मंत्रालय का मार्गदर्शन किया। नागर विमानन मंत्रालय में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने नई नागर विमानन नीति का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विमानन क्षेत्र में सुधार भी लेकर आए जिसके कारण इस क्षेत्र का काफी विकास हुआ ।

उनकी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद, उन्हें 1 फरवरी, 2019 से संघ लोक सेवा आयोग, भारत के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

उनकी शादी श्रीमती स्मिता से हुई है और उनके दो बेटे हैं।

ले.जनरल राज शुक्ला (सेवानिवृत्त)

ले. जनरल राज शुक्ला एक पूर्व सेना कमांडर हैं जिन्होंने संचालनात्मक, विचारात्मक और प्रशिक्षण संबंधी व्यापक सैन्य कार्यों में चार दशक से अधिक समय तक अपनी विशिष्ट सेवाएं दी हैं। ले. जनरल राज शुक्ला ने भारत की सामरिक–सैन्य संभावनाओं, प्रौद्योगिकीय नवाचार, पेशेवर सैन्य शिक्षा, क्षमता संवर्धन, युद्ध कौशल संतुलन और सिविल मिलिट्री फ्यूजन के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

ले.जनरल शुक्ला कॉम्बैट एविएटर और कुशल वक्ता होने के साथ–साथ उनकी रणनीतिक–सैन्य कार्यकलापों में गहरी रूचि है। उन्होंने 60 से अधिक लेख पत्रिकाओं और महत्वपूर्ण दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए हैं जिनमें हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द प्रिंट, द इकोनोमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, मनी कंट्रोल और बिजनेस वर्ल्ड शामिल हैं। उन्होंने भारत एवं विदेशों में लगभग 300 परिचर्चाओं/सेमिनारों/कार्यक्रमों में भाषण दिए हैं/प्रतिभागिता की है जिनमें द चंडीगढ़ मिलिट्री लिटफेस्ट (2020 एवं 2021), द जयपुर लिटफेस्ट (2019), द भोपाल लिटफेस्ट, द रूसी–लंदन, आई सी आई सी आई–मुंबई, ओ आर एफ, कार्नेगी, जेएनयू, आई आई टी वाराणसी, द पंजाब यूनिवर्सिटी और द आर एस आई एस, सिंगापुर शामिल हैं।

इनकी अति असाधारण सेवा को ध्यान में रखते हुए, ले. जनरल राज शुक्ला को गणतंत्र दिवस, 2021 के अवसर पर परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

आप लैंड वारफेयर स्टडीज सेंटर (सी एल ए डब्ल्यू एस) के सम्मानित फेलो हैं और यू एस आई की कार्यकारी परिषद के लिए 01 जनवरी, 2023 को निर्वाचित हुए हैं।

माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा ले.जनरल राज शुक्ला को 18 जुलाई, 2022 को संघ लोक सेवा आयोग (यू पी एस सी) में माननीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

श्रीमती प्रीति सूदन

आंध्र प्रदेश कैडर के 1983 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी श्रीमती प्रीति सूदन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव के पद से जुलाई, 2020 में सेवानिवृत्त हुईं। उन्हें कार्यपालिका के प्रायः सभी क्षेत्रों में लगभग 37 वर्ष का व्यापक अनुभव है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपने लगभग तीन वर्ष के कार्यकाल में, विशेष रूप से अंतिम छह महीनों में, उन्होंने कोविड–19 महामारी के नियन्त्रण से संबंधित कार्य का नेतृत्व किया। इससे पूर्व, आप खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की सचिव थीं।

श्रीमती सूदन ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। राज्य प्रशासन में सेवा करते हुए, उन्होंने वित्त एवं योजना, आपदा प्रबंधन, पर्यटन और कृषि विभागों का कार्य संभाला। आप अर्थशास्त्र में एम.फिल एवं सामाजिक नीति और योजना में लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स से एम. एस. सी. हैं।

श्रीमती सूदन ने विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में कई उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। देश के दो प्रमुख कार्यक्रमों अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आयुष्मान भारत की शुरुआत के अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर आयोग पर विधायी कार्य और ई–सिगरेट पर प्रतिबंध जैसी कुछ महत्वपूर्ण पहल इनके द्वारा की गई हैं।

श्रीमती सूदन विश्व बैंक की सलाहकार भी रहीं हैं। इन्होंने तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन के सीओपी–8 की अध्यक्षता की, मातृत्व, नवजात और बाल स्वास्थ्य के लिए साझेदारी की उपाध्यक्षता की, ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप की अध्यक्ष रहीं और महामारी तत्परता और प्रतिक्रिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल की सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्रीमती सूदन ने संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य के रूप में 29.11.2022 को कार्यभार ग्रहण किया।

परिशिष्ट–2

[अध्याय 3 एवं 4 देखें]

उम्मीदवारों/अधिकारियों की उपयुक्तता के संबंध में आयोग द्वारा की गई अनुशंसाएं

क्रम. सं.	विवरण	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिए गए पदों की संख्या		प्रतिशत अंतर
		2022-23	2021-22	
1.	**चयन द्वारा सीधी भर्ती**	**1736**	**666**	**160.66%**
(क)	इंजीनियरी पद	164	153	7.19%
(ख)	चिकित्सा पद	386	366	5.46%
(ग)	वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद	194	42	361.90%
(घ)	गैर–तकनीकी पद	992	105	844.76%
2.	**परीक्षा द्वारा भर्ती**	**4195***	**3559***	**+17.87%**
(क)	सिविल पद/सेवाएं	2721*	1940*	+40.26 %
(ख)	रक्षा सेवाएं	1474	1619	-8.96%

** आरक्षित सूची के माध्यम से अनुशंसित उम्मीदवारों सहित*

परिशिष्ट–3

[अध्याय 12 देखें]

आयोग द्वारा की गई अनुशंसाएं – छूट संबंधी मामलों, वरिष्ठता, सेवा मामलों से संबंधित

क्रम. सं.	विवरण	मामलों की संख्या		
		2022-23	2021-22	प्रतिशत अंतर
1.	छूट संबंधी मामले	05	07	-28.57%
2.	वरिष्ठता का निर्धारण (मामलों की संख्या)	03	03	00%
3.	सेवा मामले	00	00	--

परिशिष्ट–4

[अध्याय 3 एवं 5 देखें]

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित परीक्षाएं

क्रम. सं.	परीक्षा का नाम	पद	आवेदकों की संख्या					वास्तविक रूप में परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार					साक्षात्कार देने वाले उम्मीदवारों की संख्या/जिनके सेवा रिकॉर्ड की जांच की गई हो					नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या					
			कुल	अ. जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईड. ब्ल्यूएस	कुल	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	ईड. ब्ल्यूएस	कुल	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	ईड. ब्ल्यूएस	कुल	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	ईड. ब्ल्यूएस	आरपी आर
1.	भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, सहित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2022	लागू नहीं	1152566	264082	93073	326667	55669	579008	125394	43507	174429	30715	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2022	-	13051	1948	914	3379	1268	12775	1888	888	3298	1243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2022	-	1753	259	124	480	120	1137	154	74	319	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2022	246	1655	220	113	494	157	1371	188	99	406	109	615	80	47	205	42	213	34	17	66	16	0.87
5.	इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2023	लागू नहीं	83963	18468	7146	25398	3710	33864	6041	2547	11377	1663	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	भारतीय आर्थिक सेवा/ भारतीय सांख्यिकी सेवा, 2022	53	14529	3876	1187	3241	556	3152	464	165	874	189	126	18	08	39	15	52#	08	04	18	07	0.98
7.	सम्मिलित भू–वैज्ञानिक (प्रधान) परीक्षा, 2022	192	1347	188	96	386	141	1124	161	75	335	116	419	56	24	133	40	175	27	14	59	26	0.91
8.	सम्मिलित भू–वैज्ञानिक (प्रारंभिक) परीक्षा, 2023	लागू नहीं	24918	3445	1541	7607	1757	13160	1759	814	4237	1033	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौ सेना अकादमी, (I), 2022	400	668356	87552	17453	276517	लागू नहीं	373827	41324	8957	153453	लागू नहीं	6114	190	22	1852	लागू नहीं	519	15	01	89	लागू नहीं	1.30
10.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा, (II), 2022	-	534010	62151	11972	207723	लागू नहीं	336220	35072	6354	131575	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, (I), 2022	341	313892	46290	12647	96744	लागू नहीं	155441	16866	5049	48472	लागू नहीं	4147	122	28	828	लागू नहीं	246	05	03	30	लागू नहीं	0.72
12.	सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, (II), 2022	-	225740	29014	9220	66619	लागू नहीं	116387	10811	3642	34687	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्रम. सं.	परीक्षा का नाम	पद	आवेदकों की संख्या					वास्तविक रूप में परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार					साक्षात्कार देने वाले उम्मीदवारों की संख्या/जिनके सेवा रिकॉर्ड की जांच की गई हो					नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या					
			कुल	अ. जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईड. ब्ल्यूएस	कुल	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	ईड. ब्ल्यूएस	कुल	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	ईड. ब्ल्यूएस	कुल	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	ईड. ब्ल्यूएस	आरपी आर
13.	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2022	-	264328	59530	24922	75965	12775	87707	14081	6888	27855	5297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2022	-	49026	6725	2080	14629	1749	20613	2836	882	6364	747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	अनुभाग अधिकारी'/ आशुलिपिक' (ग्रेड 'ख"/ ग्रेड–I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2018	-	2782	450	123	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**1232**	**3351916**	**584198**	**182611**	**1105849**	**77902**	**1735786**	**257039**	**79941**	**597681**	**41232**	**11421**	**466**	**129**	**3057**	**97**	**1205**	**89**	**39**	**262**	**49**	**0.98**

–वर्तमान में सूचना उपलब्ध नहीं।

एन.ए. लागू नहीं।

 # का.और प्र. विभाग के दिनांक 15.10.2018 के का.ज्ञा.सं. 36035¢2¢2027–स्था. (रेस) के अनुसार उपयुक्त पीडब्ल्यूबीडी–5 उम्मीदवार की उपलब्धता नहीं होने के कारण, पीडब्ल्यूबीडी–5 के लिए आरक्षित वर्तमान वर्ष की रिक्ति के प्रति सामान्य श्रेणी की एक रिक्ति रिक्त रखी जा रही है।

परिशिष्ट–5

[अध्याय 3 एवं 5 देखें]

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2021–22 में आयोजित की गई परीक्षाएं लेकिन 2022–23 में पूरी की गई/अंतिम रूप दी गई परीक्षाएं

क्रम. सं.	परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	आवेदकों की संख्या					वास्तविक रूप में परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार					साक्षात्कार देने वाले उम्मीदवारों की संख्या/जिनके सेवा रिकॉर्ड की जांच की गई हो					नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या					
			कुल	अ. जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईड. ब्ल्यूएस	कुल	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	ईड. ब्ल्यूएस	कुल	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	ईड. ब्ल्यूएस	कुल	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	ईड. ब्ल्यूएस	आरपी आर
1.	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021	749	* 9156	* 1298	* 713	* 2493	* 883	* 8930	* 1250	* 681	* 2433	* 862	1819	233	129	574	215	748	106	60	215	77	0.99
2.	भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021	110	*$ 1217	*$ 178	*$ 92	*$ 321	*$ 127	*$ 750	*$ 97	*$ 54	* $204	*$ 84	251	31	17	86	30	108	16	08	40	14	0.98
3.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा, (II), 2021	400	* 575854	* 69235	* 14048	* 225136	लागू नहीं	* 357197	* 37729	* 7238	* 139235	लागू नहीं	8009	254	34	2217	लागू नहीं	462	11	01	91	NA	1.16
4.	सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, (II), 2021	339	* 255044	* 31047	* 10463	* 71494	लागू नहीं	* 135707	* 12525	* 4644	* 37873	लागू नहीं	4415	137	32	809	लागू नहीं	247	07	01	30	NA	0.73
5.	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2021	-	* 244087	* 57239	* 22514	* 67303	* 15310	* 79767	* 12883	* 5971	* 24723	* 5903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	लागू नहीं
6.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सहायक कमांडेंट) (कार्यपालक) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2022	-	* 610	* 100	* 57	लागू नहीं	लागू नहीं	* 428	* 63	* 36	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	लागू नहीं
7.	सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2021	845	* 60154	* 8509	* 2676	* 16735	* 2619	* 23299	* 3190	* 995	* 6819	* 952	1176	98	47	563	112	780	89	44	342	96	0.92
8.	अनुभाग अधिकारी'/आशु. लिपिक' (ग्रेड–I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2016 एवं 2017	1281	1705*	235*	99*	लागू नहीं	लागू नहीं	1634	226	87	लागू नहीं	लागू नहीं	931	131	59	लागू नहीं	लागू नहीं	587	109	51	लागू नहीं	लागू नहीं	0.46
कुल		**3724**	* **1147827**	* **167841**	* **50662**	* **383482**	* **18939**	**1634**	**226**	**87**	* **211287**	* **7801**	**16601**	**884**	**318**	**4249**	**357**	**2932**	**338**	**165**	**718**	**187**	**0.79**

** आंकड़े पहले ही पिछली वार्षिक विवरणी में दर्शाए जा चुके हैं।*
**$ आंकड़ों में संशोधन किया गया है, क्योंकि पिछली विवरणी के परिशिष्ट–4 में अनजाने में आकंड़े गलत प्रस्तुत हो गए थे।*
– वर्तमान में सूचना उपलब्ध नहीं।
एन.ए. लागू नहीं।

परिशिष्ट–6

[अध्याय 5 देखें]

वर्ष 2022–23 के दौरान आरक्षित सूची के माध्यम से उन परीक्षाओं के संबंध में अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या, जिनमें आरक्षित सूची नियम लागू होता है

क्रम सं.	परीक्षा का नाम	आरक्षित सूची के माध्यम से अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या						अभ्युक्तियां
		अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	ईड. ब्ल्यूएस	अनारक्षित	कुल	
1.	सिविल सेवा परीक्षा, 2021	01*	00*	12*	04*	46*	63*	आरक्षित सूची दिनांक 10–10–2022 को जारी
2.	इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2021	00	00	09	02	17	28	आरक्षित सूची दिनांक 05–12–2022 को जारी
3.	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2020	-	-	10	03	10	23	आरक्षित सूची दिनांक 08–06–2022 को जारी
4.	सम्मिलित भू–वैज्ञानिक परीक्षा, 2021	01	-	03	03	-	07	आरक्षित सूची दिनांक 25–07–2022 को जारी
	कुल	**01**	**00**	**22**	**08**	**27**	**58**	

**आंकड़ों को उपर्युक्त सूची के योग में शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये आंकड़े पहले ही परिशिष्ट–5 में शामिल किए जा चुके हैं।*

परिशिष्ट–7

[अध्याय 3 देखें]

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित परीक्षाओं के अंतर्गत आने वाली सेवाएं

1. सिविल सेवा परीक्षा, 2022

निम्नलिखित सेवाओं एवं पदों पर भर्ती हेतु:

(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा

(ii) भारतीय विदेश सेवा

(iii) भारतीय पुलिस सेवा

(iv) भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा, समूह 'क'

(v) भारतीय सिविल लेखा सेवा, समूह 'क'

(vi) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा, समूह 'क'

(vii) भारतीय रक्षा लेखा सेवा, समूह 'क'

(viii) भारतीय रक्षा संपदा सेवा, समूह 'क'

(ix) भारतीय सूचना सेवा, कनिष्ठ ग्रेड, समूह 'क'

(x) भारतीय डाक सेवा, समूह 'क'

(xi) भारतीय डाक एवं दूर संचार लेखा एवं वित्त सेवा, समूह 'क'

(xii) भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, समूह 'क'

(xiii) भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर) समूह 'क'

(xiv) भारतीय राजस्व सेवा (आयकर), समूह 'क'

(xv) भारतीय व्यापार सेवा, समूह 'क' (समूह–III)

(xvi) सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा, समूह 'ख' (अनुभाग अधिकारी ग्रेड)

(xvii) दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली सिविल सेवा (डीएएनआईसीएस), समूह 'ख'

(xviii) दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली पुलिस सेवा (डीएएनआईपीएस), समूह 'ख'

(xix) पांडिचेरी सिविल सेवा (पीओएनडीआईसीएस), समूह 'ख'

(xx) भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा, ग्रेड 'क'

2. भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2022

भारतीय वन सेवा

3. भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2022

(i) भारतीय आर्थिक सेवा

(ii) भारतीय सांख्यिकी सेवा

4. सम्मिलित भू–वैज्ञानिक परीक्षा 2022

निम्नलिखित पदों की भर्ती के लिए;

श्रेणी–I

(भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय में पद)

i) भू–वैज्ञानिक, समूह 'क'

ii) भू–भौतिकीविद, समूह 'क'

iii) रसायनज्ञ, समूह 'क'

श्रेणी–II

(केन्द्रीय भू–जल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग में पद)

i) वैज्ञानिक 'ख' (जल भू–विज्ञान) समूह 'क'

ii) वैज्ञानिक 'ख' (रसायन) समूह 'क'

iii) वैज्ञानिक 'ख' (भू–भौतिकी) समूह 'क'

5. इंजीनियरी सेवा परीक्षा (प्रधान), 2022

निम्नलिखित सेवाओं/पदों की भर्ती हेतु:

श्रेणी I – सिविल इंजीनियरी

समूह 'क' सेवाएं/पद

(i) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा

(ii) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क), समूह–क (सिविल इंजीनियरी पद)

(iii) भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा

(iv) *सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा में स.का.अ. (सिविल)

(v) भारतीय रक्षा इंजीनियरी सेवा

(vi) एमईएस सर्वेक्षक काडर में एईई (क्यूएस एंड सी)

(vii) केन्द्रीय जल इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा

(viii) भारतीय कौशल विकास सेवा

श्रेणी II – यांत्रिक इंजीनियरी –

समूह–क/ख सेवा/पद

(i) जीएसआई इंजीनियरी सेवा ग्रेड 'क' में एईई

(ii) भारतीय रक्षा इंजीनियरी सेवा

(iii) भारतीय नौसेना आयुध सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी के पद)

(iv) भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी के पद)

(v) केन्द्रीय जल इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा

(vi) भारतीय कौशल विकास सेवा

(vii) रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा/एसएसओ –II (यांत्रिक)

(viii) केन्द्रीय विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी)

(ix) केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा ग्रेड 'क' (यांत्रिक इंजीनियरी के पद)

(x) *सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा में एईई (विद्युत एवं यांत्रिक) (यांत्रिक इंजीनियरी के पद)

श्रेणी III– विद्युत इंजीनियरी

समूह–क/ख सेवा/पद

(i) केन्द्रीय विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (विद्युत इंजीनियरी के पद)

(ii) भारतीय रक्षा इंजीनियारी सेवा

(iii) भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा (विद्युत इंजी. नियरी के पद)

(iv) केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा ग्रेड 'क' (विद्युत इंजीनियरी के पद)

(v) भारतीय नौसेना आयुध सेवा (विद्युत इंजीनियरी के पद)

(vi) रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा/एसएसओ–II (विद्युत)

(vii) भारतीय कौशल विकास सेवा

श्रेणी IV– इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूर संचार इंजीनियरी

समूह–क/ख सेवा/पद

(i) भारतीय रेडियो नियामक सेवा ग्रेड 'क'

(ii) भारतीय दूर संचार सेवा ग्रेड 'क'

(iii) भारतीय नौसेना आयुध सेवा (इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूर संचार इंजीनियरी के पद)

(iv) भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा (इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूर संचार के पद)

(v) कनिष्ठ टेलीकॉम अधिकारी ग्रेड 'ख'

(vi) रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा/एसएसओ–II (इलेक्ट्रॉनिकी एवं टेली)

(vii) केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी ग्रेड 'क' (इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूर संचार इंजीनियरी के पद)

(viii) भारतीय कौशल विकास सेवा

***सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा में एईई (सिविल) एवं एईई {(विद्युत एवं यांत्रिक) (यांत्रिक इंजीनियरी के पद)} के लिए ट्रांसजेन्डर की योग्यता का निर्णय सरकार द्वारा यथा समय लिया जाएगा।**

6. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2022

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में सहायक कमांडेंट (समूह 'क') की भर्ती हेतु

i) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)

ii) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)

iii) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)

iv) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)

v) सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)

7. सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2022

निम्नलिखित सेवा/पदों की भर्ती हेतु सम्मिलित परीक्षाः

श्रेणी–I

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप–संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड।

श्रेणी–II

i) रेलवे में सहायक मण्डल चिकित्सा अधिकारी।

ii) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी।

iii) पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम एवं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड–II

8. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा (I) एवं (II), 2022

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम (आईएनएसी) के सेना, नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों में प्रवेश हेतु।

9. सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I) एवं (II), 2022

निम्नलिखित में प्रवेश हेतुः

i) भारतीय सैन्य अकादमी

ii) भारतीय नौसेना अकादमी

iii) वायु सेना अकादमी

iv) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, एसएससी पुरुष (एनटी) (सं.लो.से.आ.) पाठ्यक्रम।

v) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, एसएससी महिला (एनटी) (सं.लो.से.आ.) पाठ्यक्रम।

10. सम्मिलित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख' ग्रेड–I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2018 हेतु।

श्रेणी–I: केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड के अनुभाग अधिकारी।

श्रेणी–II: भारतीय विदेश सेवा के सामान्य काडर के अनुभाग अधिकारी, शाखा 'ख'।

श्रेणी–III: रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड।

श्रेणी–IV: केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का निजी सचिव ग्रेड।

श्रेणी–V: भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के आशुलिपिक काडर का निजी सचिव ग्रेड।

श्रेणी–VI: सशस्त्र बल मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के आमेलित 'क' एवं 'ख' ग्रेड।

श्रेणी–VII: रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपि सेवा का ग्रेड 'ख'।

श्रेणी–VIII: आसूचना ब्यूरो के अनुभाग अधिकारी ग्रेड।

श्रेणी–IX: कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निजी सचिव ग्रेड।

श्रेणी–X: सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा में अनुभाग अधिकारी।

श्रेणी–XI: कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सहायक निदेशक/अनुभाग अधिकारी/प्रबंधक ग्रेड–I

परिशिष्ट—8

[अध्याय 3 देखें]

सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021 एवं 2022 में बैठे उम्मीदवारों की परीक्षा का माध्यम (भारतीय भाषाएं/अंग्रेजी) दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

परीक्षा का माध्यम → / विषय ↓	वर्ष	असमी	बंगाली	गुजराती	हिन्दी	कन्नड	कश्मीरी	मलयालम	मराठी	ओडिया	पंजाबी	संस्कृत	सिन्धी (देवनागरी)	सिन्धी (अरबी)	तमिल	तेलुगु	उर्दू	कोंकणी	मणिपुरी	नेपाली	बोड़ो	डोगरी	संथाली	मैथिली	अंग्रेजी	उम्मीदवारों की कुल संख्या
अनिवार्य पेपर																										
भारतीय भाषा	2022	31	96	198	8664	375	1	386	967	110	200	4	2	0	430	978	58	0	0	3	0	0	0	0	-	12503
	2021	26	64	111	6005	283	0	290	776	65	122	1	2	0	293	656	46	0	0	1	2	0	0	0	-	8743
निबंध	2022	0	1	38	491	6	0	2	37	0	1	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	12180	12766
	2021	0	0	20	470	3	0	4	30	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8388	8925
सामान्य अध्ययन—I	2022	0	1	38	489	6	0	2	38	0	1	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	12152	12737
	2021	0	0	20	470	2	0	4	30	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	1	0	0	8362	8899
सामान्य अध्ययन—II	2022	0	1	38	488	6	0	2	38	0	1	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	12131	12715
	2021	0	0	20	470	2	0	4	30	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	1	0	0	8348	8885
सामान्य अध्ययन—III	2022	0	1	38	487	6	0	2	38	0	1	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	12105	12688
	2021	0	0	20	469	2	0	4	30	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	1	0	0	8329	8865
सामान्य अध्ययन—IV	2022	0	1	38	488	6	0	2	38	0	1	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	12093	12677
	2021	0	0	20	468	2	0	4	30	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	1	0	0	8318	8853
वैकल्पिक विषय																										
कृषि—I	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111
कृषि—II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110
पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान—I	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान—II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
मानव विज्ञान—I	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1766	1767
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1133	1133

परीक्षा का माध्यम → / विषय ↓	वर्ष	असमी	बंगाली	गुजराती	हिन्दी	कन्नड	कश्मीरी	मलयालम	मराठी	ओडिया	पंजाबी	संस्कृत	सिन्धी (देवनागरी)	सिन्धी (अरबी)	तमिल	तेलुगु	उर्दू	कोंकणी	मणिपुरी	नेपाली	बोडो	डोगरी	संथाली	मैथिली	अंग्रेजी	उम्मीदवारों की कुल संख्या
मानव विज्ञान–II	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1762	1763
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1128	1128
वनस्पति विज्ञान–I	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28
वनस्पति विज्ञान–II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28
रसायन विज्ञान–I	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	168
	2021	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	123
रसायन विज्ञान–II	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	168
	2021	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	123
सिविल इंजीनियरी–I	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	155
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	135
सिविल इंजीनियरी–II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	154
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	134
वाणिज्य एवं लेखा–I	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	255
	2021	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	140
वाणिज्य एवं लेखा–II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	254
	2021	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	139
अर्थशास्त्र–I	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	269
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	188
अर्थशास्त्र–II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	187
विद्युत इंजीनियरी–I	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	116
वद्युत इंजीनियरी–II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	115
भूगोल–I	2022	0	0	1	57	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1187	1247
	2021	0	0	0	59	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1001	1061
भूगोल–II	2022	0	0	1	57	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1183	1243
	2021	0	0	0	58	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1001	1060
भू–विज्ञान–I	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29

विषय / परीक्षा का माध्यम	वर्ष	असमी	बंगाली	गुजराती	हिन्दी	कन्नड	कश्मीरी	मलयालम	मराठी	ओडिया	पंजाबी	संस्कृत	सिन्धी (देवनागरी)	सिन्धी (अरबी)	तमिल	तेलुगु	उर्दू	कोंकणी	मणिपुरी	नेपाली	बोडो	डोगरी	संथाली	मैथिली	अंग्रेजी	उम्मीदवारों की कुल संख्या
भू–विज्ञान–II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29
इतिहास–I	2022	0	1	3	102	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	627
	2021	0	0	1	106	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	564
इतिहास–II	2022	0	1	3	102	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513	626
	2021	0	0	1	106	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448	562
विधि–I	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	259
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	179
विधि–II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	259
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	177
प्रबंधन–I	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
प्रबंधन–II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
गणित–I	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827	827
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	501
गणित–II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823	823
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
यांत्रिक इंजीनियरी–I	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	182
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	159
यांत्रिक इंजीनियरी–II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	182
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	158
चिकित्सा विज्ञान–I	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	198
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	193
चिकित्सा विज्ञान–II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	198
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	192
दर्शनशास्त्र–I	2022	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354	377
	2021	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	262
दर्शनशास्त्र–II	2022	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352	375
	2021	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	261
भौतिक विज्ञान–I	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	178
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	123

परीक्षा का माध्यम → / विषय ↓	वर्ष	असमी	बंगाली	गुजराती	हिन्दी	कन्नड	कश्मीरी	मलयालम	मराठी	ओडिया	पंजाबी	संस्कृत	सिन्धी (देवनागरी)	सिन्धी (अरबी)	तमिल	तेलुगु	उर्दू	कोंकणी	मणिपुरी	नेपाली	बोडो	डोगरी	संथाली	मैथिली	अंग्रेजी	उम्मीदवारों की कुल संख्या
भौतिक विज्ञान–II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	178
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	123
राजनीति विज्ञान–I	2022	0	0	4	33	0	0	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2281	2338
	2021	0	0	3	49	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1486	1551
राजनीति विज्ञान–II	2022	0	0	4	33	0	0	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2279	2336
	2021	0	0	3	49	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1483	1548
मनोविज्ञान–I	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	193
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125
मनोविज्ञान–II	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	192
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125
लोक प्रशासन–I	2022	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	505	515
	2021	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	347	356
लोक प्रशासन–II	2022	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	504	514
	2021	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	347	356
समाजशास्त्र–I	2022	0	0	1	19	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1787	1813
	2021	0	0	1	13	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1052	1069
समाजशास्त्र–II	2022	0	0	1	19	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1787	1813
	2021	0	0	1	13	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050	1067
सांख्यिकी–I	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
सांख्यिकी–II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
प्राणी विज्ञान–I	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69
	2021	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	56
प्राणी विज्ञान–II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69
	2021	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	55

परिशिष्ट–9

[अध्याय 3 देखें]

सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा–2021: उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण

सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन दो क्रमिक चरणों में किया जाता है अर्थात् प्रारंभिक परीक्षा तथा प्रधान परीक्षा। सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पीय प्रश्न) के दो अनिवार्य प्रश्न–पत्र शामिल हैं। प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हक घोषित उम्मीदवारों द्वारा सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना उनका अंतिम योग्यता क्रम तैयार करने में नहीं की जाती है। प्रधान परीक्षा में नौ परंपरागत प्रकार के प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होता है।

1.1 सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021 के लिए आवेदन करने वाले कुल 10,93,984 उम्मीदवारों में से केवल 5,08,619 उम्मीदवार 10 अक्टूबर, 2021 को आयोजित परीक्षा में शामिल हुए। सिविल सेवा परीक्षा परिणाम के आधार पर 9,214 (1.8%) उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा में शामिल होने के लिए अर्हक घोषित किया गया। इन उम्मीदवारों का समुदाय–वार तथा लिंग–वार विवरण तालिका–1 में दिया गया है।

तालिका–1 : उन उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2021 के लिए आवेदन किया, परीक्षा में बैठे और अर्हता प्राप्त की।

समुदाय	उम्मीदवारों की संख्या											
	आवेदन करने वाले				परीक्षा में उपस्थित				अर्हता प्राप्त			
	पुरुष	महिला	ट्रांस	कुल	पुरुष	महिला	ट्रांस	कुल	पुरुष	महिला	ट्रांस	कुल
अनुसूचित जाति	175931	75950	7	251888	75995	32340	1	108336	1129	176	0	1305
अनुसूचित जनजाति	62237	28149	2	90388	26736	11456	1	38193	647	75	0	722
अन्य पिछड़ा वर्ग	190895	94876	4	285775	100017	44758	1	144776	2216	295	0	2511
आर्थिक रूप से कम. जोर वर्ग	33447	12283	0	45730	17342	5846	0	23188	805	96	0	901
अनारक्षित	251363	168834	6	420203	120581	73544	1	194126	3058	717	0	3775
कुल	**713873**	**380092**	**19**	**1093984**	**340671**	**167944**	**4**	**508619**	**7855**	**1359**	**0**	**9214**

ट्रांस: ट्रांसजेन्डर

1.2 **तालिका–1** से देखा जा सकता है कि सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021 के लिए आवेदन करने वाले 10,93,984 उम्मीदवारों में से केवल 5,08,619 या 46.5% प्रतिशत उम्मीदवारों ने ही इस परीक्षा में भाग लिया। दूसरे शब्दों में, आवेदन करने वाले 53.5% उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। इसके अलावा, परीक्षा में शामिल न होने वाले उम्मीदवारों में अ.ज.जा. श्रेणी के उम्मीदवारों की दर (57.7%) अधिकतम थी और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में यह दर सबसे कम (प्रत्येक 49.9%) थी।

2. सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021 के लिए आवेदन करने वाले 9,156 उम्मीदवारों में से 8,930 (97.5%) उम्मीदवार जनवरी, 2022 में आयोजित सिविल

सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021 में उपस्थित हुए। प्रधान परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर केवल 1,824 (20.4%) उम्मीदवारों ने साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त की और इनमें से 1819 उम्मीदवार साक्षात्कार में शामिल हुए और तत्पश्चात आयोग ने 749 रिक्तियों के लिए **748** उम्मीदवारों की सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए अनुशंसा की। सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021 में उपस्थित, साक्षात्कार तथा अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों की समुदाय–वार तथा लिंग–वार संख्या **तालिका–2** में दर्शाई गई हैं।

तालिका–2 : सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021 में उपस्थित, साक्षात्कार किए गए तथा अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या

समुदाय	परीक्षा में उपस्थित			साक्षात्कार देने वाले			अनुशंसित		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
अनुसूचित जाति	1083	167	1250	180	53	233	82	24	106
अनुसूचित जनजाति	606	75	681	105	24	129	45	15	60
अन्य पिछड़ा वर्ग	2146	287	2433	478	96	574	171	44	215
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	770	92	862	179	36	215	60	17	77
अनारक्षित	2995	709	3704	469	199	668	189	101	290
कुल	**7600**	**1330**	**8930**	**1411**	**408**	**1819**	**547**	**201**	**748**

अभ्युक्तियां: सिविल सेवा (प्रारंभिक) और सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा को अलग–अलग परीक्षा के रूप में माना जाएगा तथा सिविल सेवा (प्रधान) में समुदाय निरसन एवं किए गए अन्य परिवर्तन सिविल सेवा (प्रारंभिक) में अर्हता प्राप्त होने तक प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे।

3. वर्ष 2012 से 2021 तक के दौरान सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भरी गई रिक्तियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की संख्या दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण **तालिका–3** में दिया गया है।

तालिका–3: वर्ष–वार रिक्तियों की संख्या – सिविल सेवा परीक्षाएं

वर्ष	रिक्तियों की संख्या	वर्ष	रिक्तियों की संख्या
2012	1091	**2017**	1058#
2013	1228	**2018**	812
2014	1364@	**2019**	927*
2015	1164	**2020**	836$
2016	1209	**2021**	749^

@ परिणाम घोषित– 1363 पद.

 # परिणाम घोषित– 1056 पद.

** परिणाम घोषित– 922 पद.*

$ परिणाम घोषित – 836 पद (प्रधान परिणाम में तीन उम्मीदवारों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के रूप में अनुशंसित किया गया है। तत्पश्चात, उन्हे पूरक परिणाम/आरक्षित सूची में अनारक्षित श्रेणी के रूप में अनुशंसित किया गया है।)

^ परिणाम घोषित – 748 पद.

4. पिछली पाँच परीक्षाओं के दौरान उपस्थित, साक्षात्कार किए गए, अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या को **आरेख–1** में दर्शाया गया है:

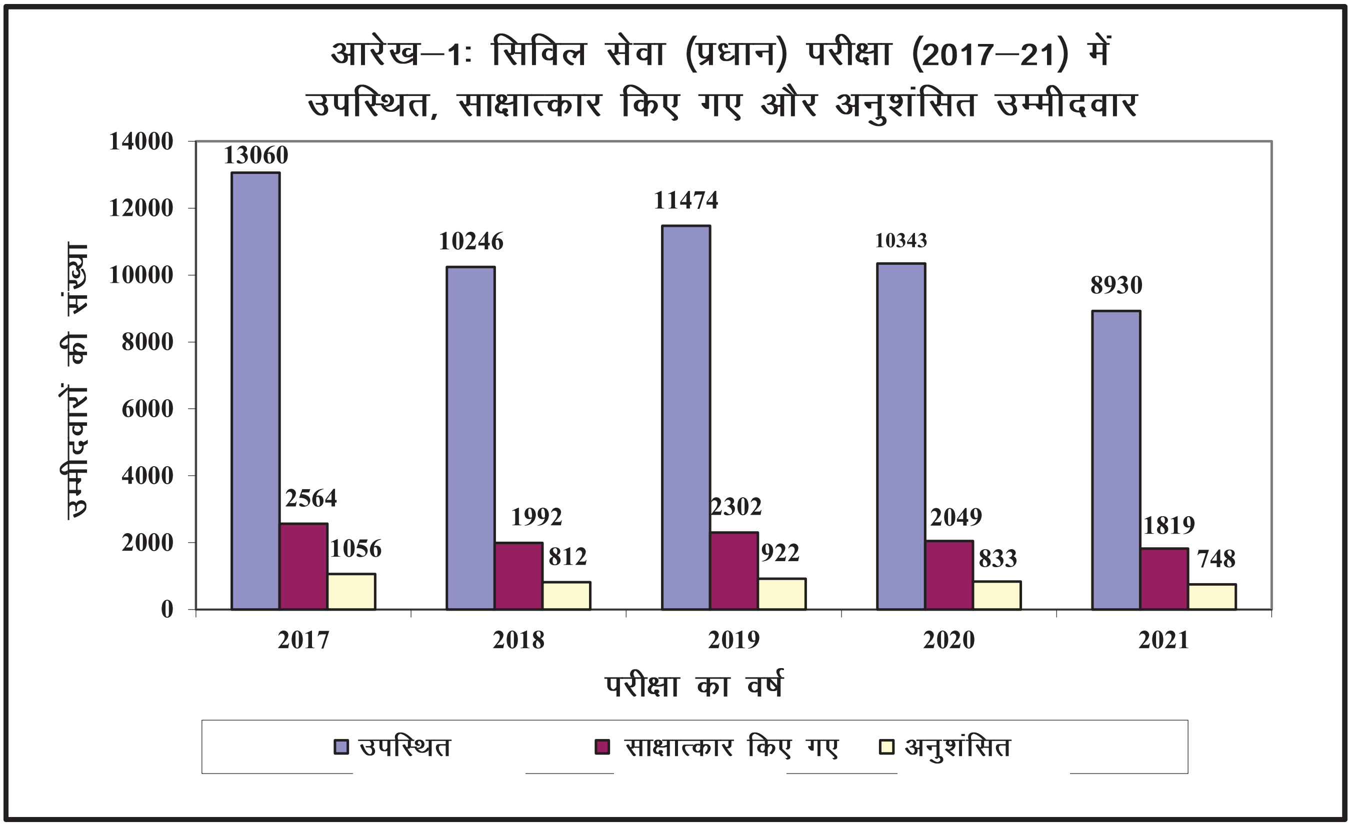

5. विषयों की मुख्य शाखा के साथ परीक्षा में उम्मीदवारों की सफलता दर **तालिका–4** में दी गई है:

तालिका–4: विषयों की मुख्य शाखा की तुलना में सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021 की सफलता दर सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021

शैक्षणिक योग्यता	उम्मीदवारों की संख्या		सफलता दर (प्रतिशत)
	साक्षात्कार किए गए	अनुशंसित	
I स्नातक डिग्रियां	**1402**	**585**	**41.7%**
(i) मानविकी	184	88	47.8%
(ii) विज्ञान	119	35	29.4%
(iii) चिकित्सा विज्ञान	101	41	40.6%
(iv) इंजीनियरी	998	421	42.2%
II उच्चतर डिग्रियां	**417**	**163**	**39.1%**
(i) मानविकी	241	100	41.5%
(ii) विज्ञान	71	29	40.8%
(iii) चिकित्सा विज्ञान	12	3	25.0%
(iv) इंजीनियरी	93	31	33.3%
कुल	**1819**	**748**	**41.1%**

टिप्पणी: सफलता दर साक्षात्कार में शामिल उम्मीदवारों के प्रतिशत के रूप में अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या है।

5.1 इस प्रकार, कुल मिलाकर, उच्चतर डिग्रीधारी उम्मीदवारों की सफलता दर की तुलना में स्नातक डिग्रीधारी उम्मीदवारों की सफलता दर कुछ अधिक थी।

5.2 तालिका–4 से देखा जा सकता है कि कुल 748 या 41.1% उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया और उनकी विभिन्न सेवाओं में अनुशंसा की गई। उनमें से 585 (78.2%) स्नातक थे और 163 (21.8%) स्नातकोत्तर या उच्चतर योग्यताधारक थे।

6. सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021 में उपस्थित और नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों का वैकल्पिक विषय–वार विभाजन और उनकी सफलता दर को **तालिका–5** में दर्शाया गया है:

तालिका–5: वैकल्पिक विषयों द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की तुलना में परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों का विवरण–सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021

क्रम. सं.	वैकल्पिक विषय	उम्मीदवारों की संख्या		सफलता दर (प्रतिशत)
		परीक्षा में उपस्थित	अनुशंसित	
1.	कृषि	115	12	10.4%
2.	पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान	18	1	5.6%
3.	मानव विज्ञान	1159	90	7.8%
4.	वनस्पति विज्ञान	32	3	9.4%
5.	रसायन विज्ञान	127	14	11.0%
6.	सिविल इंजीनियरी	135	10	7.4%
7.	वाणिज्य एवं लेखा	140	21	15.0%
8.	अर्थशास्त्र	190	25	13.2%
9.	विद्युत इंजीनियरी	117	7	6.0%
10.	भूगोल	1079	66	6.1%
11.	भू–विज्ञान	29	1	3.4%
12.	इतिहास	574	25	4.4%
13.	विधि	180	21	11.7%
14.	बंगाली भाषा का साहित्य	3	0	0.0%
15.	अंग्रेजी भाषा का साहित्य	27	3	11.1%
16.	गुजराती भाषा का साहित्य	32	2	6.3%
17.	हिन्दी भाषा का साहित्य	211	22	10.4%
18.	कन्नड भाषा का साहित्य	60	7	11.7%
19.	मैथिली भाषा का साहित्य	12	2	16.7%
20.	मलयालम भाषा का साहित्य	74	8	10.8%
21.	मणिपुरी भाषा का साहित्य	2	1	50.0%
22.	मराठी भाषा का साहित्य	8	1	12.5%
23.	पंजाबी भाषा का साहित्य	15	2	13.3%
24.	संस्कृत भाषा का साहित्य	34	2	5.9%
25.	सिन्धी (देवनागरी) भाषा का साहित्य	2	0	0.0%
26.	तमिल भाषा का साहित्य	27	2	7.4%
27.	तेलुगु भाषा का साहित्य	20	1	5.0%
28.	उर्दू भाषा का साहित्य	7	0	0.0%
29.	प्रबंधन	31	5	16.1%

क्रम. सं.	वैकल्पिक विषय	उम्मीदवारों की संख्या		सफलता दर (प्रतिशत)
		परीक्षा में उपस्थित	अनुशंसित	
30.	गणित	513	50	9.7%
31.	यांत्रिक इंजीनियरी	160	11	6.9%
32.	चिकित्सा विज्ञान	196	24	12.2%
33.	दर्शनशास्त्र	265	20	7.5%
34.	भौतिक विज्ञान	131	7	5.3%
35.	राजनीतिक विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध	1571	140	8.9%
36.	मनोविज्ञान	127	15	11.8%
37.	लोक प्रशासन	361	31	8.6%
38.	समाजशास्त्र	1087	92	8.5%
39.	सांख्यिकी	3	0	0.0%
40.	प्राणी विज्ञान	56	4	7.1%

6.1 **तालिका–5** से निम्नलिखित बातें स्पष्ट हैं:

(i) उम्मीदवारों द्वारा वैकल्पिक विषयों के रूप में चुने गए विषयों में राजनीति शास्त्र एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध सर्वाधिक पसंदीदा विषय था, उसके बाद मानव विज्ञान तथा समाजशास्त्र को वरीयता दी गई थी।

(ii) परीक्षा में 100 या उससे अधिक उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विषयों में से वाणिज्य एवं लेखाशास्त्र लेने वाले उम्मीदवारों का सफलता का प्रतिशत अधिकतम (15.0%) था, उसके बाद अर्थशास्त्र (13.2%) तथा चिकित्सा विज्ञान (12.2%) रहा।

(iii) जहां तक अनुशंसित उम्मीदवारों की शैक्षिक पृष्ठभूमि का संबंध है, 60.4% इंजीनियरी से और उसके पश्चात 25.1%, 8.6% तथा 5.9% क्रमशः मानविकी, विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान से थे। तथापि, अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा लिए गए वैकल्पिक विषयों में से 80.8% मानविकी विषयों (भाषा साहित्य सहित) से संबंधित थे, उसके पश्चात 12.2%, 3.7% और 3.3% क्रमशः विज्ञान, इंजीनियरी और चिकित्सा विज्ञान से संबंधित थे। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि अधिकांश उम्मीदवारों ने परीक्षा में अपने मूल विषयों (अर्थात् इंजीनियरी, तथा चिकित्सा विज्ञान) को छोड़कर मानविकी के विषयों को चुना।

6.2 पिछली तीन सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षाओं में अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा वैकल्पिक विषयों की व्यापक स्ट्रीम के आधार पर चुने गए वैकल्पिक विषयों का विवरण **आरेख–2** में दर्शाया गया है।

7. नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवरों का पृथक विशेषण यह दर्शाता है कि 106 उम्मीदवार या 14.2% अनुसूचित जाति 60 उम्मीदवार या 8.0%

आरेख–2: व्यापक स्ट्रीम के अनुसार अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषयों का विवरण–सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा (2019–21)

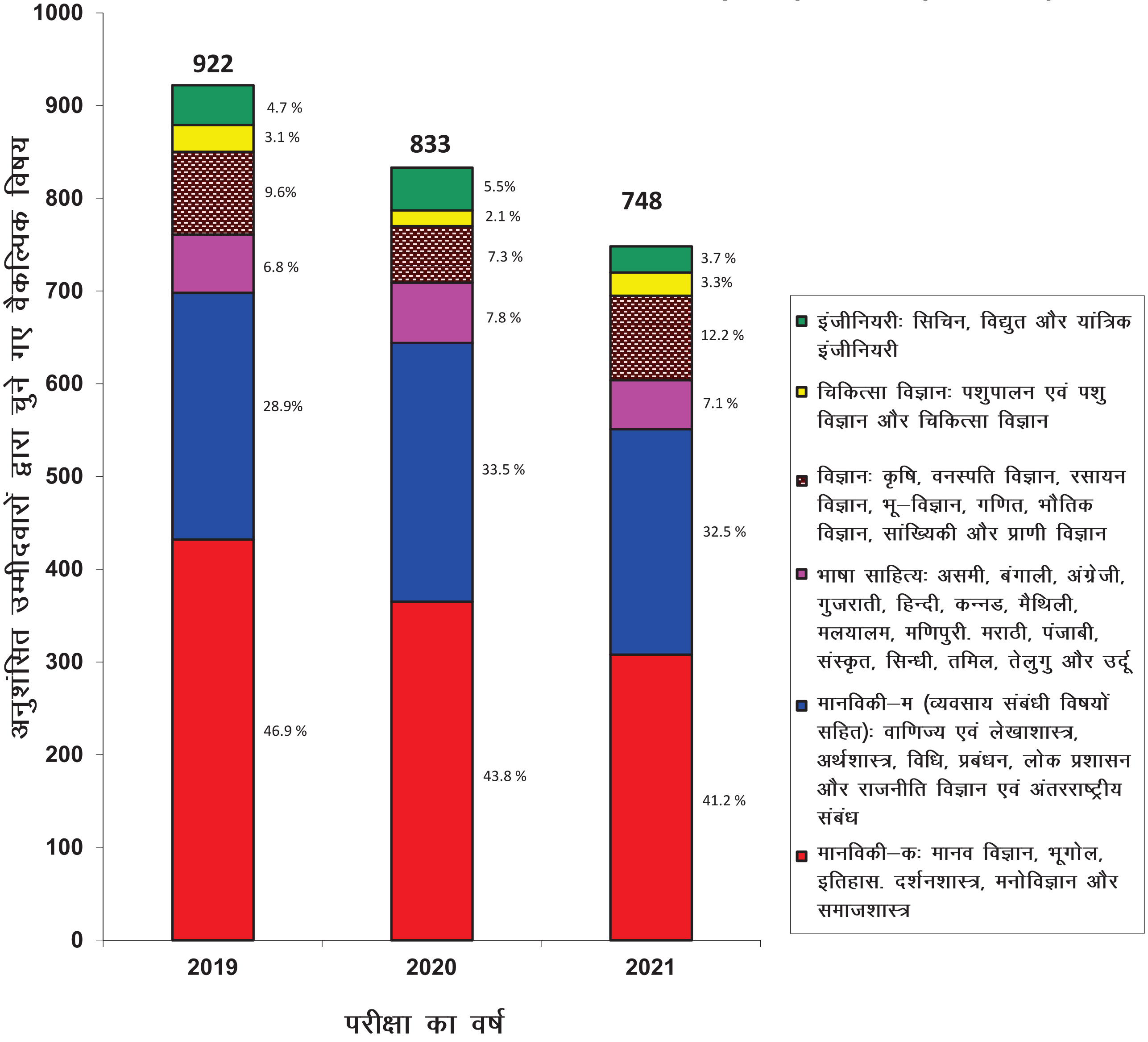

अनुसूचित जनजाति, 215 उम्मीदवार या 28.7% अन्य पिछड़ा वर्ग, 77 उम्मीदवार या 10.3% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 290 उम्मीदवार या 38.8% अनारक्षित वर्ग से संबंधित थे।

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा में बैठे और अंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय, आयु तथा लिंग–वार विवरण क्रमशः **तालिका 6–क, 6–ख,** एवं **6–ग में** दिया गया है।

तालिका–6–क : सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021 में उपस्थित उम्मीदवारों का समुदाय, आयु और लिंग–वार विवरण [1–08–2021 को की गई गणना के अनुसार आयु]

समुदाय	उपस्थित उम्मीदवार				आयु–समूह														
					वर्ष 21-24			वर्ष 24-26			वर्ष 26-28			वर्ष 28-30			वर्ष 30 वर्ष या उससे अधिक		
	पु.	म.	ट्रांस.	कु.	पु.	म.	ट्रांस.	पु.	म.	ट्रांस.	पु.	म.	ट्रांस.	पु.	म.	ट्रांस.	पु.	म.	ट्रांस.
अ. जा.	**75995**	**32340**	**1**	**108336**	**18499**	**9756**	**1**	**15824**	**7516**	**0**	**12981**	**5249**	**0**	**9836**	**3662**	**0**	**18855**	**6157**	**0**
	70.1%	29.9%	0.0%	100%	24.3%	30.2%	100.0%	20.8%	23.3%	0.0%	17.1%	16.2%	0.0%	13.0%	11.3%	0.0%	24.8%	19.0%	0.0%
अ. ज.जा.	**26736**	**11456**	**1**	**38193**	**6258**	**3040**	**0**	**5902**	**2704**	**0**	**5019**	**2250**	**1**	**3685**	**1434**	**0**	**5872**	**2028**	**0**
	70.0%	30.0%	0.0%	100%	23.4%	26.5%	0.0%	22.1%	23.6%	0.0%	18.8%	19.7%	100.0%	13.8%	12.5%	0.0%	21.9%	17.7%	0.0%
अ. पि.व.	**100017**	**44758**	**1**	**144776**	**26167**	**15903**	**0**	**22755**	**10601**	**0**	**17905**	**6870**	**0**	**12614**	**4349**	**0**	**20576**	**7035**	**1**
	69.1%	30.9%	0.0%	100%	26.2%	35.5%	0.0%	22.7%	23.7%	0.0%	17.9%	15.4%	0.0%	12.6%	9.7%	0.0%	20.6%	15.7%	100.0%
ईडब्ल्यूएस	**17342**	**5846**	**0**	**23188**	**4385**	**2127**	**0**	**3858**	**1428**	**0**	**3609**	**1037**	**0**	**3028**	**702**	**0**	**2462**	**552**	**0**
	74.8%	25.2%	0.0%	100%	25.3%	36.4%	0.0%	22.2%	24.4%	0.0%	20.8%	17.7%	0.0%	17.5%	12.0%	0.0%	14.2%	9.5%	0.0%
अनारक्षित	**120581**	**73544**	**1**	**194126**	**29225**	**23673**	**0**	**28326**	**18103**	**1**	**25220**	**13494**	**0**	**20336**	**10017**	**0**	**17474**	**8257**	**0**
	62.1%	37.9%	0.0%	100%	24.2%	32.2%	0.0%	23.5%	24.6%	100.0%	20.9%	18.4%	0.0%	16.9%	13.6%	0.0%	14.5%	11.2%	0.0%
कुल	**340671**	**167944**	**4**	**508619**	**84534**	**54499**	**1**	**76665**	**40352**	**1**	**64734**	**28900**	**1**	**49499**	**20164**	**0**	**65239**	**24029**	**1**
	67.0%	33.0%	0.0%	100%	24.8%	32.5%	25.0%	22.5%	24.0%	25.0%	19.0%	17.2%	25.0%	14.5%	12.0%	0.0%	19.2%	14.3%	25.0%

पु. ⤏ पुरुष; म. ⤏ महिला; ट्रांस ⤏ट्रांसजेन्डर; कु ⤏ कुल

तालिका 6–ख: सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021 में उपस्थित उम्मीदवारों का समुदाय, आयु और लिंग–वार विवरण [01–08–2021 को की गई गणना के अनुसार आयु,

समुदाय	उपस्थित उम्मीदवार			आयु–समूह									
				वर्ष 21-24		वर्ष 24-26		वर्ष 26-28		वर्ष 28-30		वर्ष 30 वर्ष या उससे अधिक	
	पु.	म.	कु.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
अ. जा.	**1083**	**167**	**1250**	**125**	**27**	**217**	**49**	**247**	**36**	**202**	**25**	**292**	**30**
	86.6%	13.4%	100%	11.5%	16.2%	20.0%	29.3%	22.8%	21.5%	18.7%	15.0%	27.0%	18.0%
अ. ज.जा.	**606**	**75**	**681**	**83**	**16**	**124**	**16**	**138**	**17**	**119**	**16**	**142**	**10**
	89.0%	11.0%	100%	13.7%	21.3%	20.5%	21.3%	22.8%	22.7%	19.6%	21.3%	23.4%	13.4%
अ. पि.व.	**2146**	**287**	**2433**	**253**	**48**	**514**	**71**	**529**	**67**	**394**	**44**	**456**	**57**
	88.2%	11.8%	100%	11.8%	16.7%	24.0%	24.7%	24.6%	23.4%	18.4%	15.3%	21.2%	19.9%
ईडब्ल्यूएस	**770**	**92**	**862**	**145**	**20**	**203**	**34**	**200**	**12**	**132**	**13**	**90**	**13**
	89.3%	10.7%	100%	18.8%	21.7%	26.4%	37.0%	26.0%	13.1%	17.1%	14.1%	11.7%	14.1%
अनारक्षित	**2995**	**709**	**3704**	**473**	**120**	**838**	**233**	**743**	**190**	**504**	**93**	**437**	**73**
	80.9%	19.1%	100%	15.8%	16.9%	28.0%	32.9%	24.8%	26.8%	16.8%	13.1%	14.6%	10.3%
कुल	**7600**	**1330**	**8930**	**1079**	**231**	**1896**	**403**	**1857**	**322**	**1351**	**191**	**1417**	**183**
	85.1%	14.9%	100%	14.2%	17.4%	25.0%	30.3%	24.4%	24.2%	17.8%	14.4%	18.6%	13.7%

तालिका–6–ग: सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021 में अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय, आयु और लिंग–वार विवरण [01–08–2021 को की गई गणना के अनुसार आयु]

समुदाय	उपस्थित उम्मीदवार			आयु–समूह									
				वर्ष 21-24		वर्ष 24-26		वर्ष 26-28		वर्ष 28-30		वर्ष 30 वर्ष या उससे अधिक	
	पु.	म.	कु.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
अ. जा.	**82**	**24**	**106**	**11**	**4**	**17**	**9**	**19**	**5**	**16**	**3**	**19**	**3**
	77.4%	22.6%	100%	13.4%	16.7%	20.7%	37.5%	23.2%	20.8%	19.5%	12.5%	23.2%	12.5%
अ. ज.जा.	**45**	**15**	**60**	**10**	**7**	**12**	**3**	**10**	**2**	**3**	**2**	**10**	**1**
	75.0%	25.0%	100%	22.2%	46.7%	26.7%	20.0%	22.2%	13.3%	6.7%	13.3%	22.2%	6.7%
अ. पि.व.	**171**	**44**	**215**	**18**	**8**	**49**	**15**	**46**	**6**	**31**	**6**	**27**	**9**
	79.5%	20.5%	100%	10.5%	18.2%	28.7%	34.1%	26.9%	13.6%	18.1%	13.6%	15.8%	20.5%
ईडब्ल्यूएस	**60**	**17**	**77**	**7**	**4**	**19**	**5**	**18**	**2**	**6**	**5**	**10**	**1**
	77.9%	22.1%	100%	11.6%	23.5%	31.7%	29.4%	30.0%	11.8%	10.0%	29.4%	16.7%	5.9%
अनारक्षित	**189**	**101**	**290**	**32**	**20**	**64**	**35**	**47**	**24**	**32**	**11**	**14**	**11**
	65.2%	34.8%	100%	16.9%	19.8%	33.9%	34.6%	24.9%	23.8%	16.9%	10.9%	7.4%	10.9%
कुल	**547**	**201**	**748**	**78**	**43**	**161**	**67**	**140**	**39**	**88**	**27**	**80**	**25**
	73.1%	26.9%	100%	14.3%	21.4%	29.4%	33.3%	25.6%	19.4%	16.1%	13.4%	14.6%	12.5%

पु. → पुरुष; *म. → महिला;* *कु. → कुल*

8. **आरेख–3,** सिविल सेवा परीक्षा, 2021 में बैठे **पुरुष उम्मीदवारों** के रुझान को दर्शाता है। यह देखा जा सकता है कि सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021 में बैठे पुरुष उम्मीदवारों में अधिकतम प्रतिशतता (24.8%) 21–24 वर्ष के आयु वर्ग के उम्मीदवारों की थी लेकिन सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021 में बैठे अधिकतम 25.0% पुरुष उम्मीदवार 24–26 वर्ष के आयु वर्ग के थे। तथापि, अनुशंसित उम्मीदवारों में अधिकतम प्रतिशतता (29.4%) 24–26 वर्ष के आयु–वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की थी।

आरेख 3: सिविल सेवा परीक्षा, 2021 में पुरुष उम्मीदवारों का आयु–वार संक्षिप्त विवरण

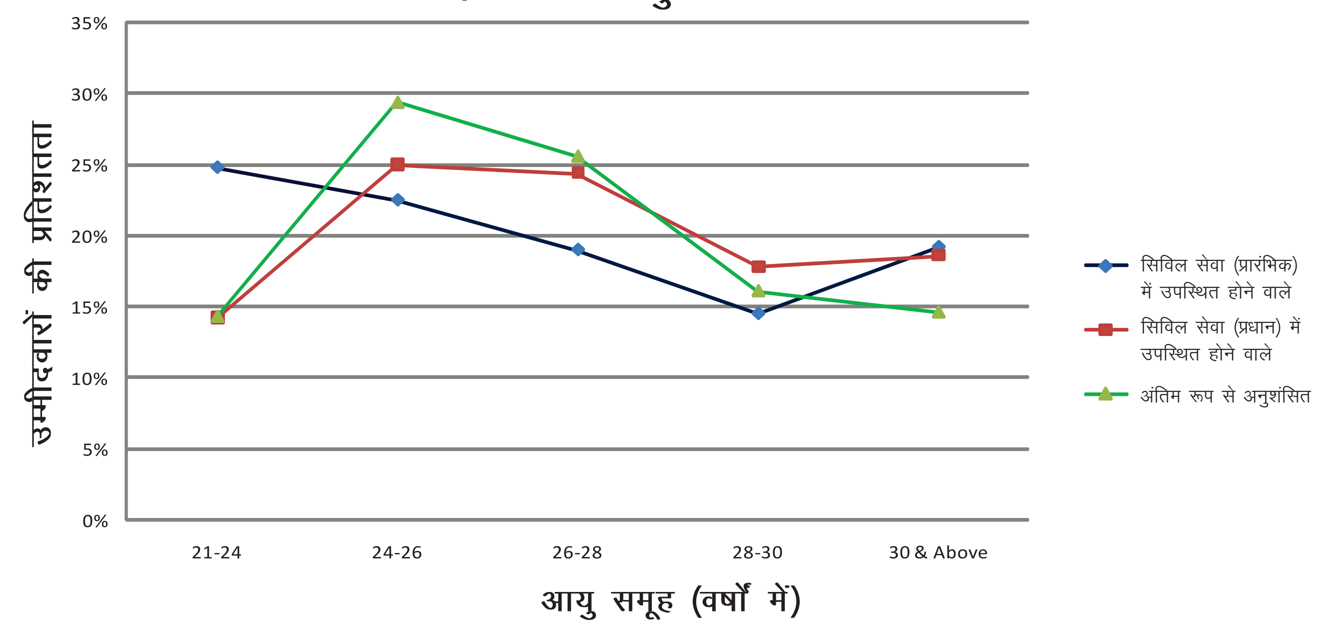

9. **आरेख–4,** सिविल सेवा परीक्षा, 2021 में शामिल हुई **महिला उम्मीदवारों** के रुझान को दर्शाता है। यह देखा जा सकता है कि सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021 में बैठने वाली महिला उम्मीदवारों में से अधिकतम प्रतिशतता (32.5%) 21–24 वर्ष के आयु–वर्ग के उम्मीदवारों की थी। लेकिन सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021 में बैठने वाली अधिकतम 30.3% महिला उम्मीदवार 24–26 वर्ष के आयु वर्ग की महिला उम्मीदवारों की थी। और अनुशंसा के चरण में अनुशंसित महिला उम्मीदवारों में अधिकतम प्रतिशतता (33.3%) 24–26 वर्ष के आयु वर्ग की महिला उम्मीदवारों की थी।

आरेखः 4 सिविल सेवा परीक्षा, 2021 महिला उम्मीदवारों का आयु–वार संक्षिप्त विवरण

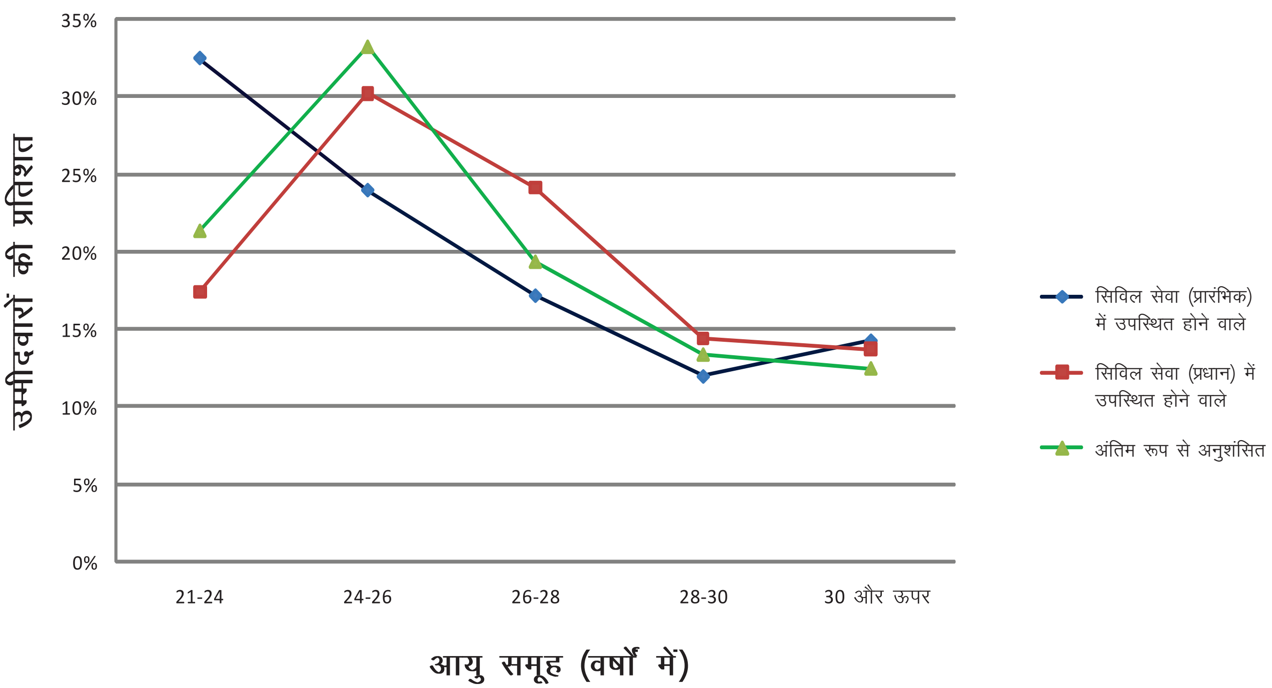

9.1 तालिका 6–ग से देखा जा सकता है कि अनुशंसित उम्मीदवारों में अधिकतम प्रतिशतता 24–26 वर्ष के आयु वर्ग के (30.5%) उम्मीदवारों की थी, उसके बाद 26–28 वर्ष (23.9%), 21–24 वर्ष के आयु वर्ग के (16.2%), 28–30 वर्ष के आयु वर्ग के (15.4%) और 30 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के (14.0%) उम्मीदवारों की थी।

10. सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021 में सम्मिलित 1,330 महिला उम्मीदवारों में से कुल 201 की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई और इस प्रकार इनकी सफलता दर 15.1% रही। इसके विपरीत 7600 पुरुष उम्मीदवारों में से 547 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई, जिनकी सफलता दर 7.2% रही। इस प्रकार, महिला उम्मीदवारों की सफलता दर पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में अपेक्षाकृत काफी अधिक रही।

11. उम्मीदवारों की समुदाय और लिंग–वार सफलता दर **तालिका–7** में दी गई है।

तालिका—7 : उम्मीदवारों की समुदाय और लिंग—वार सफलता दर—सिविल सेवा (प्रधान), 2021

समुदाय	उपस्थित उम्मीदवार			अनुशंसित उम्मीदवार			सफलता दर (प्रतिशत)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
अ.जा.	1083	167	1250	82	24	106	7.6%	14.4%	8.5%
अ.ज.जा.	606	75	681	45	15	60	7.4%	20.0%	8.8%
अ.पि.व.	2146	287	2433	171	44	215	8.0%	15.3%	8.8%
ईडब्ल्यूएस	770	92	862	60	17	77	7.8%	18.5%	8.9%
अनारक्षित	2995	709	3704	189	101	290	6.3%	14.2%	7.8%
कुल	**7600**	**1330**	**8930**	**547**	**201**	**748**	**7.2%**	**15.1%**	**8.4%**

11.1 तालिका—7 से यह स्पष्ट है कि विभिन्न समुदायों अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, और अनारक्षित श्रेणी से संबंधित महिला उम्मीदवारों का प्रदर्शन उस समुदाय के पुरुष उम्मीदवारों से काफी बेहतर रहा।

12. सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021 के लिए बैंचमार्क दिव्यांगता वाले कुल 14,410 व्यक्तियों ने आवेदन किया उनमें से कुल 6,378 उम्मीदवार सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में उपस्थित हुए और उनमें से 168 उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त की। लेकिन केवल 158 बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा में बैठे और 25 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई। उनमें से अनुसूचित जाति का एक, अन्य पिछड़ा वर्ग के तीन और 21 अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार थे। इनमें नियुक्ति के लिए पाँच महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इसके अलावा, तीन ऐसे उम्मीदवार थे, जिन्होंने अपने पहले प्रयास में ही परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली। इसके अलावा, बैंचमार्क दिव्यांगता वाले इन 25 उम्मीदवारों में से चार उम्मीदवार 21—24 आयु—समूह के थे।

12.1 यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि इस परिशिष्ट में दी गई सभी तालिकाओं तथा आरेखों में शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को उनसे संबंधित समुदायों अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अनारक्षित उम्मीदवारों में दर्शाया गया है।

13. सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा में सम्मिलित और अंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा के लिए किए गए प्रयासों की संख्या का समुदाय—वार और लिंग—वार विवरण **तालिका 8—क, 8—ख, और 8—ग** में दिए गए है तथा **आरेख—5** में भी दर्शाया गया है।

तालिका 8–क : परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या: समुदाय और लिंग–वार – सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021

समुदाय	लिंग	उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या								कुल
		1	2	3	4	5	6	7	8 और उससे अधिक	
अ.जा.	पुरुष	**32506**	**15365**	**10161**	**6396**	**3911**	**2651**	**1728**	**3277**	**75995**
		42.8%	20.2%	13.4%	8.4%	5.1%	3.5%	2.3%	4.3%	**100%**
	महिला	**16456**	**6947**	**3899**	**2187**	**1220**	**662**	**395**	**574**	**32340**
		50.9%	21.5%	12.0%	6.8%	3.8%	2.0%	1.2%	1.8%	**100%**
	ट्रांसजेन्डर	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	**100.0%**
अ.ज.जा.	पुरुष	**11429**	**5449**	**3474**	**2336**	**1410**	**884**	**605**	**1149**	**26736**
		42.7%	20.4%	13.0%	8.7%	5.3%	3.3%	2.3%	4.3%	**100%**
	महिला	**5805**	**2409**	**1477**	**793**	**416**	**250**	**147**	**159**	**11456**
		50.7%	21.0%	12.9%	6.9%	3.6%	2.2%	1.3%	1.4%	**100%**
	ट्रांसजेन्डर	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	**100.0%**
अ.पि.व.	पुरुष	**42555**	**22337**	**14225**	**8502**	**5211**	**3153**	**2051**	**1983**	**100017**
		42.5%	22.3%	14.2%	8.5%	5.2%	3.2%	2.1%	2.0%	**100%**
	महिला	**23198**	**10183**	**5558**	**2860**	**1448**	**753**	**430**	**328**	**44758**
		51.8%	22.8%	12.4%	6.4%	3.2%	1.7%	1.0%	0.7%	**100%**
	ट्रांसजेन्डर	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
		0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	**100.0%**
ई डब्ल्यूएस	पुरुष	**7324**	**4239**	**2716**	**1663**	**924**	**468**	**5**	**3**	**17342**
		42.2%	24.5%	15.7%	9.6%	5.3%	2.7%	0.0%	0.0%	**100%**
	महिला	**2847**	**1494**	**861**	**408**	**162**	**73**	**0**	**1**	**5846**
		48.7%	25.6%	14.7%	7.0%	2.8%	1.2%	0.0%	0.0%	**100%**
	ट्रांसजेन्डर	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	**0.0%**
अनारक्षित	पुरुष	**59614**	**28254**	**16228**	**8979**	**4839**	**2567**	**50**	**50**	**120581**
		49.4%	23.4%	13.5%	7.4%	4.0%	2.1%	0.1%	0.1%	**100%**
	महिला	**40753**	**16889**	**9012**	**4200**	**1879**	**795**	**11**	**5**	**73544**
		55.4%	23.0%	12.2%	5.7%	2.6%	1.1%	0.0%	0.0%	**100%**
	ट्रांसजेन्डर	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	**100.0%**
कुल	पुरुष	**153428**	**75644**	**46804**	**27876**	**16295**	**9723**	**4439**	**6462**	**340671**
		45.0%	22.2%	13.7%	8.2%	4.8%	2.9%	1.3%	1.9%	**100%**
	महिला	**89059**	**37922**	**20807**	**10448**	**5125**	**2533**	**983**	**1067**	**167944**
		53.0%	22.6%	12.4%	6.2%	3.1%	1.5%	0.6%	0.6%	**100%**
	ट्रांसजेन्डर	**3**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**
		75.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	**100.0%**
	कुल	**242490**	**113566**	**67612**	**38324**	**21420**	**12256**	**5422**	**7529**	**508619**
		47.7%	**22.3%**	**13.3%**	**7.5%**	**4.2%**	**2.4%**	**1.1%**	**1.5%**	**100%**

टिप्पणी–1: *अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए केवल छः अवसर दिए जाते हैं। तथापि पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए तीन अतिरिक्त अवसर दिए जाते हैं।*

तालिका 8–ख: उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या: समुदाय और लिंग–वार – सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021

समुदाय	लिंग	उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या								कुल
		1	2	3	4	5	6	7	8 और उससे अधिक	
अ.जा.	पुरुष	**51**	**122**	**165**	**177**	**147**	**105**	**85**	**231**	**1083**
		4.7%	11.3%	15.2%	16.3%	13.6%	9.7%	7.9%	21.3%	**100%**
	महिला	**15**	**27**	**36**	**21**	**20**	**15**	**14**	**19**	**167**
		9.0%	16.1%	21.5%	12.6%	12.0%	9.0%	8.4%	11.4%	**100%**
अ.ज.जा.	पुरुष	**31**	**64**	**84**	**94**	**75**	**66**	**63**	**129**	**606**
		5.1%	10.5%	13.9%	15.5%	12.4%	10.9%	10.4%	21.3%	**100%**
	महिला	**4**	**11**	**12**	**10**	**13**	**5**	**9**	**11**	**75**
		5.3%	14.7%	16.0%	13.3%	17.3%	6.7%	12.0%	14.7%	**100%**
अ.पि.व.	पुरुष	**116**	**303**	**375**	**398**	**339**	**221**	**201**	**193**	**2146**
		5.4%	14.1%	17.5%	18.5%	15.8%	10.3%	9.4%	9.0%	**100%**
	महिला	**16**	**43**	**77**	**56**	**41**	**21**	**17**	**16**	**287**
		5.6%	15.0%	26.8%	19.5%	14.3%	7.3%	5.9%	5.6%	**100%**
ईडब्ल्यूएस	पुरुष	**67**	**135**	**198**	**185**	**118**	**67**	**0**	**0**	**770**
		8.7%	17.6%	25.7%	24.0%	15.3%	8.7%	0.0%	0.0%	**100%**
	महिला	**13**	**12**	**29**	**18**	**12**	**8**	**0**	**0**	**92**
		14.1%	13.0%	31.6%	19.6%	13.0%	8.7%	0.0%	0.0%	**100%**
अनारक्षित	पुरुष	**274**	**639**	**691**	**642**	**419**	**315**	**9**	**6**	**2995**
		9.2%	21.3%	23.1%	21.4%	14.0%	10.5%	0.3%	0.2%	**100%**
	महिला	**50**	**163**	**175**	**162**	**91**	**67**	**1**	**0**	**709**
		7.1%	23.0%	24.7%	22.8%	12.8%	9.5%	0.1%	0.0%	**100%**
कुल	पुरुष	**539**	**1263**	**1513**	**1496**	**1098**	**774**	**358**	**559**	**7600**
		7.1%	16.6%	19.9%	19.7%	14.4%	10.2%	4.7%	7.4%	**100%**
	महिला	**98**	**256**	**329**	**267**	**177**	**116**	**41**	**46**	**1330**
		7.4%	19.2%	24.7%	20.1%	13.3%	8.7%	3.1%	3.5%	**100%**
	कुल	**637**	**1519**	**1842**	**1763**	**1275**	**890**	**399**	**605**	**8930**
		7.1%	17.0%	20.6%	19.7%	14.3%	10.0%	4.5%	6.8%	**100%**

टिप्पणी–1: *अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को केवल छः अवसर दिए जाते हैं। तथापि पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को अतिरिक्त तीन अवसर दिए जाते हैं।*

तालिका 8– ग: अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या: समुदाय और लिंग–वार – सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021

समुदाय	लिंग	उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या								कुल
		1	2	3	4	5	6	7	8 और उससे अधिक	
अ.जा.	पुरुष	6	7	12	13	10	14	8	12	82
		7.3%	8.5%	14.6%	15.9%	12.2%	17.1%	9.8%	14.6%	100%
	महिला	5	2	6	3	6	1	0	1	24
		20.8%	8.3%	25.0%	12.5%	25.0%	4.2%	0.0%	4.2%	100%
अ.ज.जा.	पुरुष	6	4	6	7	4	7	3	8	45
		13.3%	8.9%	13.3%	15.6%	8.9%	15.6%	6.6%	17.8%	100%
	महिला	2	4	3	1	2	0	2	1	15
		13.3%	26.7%	20.0%	6.7%	13.3%	0.0%	13.3%	6.7%	100%
अ.पि.व.	पुरुष	6	15	34	43	25	15	16	17	171
		3.5%	8.8%	19.9%	25.1%	14.6%	8.8%	9.4%	9.9%	100%
	महिला	3	9	12	7	8	3	2	0	44
		6.8%	20.5%	27.3%	15.9%	18.2%	6.8%	4.5%	0.0%	100%
ईडब्ल्यूएस	पुरुष	1	7	16	17	10	9	0	0	60
		1.6%	11.7%	26.7%	28.3%	16.7%	15.0%	0.0%	0.0%	100%
	महिला	3	4	4	2	3	1	0	0	17
		17.6%	23.5%	23.5%	11.8%	17.7%	5.9%	0.0%	0.0%	100%
अनारक्षित	पुरुष	18	35	43	53	19	19	1	1	189
		9.5%	18.5%	22.8%	28.0%	10.1%	10.1%	0.5%	0.5%	100%
	महिला	7	19	32	20	9	13	1	0	101
		6.9%	18.8%	31.7%	19.8%	8.9%	12.9%	1.0%	0.0%	100%
कुल	पुरुष	37	68	111	133	68	64	28	38	547
		6.8%	12.4%	20.3%	24.3%	12.4%	11.7%	5.1%	7.0%	100%
	महिला	20	38	57	33	28	18	5	2	201
		9.9%	18.9%	28.4%	16.4%	13.9%	9.0%	2.5%	1.0%	100%
	कुल	57	106	168	166	96	82	33	40	748
		7.6%	14.2%	22.5%	22.2%	12.8%	11.0%	4.4%	5.3%	100%

टिप्पणी–1: अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को केवल छः अवसर दिए जाते हैं। तथापि पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त तीन अवसर दिए जाते हैं।

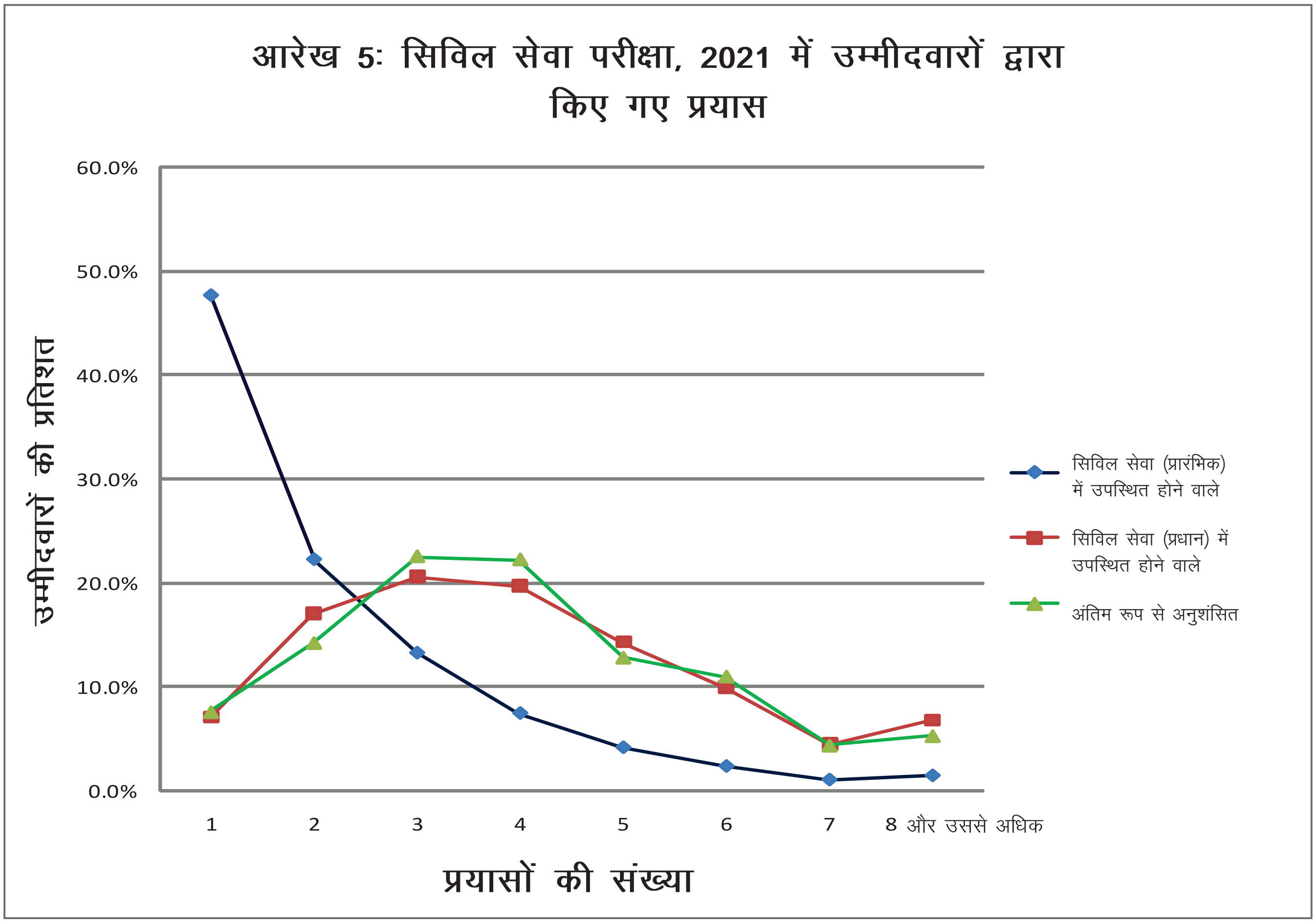

13.1 तालिका 8—क और 8—ग से यह स्पष्ट होता है कि 47.7% उम्मीदवारों का सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021 में प्रथम प्रयास था, अंतिम रूप से अर्हक उम्मीदवारों का केवल 7.6% ही अपने प्रथम प्रयास में परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर सके। इसके अलावा द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ प्रयास में अनुशंसित उम्मीदवारों का प्रतिशत क्रमशः 14.2%, 22.5%, और 22.2% था।

परिशिष्ट–10

[अध्याय 3 देखें]

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022: उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण

इंजीनियरी सेवा परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाती है। इंजीनियरी सेवा परीक्षा की योजना निम्नानुसार है:–

(i) **चरण–I:** चरण–II इंजीनियरी सेवा (प्रधान/चरण–II) परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन करने के लिए इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक/चरण–I) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न)

(ii) **चरण–II:** इंजीनियरी सेवा (प्रधान/चरण–II) परीक्षा (परंपरागत प्रकार के प्रश्न पत्र) और

(iii) **चरण–III:** व्यक्तित्व परीक्षण

2. इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक/चरण–I) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो प्रश्न पत्र (बहुविकल्पीय उत्तर वाले) और अधिकतम 500 अंक (प्रश्न पत्र–I–200 अंक और प्रश्न पत्र–II–300 अंक) होते हैं। संबंधित वर्ष की प्रारंभिक/चरण–I परीक्षा में आयोग द्वारा अर्हक घोषित उम्मीदवार ही उस वर्ष की प्रधान/चरण–II परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। प्रधान/चरण–II परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हक घोषित उम्मीदवारों के प्रारंभिक/चरण–I परीक्षा में प्राप्त अंकों को उनका अंतिम योग्यता क्रम निर्धारित करने के लिए गिना जाएगा।

2.1 इंजीनियरी सेवा (प्रधान/चरण–II) परीक्षा में इंजीनियरी विषय में परंपरागत प्रकार के दो प्रश्न पत्र होते हैं, जिसके अधिकतम अंक 600 (प्रत्येक प्रश्न पत्र के 300 अंक) हैं। चरण–III में व्यक्तित्व परीक्षण होता है जिसके लिए 200 अंक होते हैं। चरण–I (प्रारंभिक/चरण–I) परीक्षा, चरण–II (प्रधान/चरण–II) परीक्षा और चरण–III (व्यक्तित्व परीक्षण) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक उनकी अंतिम रैंकिंग निर्धारित करते हैं।

3. इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022 के माध्यम से इंजीनियरी के चार विषयों के पद भरे जाने के लिए सरकार द्वारा सूचित रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विषय	रिक्तियों की संख्या
(i)	सिविल इंजीनियरी	127
(ii)	यांत्रिक इंजीनियरी	39
(iii)	विद्युत इंजीनियरी	25
(iv)	इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूर संचार इंजीनियरी	55
कुल		**246**

4. 20 फरवरी, 2022 को आयोजित इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2022 के लिए 1,41,058 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, उनमें से केवल 48,453 (34.3%) उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर, 1,665 (3.4%) उम्मीदवार इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2022 के लिए अर्हक घोषित किए गए और दिनांक 26 जून, 2022 को आयोजित इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2022 में 1,371 उम्मीदवार उपस्थित हुए। इसके अतिरिक्त, प्रधान परीक्षा के परिणाम के आधार पर, 632 उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हक हुए। उनमें से, केवल 615* उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल हुए और प्रारंभ में विभिन्न इंजीनियरी सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु 213 उम्मीदवार अनुशंसित किए गए। शेष 33 रिक्तियों के परिणाम की घोषणा आज तक नहीं की गई है। आवेदन करने वाले तथा लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों का समुदाय और लिंग–वार विवरण **तालिका–1** में दिया गया है।

*एक उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित हुआ लेकिन बाद में आयोग ने उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी। इसलिए इस अध्ययन में व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों का आंकड़ा 614 लिया गया है।

तालिका–1: इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2022 – आवेदन करने वाले और परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या

समुदाय	उम्मीदवारों की संख्या						
	आवेदन करने वाले			परीक्षा में उपस्थित			परीक्षा छोड़ने वालों की दर (%)
	पुरुष	महिला*	कुल	पुरुष	महिला	कुल	
अनुसूचित जाति	25,281	5,949	31,230	6,885	1,614	8,499	72.8
अनुसूचित जनजाति	8,864	2,389	11,253	2,691	700	3,391	69.9
अन्य पिछड़ा वर्ग	31,087	9,245	40,332	13,116	2,816	15,932	60.5
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	6,939	1,388	8,327	2,847	372	3,219	61.3
अनारक्षित	37,501	12,415	49,916	14,150	3,262	17,412	65.1
कुल	**1,09,672**	**31,386**	**1,41,058**	**39,689**	**8,764**	**48,453**	**65.7**

** आंकड़ों में तीन ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी शामिल हैं।*

4.1 तालिका–1 से यह पता चलता है कि इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2022 के लिए आवेदन करने वाले कुल 1,41,058 उम्मीदवारों में से केवल 48,453 या 34.3% उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए। दूसरे शब्दों में, 65.7% उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। इसके अतिरिक्त, परीक्षा छोड़ने वाले अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की दर अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अनारक्षित श्रेणी की तुलना में अधिकतम थी।

4.2 इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022 में आवेदन करने वाले, परीक्षा में बैठने वाले, लिखित परीक्षा (प्रारंभिक एवं प्रधान परीक्षा) में अर्हक, व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले और अनुशंसित उम्मीदवारों की समुदाय–वार संख्या **तालिका–2** में दी गई है।

तालिका–2: इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022 – समुदाय–वार उम्मीदवारों की संख्या

समुदाय	उम्मीदवारों की संख्या						
	प्रारंभिक परीक्षा			प्रधान परीक्षा		व्यक्तित्व परीक्षा में उपस्थित	अनुशंसित
	आवेदन करने वाले	उपस्थित	अर्हक	उपस्थित	अर्हक		
अनुसूचित जाति	31,230	8,499	220	188	81	80	34
अनुसूचित जनजाति	11,253	3,391	113	99	47	47	17
अन्य पिछड़ा वर्ग	40,332	15,932	494	406	210	204	66
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	8,327	3,219	157	109	47	42	16
अनारक्षित	49,916	17,412	671	569	247	241	80
कुल	**1,41,058**	**48,453**	**1,655**	**1,371**	**632**	**614**	**213**

4.3 पिछली पाँच परीक्षाओं में लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले, व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होने वाले तथा नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों की संख्या को **आरेख–1** में दिखाया गया है।

आरेख–1: परीक्षा में बैठने वाले, व्यक्तित्व परीक्षा में शामिल होने वाले और अनुशंसित उम्मीदवार–इंजीनियरी सेवा परीक्षा, (2018–2022)

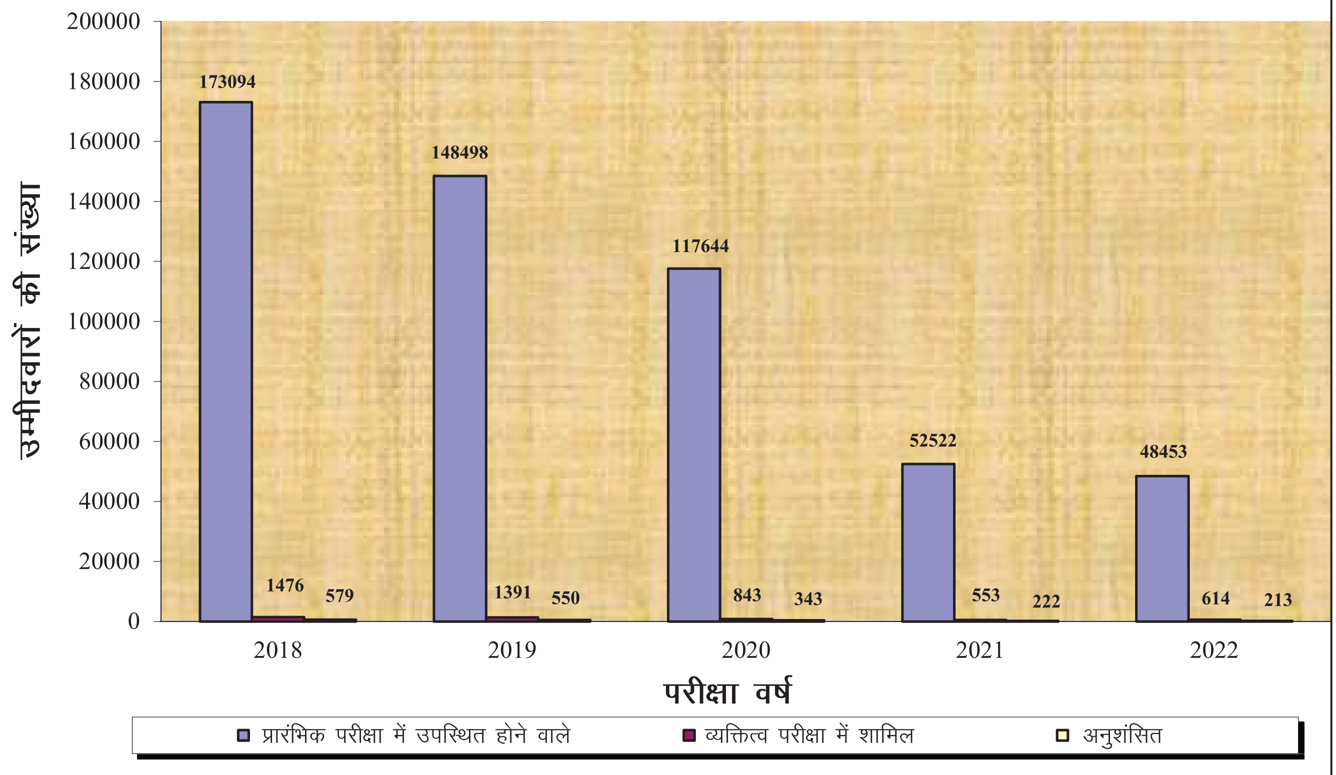

5. व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले तथा अनुशंसित उम्मीदवारों के संबंध में उनकी शैक्षिक योग्यताओं (अर्थात् न्यूनतम निर्धारित योग्यता की तुलना में उच्चतर योग्यता) तथा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर उनकी श्रेणी के आधार पर आबंटन **तालिका–3** में दर्शाया गया है।

तालिका–3: शैक्षिक योग्यता और श्रेणी के आधार पर उम्मीदवारों की संख्या – इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022

अकादमिक योग्यता	व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल उम्मीदवार			अनुशंसित उम्मीदवार		
	प्रथम श्रेणी	प्रथम श्रेणी से अन्यथा	कुल	प्रथम श्रेणी	प्रथम श्रेणी से अन्यथा	कुल
स्नातक डिग्री	489	17	506	178	4	182
उच्चतर डिग्री	107	1	108	31	0	31
कुल	**596**	**18**	**614**	**209**	**4**	**213**

5.1 तालिका–3 से यह पता चलता है कि नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों में से 85.4% उम्मीदवार स्नातक थे, शेष 14.6% उम्मीदवार स्नातकोत्तर या उच्चतर योग्यता धारक थे। इसके अतिरिक्त, व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले स्नातक डिग्री धारकों या स्नातकोत्तर या उच्चतर डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत क्रमशः 82.4% तथा 17.6% था।

5.2 तालिका–3 से यह पता चलता है कि नियुक्ति के लिए अनुशंसित 213 उम्मीदवारों में से 209 उम्मीदवार या 98.1% उम्मीदवारों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी तथा 4 उम्मीदवार या 1.9% उम्मीदवारों ने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर द्वितीय श्रेणी या उससे कम श्रेणी प्राप्त की थी। इसके अलावा, व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से 97.1% उम्मीदवारों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी।

6. विश्वविद्यालय से बी.टेक./बी.एससी. (इंजी.)/एम.ई./एम.एससी. (इंजी.)/एम.टेक. आदि जैसी नियमित डिग्री प्राप्त उम्मीदवारों तथा दूसरी ओर, अभियंता संस्थान (भारत)/ इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूर संचार अभियंता संस्थान/भारत का वैमानिकी संस्थान आदि द्वारा प्रदत्त सह–सदस्यता/स्नातक सदस्यता जैसी समकक्ष योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवारों का विवरण **तालिका–4** में दिया गया है।

तालिका–4: समकक्ष योग्यता की तुलना में नियमित डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों की संख्या – इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022

अकादमिक योग्यताएं	उम्मीदवारों की संख्या	
	व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल	अनुशंसित
I. **नियमित डिग्रियां** **(क) प्रथम श्रेणी** (i) बी.ई./बी.टेक./बी.एससी.(इंजीनियरी) (ii) एम.ई./एम.टेक./एम.एससी. (इंजीनियरी)	488 107	177 31
(ख) अन्य श्रेणी (i) बी.ई./बी.टेक./बी.एससी.(इंजीनियरी) (ii) एम.ई./एम.टेक./एम.एससी.(इंजीनियरी)	17 1	4 0
उप–योग	**613**	**212**
II. समकक्ष योग्यताएं अभियंता संस्थान (भारत) का खंड 'क' एवं 'ख'/इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूर संचार अभियंता संस्थान की स्नातक सदस्यता परीक्षा/भारतीय वैमानिकी संस्थान की सदस्यता परीक्षा, आदि।	1	1
योग	**614**	**213**

6.1 तालिका–4 से यह देखा गया है कि नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए 212 उम्मीदवार विश्वविद्यालय से प्राप्त नियमित डिग्रीधारी हैं और उम्मीदवारों में से केवल एक के पास अभियंता संस्थान (भारत)/इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूर संचार अभियंता संस्थान आदि द्वारा प्रदान की गई समकक्ष योग्यताएं हैं।

7. व्यक्तित्व परीक्षण में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों का विषय–वार तथा योग्यतावार विवरण **तालिका–5** में दिया गया है।

तालिका–5: उम्मीदवारों की विषय और योग्यता–वार संख्या – इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022

विषय	व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होने उम्मीदवार			अनुशंसित उम्मीदवार		
	स्नातक डिग्रियां	उच्चतर डिग्रियां	योग	स्नातक डिग्रियां	उच्चतर डिग्रियां	योग
सिविल	264	63	327	92	18	110
यांत्रिक	77	14	91	30	4	34
विद्युत	58	3	61	20	1	21
इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूर संचार	107	28	135	40	8	48
योग	**506**	**108**	**614**	**182**	**31**	**213**

7.1 तालिका–5 से यह पता चलता है कि नियुक्ति के लिए अनुशंसित 213 उम्मीदवारों में से 110 या 51.6% उम्मीदवारों की सिविल इंजीनियरी पदों के लिए, 34 उम्मीदवारों या 16.0% यांत्रिक इंजीनियरी पदों के लिए, 21 उम्मीदवारों या 9.9% की विद्युत इंजीनियरी तथा 48 उम्मीदवारों या 22.5% की इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूर संचार इंजीनियरी पदों के लिए अनुशंसा की गई है।

7.2 अनुशंसित उम्मीदवारों में से, सिविल, यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूर संचार इंजीनियरी में उच्च शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों का क्रमशः 16.4%, 11.8%, 4.8% और 16.7% था। इस प्रकार, अन्य इंजीनियरी विषयों की तुलना में यांत्रिक इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री धारक उम्मीदवारों की प्रतिशतता सर्वाधिक थी।

7.3 व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों तथा अनुशंसित उम्मीदवारों का विषय तथा योग्यता–वार विवरण भी **आरेख–2** में दर्शाया गया है।

आरेख –2: उम्मीदवारों का विषय और योग्यता वार विवरणः– इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022

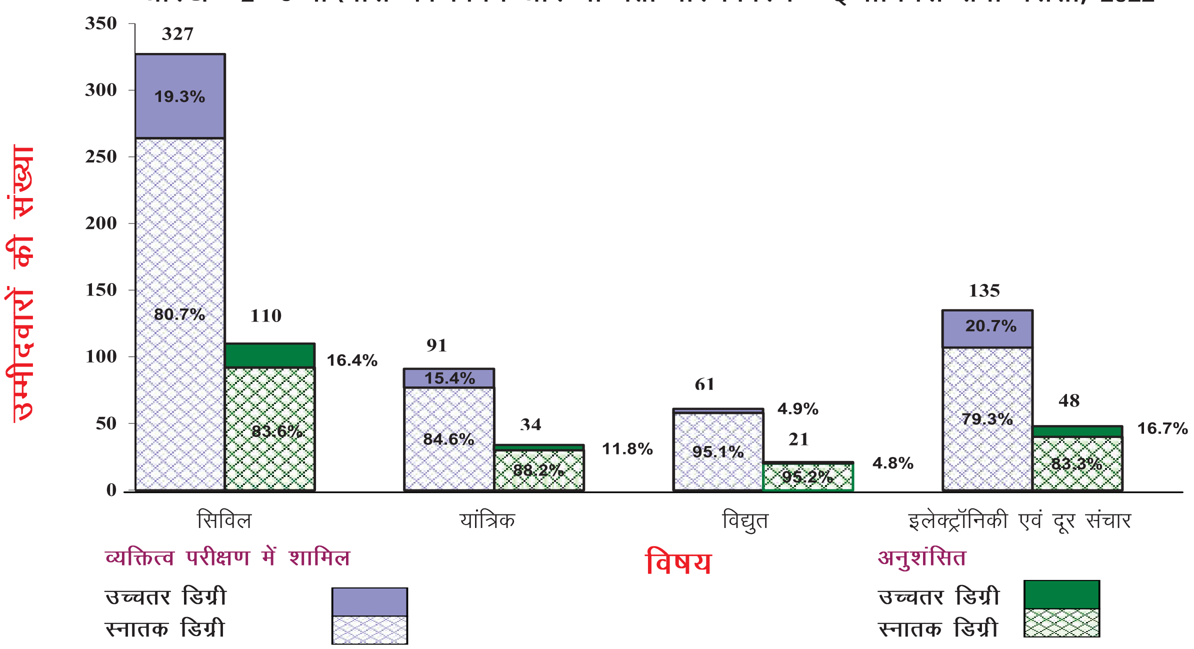

8. उन उम्मीदवारों की समुदाय तथा लिंग–वार संख्या जिन्होंने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया और जिनकी अनुशंसा की गई, का विवरण **तालिका–6** में दर्शाया गया है।

तालिका–6: उम्मीदवार की समुदाय एवं लिंग–वार संख्या– इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022

समुदाय	व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होने वाले उम्मीदवार			अनुशंसित उम्मीदवार		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
अनुसूचित जाति	75	5	80	32	2	34
अनुसूचित जनजाति	42	5	47	14	3	17
अन्य पिछड़ा वर्ग	185	19	204	55	11	66
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	39	3	42	13	3	16
अनारक्षित	216	25	241	72	8	80
योग	**557**	**57**	**614**	**186**	**27**	**213**

8.1 तालिका–6 से यह पता चलता है कि अनुशंसित किए गए कुल उम्मीदवारों में से 87.3% पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत 12.7% था।

9. अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय, आयु तथा लिंग–वार विवरण **तालिका–7** में दर्शाया गया है।

तालिका–7: अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय, आयु तथा लिंग–वार विवरण– इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022 [01–01–2022 को की गई गणना के अनुसार आयु]

समुदाय	अनुशंसित उम्मीदवार			आयु–समूह									
				वर्ष 21-24		वर्ष 24-26		वर्ष 26-28		वर्ष 28-30		30 वर्ष और उससे अधिक	
	पु.	म.	कु.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
अनुसूचित जाति	32	2	34	9	1	9	0	7	1	3	0	4	0
अनुसूचित जनजाति	14	3	17	5	2	3	0	4	1	2	0	0	0
अन्य पिछड़ा वर्ग	55	11	66	12	5	24	3	16	1	3	2	0	0
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	13	3	16	4	1	4	0	5	0	0	2	0	0
अनारक्षित	72	8	80	16	1	29	5	17	1	10	1	0	0
योग	**186**	**27**	**213**	**46**	**10**	**69**	**8**	**49**	**4**	**18**	**5**	**4**	**0**

9.1 तालिका–7 से देखा जा सकता है कि 34 उम्मीदवार या 16.0% अनुसूचित जाति, 17 उम्मीदवार या 8.0% अनुसूचित जनजाति, 66 उम्मीदवार या 31.0% अन्य पिछड़ा वर्ग, 16 उम्मीदवार या 7.5% उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा 80 उम्मीदवार या 37.5% उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के थे।

9.2 अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय–वार विवरण **आरेख–3** में भी दर्शाया गया है।

आरेख–3: समुदाय–वार अनुशंसित उम्मीदवारों का विवरण – इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022

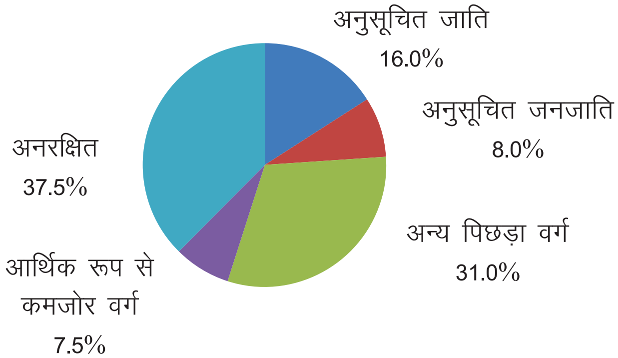

10. अनुशंसित उम्मीदवारों की समुदाय और लिंग–वार औसत आयु तालिका–8 में दी गई है।

तालिका–8: अनुशंसित उम्मीदवारों की समुदाय और लिंग–वार औसत आयु–इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022 [01–01–2022 को की गई गणना के अनुसार आयु]

समुदाय	अनुशंसित उम्मीदवारों की औसत आयु (वर्ष में)		
	पुरुष	महिला	योग
अनुसूचित जाति	26.1	25.4	26.1
अनुसूचित जनजाति	25.3	24.0	25.0
अन्य पिछड़ा वर्ग	25.4	25.1	25.3
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	25.2	26.9	25.5
अनारक्षित	25.4	25.5	25.4
योग	**25.5**	**25.3**	**25.5**

10.1 तालिका–8 से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला उम्मीदवार जिनको नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया, पुरुष उम्मीदवारों से आयु मे कम थीं।

11. नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों का विषय तथा आयु वर्ग–वार विवरण **तालिका–9** में दिया गया है।

तालिका–9: अनुशंसित उम्मीदवारों का विषय और आयु वर्ग–वार विवरण–इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022 [01–01–2022 को की गई गणना के अनुसार आयु]

विषय	अनुशंसित उम्मीदवार	आयु समूह				
		21-24 वर्ष	24-26 वर्ष	26-28 वर्ष	28-30 वर्ष	30 वर्ष और उससे अधिक
सिविल	110	36	43	26	4	1
यांत्रिक	34	3	14	9	7	1
विद्युत	21	9	6	5	1	0
इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूर संचार	48	8	14	13	11	2
योग	**213**	**56**	**77**	**53**	**23**	**4**

11.1 तालिका—9 से यह देखा जा सकता है कि अनुशंसित उम्मीदवारों में अधिकतम प्रतिशत 24—26 आयु वर्ग (36.1%) था, इसके बाद क्रमशः 21—24 वर्ष (26.3%), 26—28 वर्ष (24.9%), 28—30 वर्ष (10.85) और 30 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग (1.9%) था।

11.2 अनुशंसित उम्मीदवारों का आयु समूह—वार विवरण आरेख—4 में दिया गया है।

आरेख—4: अनुशंसित उम्मीदवारों का आयु समूह—वार विवरण — इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022

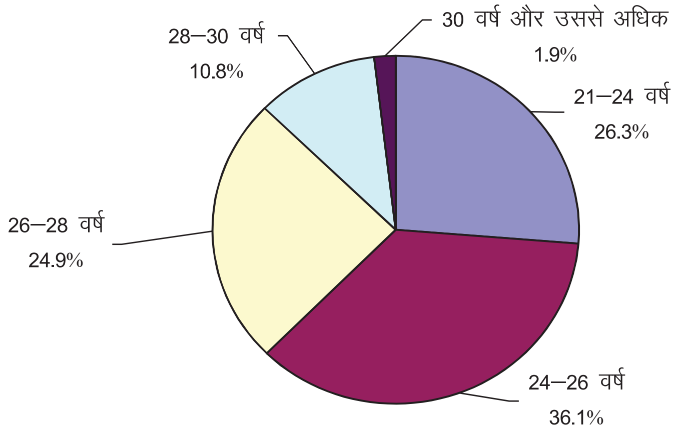

12. सरकार द्वारा इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022 के आधार पर बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या 07 सूचित की गई थी। इन 07 रिक्तियों में से, चार रिक्तियां (तीन पीडब्ल्यूबीडी—1 श्रेणी तथा एक पीडब्ल्यूबीडी—3 श्रेणी) सिविल इंजीनियरी विषय में आरक्षित थी; दो रिक्तियां (एक पीडब्ल्यूबीडी—1 श्रेणी और एक पीडब्ल्यूबीडी—3 श्रेणी) विद्युत इंजीनियरी विषय में आरक्षित थी और पीडब्ल्यूबीडी—1 श्रेणी के लिए एक रिक्ति इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूर संचार विषय में आरक्षित थी। [पीडब्ल्यूबीडी—1 : अस्थि विकलांग, पीडब्ल्यूबीडी—2 : अल्प दृष्टि और पीडब्ल्यूबीडी—3 : श्रवण बाधित]

12.1 इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2022 के लिए आवेदन करने वाले बैंचमार्क दिव्यांगता वाले 1294 उम्मीदवारों में से 397 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए और 47 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में अर्हक हुए। प्रारम्भिक परीक्षा में अर्हक 47 उम्मीदवारों में से 36 उमीदवार इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2022 में उपस्थित हुए और 21 उम्मीदवार प्रधान परीक्षा में अर्हक हुए। इनमें से 19 उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण में उपस्थित हुए और बैंचमार्क दिव्यांगता वाले कुल 07 उम्मीदवार (सिविल इंजीनियरी में 04, विद्युत इंजीनियरी में 02 और इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूर संचार विषय में एक) नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए। इन 07 अनुशंसित उम्मीदवारों में से 06 उम्मीदवार पीडब्ल्यूबीडी—1 श्रेणी तथा शेष 01 उम्मीदवार पीडब्ल्यूबीडी—3 श्रेणी से संबंधित थे।

12.2 इन 07 अनुशंसित उम्मीदवारों में से चार अन्य पिछड़ा वर्ग और 03 अनारक्षित श्रेणी से संबंधित थे। इसके अलावा, इन 07 उम्मीदवारों में से तीन उम्मीदवार 21—24 आयु समूह से संबंधित थे, दो उम्मीदवार प्रत्येक 24—26 वर्ष तथा 26—28 वर्ष आयु समूह से संबंधित थे।

परिशिष्ट–11
[अध्याय 3 देखें]

भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021: उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण

संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष भारतीय वन सेवा परीक्षा आयोजित करता है। भारतीय वन सेवा परीक्षा दो क्रमिक चरणों में आयोजित की जाती है अर्थात् भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और चयन के लिए सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) और उसके बाद भारतीय वन सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा (लिखित एवं साक्षात्कार)। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पीय प्रश्न) के दो प्रश्न पत्र होते है जिसमें से प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंक का होता है। इस परीक्षा का आयोजन केवल स्क्रीनिंग परीक्षण के लिए किया जाता है। उम्मीदवारों का अंतिम योग्यता क्रम निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों की गणना नहीं की जाती है। प्रधान परीक्षा में परंपरागत (निबंध) प्रकार के छः प्रश्नपत्र होते है जो कुल 1400 अंकों के होते है, जबकि साक्षात्कार 300 अंकों का होता है। केवल वे उम्मीदवार जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षण) के लिए पात्र होते हैं।

2. सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021 के माध्यम से भारतीय वन सेवा के लिए आवेदन करने वाले 2,79,810 उम्मीदवारों में से, केवल 1,23,210 (44%) उम्मीदवार 10 अक्टूबर, 2021 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर 1,357 उम्मीदवार भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिए अर्हक हुए। इनमें से केवल 1,217 उम्मीदवारों ने भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिए आवेदन किया था। तथापि, 750 उम्मीदवार 27 फरवरी, 2022 से 06 मार्च, 2022 तक आयोजित भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021 में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त, प्रधान परीक्षा के परिणाम के आधार पर 269 उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हक हुए। उनमें से 251 उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल हुए। तदुपरांत, आयोग ने 108 उम्मीदवारों की भारतीय वन सेवा में नियुक्ति के लिए अनुशंसा की। उपयुक्त पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति) उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण 2 रिक्तियां भरी नहीं गई। पिछले पाँच वर्षों के दौरान भारतीय वन सेवा की रिक्तियों और प्रारंभिक परीक्षा एवं भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले, उसमें शामिल होने वाले, अर्हता प्राप्त करने वाले, व्यक्तित्व परीक्षण में सम्मिलित होने वाले, तथा अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या **तालिका–1** में दी गई है।

तालिका–1 : वर्ष–वार रिक्तियों की संख्या तथा उम्मीदवारों की संख्या: भारतीय वन सेवा परीक्षा (2017–2021)

वर्ष	रिक्तियों की संख्या	उम्मीदवारों की संख्या							
		प्रारंभिक परीक्षा			प्रधान परीक्षा				अनुशंसित
		आवेदन करने वाले	परीक्षा में उपस्थित	अर्हक	आवेदन करने वाले	लिखित परीक्षा में उपस्थित	लिखित परीक्षा में अर्हक	व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल	
2017	110	2,31,854	1,05,354	1,353	1,193	790	301	301	110
2018	90	2,72,163	1,22,517	1,178	1,060	710	223	222	89
2019	90	2,91,757	1,42,616	1,145	1,044	675	215	215	88
2020	90	2,61,605	1,18,054	1,113	1,042	600	222	209	89
2021	110	2,79,810	1,23,210	1,357	1,217	750	269	251	108

2.1 पिछली पाँच भारतीय वन सेवा परीक्षाओं में लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले, व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होने वाले तथा अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों की संख्या को **आरेख–1** में दर्शाया गया है।

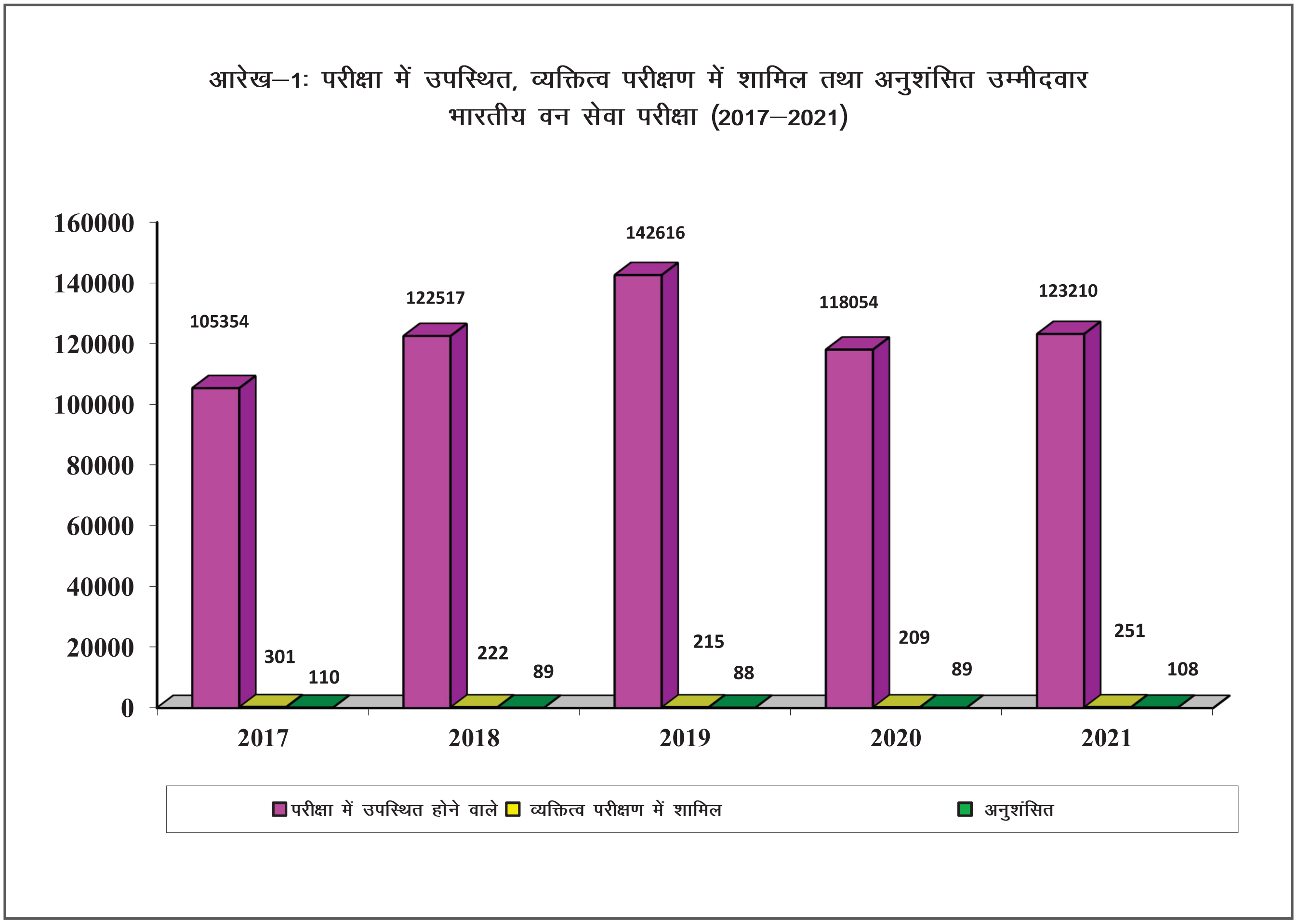

3. भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021 के लिए आवेदन करने वाले और उपस्थित उम्मीदवारों की समुदाय–वार तथा लिंग–वार संख्या को **तालिका–2** और भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021 के लिए आवेदन करने वाले और उपस्थित उम्मीदवारों की समुदाय–वार प्रतिशतता **आरेख–2** में दर्शाया गया है।

तालिका–2 : भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021 में आवेदन करने वाले और उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की समुदाय और लिंग–वार प्रतिशतता

समुदाय	आवेदन करने वाले				परीक्षा में उपस्थित			
	पुरुष	महिला*	योग	योग की प्रतिशतता	पुरुष	महिला	योग	योग की प्रतिशतता
अ. जा.	46,610	16,787	63,397	22.7%	19,198	6,537	25,735	20.9%
अ.ज.जा.	18,302	7,002	25,304	9.0%	7,669	2,749	10,418	8.5%
अ.पि.व.	54,611	23,598	78,209	27.9%	27,787	9,925	37,712	30.6%
ईडब्ल्यूएस	10,201	3,127	13,328	4.8%	5,270	1,396	6,666	5.4%
अनारक्षित	64,664	34,908	99,572	35.6%	29,512	13,167	42,679	34.6%
योग	**1,94,388**	**85,422**	**2,79,810**	**100.0%**	**89,436**	**33,774**	**1,23,210**	**100.0%**

**आंकड़ों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी शामिल हैं*
अ.जा.–03, अ.पि.व.–02 एवं अनरक्षित–02)।

आरेख–2: भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021 में समुदाय–वार आवेदन करने वाले और उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत

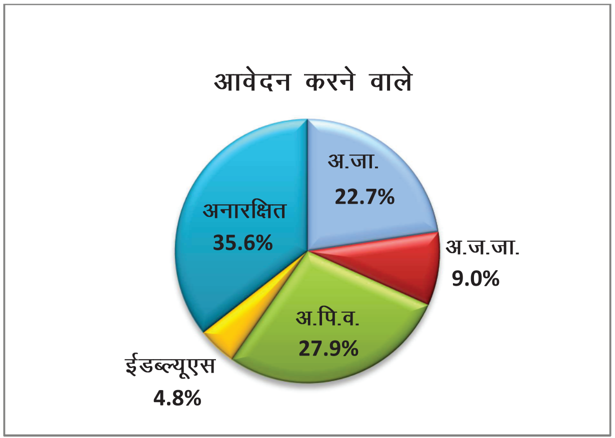

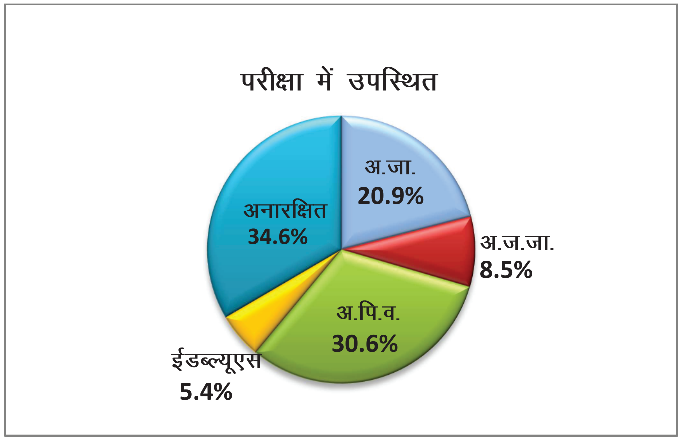

तालिका–2 से यह देखा जा सकता है कि भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021 के लिये आवेदन करने वाले 2,79,810 उम्मीदवारों में से, केवल 1,23,210 (44.0%) उम्मीदवार ही लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए। दूसरे शब्दों में, 56.0% उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए नहीं आए। इसके अलावा, प्रत्येक समुदाय में ड्रॉप–आउट दर काफी अधिक है और अनुसूचित जाति समुदाय के मामले में सबसे अधिक है। भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021 में उपस्थित हुए 1,23,210 उम्मीदवारों में से कुल 33,774 (27.4%) उम्मीदवार महिलाएं थी। इसी तरह, भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021 के लिए अनुशंसित कुल 108 उम्मीदवारों में से 16 (15.75) महिला थी (तालिका–7 देखें)।

4. भारतीय वन सेवा, 2021 के लिए आवेदन करने वाले, परीक्षा में बैठने वाले, लिखित परीक्षा (प्रारंभिक एवं प्रधान परीक्षा दोनों) में अर्हक, व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होने वाले तथा अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों की समुदाय–वार संख्या को **तालिका–3** में दर्शाया गया है।

तालिका–3: समुदाय–वार उम्मीदवारों की संख्या– भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021

समुदाय	उम्मीदवारों की संख्या							
	प्रारंभिक परीक्षा			प्रधान परीक्षा				अनुशंसित
	आवेदन करने वाले	परीक्षा में उपस्थित	अर्हक	आवेदन करने वाले	परीक्षा में उपस्थित होने वाले	अर्हक	व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल	
अ. जा.	63,397	25,735	202	178	97	32	31	16
अ.ज.जा.	25,304	10,418	103	92	54	17	17	8
अ.पि.व.	78,209	37,712	366	321	204	92	87	40
ईडब्ल्यूएस	13,328	6,666	141	127	84	33	30	14
अनारक्षित	99,572	42,679	545	499	311	95	86	30
योग	**2,79,810**	**1,23,210**	**1,357**	**1,217**	**750**	**269**	**251**	**108**

5. भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021 के विस्तृत आवेदन प्रपत्र में उम्मीदवारों द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर उनकी शैक्षिक योग्यताओं के बारे में विश्लेषण किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, उम्मीदवारों द्वारा अर्जित उच्चतम शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रखा गया है। वे उम्मीदवार जिन्होंने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया तथा जिनकी नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई, उनका शैक्षिक योग्यता–वार विवरण तालिका–4 में दर्शाया गया है।

तालिका–4: शैक्षिक योग्यता–वार उम्मीदवारों का विवरण: भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021

शैक्षिक योग्यता		उम्मीदवारों की संख्या	
		व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल	अनुशंसित
I. स्नातक डिग्रियां		**196**	**86**
(i)	कृषि या वानिकी में स्नातक डिग्री	10	5
(ii)	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक डिग्री/एमबीबीएस	-	-
(iii)	भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, गणित सांख्यकी, जीव विज्ञान अथवा भू–विज्ञान में स्नातक डिग्री	12	4
(iv)	इंजीनियरी में स्नातक डिग्री	174	77
II. उच्चतर डिग्रियां		**55**	**22**
(i)	कृषि या वानिकी में स्नातकोत्तर डिग्री	2	2
(ii)	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में स्नातकोत्तर डिग्री	2	1
(iii)	इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री	22	6
(iv)	अन्य विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री	28	13
(v)	पीएच.डी.	1	-
	कुल	**251**	**108**

5.1 उपर्युक्त तालिका–4 से पता चलता है कि अनुशंसित उम्मीदवारों में से 79.6% उम्मीदवार स्नातक थे तथा 20.4% उम्मीदवारों ने स्नातकोत्तर या उच्चतर डिग्रियां प्राप्त की हुई थी।

5.2 तालिका–4 से पता चलता है कि भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021 में अनुशंसित उम्मीदवारों में से 76.9% इंजीनियरी पृष्ठभूमि के थे।

6. जिन उम्मीदवारों ने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया था उनकी तुलना में नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों का विवरण उनका वैकल्पिक विषयों का विवरण **तालिका–5** में दिया गया है।

तालिका–5: व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों का वैकल्पिक विषय–वार विवरण – भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021

क्रम.सं.	वैकल्पिक विषय	उम्मीदवारों की संख्या*		
		व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल	अनुशंसित	पास प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कृषि विज्ञान	20	10	50.0%
2.	कृषि इंजीनियरी	42	14	33.3%
3.	पशुपालन विज्ञान एवं पशु चिकित्सा विज्ञान	2	1	50.0%
4.	वनस्पति विज्ञान	18	10	55.6%
5.	रसायन विज्ञान	12	4	33.3%
6.	रसायन इंजीनियरी	4	1	25.0%
7.	सिविल इंजीनियरी	9	8	88.9%
8.	वानिकी	224	96	42.9%
9.	भू–विज्ञान	89	43	48.3%
10.	गणित	41	12	29.3%
11.	यांत्रिक इंजीनियरी	20	9	45.0%
12.	भौतिक विज्ञान	11	3	27.3%
13.	सांख्यिकी	1	-	-
14.	प्राणी विज्ञान	9	5	55.6%

** प्रत्येक उम्मीदवार ने दो वैकल्पिक विषयों का चुनाव किया है।*

6.1 तालिका–5 से यह पता चलता है कि व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से वानिकी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक थी, इसके बाद भू–विज्ञान और कृषि इंजीनियरी का स्थान रहा और अनुशंसित उम्मीदवारों के मामले में भी, वानिकी और भू–विज्ञान सबसे अधिक लाभदायक वैकल्पिक विषय रहे।

6.2 तालिका–4 और तालिका–5 से यह भी देखा जा सकता है कि जहां तक अनुशंसित उम्मीदवारों की शैक्षिक पृष्ठभूमि का संबंध है, 76.9% उम्मीदवार इंजनीयरी पृष्ठभूमि के थे। तथापि, अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा चुने हुए वैकल्पिक विषयों में से केवल 14.8% ही इंजीनियरी विषयों से संबंधित थे। इससे यह पता चलता है कि अधिकांश उम्मीदवारों ने अपने मूल विषयों अर्थात् इंजीनियरी से गैर–इंजीनियरी विषयों का चयन किया है।

7. जिन उम्मीदवारों ने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया उनका समुदाय, आयु तथा लिंग–वार विवरण **तालिका–6** में दिया गया है।

तालिका–6: उन उम्मीदवारों का समुदाय, आयु तथा लिंग–वार विवरण जिन्होंने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया– भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021
(1 अगस्त, 2021 को की गई गणना के अनुसार आयु)

समुदाय	कुल			आयु–समूह (वर्षों में)									
				21-24		24-26		26-28		28-30		30 और उससे अधिक	
	कु.	पु.	म.	कु.	पु.	कु.	पु.	कु.	पु.	कु.	पु.	कु.	पु.
अ. जा.	31	28	3	2	2	7	-	7	-	3	1	9	-
अ.ज.जा.	17	16	1	2	-	4	1	3	-	5	-	2	-
अ.पि.व.	87	74	13	5	3	10	3	17	2	20	3	22	2
ईडब्ल्यूएस	30	28	2	6	1	6	-	8	-	5	-	3	1
अनारक्षित	86	68	18	4	2	13	5	21	2	19	4	11	5
योग	**251**	**214**	**37**	**19**	**8**	**40**	**9**	**56**	**4**	**52**	**8**	**47**	**8**

कु. : कुल; पु. : पुरुष; म. : महिला

7.1 उपर्युक्त तालिका–6 से यह देखा जा सकता है की व्यक्तित्व परीक्षण में 251 उम्मीदवार शामिल हुए जिनमें से 31 (12.3%) अनुसूचित जाति, 17 (6.8%) अनुसूचित जनजाति, 87 (34.7%) उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग, 30 (11.9%) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 86 (34.3%) अनारक्षित समुदाय के थे।

8. जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई, उनका समुदाय–वार, आयु–वार, तथा लिंग–वार विवरण तालिका–7 में दिया गया है।

तालिका–7 : अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय, आयु और लिंग–वार विवरण– भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021
(01 अगस्त, 2021 को की गई गणना के अनुसार आयु)

समुदाय	कुल			आयु–समूह (वर्षों में)									
				21-24		24-26		26-28		28-30		30 और उससे अधिक	
	कु.	पु.	म.	कु.	पु.	कु.	पु.	कु.	पु.	कु.	पु.	कु.	पु.
अ. जा.	16	13	3	2	2	3	-	4	-	2	1	2	-
अ.ज.जा.	8	8	-	-	-	2	-	1	-	3	-	2	-
अ.पि.व.	40	33	7	2	1	4	2	7	2	7	1	13	1
ईडब्ल्यूएस	14	13	1	1	1	-	-	6	-	4	-	2	-
अनारक्षित	30	25	5	-	1	5	2	6	1	11	-	3	1
योग	**108**	**92**	**16**	**5**	**5**	**14**	**4**	**24**	**3**	**27**	**2**	**22**	**2**

कु.: कुल; पु.: पुरुष; म.: महिला

8.1. तालिका–7 से निम्नलिखित तथ्यों का पता चलता है:

(i) 108 अनुशंसित उम्मीदवारों में से, 16 (14.8%) उम्मीदवार अनुसूचित जाति, आठ (7.4%) अनुसूचित जनजाति, 40 (37.0%) अन्य

पिछड़ा वर्ग, 14 (13.0%) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा 30 (27.8%) उम्मीदवार अनारक्षित समुदाय के थे। भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021 में अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय–वार विवरण **आरेख–3** में भी दर्शाया गया है।

आरेख–3: अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय–वार प्रतिशत – भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021

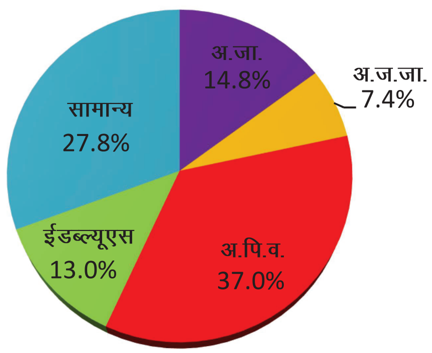

(ii) कुल अनुशंसित उम्मीदवारों में से महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत 14.8% था।

(iii) अनुशंसित उम्मीदवारों में अधिकतम प्रतिशत 28–30 (26.8%) आयु वर्ग का था। इसके बाद 26–28 वर्ष (25.0%), 30 वर्ष और उससे अधिक (22.2%), 24–26 वर्ष (9.3%), और 21–24 वर्ष (9.3%) आयु वर्ग का था। भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021 में अनुशंसित उम्मीदवारों का आयु–वार प्रतिशत **आरेख–4** में दर्शाया गया।

आरेख–4: अनुशंसित उम्मीदवारों का आयु–वार प्रतिशत – भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021

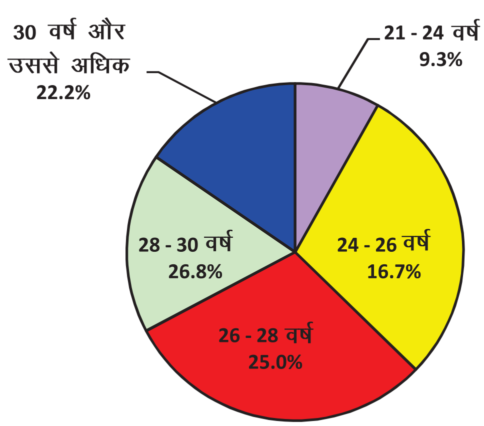

9. अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के उम्मीदवारों को परीक्षा में भाग लेने के लिए क्रमशः अधिकतम छः और नौ अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस परीक्षा

में अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को भी अधिकतम नौ अवसर प्रदान किए गए हैं। तथापि, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के उम्मीदवारों के अवसरों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं है। परीक्षा के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या का समुदाय तथा लिंग–वार विवरण तालिका–8 में दर्शाया गया है।

तालिका–8: अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या: समुदाय और लिंग–वार – भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021

समुदाय	लिंग	अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या								
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ठम	सप्तम	अष्टम	कुल
अ. जा.	पुरुष	2	4	1	3	1	2	-	-	**13**
	महिला	2	-	1	-	-	-	-	-	**3**
अ.ज.जा.	पुरुष	1	1	1	1	-	2	1	1	**8**
	महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
अ.पि.व.	पुरुष	2	5	6	7	4	2	4	3	**33**
	महिला	2	1	2	-	1	-	-	1	**7**
ईडब्ल्यूएस	पुरुष	-	3	2	4	3	1	-	-	**13**
	महिला	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**
अनारक्षित	पुरुष	-	3	10	7	3	2	-	-	**25**
	महिला	1	1	1	1	-	1	-	-	**5**
योग	पुरुष	**5**	**16**	**20**	**22**	**11**	**9**	**5**	**4**	**92**
	महिला	**5**	**3**	**4**	**1**	**1**	**1**	**-**	**1**	**16**
	कुल	**10**	**19**	**24**	**23**	**12**	**10**	**5**	**5**	**108**

9.1 तालिका–8 से यह पता चलता है कि 9.3% उम्मीदवारों ने परीक्षा, पहले प्रयास में, 17.6% उम्मीदवारों ने दूसरे प्रयास में, 22.2% उम्मीदवारों ने तीसरे प्रयास में, 21.3% उम्मीदवारों ने चौथे प्रयास में, 11.1% उम्मीदवारों ने पाँचवे प्रयास में, 9.3% उम्मीदवारों ने छठे प्रयास में, 4.6% उम्मीदवारों ने सातवें और आठवें प्रयास में सफलता प्राप्त की। किसी भी अनुशंसित उम्मीदवार (अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा पीडब्ल्यूबीडी, जो आठ से अधिक अवसर के पात्र हैं) ने आठ से अधिक अवसर नहीं लिए।

10. सरकार द्वारा भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर बैंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों से भरी जाने वाली कुल छः रिक्तियां रिपोर्ट की थी। भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021 के लिए आवेदन करने वाले कुल 693 बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों में से 338 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। 35 बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त की, परंतु केवल 15 उम्मीदवार भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021 में शामिल हुए और इनमें से 07 उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त की। सभी सात उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल हुए और चार पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई थी। उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण, चलने की असमर्थता (उप श्रेणीः कुष्ठरोग उपचारित और तेजाबी हमले से पीढ़ित) और श्रवण बाधित (आंशिक रूप से बधिर) श्रेणी के तहत दो रिक्ति खाली रह गई।

परिशिष्ट–12

[अध्याय 4 देखें]

वर्ष 2022–23 के दौरान विज्ञापित इंजीनियरी, चिकित्सा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी तथा गैर–तकनीकी पदों की मंत्रालय–वार संख्या

क्र. सं.	मंत्रालय / विभाग का नाम	विज्ञापित पदों की संख्या				कुल
		इंजीनियरी	चिकित्सा	वैज्ञानिक एवं तकनीकी (इंजीनियरी को छोड़कर)	गैर–तकनीकी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कृषि एवं किसान कल्याण	8	-	21	1	30
2.	अंडमान एवं निकोबार प्रशासन	-	-	6	5	11
3.	आयुष	-	4	-	-	4
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	2	5	-	-	7
5.	नागर विमानन	10	-	4	2	16
6.	वाणिज्य एवं उद्योग	1	-	1	1	3
7.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण	2	-	2	-	4
8.	कारपोरेट कार्य	-	-	-	35	35
9.	संस्कृति	-	-	2	15	17
10.	रक्षा	44	-	1	4	49
11.	वित्त	-	-	-	22	22
12.	मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी	1	-	2	-	3
13.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	2	13	28	133	176
14.	पुदुचेरी सरकार	-	-	-	8	8
15.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	77	6	2	85
16.	गृह मंत्रालय	11	-	53	11	75
17.	आवासन एव शहरी कार्य	13	-	-	-	13
18.	सूचना एवं प्रसारण	-	-	-	22	22
19.	जल शक्ति	9	-	74	-	83
20.	श्रम एवं रोजगार	21	-	-	752	773
21.	विधि एवं न्याय	-	-	-	3	3
22.	खान	107	-	162	12	281
23.	पोत, जहाजरानी एवं जलमार्ग	4	-	-	2	6
24.	रेल	-	-	-	1	1
25.	विज्ञान एनं तकनीकी	-	-	-	1	1
26.	वस्त्र	1	-	2	-	3
27.	पर्यटन	-	-	-	3	3
28.	युवा मामले एवं खेल	-	-	-	7	7
	कुल	**236**	**99**	**364**	**1042**	**1741**

परिशिष्ट–13
[अध्याय 4 देखें]

वर्ष 2022–23 के दौरान अंतिम रूप दिए गए इंजीनियरी पदों का विषय–वार विवरण

क्र. सं.	विषय	पद	आरक्षित पद					आवेदन किया					साक्षात्कर के लिए बुलाए गए					साक्षात्कार किए गए					अनुशंसित					पदों की संख्या की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों का प्रतिशत
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	
1.	वास्तुशास्त्र	2	0	0	0	0	2	55	8	75	2	241	2	1	6	0	20	2	1	4	0	14	0	0	0	0	2	100.00
2.	रसायन	2	0	0	0	0	2	21	3	57	3	104	4	0	5	0	14	4	0	4	0	12	0	0	1	0	1	100.00
3.	सिविल	57	6	4	9	5	33	1164	464	2149	217	3896	53	17	66	18	138	37	13	47	16	103	7	5	11	4	25	91.23
4.	कंप्यूटर इंजीनियरी / विज्ञान	5	2	0	0	0	3	552	38	410	46	1076	9	1	7	0	18	8	0	4	0	11	2	0	0	0	3	100.00
5.	विद्युत	26	2	2	6	2	14	409	172	944	91	1250	61	34	53	15	84	38	15	34	11	61	2	2	7	2	13	100.00
6.	इलेक्ट्रिकल/यांत्रिक	7	0	1	2	0	4	61	42	132	1	284	4	4	24	0	21	3	3	20	0	16	0	1	3	0	3	100.00
7.	इंस्ट्रुमेंटेशन	1	1	0	0	0	0	66	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00
8.	समुद्री विज्ञान	1	0	0	0	0	1	6	1	3	0	9	2	0	1	0	4	2	0	1	0	4	0	0	0	0	1	100.00
9.	यांत्रिक	33	3	3	6	3	18	624	256	2536	157	3032	17	32	77	16	81	17	20	61	14	60	4	3	9	3	13	96.97
10.	धातुविज्ञान	6	1	0	0	0	5	100	12	167	16	303	14	1	15	0	27	13	0	11	0	17	1	0	1	0	4	100.00
11.	खनन	1	0	0	0	0	1	76	30	180	17	385	0	0	2	1	8	0	0	2	1	6	0	0	1	0	0	100.00
12.	उत्पादन/औद्योगिक इंजीनियरी	1	0	0	0	0	1	19	6	68	0	174	0	0	3	0	12	0	0	1	0	8	0	0	0	0	1	100.00
13.	इलेक्ट्रानिक्स	1	0	0	1	0	0	0	0	76	0	0	0	0	23	0	0	0	0	21	0	0	0	0	1	0	0	100.00
14.	इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रोनिक्स	6	1	0	1	0	4	176	34	446	19	663	12	1	24	0	24	9	0	21	0	20	1	0	1	0	4	100.00
15.	इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीकम्यू. निकेशन	9	2	1	2	2	2	488	84	671	90	655	16	2	14	6	5	14	2	14	6	4	2	1	1	3	1	88.89
16.	शर्करा तकनीकी / इंजीनियरी	6	1	0	2	0	3	38	3	82	5	96	3	0	23	0	23	3	0	22	0	22	1	0	2	0	2	83.33
	कुल	**164**	**19**	**11**	**29**	**12**	**93**	**3855**	**1153**	**7996**	**664**	**12168**	**204**	**93**	**343**	**56**	**479**	**157**	**54**	**267**	**48**	**358**	**21**	**12**	**38**	**12**	**73**	**95.12**

अ.जा.: अनुसूचित जाति	अ.ज.जा.: अनुसूचित जनजाति	अ.पि.व.: अन्य पिछड़ा वर्ग	ईडब्ल्यूएस रू आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अना.: अनारक्षित
कुल पद: 164	उम्मीदवारों ने आवेदन किया: 25836	साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवार: 1175	साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारः 884	अनुशंसितः 156

परिशिष्ट–14

[अध्याय 4 देखें]

वर्ष 2022–23 के दौरान अंतिम रूप दिए गए वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों का विषय–वार विवरण

क्र. सं.	विषय	पद	आरक्षित पद					आवेदन किया					साक्षात्कर के लिए बुलाए गए					साक्षात्कार किए गए					अनुशंसित					पदों की संख्या की तुलना में अनुशंसित उम्मी दवारों का प्रतिशत
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	
1.	कृषि/शस्य विज्ञान/कीट विज्ञान	4	1	0	2	0	1	94	3	32	3	23	14	1	12	1	8	12	1	9	0	8	1	0	2	0	1	100.00
2.	वनस्पति विज्ञान	13	2	0	3	1	7	120	11	200	12	139	18	2	34	2	23	16	2	28	2	17	2	0	5	1	5	100.00
3.	रसायन विज्ञान	16	3	0	2	0	11	502	21	608	23	1137	34	1	39	1	53	30	1	32	0	38	3	0	6	0	7	100.00
4.	डेयरी विज्ञान	2	0	0	1	0	1	6	4	34	0	22	0	0	5	0	3	0	0	4	0	1	0	0	1	0	1	100.00
5.	भू–गर्भ शास्त्र	3	0	0	1	0	2	9	2	43	1	66	1	0	9	0	19	0	0	4	0	13	0	0	1	0	2	100.00
6.	भू–भौतिकी	19	3	1	5	1	9	467	152	1287	227	1305	15	6	50	16	39	14	6	46	14	34	3	1	6	2	5	89.47
7.	गणित	1	0	0	0	0	1	0	0	6	0	5	0	0	3	0	4	0	0	3	0	3	0	0	0	0	1	100.00
8.	सूक्ष्मजीव विज्ञान/जीवाणुविज्ञान/पैथोलॉजी	2	0	0	1	0	1	0	0	207	0	6	0	0	16	0	0	0	0	12	0	0	0	0	1	0	0	50.00
9.	भौतिकी	32	5	1	5	1	20	736	123	1583	87	2731	38	6	61	2	121	29	4	50	2	78	5	1	7	1	17	96.88
10.	मनोविज्ञान	8	1	0	1	0	6	48	7	56	2	158	6	0	14	0	23	2	0	9	0	18	1	0	1	0	4	75.00
11.	सांख्यिकी	63	10	3	15	7	28	662	117	1037	175	1756	33	7	41	27	75	22	5	38	19	57	10	3	16	7	24	95.24
12.	प्राणी विज्ञान	9	0	2	2	0	5	199	134	624	28	1601	0	14	18	0	29	0	6	15	0	21	0	2	3	0	4	100.00
13.	रसायन प्रौद्योगिकी	3	0	0	0	1	2	34	7	122	21	215	4	0	8	0	11	4	0	7	0	10	0	0	0	0	2	66.67
14.	मानवशास्त्र	4	0	1	1	0	2	18	37	65	2	83	3	1	5	0	9	2	0	5	0	9	0	0	1	0	2	75.00
15.	कंप्यूटर विज्ञान/ अनुप्रयोग	2	0	0	0	0	2	495	123	1082	149	2460	0	0	2	1	6	0	0	1	0	4	0	0	1	0	1	100.00
16.	विविध	13	2	1	1	1	8	714	127	618	75	1096	18	12	26	1	66	10	10	24	1	43	3	1	3	0	5	92.31
	कुल	**194**	**27**	**9**	**40**	**12**	**106**	**4104**	**868**	**7604**	**805**	**12803**	**184**	**50**	**343**	**51**	**489**	**141**	**35**	**287**	**38**	**354**	**28**	**8**	**54**	**11**	**81**	**93.81**

अ.जा.: अनुसूचित जाति	अ.ज.जा.: अनुसूचित जनजाति	अ.पि.व.: अन्य पिछड़ा वर्ग	ईडब्ल्यूएस / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अना.: अनारक्षित
कुल पद: 194	उम्मीदवारों ने आवेदन किया: 26184	साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवार: 1175	साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार: 855	अनुशंसित: 182

परिशिष्ट–15
[अध्याय 4 देखें]

वर्ष 2022–23 के दौरान अंतिम रूप दिए गए गैर–तकनीकी पदों का विषय–वार विवरण

क्र. सं.	विषय	पद	आरक्षित पद					आवेदन किया					साक्षात्कर के लिए बुलाए गए					साक्षात्कार किए गए					अनुशंसित					पदों की संख्या की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों का प्रतिशत
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	
1.	लागत निर्धारण सहित लेखा शास्त्र	3	0	0	1	0	2	13	2	72	4	237	1	0	11	1	17	1	0	8	1	11	0	0	1	0	2	100.00
2.	प्रशासन/ लोक प्रशा. सन	1	0	0	0	0	1	94	22	248	37	457	0	0	3	2	8	0	0	2	2	7	0	0	0	0	1	100.00
3.	वाणिज्य	1	1	0	0	0	0	79	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00
4.	अर्थशास्त्र	2	0	0	0	0	2	13	4	38	1	58	1	0	9	0	6	0	0	6	0	4	0	0	0	0	1	50.00
5.	शिक्षा/ शिक्षण	363	57	26	106	34	140	2656	836	2271	93	8085	163	77	322	35	444	160	77	320	35	440	60	26	126	23	112	95.59
6.	भाषा–विदेशी	1	0	0	0	0	1	12	2	12	0	41	0	0	1	0	6	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	100.00
7.	विधि	602	78	48	154	51	271	178805	52723	374494	63523	337145	276	162	677	248	698	240	142	623	221	633	81	50	199	68	202	99.67
8.	समाजिक विज्ञान/ सामाजिक कार्य	3	0	0	0	0	3	50	15	118	6	245	5	1	11	1	19	4	1	8	1	14	0	1	0	0	2	100.00
9.	कार्यालय प्रबंधन/ सचिवालय रीति	1	0	0	0	0	1	6	0	13	3	27	1	0	0	0	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	100.00
10.	पुस्तकालय विज्ञान	2	0	0	0	0	2	7	0	4	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	50.00
11.	जनसंपर्क	13	1	1	2	1	8	155	72	212	21	305	16	7	18	3	38	14	7	18	3	28	1	1	2	1	7	92.31
	कुल	**992**	**137**	**75**	**263**	**86**	**431**	**181890**	**53676**	**377482**	**63689**	**346604**	**465**	**247**	**1052**	**290**	**1240**	**422**	**227**	**985**	**263**	**1143**	**143**	**78**	**328**	**92**	**330**	**97.88**

अ.जा.: अनुसूचित जाति	अ.ज.जा.: अनुसूचित जनजाति	अ.पि.व.: अन्य पिछड़ा वर्ग	ईडब्ल्यूएस रू आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अना.: अनारक्षित
कुल पद: 992	उम्मीदवारों ने आवेदन किया: 1023341	साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवार: 3294	साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार: 3040	अनुशंसित: 971

परिशिष्ट–16
[अध्याय 4 देखें]

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित विषयवार चिकित्सा पद, भर्ती परीक्षण जिन्हें अंतिम रूप दिया गया

क्र. सं.	विषय	पद	आरक्षित पद					आवेदन किया					साक्षात्कर के लिए बुलाए गए					साक्षात्कार किए गए					अनुशंसित					पदों की संख्या की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों का प्रतिशत
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	
1.	निश्चेतना विज्ञान	62	6	2	28	5	21	28	12	38	0	230	25	8	21	0	158	12	3	10	0	89	7	2	10	0	17	58.06
2.	शरीर संरचना	9	0	0	2	1	6	8	1	20	0	47	5	0	13	0	32	3	0	8	0	23	1	0	2	0	5	88.89
3.	आयुर्वेद	11	1	1	6	1	2	78	31	916	22	196	13	12	57	9	16	12	8	49	4	16	1	1	6	1	2	100.00
4.	जैव–रसायन	2	0	0	0	0	2	3	1	4	1	46	1	0	0	0	21	0	0	0	0	7	0	0	0	0	2	100.00
5.	कान, नाक एवं गला	4	0	0	1	0	3	2	1	7	0	55	0	0	3	0	36	0	0	2	0	24	0	0	1	0	3	100.00
6.	न्यायालयिक चिकित्सा	9	0	2	2	0	5	8	11	20	0	61	2	7	8	0	52	0	3	1	0	28	0	2	1	0	5	88.89
7.	चिकित्सा– सामान्य	4	1	0	2	0	1	26	0	67	0	65	12	0	38	0	9	3	0	18	0	3	1	0	2	0	1	100.00
8.	चिकित्सा	48	5	2	19	6	16	26	9	23	1	70	15	8	9	0	39	5	5	4	0	18	5	3	4	0	13	52.08
9.	न्यूरोलॉजी/न्यूरो–सर्जरी	14	3	1	4	2	4	6	0	7	0	52	4	0	6	0	36	1	0	3	0	16	1	0	2	0	3	42.86
10.	प्रसूति एवं स्त्री रोग	33	7	2	5	3	16	91	31	65	1	325	60	18	26	0	102	44	7	14	0	64	7	2	5	0	15	87.88
11.	नेत्र विज्ञान	15	2	1	3	1	8	25	11	12	1	86	17	5	8	0	55	9	4	3	0	31	2	1	3	0	8	93.33
12.	बालरोग	3	0	0	1	0	2	2	0	3	0	26	1	0	2	0	23	0	0	1	0	12	0	0	0	0	2	66.67
13.	पैथोलॉजी/ जीवाणुविज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान	32	4	2	7	2	17	60	13	55	1	262	34	11	32	0	81	20	8	12	0	46	4	2	6	0	16	87.50
14.	औषध विज्ञान	11	1	0	4	1	5	13	0	21	1	55	7	0	10	0	34	2	0	4	0	21	1	0	4	0	5	90.91
15.	शरीर क्रिया विज्ञान	2	0	0	0	1	1	2	0	2	1	47	0	0	1	0	13	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	50.00
16.	प्लास्टिक सर्जरी	6	0	0	4	0	2	2	0	4	0	29	2	0	3	0	27	0	0	1	0	14	0	0	1	0	2	50.00
17.	निवारक और सामाजिक चिकित्सा	1	0	0	0	0	1	6	1	3	0	29	2	0	1	0	11	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	100.00
18.	लोक स्वास्थ्य	5	0	0	0	1	4	10	2	25	1	77	3	0	5	0	27	0	0	1	0	11	0	0	0	0	4	80.00
19.	रेडियोलोजी	8	0	0	2	2	4	3	0	6	0	34	2	0	4	0	17	0	0	4	0	8	0	0	2	0	4	75.00
20.	शल्य चिकित्सा	56	7	4	13	6	26	24	14	23	0	74	15	7	12	0	32	9	4	6	0	19	9	4	5	0	17	62.50
21.	वक्ष शल्य चिकित्सा	5	1	0	1	0	3	4	0	6	0	30	4	0	2	0	26	2	0	1	0	9	1	0	1	0	2	80.00
22.	तपेदिक	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	100.00

क्र. सं.	विषय	पद	आरक्षित पद					आवेदन किया					साक्षात्कर के लिए बुलाए गए					साक्षात्कार किए गए					अनुशंसित					पदों की संख्या की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों का प्रतिशत
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना.	
23.	यूनानी	4	2	1	1	0	0	5	0	33	0	0	3	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	1	0	0	25.00
24.	मूत्रविज्ञान	6	2	1	1	0	2	0	0	1	0	23	0	0	1	0	22	0	0	0	0	7	0	0	0	0	2	33.33
25.	त्वचाविज्ञान और वेने. रोलॉजी	6	1	0	2	0	3	12	1	9	0	30	11	1	7	0	24	7	0	2	0	12	1	0	2	0	3	100.00
26.	भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास	7	0	0	4	0	3	0	0	13	0	21	0	0	10	0	14	0	0	2	0	9	0	0	2	0	2	57.14
27.	पशुचिकित्सा विज्ञान / पशुपालन	12	2	1	2	0	7	96	43	245	12	362	25	10	23	0	30	9	4	8	0	15	2	1	4	0	5	100.00
28.	विविध	10	0	1	2	1	6	0	0	0	0	24	0	0	0	0	14	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	60.00
कुल		**386**	**45**	**21**	**116**	**33**	**171**	**540**	**182**	**1628**	**42**	**2363**	**263**	**87**	**312**	**9**	**958**	**138**	**46**	**164**	**4**	**522**	**43**	**18**	**64**	**1**	**147**	**70.73**

अ.जा.: अनुसूचित जाति	अ.ज.जा.: अनुसूचित जनजाति	अ.पि.व.: अन्य पिछड़ा वर्ग	ईडब्ल्यूएस / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अना.: अनारक्षित
कुल पद: 386	उम्मीदवारों ने आवेदन किया: 4755	साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवार: 1629	साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार: 874	अनुशंसित: 273

परिशिष्ट–17

[अध्याय 4 देखें]

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित भर्ती परीक्षण

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (₹)	आवेदन करने वाले उम्मीदवार	परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार
1.	प्रधानाचार्य, शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	363	78800-209200 (लेवल-12)	13941	10281
2-5	उप निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	151	56100-177500 (लेवल-10)	27881	13555
	एवं				
	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–II, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय	8	56100-177500 (लेवल-10)	5779	3723
	एवं				
	प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय	9	44900-142400 (लेवल-7)	2076	1248
	एवं				
	प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय	1	44900-142400 (लेवल-7)	858	519
6-7	सहायक निदेशक (राजभाषा), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	13	56100-177500 (लेवल-10)	712	383
	एवं				
	अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	8	44900-142400 (लेवल-7)	1785	645
8-10	सहायक भूवैज्ञानिक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय	20	47600-151100 (लेवल-8)	4898	2359
	एवं				
	सहायक खनन भूवैज्ञानिक, भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय	21	44900-142400 (लेवल-7)	746	577
	एवं				
	कनिष्ठ खनन भूवैज्ञानिक, भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय	36	56100-177500 (लेवल-10)	1315	901

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (₹)	आवेदन करने वाले उम्मीदवार	परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार
11-12	सहायक निदेशक (लागत), मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय एवं सहायक निदेशक (लागत), मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	16 22	56100-177500 (लेवल-10) 56100-177500 (लेवल-10)	3088 2648	1656 1748
13-17	सहायक रक्षा संपदा अधिकारी, रक्षा संपदा संगठन, रक्षा संपदा निदेशालय, रक्षा मंत्रालय एवं सहायक अभियंता/निर्माण सहायक सर्वेक्षणकर्ता/अभियांत्रिकी सहायक (सिविल), लोक निर्माण विभाग, दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव प्रशासन एवं सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं उप मंडलीय अभियंता (सिविल), मुख्य अभियंता सह विशेष सचिव (अभियांत्रिकी), अभियांत्रिकी विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन एवं उप मंडलीय अभियंता (लोक स्वास्थ्य) मुख्य अभियंता सह विशेष सचिव (अभियांत्रिकी), अभियांत्रिकी विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन	6 3 10 6 2	44900-142400 (लेवल-7) 44900-142400 (लेवल-7) 56100-177500 (लेवल-10) 56100-177500 (लेवल-10) 56100-177500 (लेवल-10	1386 1803 1798 5001 745	498 525 660 1717 379
18.	फोरमैन (यांत्रिकी), वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय	3	44900-142400 (लेवल-7)	646	112
19.	सहायक अभियंता ग्रेड–I, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय	7	47600-151100 (लेवल-8)	2465	642
20-21	सहायक प्रोफेसर (इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरी), एकीकृत मुख्यालय (नौसेना), रक्षा मंत्रालय एवं सहायक प्रोफेसर (इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरी), सिग्नल महानिदेशक, एकीकृत मुख्यालय, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरी, रक्षा मंत्रालय	2 7	56100-177500 (लेवल-10) 57700-182400 (लेवल-10)	549 1391	225 531

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (₹)	आवेदन करने वाले उम्मीदवार	परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार
22.	उपकेन्द्रीय आसूचना अधिकारी (तकनीकी), आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय	10	56100-177500 (लेवल-10)	14073	3415
23.	निजी सचिव, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय [प्रवीणता परीक्षा]	1	44900-142400 (लेवल-7)	39	12
24-27	सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय	29	56100-177500 (लेवल-10)	3280	1407
	एवं				
	सहायक प्रोफेसर (कंप्यूटर इंजीनियरी/सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरी), सिग्नल महानिदेशक, एकीकृत मुख्यालय, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग	5	57700-182400 (लेवल-10)	858	307
	एवं				
	सिस्टम एनालिस्ट सह कंप्यूटर प्रोग्रामर, पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क महानियंत्रक का कार्यालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	5	56100-177500 (लेवल-10)	1272	396
	एवं				
	प्रणाली विश्लेषक, संघ लोक सेवा आयोग	6	56100-177500 (लेवल-10)	880	454
28.	उप–प्रधानाचार्य, शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	131	56100-177500 (लेवल-10)	7274	5076
29.	सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, [प्रवीणता परीक्षा]	11	56100-177500 (लेवल-10)	73	65

परिशिष्ट–18

[अध्याय 4 देखें]

वर्ष 2022–23 के दौरान अंतिम रूप दिए गए विपुल भर्ती मामले

क्र. सं.	पद का नाम /मंत्रालय एवं वेतनमान	पदों की संख्या	प्राप्त हुए आवेदन	अनुशंसित उम्मीदवार
1.	प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (लेवल 8: ₹47600–151100)	421	983176	421
2.	प्रधानाचार्य, शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (लेवल 12: ₹ 78800–209200)	363	13941	347
3.	सहायक लोक अभियोजक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (लेवल 7 : ₹ 44900–142400)	26	13360	26
4.	डेटा प्रोसेसिंग सहायक, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, महिला सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय (लेवल 7 : ₹ 44900–142400)	2	4309	2
5.	सहायक भूभौतिकीविद्, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय (लेवल 8 : ₹ 47600–151100)	17	3273	15
6.	सहायक लोक अभियोजक, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (लेवल 8 : ₹ 47600–151100)	80	3155	78
7.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान), न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	6	2385	6
8.	लोक अभियोजक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	43	2192	43
9.	स्टॉफ नर्स, फरक्का बैराज परियोजना, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय (लेवल 7 : ₹ 44900–142400)	2	2044	2
10.	सहायक विधिक सलाहकार, प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय (लेवल 11: ₹ 67700–208700)	2	1949	2
11.	कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, एकीकृत मुख्यालय (नौ सेना), सिविलियन कार्मिक निदेशालय, रक्षा मंत्रालय (लेवल 8 : ₹ 47600–151100)	14	1860	14
12.	कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, एकीकृत मुख्यालय (नौ सेना), सिविलियन कार्मिक निदेशालय, रक्षा मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	9	1852	9

क्र. सं.	पद का नाम /मंत्रालय एवं वेतनमान	पदों की संख्या	प्राप्त हुए आवेदन	अनुशंसित उम्मीदवार
13.	सहायक अभियंता/निर्माण सहायक सर्वेक्षक/इंजीनियरी सहायक (सिविल)/ लोक निर्माण विभाग, दादरा व नागर हवेली एवं दमन एवं दीव प्रशासन (लेवल 7 : ₹ 44900–142400)	3	1803	3
14.	सहायक अभियंता (इलेक्ट्रीकल), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	18	1728	18
15.	सहायक अभियंता (सिविल)/ निर्माण सहायक सर्वेक्षक (सिविल), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (लेवल 7 : ₹ 44900–142400)	9	1532	9
16.	सहायक निदेशक, जनगणना संचालन (तकनीकी), भारत के महा रजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	25	1488	25
17.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (यांत्रिकी), वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महा. निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (लेवल 7 : ₹ 44900–142400)	10	1485	9
18.	सहायक अभियंता (सिविल), लोक निर्माण विभाग, दादरा व नागर हवेली प्रशासन (लेवल 7 : ₹ 44900–142400)	3	1475	2
19.	सहायक अभियंता (गुणवत्ता आश्वासन) [आयुध (इंस्ट्रुमेंट)], गुणवत्ता आश्वा. सन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (लेवल 7 : ₹ 44900–142400)	2	1444	2
20.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (इलेक्ट्रॉनिक्स), वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (लेवल 7 : ₹ 44900–142400)	5	1383	5
21.	सांख्यिकी अधिकारी (आयोजना/सांख्यिकी), आयोजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (लेवल 7 : ₹ 44900–142400)	35	1379	33
22.	सहायक रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक संकेत, महानियंत्रक, पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क्स महानियंत्रक का कार्यालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। (लेवल 11: ₹ 67700–208700)	11	1181	11
23.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (कंप्यूटर), वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महा. निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (लेवल 7 : ₹ 44900–142400)	3	1164	3
24.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन विज्ञान), न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	5	979	5

क्र. सं.	पद का नाम /मंत्रालय एवं वेतनमान	पदों की संख्या	प्राप्त हुए आवेदन	अनुशंसित उम्मीदवार
25.	फोरमैन (कंप्यूटर विज्ञान), वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (लेवल 7 : ₹ 44900—142400)	2	958	2
26.	लोक अभियोजक, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी, गृह मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100—177500)	10	952	10
27.	सहायक अभियंता (गुणवत्ता आश्वासन) (लघु आयुध) गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (लेवल 7 : ₹ 44900—142400)	5	938	5
28.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड–II (इंजीनियरी), वैमानिक गुणवत्ता आश्वा. सन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100—177500)	3	902	3
29.	वैज्ञानिक 'ख' (सिविल इंजीनियरी), केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला, जलसंसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100—177500)	7	900	7
30.	कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान सांख्यिकी एवं विश्लेषण), संघ लोक सेवा आयोग (लेवल 7 : ₹ 44900—142400)	3	880	2
31.	प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय (लेवल 7 : ₹ 44900—142400)	1	858	1
32.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड–II (इलेक्ट्रॉनिक्स), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100—177500)	3	833	3
33.	सहायक निदेशक, पर्यटन मंत्रालय (लेवल 7 : ₹ 44900—142400)	13	765	12
34.	सहायक अभियंता, गुणवत्ता आश्वासन (इंजीनियरी उपस्कर), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (लेवल 7 : ₹ 44900—142400)	2	762	2
35.	वैज्ञानिक 'ख' (सिविल इंजीनियरी), केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान शाला, जलसंसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100—177500)	24	731	22
36.	सहायक अभियंता (सिविल), उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय विभाग, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (लेवल 7 : ₹ 44900—142400)	2	706	2
37.	चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद), आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (लेवल 10: ₹ 56100—177500)	3	698	3

क्र. सं.	पद का नाम /मंत्रालय एवं वेतनमान	पदों की संख्या	प्राप्त हुए आवेदन	अनुशंसित उम्मीदवार
38.	सहायक अभियंता, केंद्रीय भूजल बोर्ड, जलसंसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय (लेवल 8 : ₹ 47600–151100)	1	688	1
39.	सहायक अभियंता (नौसेना गुणवत्ता आश्वासन) (यांत्रिक), गुणवत्ता आश्वा. सन निदेशालय (नौसेना), रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (लेवल 7 : ₹ 44900–142400)	3	668	3
40.	सहायक अभियंता (गुणवत्ता आश्वासन) [स्टोर(रसायन शास्त्र)] गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (लेवल 7 : ₹ 44900–142400)	5	660	5
41.	पशु चिकित्सा सहायक सर्जन, पशुपालन विभाग, लक्षद्वीप प्रशासन (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	9	588	9
42.	संयुक्त सहायक निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, गृह मंत्रालय (लेवल 8 : ₹ 47600–151100)	3	577	3
43.	सहायक प्रोफेसर (विधि), डॉ. अंबेडकर शासकीय विधि महाविद्यालय, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, पुदुचेरी सरकार (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	8	545	8
44.	निदेशक (सुरक्षा), महानिदेशालय, फैक्टरी सलाह सेवा और श्रम संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (लेवल 12: ₹ 78800–209200)	7	520	7
	कुल	**1228**	**1065666**	**1200**

परिशिष्ट–19
[अध्याय 7 देखें]

संवर्ग का विवरण, जहाँ भा.प्र.से. (रा.सि.से.), भा.पु.से. एवं भा.व.से. संवर्ग और भा.प्र.से. (गैर–रा.सि.से.) के संबंध में 2021 की कोई चयन सूची तैयार की जानी अपेक्षित नहीं थी– शून्य रिक्ति/अपात्र

क्र.सं.	संवर्ग/ उप–संवर्ग	सेवा
1.	आंध्र प्रदेश	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
2.	असम	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
3.	बिहार	भा.व.से.*
4.	छत्तीसगढ़	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
5.	गुजरात	भा.व.से.
6.	हिमाचल प्रदेश	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
7.	जम्मू एवं कश्मीर	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
8.	मध्य प्रदेश	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
9.	मणिपुर	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
10.	मेघालय	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
11.	नागालैंड	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
12.	ओड़िशा	भा.पु.से.*
13.	पंजाब	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
14.	पंजाब	भा.व.से.
15.	राजस्थान	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
16.	सिक्किम	भा.प्र.से.
17.	सिक्किम	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
18.	तेलंगाना	भा.व.से.
19.	उत्तर प्रदेश	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
20.	उत्तराखंड	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
21.	उत्तराखंड	भा.पु.से.
22.	अरुणाचल प्रदेश	भा.पु.से.
23.	मिजोरम	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
24.	गोवा	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
25.	संघ शासित क्षेत्र	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)

**अपात्र*
संकेतक :
भा.प्र.से.– भारतीय प्रशासनिक सेवा
भा.पु.से.– भारतीय पुलिस सेवा
भा.व.से.– भारतीय वन सेवा
एस.सी.एस. – राज्य सिविल सेवा

परिशिष्ट–20
[अध्याय 7 देखें]

अखिल भारतीय सेवाओं में समावेशन– वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित बैठकें

1. आयोजित बैठकें:–

वर्ष 2022–23 के दौरान, आयोग ने 53 चयन समिति की बैठकें आयोजित की, जिनमें विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राज्य सिविल सेवाओं, गैर–राज्य सिविल सेवाओं, राज्य पुलिस सेवाओं तथा राज्य वन सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा में समावेशन के लिए 1,303 अधिकारियों के मामले शामिल थे।

(i) भा.प्र.से. (रा.सि.से.):– आयोग को वर्ष 2021 की विद्यमान रिक्तियों तथा पूर्व वर्ष/वर्षों की चयन सूचियां तैयार करने के लिए 32 प्रस्ताव प्राप्त हुए। 21 संवर्गों के संबंध में राज्य सिविल सेवा से भा.प्र.से. में समावेशन के लिए चयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। आठ संवर्गों के प्रस्ताव में कमी थी, जिसके संबध में संबंधित राज्य सरकारों से अपेक्षित दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए। राज्य सरकार द्वारा स्थगन करने के लिए अनुरोध करने के कारण तीन संवर्गों में चयन समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

(ii) भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा) :– वर्ष के दौरान, आयोग में वर्ष 2021 के लिए भा.प्र.से. में चयन द्वारा नियुक्ति हेतु गैर–राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के मामलों पर विचार करने के लिए 08 प्रस्ताव प्राप्त हुए। 06 संवर्गों के संबंध में बैठकें आयोजित की गईं। दो संवर्गों के संबंध में प्रस्तावों में कमी थी और संबंधित राज्य सरकार से अपेक्षित दस्तावेज/ स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ।

(iii) भा.पु.से.:– आयोग को वर्ष 2021 की विद्यमान रिक्तियों और पिछले वर्ष की रिक्तियों के लिए चयन सूची तैयार करने के लिए 23 प्रस्ताव प्राप्त हुए। 15 संवर्गों के लिए राज्य पुलिस सेवा से भा.पु.से. में समावेशन हेतु चयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। सात संवर्गों के प्रस्ताव में कमी थी जिसके संबंध में संबधित राज्यसरकार से अपेक्षित दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए। एक संवर्ग में एक चयन समिति बैठक राज्य सरकार से स्थगन के लिए अनुरोध किए जाने के कारण आयोजित नहीं की जा सकी।

(iv) भा.व.से.:– आयोग को वर्ष 2021 की विद्यमान रिक्तियों और पिछले वर्षों की रिक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए 17 प्रस्ताव प्राप्त हुए। राज्य वन सेवा से भा.व.से. में समावेशन हेतु 11 संवर्गों/उप–संवर्गों के संबंध में चयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। छः संवर्गों के प्रस्तावों में कमी थी और जिनके संबंध में संबंधित राज्य सरकार से अपेक्षित दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए।

2. वर्ष–वार चयन सूचियां तैयार करना :–

वर्ष 2022–23 के दौरान, निम्नलिखित संवर्गों/उपसंवर्गों के संबंध में पिछले वर्षों की चयन सूचियां भी

तैयार की गईं :–

संवर्ग	सेवा	तैयार की गई चयन सूचियाँ
झारखंड	भा.व.से.	2015, 2016, 2017, 2018 एवं 2019
असम	भा.प्र.से.	2020
जम्मू और कश्मीर	भा.प्र.से.	2013, 2014, 2015, 2016, 2017 एवं 2018
उत्तराखंड	भा.प्र.से.	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 एवं 2020
बिहार	भा.प्र.से.	2018 एवं 2019
गोवा	भा.व.से.	2020
महाराष्ट्र	भा.प्र.से.	2020
अरुणाचल प्रदेश	भा.व.से.	2017 एवं 2018
केरल	भा.पु.से.	2019 एवं 2020
पंजाब	भा.प्र.से.	2020
पश्चिम बंगाल	भा.पु.से.	2018
असम	भा.व.से.	2017, 2018 एवं 2019
तमिलनाडु	भा.व.से.	2020
अरुणाचल प्रदेश	भा.प्र.से.	2018, 2019 एवं 2020

3. पुनरीक्षा चयन समिति बैठकें :–

माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण / उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में वर्ष 2022–23 के दौरान पुनरीक्षा चयन समिति की 08 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 15 अधिकारियों के मामले शामिल थे। **(परिशिष्ट–21)**

परिशिष्ट–21
[अध्याय 7 देखें]

2022–23 में आयोजित पुनरीक्षा चयन समिति बैठकें (आरएससीएम)।

क्र. सं.	राज्य	न्यायालय का नाम	ओए/डब्ल्यूपी/ सीपी संख्या	श्री/श्रीमती के मामले में	निर्णय की तिथि	बैठक की तिथि	विचार किए गए अधिकारियों की संख्या	अनुशंसित अधिकारियों की संख्या	संबंधित सेवा	चयन सूची
1.	महाराष्ट्र	कें.प्र.अ., मुंबई	ओ.ए.सं. 768/2016, 390/2019 एवं 426/2020 में आर.ए. सं. 02/2022 के	श्री पी टी वैचल	21.03.2022	17.08.2022	1	0	भा.प्र.से.	2015, 2017 & 2018
2.	पंजाब	उच्च न्यायालय, चंडीगढ़,	अपील सं. सीआरए 3316–SB–2017	टी के गोयल	26.04.2021	27.10.2022	1	0	भा.प्र.से.	2014 to 2016
3.	छत्तीसगढ़	कें.प्र.अ., जबलपुर	ओ.ए. सं.200/138/2021	श्रीमती हीना नेताम	19.07.2022	28.10.2022	1	0	भा.प्र.से.	2019
4.	आंध्र प्रदेश	कें.प्र.अ., हैदराबाद	ओ.ए.सं.906/2009	जीएसआरके आर विजय कुमार एवं अन्य	28.01.2011	04.11.2022	7	7	भा.प्र.से.	2003
5.	असम	उच्च न्यायालय, गुवाहटी	रिट याचिका सं. 973 / 15	नित्यानंद बोरकाकोटी	07.03.2019	21.11.2022	1	1	भा.प्र.से.	2008, 2008-ए
6.	असम	उच्च न्यायालय, गुवाहटी	सीपी सं.130/2020	मिहिर गोस्वामी	28.02.2020	21.11.2022	1	0	भा.पु.से.	2009-ए
7.	बिहार	कें.प्र.अ., पटना	ओ.ए.सं.212 / 2021	अरविन्द ठाकुर एवं अमजद अली	13.10.2022	18.01.2023	2	1	भा.पु.से.	2011
8.	ओड़िशा	कें.प्र.अ., कटक	ओ.ए.सं.521/21	सुस्रया माधव पाणिग्रही	05.05.2022	23.03.2023	1	1	भा.प्र.से.	2020

परिशिष्ट–22
[अध्याय 7 देखें]

अखिल भारतीय सेवाएं – चयन सूची 2021 के संदर्भ में वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित नहीं की गई चयन समिति की बैठकें

क्र.सं.	संवर्ग	सेवा	कारण
1.	आंध्र प्रदेश	भा.व.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
2.	असम	भा.प्र.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
3.	असम	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
4.	असम	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
5.	बिहार	भा.प्र.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
6.	छत्तीसगढ़	भा.प्र.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
7.	छत्तीसगढ़	भा.पु.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
8.	छत्तीसगढ़	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
9.	गुजरात	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
10.	हरियाणा	भा.प्र.से.	राज्य सरकार के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया।
11.	हरियाणा	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
12.	हरियाणा	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
13.	जम्मू और कश्मीर	भा.प्र.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
14.	जम्मू और कश्मीर	भा.पु.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
15.	जम्मू और कश्मीर	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
16.	झारखंड	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	अपूर्ण प्रस्ताव।
17.	झारखंड	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
18.	झारखंड	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
19.	कर्नाटक	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
20.	कर्नाटक	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
21.	केरल	भा.प्र.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
22.	केरल	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
23.	केरल	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
24.	महाराष्ट्र	भा.प्र.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
25.	महाराष्ट्र	भा.व.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
26.	महाराष्ट्र	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

क्र.सं.	संवर्ग	सेवा	कारण
27.	मध्य प्रदेश	भा.प्र.से.	राज्य सरकार के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया
28.	मध्य प्रदेश	भा.पु.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
29.	मणिपुर	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
30.	मणिपुर	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
31.	मेघालय	भा.व.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
32.	नागालैंड	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
33.	ओड़िशा	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	अपूर्ण प्रस्ताव।
34.	ओड़िशा	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
35.	पंजाब	भा.प्र.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
36.	पंजाब	भा.पु.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
37.	राजस्थान	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
38.	तमिलनाडु	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
39.	तमिलनाडु	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
40.	तेलंगाना	भा.पु.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
41.	त्रिपुरा	भा.प्र.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
42.	त्रिपुरा	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
43.	त्रिपुरा	भा.पु.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
44.	त्रिपुरा	भा.व.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
45.	उत्तर प्रदेश	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
46.	उत्तराखंड	भा.प्र.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
47.	उत्तराखंड	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
48.	पश्चिम बंगाल	भा.प्र.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
49.	पश्चिम बंगाल	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
50.	पश्चिम बंगाल	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
51.	अरुणाचल प्रदेश	भा.प्र.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
52.	अरुणाचल प्रदेश	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
53.	अरुणाचल प्रदेश	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
54.	गोवा	भा.प्र.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
55.	गोवा	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
56.	संघ शासित क्षेत्र	भा.प्र.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
57.	संघ शासित क्षेत्र	भा.व.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।

परिशिष्ट–23
[अध्याय 7 देखें]

मंत्रालय/विभाग/संघ शासित क्षेत्र जिन्होंने वर्ष 2022–23 के दौरान समूह 'क' एवं समूह 'ख' पदों/सेवाओं में की गई तदर्थ नियुक्तियों की अर्ध–वार्षिक विवरणियां नहीं भेजी।

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम
1.	**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**
	⊞ कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
	⊞ पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग
2.	**आयुष मंत्रालय**
3.	**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**
	⊞ रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग
	⊞ उर्वरक विभाग
	⊞ औषधि विभाग
4.	**नागर विमानन मंत्रालय**
5.	**कोयला मंत्रालय**
6.	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
	⊞ वाणिज्य विभाग
	⊞ औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
7.	**संचार मंत्रालय**
	⊞ डाक विभाग
	⊞ दूर संचार विभाग (डी.ओ.टी.)
8.	**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय**
	⊞ उपभोक्ता मामले विभाग
	⊞ खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
9.	**सहकारिता मंत्रालय**
10.	**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**
11.	**संस्कृति मंत्रालय**
12.	**रक्षा मंत्रालय**
	⊞ रक्षा विभाग
	⊞ रक्षा उत्पादन विभाग
	⊞ रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग
	⊞ भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
	⊞ सैन्य कार्य विभाग

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम
13.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय**
14.	**पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**
15.	**इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
16.	**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**
17.	**विदेश मंत्रालय**
18.	**वित्त मंत्रालय**
	⊞ आर्थिक कार्य विभाग
	⊞ व्यय विभाग
	⊞ वित्तीय सेवाएं विभाग
	⊞ निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग
	⊞ राजस्व विभाग
	⊞ लोक उद्यम विभाग
19.	**मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**
	⊞ मत्स्य पालन विभाग
	⊞ पशुपालन और डेयरी विभाग
20.	**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**
21.	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**
	⊞ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
	⊞ स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
22.	**भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय**
23.	**गृह मंत्रालय**
	⊞ सीमा प्रबंधन विभाग
	⊞ गृह विभाग
	⊞ आंतरिक सुरक्षा विभाग
	⊞ जम्मू एवं कश्मीर (ज.एवं क.) कार्य विभाग
	⊞ राजभाषा विभाग
	⊞ राज्य विभाग
24.	**आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय**
25.	**शिक्षा मंत्रालय**
	⊞ उच्चतर शिक्षा विभाग
	⊞ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम
26.	**सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**
27.	**जल शक्ति मंत्रालय**
	⊞ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
	⊞ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
28.	**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**
29.	**विधि एवं न्याय मंत्रालय**
	⊞ न्याय विभाग
	⊞ विधि कार्य मंत्रालय
	⊞ विधायी विभाग
30.	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**
31.	**खान मंत्रालय**
32.	**अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**
33.	**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**
34.	**पंचायती राज मंत्रालय**
35.	**संसदीय कार्य मंत्रालय**
36.	**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय**
	⊞ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डी.ए.आर.पी.जी.)
	⊞ पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
	⊞ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
37.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**
38.	**योजना मंत्रालय**
39.	**पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय**
40.	**विद्युत मंत्रालय**
41.	**रेल मंत्रालय**
42.	**सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय**
43.	**ग्रामीण विकास मंत्रालय**
	⊞ भूमि संसाधन विभाग (डी.एल.आर.)
	⊞ ग्रामीण विकास विभाग (डी.आर.डी.)
44.	**विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय**
	⊞ जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.), भारत सरकार
	⊞ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.)
45.	**कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय**

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम
46.	**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय**
	⊞ दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग
	⊞ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
47.	**इस्पात मंत्रालय**
48.	**वस्त्र मंत्रालय**
49.	**पर्यटन मंत्रालय**
50.	**जनजातीय कार्य मंत्रालय**
51.	**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**
52.	**युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय**
	⊞ खेल विभाग
	⊞ युवा कार्य विभाग
53.	**आण्विक ऊर्जा विभाग**
54.	**अंतरिक्ष विभाग**
55.	**मंत्रिमंडल सचिवालय**
56.	**राष्ट्रपति सचिवालय**
57.	**प्रधानमंत्री कार्यालय**
58.	**नीति आयोग**
59.	**राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय**
60.	**संघ शासित क्षेत्र**
	⊞ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
	⊞ चंडीगढ़
	⊞ दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव
	⊞ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
	⊞ जम्मू और कश्मीर
	⊞ लक्षद्वीप
	⊞ लद्दाख
	⊞ पुदुचेरी

परिशिष्ट–24

[अध्याय 7 देखें]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का मंत्रालय/विभागवार विवरण तथा विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान आरक्षित/अनारक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्ति हेतु संस्तुत किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	आरक्षित रिक्तियों की संख्या			आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित अधिकारियों की संख्या			अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित अधिकारियों की संख्या		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
1.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	13	6	19	13	6	19	19	6	25
2.	श्रम एवं रोजगार	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3.	शिक्षा	1	1	2	1	1	2	0	0	0
4.	दिल्ली नगर निगम	3	1	4	0	0	0	1	0	1
5.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	793	526	1319	555	214	769	345	141	486
6.	खान	6	2	8	4	2	6	9	3	12
7.	पुदुचेरी सरकार	1	1	2	1	1	2	0	0	0
8.	उपभोक्ता मामले	0	0	0	0	0	0	2	0	2
9.	गृह	136	79	215	136	74	210	9	4	13
10.	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11.	राजस्व	56	30	86	60	31	91	56	36	92
12.	आर्थिक कार्य	10	2	12	5	2	7	1	0	1
13.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	23	12	35	17	1	18	4	1	5
14.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	1	1	2	0	0	0	4	1	5
15.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	0	7	7	0	0	0	2	0	2
16.	रक्षा	36	17	53	23	8	31	43	33	76
17.	संचार	2	0	2	2	0	2	0	0	0
18.	विद्युत	2	1	3	2	1	3	0	0	0
19.	विदेश	8	6	14	6	5	11	4	0	4
20.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	0	0	0	0	0	0	0	1	1
21.	वाणिज्य	4	1	5	2	1	3	2	2	4
22.	कपड़ा	0	0	0	0	0	0	1	0	1
23.	सूचना एवं प्रसारण	4	1	5	4	1	5	0	0	0
24.	रेलवे	105	48	153	109	47	156	56	9	65
25.	कृषि एवं किसान कल्याण	3	1	4	3	1	4	3	0	3
26.	पर्यावरण एवं वन	1	0	1	0	0	0	3	1	4
	कुल	**1208**	**744**	**1952**	**943**	**397**	**1340**	**564**	**239**	**803**

परिशिष्ट–25

[अध्याय 5 देखें]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों की भर्ती

क्र. सं.	विषय	के लिए आरक्षित						आवेदन किया साक्षात्कार के लिए बुलाए गए						साक्षात्कार किए गए						अनुशंसित					
		आरक्षित रिक्तियों की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या	अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	कमी	सामान्य मानक पर अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या	अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	कमी	सामान्य मानक पर अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या	अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	कमी	सामान्य मानक पर अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या	अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	कमी	सामान्य मानक पर अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या
1.	सिविल सेवा परीक्षा, 2021	105	1250	106	105	0	01	60	681	60	60	0	0	203	2433	215	203	0	12	73	862	77	73	0	04
2.	भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021	16	97	16	16	0	0	08	54	08	08	0	0	30	204	40	30	0	10	11	84	14	11	0	03
3.	सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2021	86	3190	89	84	0	05	44	995	44	44	0	0	297	6819	342	261	0	81	92	952	96	83	0	13
4.	अनुभाग अधिकारियों/ आशुलिपिकों (ग्रेड "ख"/ ग्रेड–I) की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2016 एवं 2017	256	226	109	68	188	41	140	87	51	40	100	11	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
5.	भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2022	08	464	08	08	0	0	04	165	04	04	0	0	14	874	18	14	0	04	05	189	07	05	0	02
6.	इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022	34	188	34	33	0	01	17	99	17	17	0	0	66	1406	66	37	0	29	16	109	16	13	0	03
7.	सम्मिलित भू–वैज्ञानिक परीक्षा, 2022	27	161	27	27	0	0	14	75	14	14	0	0	51	335	59	42	0	17	20	116	26	16	0	10
	कुल	**532**	**5576**	**389**	**341**	**188**	**@48**	**287**	**2156**	**198**	**187**	**100**	**@11**	**661**	**11071**	**740**	**587**	**0**	**@153**	**217**	**2312**	**236**	**201**	**0**	**@35**

एन.ए. – लागू नहीं।

@ *(क) सामान्य मानक पर अनुशंसित उम्मीदवार : 154 उम्मीदवार (सिविल सेवा परीक्षा, 2021 के 01 अ.जा., 12 अ.पि.व. एवं 04 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों, भारतीय वन सेवा परीक्षा 2021 के 10 अ.पि.व. एवं 03 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों, सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा 2021 के 03 अ.जा., 45 अ.पि.व. एवं 04 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों, अनुभाग अधिकारियों/आशुलिपिकों (ग्रेड "ख"/ग्रेड–I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2016 एवं 2017 के 41 अ.जा., 11 अ.ज.जा. उम्मीदवारों, भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2022 के 04 अ.पि.व. एवं 02 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों एवं सम्मिलित भू–वैज्ञानिक परीक्षा, 2022 के 08 अ.पि.व. एवं 06 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की सामान्य मानक पर अनुशंसा की गई।)*

(ख) सामान्य मानक के साथ–साथ उनके लिए आरक्षित पदों हेतु अनुशंसित उम्मीदवार : 93 उम्मीदवारों (सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2021 के (02 अ.जा., 36 अ.पि.व. एवं 09 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों, इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022 के 01 अ.जा., 29 अ.पि.व. एवं 03 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों एवं सम्मिलित भू–वैज्ञानिक परीक्षा, 2022 के 09 अ.पि.व. एवं 04 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों) की उनके लिए आरक्षित पदों के साथ–साथ सामान्य मानकों के अनुरूप अनुसंशा की गई थी।

परिशिष्ट–26

[अध्याय 5 देखें]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित उन पदों की सूची, जिनके लिए इन वर्गों के किसी भी उम्मीदवार ने वर्ष 2022–23 के दौरान आवेदन नहीं किया

क्र. सं.	पद का नाम एवं वेतनमान	आरक्षित पदों की संख्या				कुल
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
1.	विशेषज्ञ ग्रेड–III सहायक प्रोफेसर (यूरोलॉजी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (लेवल 11:₹ 67700-208700)	2	1	0	0	3
2.	विशेषज्ञ ग्रेड–III सहायक प्रोफेसर (क्लिनिकल हेमेटोलॉजी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (लेवल 11:₹ 67700-208700)	0	1	2	1	4
3.	विशेषज्ञ ग्रेड–III सहायक प्रोफेसर (न्यूरो–सर्जरी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (लेवल 11:₹ 67700-208700)	0	1	0	2	3
4.	सहायक प्रोफेसर (यूनानी), (अमरेज ऐन, उज्न, अनफ, हलक वा असनान) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (लेवल 10:₹ 56100-177500)	0	1	0	0	1
5.	विशेषज्ञ ग्रेड–III सहायक प्रोफेसर (बाल हृदयरोग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (लेवल 11:₹ 67700-208700)	0	0	1	0	1
6.	विशेषज्ञ ग्रेड–III सहायक प्रोफेसर (रेडियो थेरेपी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (लेवल 11:₹ 67700-208700)	0	0	0	1	1
7.	विशेषज्ञ ग्रेड–III सहायक प्रोफेसर (जनरल सर्जरी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (लेवल 11:₹ 67700-208700)	0	0	0	6	6
8.	विशेषज्ञ ग्रेड–III सहायक प्रोफेसर शरीर रचना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (लेवल 11:₹ 67700-208700)	0	0	0	1	1
9.	वरिष्ठ व्याख्याता (रेडियोडायगनोसिस), शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन (लेवल 11:₹ 67700-208700)	0	0	0	1	1
10.	विशेषज्ञ ग्रेड–III सहायक प्रोफेसर (अनेस्थिसियोलॉजी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (लेवल 11:₹ 67700-208700)	0	0	0	5	5
11.	विशेषज्ञ ग्रेड–III सहायक प्रोफेसर (पैथोलॉजी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (लेवल 11:₹ 67700-208700)	0	0	0	1	1
12.	विशेषज्ञ ग्रेड–III सहायक प्रोफेसर (प्रसूति एवं स्त्रीरोग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (लेवल 11:₹ 67700-208700)	0	0	0	1	1
	कुल	**2**	**4**	**3**	**19**	**28**

परिशिष्ट—27

[अध्याय 5 देखें]

वर्ष 2022—23 के दौरान चयन द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या

क्र. सं.	पद का नाम एवं वेतनमान	आरक्षित पदों की संख्या				कुल
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
1.	सहायक अभियंता (गुणवत्ता आश्वासन) [स्टोर (रसायनशास्त्र)], गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (लेवल 7: ₹ 44900-142400)	0	0	2	0	2
2.	अनुसंधान अधिकारी, जनजातीय कार्य मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100-177500)	0	1	0	0	1
3.	वनस्पति—वैज्ञानिक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (लेवल 7: ₹ 44900-142400)	0	0	2	0	2
4.	विशेषज्ञ ग्रेड III सहायक प्रोफेसर (जनरल मेडिसिन), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (लेवल 11: ₹ 67700-208700)	0	1	0	0	1
5.	निदेशक (संरक्षण), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय (लेवल 12: ₹ 78800-209200)	0	1	0	0	1
6.	व्याख्याता (प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100-177500)	1	0	1	0	2
7.	व्याख्याता (फिजियोथेरेपी), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100-177500)	0	0	1	0	1
8.	महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न, औद्योगिक संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सहायक रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक संकेत (लेवल 11: ₹ 67700-208700)	1	0	2	0	3
9.	उप अधीक्षण पुरातत्व अभियंता, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100-177500)	0	0	1	0	1
10.	सहायक अभियंता, केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय (लेवल 8: ₹ 47600-151100)	0	0	1	0	1
11.	सहायक अभियंता (सिविल)/सहायक सर्वेक्षक निर्माण (सिविल), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (लेवल 7: ₹ 44900-142400)	0	0	0	1	1

क्र. सं.	पद का नाम एवं वेतनमान	आरक्षित पदों की संख्या				कुल
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
12.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान), न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (लेवल 10: ₹ 56100-177500)	0	0	1	0	1
13.	विशेषज्ञ ग्रेड–III सहायक प्रोफेसर (जनरल सर्जरी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (लेवल 11: ₹ 67700-208700)	4	1	2	0	7
14.	सहायक लोक अभियोजक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (लेवल 7: ₹ 44900-142400)	0	0	2	1	3
15.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड–II (आयुध), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100-177500)	1	0	0	0	1
16.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी), न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (लेवल 10: ₹ 56100-177500)	0	0	1	0	1
17.	विशेषज्ञ ग्रेड–III सहायक प्रोफेसर शरीर रचना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (लेवल 11: ₹ 67700-208700)	1	0	0	0	1
18.	कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, एकीकृत मुख्यालय (नौसेना), सिविल कार्मिक निदेशालय, रक्षा मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100-177500)	0	0	2	0	2
19.	सहायक निदेशक, जनगणना संचालन (तकनीकी), भारत के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय, गृह मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100-177500)	0	0	1	1	2
20.	प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम और रोजगार मंत्रालय (लेवल 8: ₹ 47600-151100)	1	2	35	16	54
21.	लोक अभियोजक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100-177500)	0	0	2	0	2
22.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (यांत्रिक), वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (लेवल 7: ₹ 44900-142400)	0	0	1	0	1
23.	वैज्ञानिक 'बी' (सिविल इंजीनियरिंग), केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100-177500)	1	0	1	0	2
24.	डेटा प्रोसेसिंग सहायक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, महिला सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय (लेवल 7: ₹ 44900-142400)	0	0	1	0	1

क्र. सं.	पद का नाम एवं वेतनमान	आरक्षित पदों की संख्या				कुल
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
25.	विशेषज्ञ ग्रेड–III सहायक प्रोफेसर (एनेस्थिसियोलॉजी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (लेवल 11: ₹ 67700-208700)	1	0	1	0	2
26.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (इलेक्ट्रॉनिक्स), वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (लेवल 7: ₹ 44900-142400)	0	0	0	1	1
27.	लोक अभियोजक, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी, गृह मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100-177500)	0	0	1	0	1
28.	फोरमैन (इलेक्ट्रिकल), वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (लेवल 7: ₹ 44900-142400)	0	0	1	0	1
29.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड–II (सैन्य विस्फोटक), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100-177500)	0	0	1	0	1
30.	सहायक भूभौतिकीविद्, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय (लेवल 8: ₹ 47600-151100)	0	0	1	1	2
31.	पशु चिकित्सा सहायक सर्जन, पशुपालन विभाग, लक्षद्वीप प्रशासन (लेवल 10: ₹ 56100-177500)	0	0	2	0	2
32.	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, एकीकृत मुख्यालय (नौसेना), सिविल कार्मिक निदेशालय, रक्षा मंत्रालय (लेवल 8: ₹ 47600-151100)	0	0	1	0	1
33.	सहायक प्रोफेसर (विधि), डॉ. अंबेडकर शासकीय विधि महाविद्यालय, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, पुदुचेरी सरकार (लेवल 10: ₹ 56100-177500)	0	0	1	0	1
34.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड–II (धातुविज्ञान), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100-177500)	0	0	1	0	1
35.	सहायक निदेशक (रसायन विज्ञान), पादप संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100-177500)	0	0	2	0	2
36.	निदेशक (सुरक्षा), फैक्टरी सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय (लेवल 12: ₹ 78800-209200)	0	0	1	0	1
37.	प्रधानाचार्य, शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (लेवल 12: ₹ 78800-209200)	3	0	20	0	23
38.	सहायक लोक अभियोजक, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (लेवल 8: ₹ 47600-151100)	1	0	2	0	3
	कुल	**15**	**6**	**94**	**21**	**136**

परिशिष्ट–28
[अध्याय 8 देखें]

वर्ष 2022–23 के दौरान निपटाए गए अनुशासनिक मामले

अग्रानीत	**: 323**	**निपटाए गए कुल मामले**	**: 565**
वर्ष के दौरान प्राप्त	**: 473**	**अंतिम शेष**	**: 231**
कुल	**: 796**		

क्र. सं.	अनुशासन	मामले जिनमें परामर्श संसूचित किया गया: आरोपित अधिकारियों की श्रेणी: क	ख	ग	कुल (2 से 4)	शास्ति, जिसका परामर्श दिया गया: बर्खास्तगी	निष्कासन	अनिवार्य सेवानिवृत्ति	रैंक घटाना	**आर्थिक शास्तियां	पदोन्नति रोकना	परिनिंदा	पेंशन में कटौती	कार्यवाही त्यक्त	कुल प्रभावी परामर्श	पुनर्विचार करके दोहराए गए परामर्श	नए सिरे से कार्यवाही	विविध परामर्श	जारी किए गए कुल परामर्श पत्र	अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु वापस किए गए	मामले का संदर्भ नहीं	सरकार द्वारा वापस लिए गए	निपटाए गए कुल मामले
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	दोषसिद्धि	12	13	10	35	6	0	0	0	0	0	0	29	0	35	0	0	0	35	0	0	0	35
2.	भ्रष्टाचार / कदाचार	6	4	1	11	2	0	0	0	2	0	0	7	0	11	0	0	0	11	0	0	0	11
3.	बेईमानी / गबन	11	5	6	22	3	1	0	0	5	0	0	13	0	22	0	0	0	22	0	0	0	22
4.	अनैतिक आचरण	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
5.	बिना छुट्टी लिए ड्यूटी से अनुपस्थित	31	4	1	36	8	4	1	0	12	0	1	9	1	36	0	0	0	36	0	0	0	36
6.	बाहरी रोजगार / व्यवसाय	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
7.	अवज्ञा	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
8.	कर्तव्यों की अवहेलना / नियमों की अवमानना	50	25	26	101	0	0	0	1	20	0	6	68	6	101	0	0	0	101	0	0	0	101
9.	संपत्ति के लेन–देन में अनियमितताएं	22	8	3	33	0	1	0	2	8	0	4	16	2	33	0	0	0	33	0	0	0	33
10.	दुर्व्यवहार	9	1	0	10	0	0	0	0	5	0	1	3	1	10	0	0	0	10	0	0	0	10
11.	अन्य आरोप / कदाचार	166	46	46	258	7	3	3	2	71	0	19	126	27	258	0	0	0	258	55	0	0	313
	कुल	**308**	**107**	**95**	**510**	**26**	**9**	**4**	**5**	**124**	**0**	**31**	**274**	**37**	**510**	**0**	**0**	**0**	**510**	**55**	**0**	**0**	**565**

*** इनमें वेतन को समय वेतनमान के निचले स्तर तक घटाने, वेतन वृद्धि रोकने, विशेषाधिकार पास को रोकना (रेल कर्मचारियों के मामले में) और लापरवाही या आदेशों के उल्लंघन होने पर सरकार को हुई धन संबंधी हानि को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वेतन से वसूली करने संबंधी शास्तियां शामिल हैं।*

परिशिष्ट–29

[अध्याय 8 देखें]

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा अनुशासनिक मामलों में दिए गए परामर्श का मंत्रालय–वार विवरण

क्र. सं.	मंत्रालय/ राज्य सरकार का नाम	सत्यनिष्ठा से संबंधित मामले				सत्यनिष्ठा से संबंधित आरोपों के अलावा अन्य मामले				नए सिरे से कार्यवाही आरंभ करने का परामर्श	विविध स्वरूप का परामर्श	कॉलम 6, 10, 11 एवं 12 का कुल योग
		उन मामलों की संख्या जिनमें दीर्घ शास्ति का परामर्श दिया गया	उन मामलों की संख्या जिनमें लघु शास्ति का परामर्श दिया गया	उन मामलों की संख्या जिनमें किसी भी शास्ति का परामर्श नहीं दिया गया	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें दीर्घ शास्ति का परामर्श दिया गया	उन मामलों की संख्या जिनमें लघु शास्ति का परामर्श दिया गया	उन मामलों की संख्या जिनमें किसी भी शास्ति का परामर्श नहीं दिया गया	कुल			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1.	कृषि एवं किसान कल्याण	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2.	परमाणु ऊर्जा	2	0	1	3	3	1	2	6	0	0	9
3.	बिहार	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	2
4.	मंत्रिमंडल सचिवालय	1	0	0	1	1	1	0	2	0	0	3
5.	नागर विमानन	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2
6.	संचार	72	1	5	78	11	4	3	18	0	0	96
7.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8.	कारपोरेट कार्य	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
9.	रक्षा	22	0	1	23	4	0	0	4	0	0	27
10.	शिक्षा	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
11.	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
12.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2
13.	विदेश	1	0	0	1	1	4	0	5	0	0	6
14.	वित्त	74	6	2	82	13	6	2	21	0	0	103
15.	गुजरात	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
16.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3	0	1	4	1	0	0	1	0	0	5
17.	गृह	31	5	2	38	22	13	6	41	0	0	79
18.	आवासन एव शहरी कार्य	21	6	0	27	5	4	2	11	0	0	38
19.	सूचना एवं प्रसारण	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7
20.	जल शक्ति	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
21.	खान	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2
22.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	9	1	0	10	2	2	2	6	0	0	16
23.	नीति आयोग	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
24.	विद्युत	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
25.	प्रधान मंत्री कार्यालय	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
26.	रेलवे	58	6	2	66	12	13	5	30	0	0	96
27.	विज्ञान एवं तकनीकी	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
28.	अंतरिक्ष	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
29.	पर्यटन	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
30.	उत्तर प्रदेश	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
31.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
32.	युवा कार्य एवं खेल	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	कुल	**314**	**27**	**15**	**356**	**79**	**53**	**22**	**154**	**0**	**0**	**510**

परिशिष्ट–30

[अध्याय 10 देखें]

सरकार द्वारा भर्ती नियम अधिसूचित नहीं किए जाने वाले मामलों की संख्या और विलंब की अवधि दर्शाने वाला विवरण (मार्च 31, 2023 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	मंत्रालय / विभाग	3-4 वर्ष	2-3 वर्ष	1-2 वर्ष	0-1 वर्ष	कुल
1.	**कृषि**					
	कृषि एवं किसान कल्याण	0	0	0	4	**4**
2.	**मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी**					
	मत्स्य पालन	0	0	0	7	**7**
	पशुपालन एवं डेयरी	0	0	0	2	**2**
3.	**मंत्रिमंडल सचिवालय**					
	मंत्रिमंडल सचिवालय	0	0	0	1	**1**
4.	**रसायन और उर्वरक**					
	रसायन एवं पेट्रो–रसायन	0	0	0	0	**0**
	उर्वरक	0	0	0	0	**0**
5.	**नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण**					
	उपभोक्ता मामले	0	0	0	0	**0**
6.	**वाणिज्य एवं उद्योग**					
	वाणिज्य	0	0	0	6	**6**
	उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन	1	10	0	0	**11**
7.	**संचार**					
	डाक	0	0	0	0	**0**
	दूर–संचार	0	0	0	3	**3**
8.	**रक्षा**					
	रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति	1	0	0	0	**1**
	रक्षा	0	0	3	35	**38**
	रक्षा अनुसंधान और विकास	0	0	0	0	**0**
9.	**पर्यावरण और वन**					
	पर्यावरण, वन और वन्यजीव	0	2	1	3	**6**
10.	**विदेश**					
	विदेश	3	0	0	0	**3**
11.	**वित्त**					
	व्यय	0	0	0	5	**5**
	राजस्व	1	1	0	4	**6**
	आर्थिक कार्य	0	0	0	0	**0**
12.	**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग**					
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	0	0	0	0	**0**
13.	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**					
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	11	11	10	15	**47**

क्र.सं.	मंत्रालय / विभाग	3-4 वर्ष	2-3 वर्ष	1-2 वर्ष	0-1 वर्ष	कुल
14.	**गृह**					
	गृह	8	11	8	22	**49**
15.	**शिक्षा**					
	उच्चतर शिक्षा	0	0	0	0	**0**
	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	0	0	0	0	**0**
16.	**भारी उद्योग**					
	भारी उद्योग	0	0	0	0	**0**
17.	**सूचना एवं प्रसारण**					
	सूचना एवं प्रसारण	0	0	0	0	**0**
18.	**श्रम**					
	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय	0	0	0	0	**0**
	खान सुरक्षा	4	0	0	0	**4**
	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	0	0	3	0	**3**
	श्रम	1	0	1	14	**16**
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	0	8	7	1	**16**
19.	**विधि एवं न्याय**					
	विधि कार्य	0	0	0	0	**0**
	विधायी विभाग	0	0	0	0	**0**
	कंपनी मामले	0	0	0	0	**0**
20.	**संसदीय मामले**					
	संसदीय कार्य	0	0	0	0	**0**
21.	**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन**					
	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत	0	0	0	0	**0**
	कार्मिक एवं प्रशिक्षण	2	0	4	1	**7**
22.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस**					
	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	0	0	0	0	**0**
23.	**रेल**					
	रेल	0	0	1	1	**2**
24.	**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी**					
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	0	0	1	0	**1**
25.	**इस्पात**					
	इस्पात	0	0	0	0	**0**
26.	**कारपोरेट कार्य**					
	कारपोरेट कार्य	0	0	0	0	**0**
27.	**वस्त्र**					
	वस्त्र	0	0	0	2	**2**
28.	**पर्यटन**					
	पर्यटन	0	0	0	0	**0**
29.	**संघ लोक सेवा आयोग**					
	संघ लोक सेवा आयोग	0	0	0	1	**1**
30.	**आवासन और शहरी कार्य**					
	आवासन और शहरी कार्य	0	0	0	0	**0**

क्र.सं.	मंत्रालय / विभाग	3-4 वर्ष	2-3 वर्ष	1-2 वर्ष	0-1 वर्ष	कुल
31.	**अंडमान एवं निकोबार प्रशासन**					
	अंडमान एवं निकोबार प्रशासन	0	0	2	2	**4**
32.	**चंडीगढ़ प्रशासन**					
	चंडीगढ़ प्रशासन	0	0	0	2	**2**
33.	**दमन, दीव, एवं दादरा नगर हवेली**					
	दमन, दीव, एवं दादरा नगर हवेली	0	0	3	1	**4**
34.	**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**					
	भूमि तथा भवन	0	0	0	0	**0**
	प्रशासन	0	0	0	0	**0**
	शिक्षा	1	0	1	2	**4**
	श्रम	0	0	0	0	**0**
	विकास	0	0	0	0	**0**
	गृह	0	2	3	9	**14**
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	0	1	0	**1**
	प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा	1	4	0	0	**5**
	सेवाएं	0	0	0	0	**0**
	कला, संस्कृति तथा भाषा	0	0	0	0	**0**
	परिवहन	0	0	0	0	**0**
	समाज कल्याण	0	0	0	0	**0**
35.	**लक्षद्वीप प्रशासन**					
	लक्षद्वीप प्रशासन	0	0	0	0	**0**
36.	**पुदुचेरी सरकार**					
	पुदुचेरी सरकार	2	0	0	2	**4**
37.	**दिल्ली नगर निगम**					
	दिल्ली नगर निगम	0	0	0	0	**0**
38.	**नीति आयोग**					
	नीति आयोग	0	0	0	0	**0**
39.	**प्रधानमंत्री सचिवालय**					
	प्रधानमंत्री सचिवालय	0	0	0	0	**0**
40.	**नई दिल्ली नगर पालिका परिषद**					
	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	4	10	2	0	**16**
41.	**ग्रामीण विकास**					
	ग्रामीण विकास	0	0	0	0	**0**
42.	**उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण**					
	उपभोक्ता मामले	0	0	0	0	**0**
	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	1	0	0	0	**1**
43.	**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम**					
	लघु उद्योग विकास संगठन	0	0	0	0	**0**
44.	**नागर विमानन**					
	नागर विमानन	0	0	0	1	**1**
45.	**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता**					
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	0	0	0	0	**0**

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	3-4 वर्ष	2-3 वर्ष	1-2 वर्ष	0-1 वर्ष	कुल
46.	**दिल्ली जल बोर्ड**					
	दिल्ली जल बोर्ड	0	0	3	5	**8**
47.	**सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय**					
	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	0	0	0	0	**0**
48.	**सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय**					
	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	0	0	3	4	**7**
49.	**पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय**					
	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग	1	0	0	0	**1**
50.	**खान मंत्रालय**					
	खान	1	0	0	0	**1**
51.	**कोयला मंत्रालय**					
	कोयला	0	0	0	0	**0**
52.	**पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**					
	पृथ्वी विज्ञान	0	0	0	4	**4**
53.	**जनजातीय कार्य मंत्रालय**					
	जनजातीय कार्य	0	0	0	0	**0**
54.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास**					
	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	0	0	0	1	**1**
55.	**भारतीय मौसम विज्ञान विभाग**					
	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग	0	0	0	0	**0**
56.	**पंचायती राज**					
	पंचायती राज	0	0	0	0	**0**
57.	**आयुष मंत्रालय**					
	आयुष मंत्रालय	0	1	0	0	**1**
58.	**कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय**					
	कौशल विकास एवं उद्यमिता	1	0	0	0	**1**
59.	**जल शक्ति मंत्रालय**					
	जल शक्ति	0	1	0	1	**2**
60.	**संस्कृति मंत्रालय**					
	संस्कृति	0	0	0	3	**3**
61.	**आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय**					
	आवासन एवं शहरी कार्य	0	0	0	0	**0**
	कुल	**44**	**64**	**54**	**164**	**326**

परिशिष्ट–31

[अध्याय 12 देखें]

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के जारी होने के समय से आयोग के अधिकार–क्षेत्र से पृथक किए गए पद/सेवाएं।

अनुसूची –I

π(विनियमावली 2 देखें)

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(3) (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए अलग किए गए पद)

क्र.सं.	पद/सेवाओं के पदनाम	दिनांक जब से अलग किए गए
1.	वे पद जिनके संबंध में नियुक्ति का अधिकार संविधान द्वारा विशेष रूप से राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है।	01.09.1958
2.	किसी विधि के प्रावधानों के तहत या उसके तहत बनाए गए किसी बोर्ड, प्राधिकरण, आयोग या अन्य समान प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों के पद।	01.09.1958
3.	संसद के किसी भी सदन के संकल्प के अधिकार के तहत या सरकार के संकल्प द्वारा किसी भी जांच या पूछताछ या निर्दिष्ट मामले पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से नियुक्त किसी भी बोर्ड, न्यायाधिकरण, आयोग, समिति या अन्य समान निकाय के अध्यक्ष या सदस्यों के पद।	01.09.1958
4.	विदेशों में राजनयिक, कांसुलर और अन्य समान भारतीय मिशनों के प्रमुखों के पद (जैसे राजदूत, उच्चायुक्त, मंत्री, आयुक्त, महावाणिज्यदूत, प्रतिनिधि, एजेंट)	01.09.1958
5.	उपर्युक्त मद (1) से (4) में उल्लिखित पदों के धारकों से जुड़े निजी स्टाफ पर पद।	01.09.1958
6.	लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय में पद।	01.09.1958
7.	परमाणु ऊर्जा आयोग में या उसके अधीन सभी तकनीकी और प्रशासनिक पद।	01.09.1958
“H(8)	केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायिक आयुक्त, अपर न्यायिक आयुक्त, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश।	31.03.1970
9.	मद (8) में शामिल पदों को छोड़कर, न्यायिक आयुक्त के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में संघ शासित प्रदेशों में समस्त सिविल और आपराधिक न्यायिक पद।	01.09.1958
®(9क)	खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने वाले सहायकों के (अराजपत्रित) समूह 'ख' और आशुलिपिक के ग्रेड 'ग' के पद।	07.09.1989
10.	सभी समूह 'ग' और 'घ' सेवाएं और पद, भर्ती को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियमों या आदेशों में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर।	01.09.1958
β(11)	केंद्र शासित प्रदेशों या अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के प्रशासन से संबंधित किसी भी सेवा या पदों पर भर्ती को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक भर्ती नियमों या आदेशों में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर।	31.03.1970 & 12.02.1973
©(12)	राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सचिवालय में और वैयक्तिक स्टाफ संबंधी पद।	26.03.1962 & 12.02.1973
≠(12A)	विदेश मंत्रालय के अधीन सरकारी आतिथ्य संगठन में पद।	12.02.1973
∞(13)	वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर।	25.03.1963
► (14)	योजना आयोग में परामर्शदाता एवं मुख्य परामर्शदाता के पद।	24.04.1964 & 29.04.1975

क्र.सं.	पद/सेवाओं के पदनाम	दिनांक जब से अलग किए गए
◀ (15)	भारत के सॉलिसिटर जनरल और भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल के निजी सचिव का पद।	14.04.1965
◊ (16)	हटाया गया।	06.07.1999
○ (17)	आसूचना ब्यूरो में अनुभाग अधिकारी के पदों से भिन्न, समूह 'ख' अनुसचिवीय पद।	25.04.1971
(18)	निम्न में या उसके अंतर्गत सभी तकनीकी और प्रशासनिक पद (क) अंतरिक्ष विभाग (ख) अंतरिक्ष आयोग, कैबिनेट मामलों के विभाग में सरकार के संकल्प संख्या 83/1/1/72–सीएफ दिनांक 1 जून, 1972 द्वारा गठित।	14.11.1974
19.	निम्न में या उसके अधीन सभी तकनीकी और प्रशासनिक पद ● (क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।	04.06.2003 & 25.02.2004
	◘ (ख) भारत सरकार के कैबिनेट कार्य विभाग के संकल्प संख्या 26/7/70–ईसी दिनांक 1 फरवरी 1971 द्वारा गठित इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग।	13.08.1975
◙(19क)	गोवा, दमन और दीव विधानसभा के अध्यक्ष के निजी सचिव और उपाध्यक्ष के निजी सचिव के पद।	19.03.1985
☺(19ख)	दिनांक 12 मार्च, 1981 के कैबिनेट सचिवालय संख्या 64/1/1/80–कैब. में भारत सरकार के संकल्प द्वारा गठित अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग में या उसके अधीन समस्त तकनीकी और प्रशासनिक पद, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) (द्वितीय संशोधन) विनियमन, 1982 के प्रारंभ से तीन साल की अवधि हेतु।	15.05.1982
☻(19ग)	15–5–86 से 14–5–87 की अवधि के लिए गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग में या उसके अधीन निदेशक (तकनीकी), प्रधान वैज्ञानिक अधिकारियों और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों के पद।	03.12.1986
☼(19घ)	रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) में वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों की भर्ती/प्रोन्नति।	18.05.1985
♀(19ड.)	केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में या उसके अधीन समस्त समूह 'क' और समूह 'ख' पद।	10.01.1985
♂(19च)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महासागर विकास विभाग, गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग और पर्यावरण, वन और वन्य–जीव विभाग में वैज्ञानिक के पदों, जैसा कि इन विनियमों के अनुबंध में निर्दिष्ट है, विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्ति को छोड़कर।	01.04.1987
♠ (19छ)	कला विभाग में कंप्यूटर विशेषज्ञ, प्रोग्रामर (सॉफ्टवेयर), कार्यक्रम सहायक, तकनीकी सहायक, संपादकीय सलाहकार, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, बिलियोग्राफर (लेक्सिकन), पुस्तकालय सहायक, रिप्रोग्राफी सहायक और लोक कला सलाहकार के पद, जिनकी अवधि पांच वर्ष से अधिक न हो। इन नियमों के अधीन दी गई छूट के तहत इन पदों पर की गई नियुक्ति इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को सरकार में स्थायी अवशोषण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।	06.01.1988
♣(19ज)	योजना आयोग में वेतन बैंड–4 ₹7400–67000 के साथ ग्रेड वेतन ₹10000/– या एचएजी स्केल ₹67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%) – ₹79000 या शीर्ष वेतनमान ₹80000 /– सीनियर स्टाफिंग स्कीम के तहत भरे जाने वाले या किसी संगठित सेवा में शामिल लोगों के अलावा सलाहकारों के सभी पद।	07.10.2009
¶(19ज)	इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, (नीति) आयोग में संयुक्त सलाहकार (पे–मैट्रिक्स में लेवल–13) या उप सलाहकार (पे–मैट्रिक्स में लेवल–12) के उन्नीस पदों के संबंध में एक भर्ती चक्र पूरा करने के लिए एक बार की छूट और फ्लेक्सी पूल में प्रतिनियुक्ति पर (अल्पावधि सहित) या अनुबंध आधार पर वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर–11) या अनुसंधान अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर–10) या आर्थिक अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर–7) के अठ्ठाईस पद।	18.01.2019

क्र.सं.	पद/सेवाओं के पदनाम	दिनांक जब से अलग किए गए
¶(19 ज(ख))	विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग में महानिदेशक/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी/आर्थिक अधिकारी/आर्थिक अन्वेषक के पदों को भरने के लिए एक भर्ती चक्र पूरा करने के लिए एक बार छूट।	07.10.2020
¶(19 ज(ग))	विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग में महानिदेशक के पद [वरिष्ठ सलाहकार के समकक्ष (वेतन मैट्रिक्स में स्तर–15 ₹182200–224100)]/उप महानिदेशक [सलाहकार के समकक्ष (वेतन मैट्रिक्स में स्तर–14 ₹144200–218200)]।	07.10.2020
§(19 ज (घ))	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आयोग में फ्लेक्सी पूल और नॉलेज एंड इनोवेशन हब के तहत संयुक्त सलाहकार (पे–मैट्रिक्स में लेवल–13) या उप सलाहकार (पे–मैट्रिक्स में लेवल–12); के उन्तालीस पदों; और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर–11) या अनुसंधान अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर–10) या आर्थिक अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर–7) के बहत्तर पदों को भरने के लिए।	11.06.2021
♥(19झ)	दूरसंचार विभाग में समूह 'ख' अराजपत्रित पदों के लिए भर्ती नियम बनाना और भर्ती करना।	29.12.1989
♦(19 त्र)	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप प्रशासन के तहत समूह 'ख' अराजपत्रित पद।	18.09.1990
▓(19ट)	दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अधीन समूह 'ख' (अराजपत्रित) पदों के लिए भर्ती नियमों का निर्धारण या संशोधन।	25.05.2017
¶(19ठ)	केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली प्रशासन के अधीन समूह 'ख' (अराजपत्रित) पदों के लिए भर्ती नियमों का निर्धारण या संशोधन।	27.12.2018
♪(20)	औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय के अधीन पेटेंट कार्यालय में पेटेंट और डिजाइन परीक्षक, पेटेंट और डिजाइन सहायक नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन उप नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन संयुक्त नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन वरिष्ठ संयुक्त नियंत्रक, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वरिष्ठ दस्तावेजीकरण अधिकारी, वरिष्ठ रिप्रोग्राफी अधिकारी, कनिष्ठ डॉक्यूमेंटेशन अधिकारी, रिप्रोग्राफी अधिकारी और वरिष्ठ प्रोग्रामर के पद।	06.07.1999
♫(21)	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय में लेफ्टिनेंट जनरल, वैज्ञानिक 'एच' मेजर जनरल, वैज्ञानिक 'जी', सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव, प्रधान निजी सचिव, वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक', अनुसंधान अधिकारी, निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी, प्रोटोकॉल अधिकारी, सहायक, अनुसंधान सहायक, निजी सहायक, प्रोटोकॉल सहायक, वरिष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक और ड्राफ्ट्समैन ग्रेड "I"।	31.01.2001 & 31.01.2003
#(21क)	प्रोफेसर विधि, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी।	31.01.2003
¢(21ख)	राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अधीन समस्त पद।	14.07.2005
¤ (22)	ऐसी कोई भी सेवा या पद या पदों का वर्ग जिसके संबंध में आयोग इस बात से सहमत है कि उससे परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।	03.04.2006
£(23)	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता और राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण हेतु अनुसंधानशाला, लखनऊ में महानिदेशकों के पद और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता में निदेशक का पद और संस्कृति मंत्रालय के तहत केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद।	11.12.2013
¥ (24)	मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।	22.07.2009
╢(25)	सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) में सभी समूह 'क' और समूह 'ख' पद।	21.06.2011

क्र.सं.	पद/सेवाओं के पदनाम	दिनांक जब से अलग किए गए
▪ (26)	भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में वैज्ञानिक डी, ई, एफ एवं जी (समूह 'क' पदों)।	15.07.2015
Æ (27)	नागर विमानन मंत्रालय के अधीन नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) (वेतन मेट्रिक्स में लेवल–15) में महानिदेशक के पद को भरने हेतु।	28.07.2021
Ñ (28)	नागर विमानन मंत्रालय के अधीन नागर विमानन महा–निदेशालय (डीजीसीए) में उड़ान संचालन निरीक्षक (एफओआई) के पद।	29.09.2021

π का. और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/5/90–स्था. (ख) दिनांक 13/11/1991 द्वारा शामिल।
"H गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं18/7/68–स्था.(ख) दिनांक 31/3/70 द्वारा प्रतिस्थापित।
® का. और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 24012/31/85–स्था. (ख) दिनांक 7–9–1989 द्वारा शामिल।
β गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं18/7/68–स्था. (ख) दिनांक 31/3/70 द्वारा शामिल एवं अधिसूचना सं 18/3/72–स्था. (ख) दिनांक 12/2/73 द्वारा संशोधित
© गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 18/10/61–स्था. (ख) दिनांक 26/3/62 द्वारा शामिल तथा का. और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 18/3/72–स्था. (ख) दिनांक 12/2/73 द्वारा तदन्तर संशोधित।
≠ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 18/3/72–स्था. (ख) दिनांक 12/2/73 द्वारा प्रतिस्थापित।
∞ गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं एफ.18/13/61–स्था. (ख) दिनांक 25/3/63 द्वारा शामिल।
► गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 18/10/74–स्था.(ख) दिनांक 29/4/75 के साथ पठित गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ.18/13/61–स्था. (ख) दिनांक 24/4/64 द्वारा शामिल।
◄ गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं एफ.18/7/64–स्था. (ख) दिनांक 14/4/65 द्वारा शामिल।
◊ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/2/78–स्था. (ख) दिनांक 6/7/1999 द्वारा हटा दिया गया।
○ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39015/2/75–स्था.(ख) दिनांक 25/4/1971 द्वारा प्रतिस्थापित।
Đ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 18/12/72–स्था. (ख) दिनांक 14/11/74 द्वारा शामिल।
● का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/3/2001– स्था(ख) दिनांक 25/2/2004 के साथ पठित
का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/3/2001–स्था(ख) दिनांक 4/6/2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
◘ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 18/5/71–स्था. (ख) दिनांक 13/8/75 द्वारा शामिल।
◙ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/1/85–स्था. (ख) दिनांक 19/3/85 द्वारा प्रतिस्थापित।
☺ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/3/82–स्था. (ख) दिनांक 15/5/82 द्वारा शामिल।
☻ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/3/86–स्था. (ख) दिनांक 3/12/86 द्वारा शामिल।
☼ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/4/82–स्था.(ख) दिनांक 18/5/85 द्वारा शामिल।
♀ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/4/85–स्था. (ख) दिनांक 10/1/85 द्वारा शामिल।
♂ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/2/86–स्था. (ख) दिनांक 1/4/87 द्वारा शामिल।
♠ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/1/87–स्था. (ख) दिनांक 6/01/88 द्वारा शामिल।
♣ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/09/2008–स्था. (ख) दिनांक 7/10/2009 द्वारा प्रतिस्थापित।
¶ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/03/2018–स्था. (ख) दिनांक 18/01/2019 द्वारा शामिल।
¶ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/02/2020–स्था. (ख) दिनांक 07/10/2020 द्वारा शामिल।
¶ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/02/2020–स्था. (ख) दिनांक 07/10/2020 द्वारा शामिल।
§ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/03/2018–स्था. (ख) दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रतिस्थापित।
♥ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/8/88–स्था. (ख) दिनांक 29/12/89 द्वारा शामिल।
♦ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/2/90–स्था. (ख) दिनांक 18/9/90 द्वारा शामिल।
▓ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39023/02/2015–स्था. (ख) दिनांक 25/05/2017 द्वारा शामिल।
¶ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39023/01/2018– स्था.(ख) दिनांक 27/12/2018 द्वारा शामिल।
♪ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं39018/01/99– स्था.(ख) दिनांक 6/7/99 द्वारा शामिल।
♫ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39017/01/99–स्था(ख) दिनांक 31/01/2001 द्वारा शामिल एवं
का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39017/01/99–स्था(ख) दिनांक 31/01/2003 द्वारा संशोधित।
का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39017/01/99–स्था.(ख) दिनांक 31/1/2003 द्वारा शामिल।.
¢ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/02/2005–स्था.(ख) दिनांक 14/07/2005 द्वारा शामिल।
¤ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/02/2006–स्था.(ख) दिनांक 03/04/2006 द्वारा शामिल।
£ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/3/2009–स्था.(ख) दिनांक 11/12/2013 द्वारा प्रतिस्थापित।
¥ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/06/2009–स्था.(ख) दिनांक 22/7/2009 द्वारा जोड़ा गया।
╢ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/06/2010–स्था.(ख) दिनांक 21/6/2011 द्वारा जोड़ा गया।
▪ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/03/2014–स्था.(ख) दिनांक 15/7/2015 द्वारा शामिल।
Æ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/01/2016–स्था.(ख) दिनांक 28/07/2021 द्वारा शामिल।
Ñ का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/01/2021–स्था. (ख) दिनांक 29/09/2021 द्वारा शामिल।

अनुसूची – II
(विनियमावली 2 क देखें)
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (3) (ख) के प्रयोजन के लिए अलग किए गए पद)

क्र. सं.	पदों / सेवाओं के नाम	दिनांक, जब से अलग किए गए।
╨1.	जल संसाधन मंत्रालय के अधीन अनुसंधान सहायक के ग्रुप 'ख' अराजपत्रित पद।	13.11.1991
╪2.	पद से सम्बद्ध ग्रेड वेतन का विचार किए बिना सभी समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' पदों पर सीधी भर्ती।	24.07.2012
¥ 2 क.	भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय में भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षक अधिकारी के ₹9300–34800 के वेतन बैंड–2 में ₹4800/– ग्रेड वेतन वाले ग्रुप 'ख' (राजपत्रित) पदों पर सीधी भर्ती।	17.02.2016
¤2 ख.	वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अंतर्गत भारत के लेखाकार महानियंत्रक कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के पद पर वेतन मैट्रिक्स ₹47600–151100 के लेवल–8 में सीधी भर्ती।	19.09.2019
╫3.	₹4600/– के ग्रेड वेतन सहित ₹9300 – ₹34,800 के वेतन बैंड–2 में सभी अराजपत्रित पदों की सीधी भर्ती।	28.09.2010
■4.	₹8900/– के ग्रेड वेतन सहित ₹37400– 67000 के वेतन बैंड–4 में प्रवर्तन निदेशालय में प्रवर्तन के विशेष निदेशक का पद।	07.10.2009
φ 4 क.	प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए ₹6600/– ग्रेड पे सहित ₹15600–39100 के वेतन बैंड–3 में उप निदेशक, समूह 'क' एवं ₹5400/– ग्रेड पे सहित ₹9300–34800 के वेतन बैंड–2 में सहायक निदेशक समूह 'ख' के पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती।	02.05.2016
¤4 ख.	वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अधीन प्रवर्तन निदेशालय में वेतन मैट्रिक्स ₹67700–208700 में लेवल–11 उप निदेशक, समूह "ए" और वेतन मैट्रिक्स ₹56100–177500 में लेवल–10 सहायक निदेशक, समूह 'ए' के पद पर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर (अल्पकालिक अनुबंध सहित) भर्ती।	15.04.2020
Þ4 ग.	वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अधीन प्रवर्तन निदेशालय में वेतन मैट्रिक्स ₹67700–208700 में लेवल–11 उप निदेशक, समूह ष्एष और वेतन मैट्रिक्स ₹56100–177500 में लेवल–10 सहायक निदेशक, समूह 'ए' के पद पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती।	13.02.2023
█ 5.	केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ₹7600/– के ग्रेड पे के साथ ₹15600–39100 के वेतन बैंड–3 में उप सचिव और ₹8700/– के ग्रेड वेतन के साथ ₹37400–67000 के वेतन बैंड–4 में निदेशक का पद।	07.10.2009 & 03.02.2010
╥6.	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के माध्यम से भरे गए ₹9300–34800 के वेतन बैंड–2 में ₹4800/– से कम ग्रेड पे वाले समूह 'ख' के सभी पद।	03.06.2015
Σ 6 क.	31 जनवरी, 2014 तक की अवधि के लिए गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जांच एजेंसी में पुलिस अधीक्षक (गैर–भा.पु.से.), पुलिस उपाधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, प्रशासनिक अधिकारी, निरीक्षक, उप–निरीक्षक, अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ निजी सचिव, आशुलिपिक ग्रेड–सी और सहायक के पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श से छूट।	11.09.2013 & 31.12.2013
⌂ 6 ख.	31 जनवरी, 2014 तक की अवधि के लिए गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जांच एजेंसी में उप महानिरीक्षक (गैर–भा.पु.से.), साइबर, फोरेंसिक परीक्षक, क्राइम सीन सहायक एवं फोरेंसिक शरीर क्रिया विज्ञानी के पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती।	11.09.2013

क्र. सं.	पदों / सेवाओं के नाम	दिनांक, जब से अलग किए गए।
∞ 7.	गृह मंत्रालय के अधीन आसूचना ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के रैंक तक के सभी समूह 'क' और समूह 'ख' पदों पर गैर–भारतीय पुलिस सेवा कार्मिक की प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती।	28.09.2010
▌8.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उप पुलिस अधीक्षक के पद के लिए तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय की जाने वाली भर्ती।	10.10.2013
Ø8 (क)	जून, 2021 के रिक्ति परिपत्र के तहत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, केंद्रीय जांच ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के दस पदों को भरने के लिए एक भर्ती चक्र पूरा करने की छूट।	24.11.2021
ß9.	प्रधानमंत्री कार्यालय में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर आसूचना ब्यूरो से कार्मिकों की भर्ती।	18.08.2015
Ü10.	आमेलन विधि और मिश्रित विधि द्वारा भरे गए ₹9300–34800 के वेतन बैंड में ₹4800/– रुपए से कम के ग्रेड पे वाले सभी समूह 'ख' पद।	22.12.2015
¤11.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय में (i) अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक (जांच), (ii) अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक (वित्तीय लेनदेन), (iii) अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक (पूंजी बाजार), (iv) अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक (फॉरेंसिक ऑडिट), (v) उप निदेशक (कारपोरेट विधि), (vi) उप निदेशक (बैंकिंग), (vii) उप निदेशक (जांच), (viii) उप निदेशक (फॉरेंसिक ऑडिट), (ix) वरिष्ठ सहायक निदेशक (बैंकिंग), (x) वरिष्ठ सहायक निदेशक (पूंजी बाजार), (xi) वरिष्ठ सहायक निदेशक (फोरेंसिक ऑडिट), (xii) वरिष्ठ सहायक निदेशक (कारपोरेट विधि), (xiii) वरिष्ठ सहायक निदेशक (कराधान), (xiv) वरिष्ठ सहायक निदेशक (सीमा शुल्क) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क), (xv) वरिष्ठ सहायक निदेशक (जांच), (xvi) सहायक निदेशक (विधि), (xvii) सहायक निदेशक (जांच), और (xviii) वरिष्ठ अभियोजक, के पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए चयन के वर्तमान भर्ती चक्र को पूरा करने के लिए एक बार की छूट।	04.07.2019

╩ *का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/5/90–स्था.(ख) दिनांक 13/11/91 द्वारा शामिल।*
╪ *का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/01/2012–स्था.(ख) दिनांक 24/7/2012 द्वारा प्रतिस्थापित।*
¥ *का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/01/2012–स्था.(ख) दिनांक 17/02/2016 द्वारा शामिल।*
β *का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/02/2016–स्था.(ख) दिनांक 19/09/2019 द्वारा शामिल।*
╫ *का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/09/2008–स्था.(ख) दिनांक 28/09/2010 द्वारा प्रतिस्थापित।*
■ *का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/09/2008–स्था.(ख) दिनांक 7/10/2009 द्वारा प्रतिस्थापित।*
φ *का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/03/2015–स्था.(ख) दिनांक 02/05/2016 द्वारा शामिल।*
ξ *का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/03/2015–स्था. (ख) दिनांक 15/04/2020 द्वारा शामिल।*
Þ *का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/03/2015–स्था. (ख) दिनांक 13/02/2023 द्वारा शामिल।*
█ *का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/09/2008– स्था. (ख) दिनांक 3/2/2010 के साथ पठित*
का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/09/2008–स्था.(ख) दिनांक 7/10/2009 द्वारा प्रतिस्थापित।
╦ *का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/01/2015–स्था. (ख) दिनांक 3/6/2015 द्वारा शामिल।*
Σ *का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/11/2009–स्था.(ख) दिनांक 31/12/2013 के साथ पठित*
का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/11/2009–स्था.(ख) दिनांक 11/09/2013 द्वारा प्रतिस्थापित।
⌂ *का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/11/2009–स्था.(ख) दिनांक 11/09/2013 द्वारा प्रतिस्थापित।*
∞ *का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं39018/09/2008–स्था.(ख) दिनांक 28/09/2010 द्वारा जोड़ा गया।*
▌ *का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/03/2012–स्था.(ख) दिनांक 10/10/2013 द्वारा जोड़ा गया।*
Ø *का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/03/2012–स्था. (ख) दिनांक 24/11/2021 द्वारा शामिल।*
ß *का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/02/2015–स्था.(ख) दिनांक 18/08/2015 द्वारा शामिल।*
Ü *का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/01/2015–स्था.(ख) दिनांक 22/12/2015 द्वारा शामिल।*
¤ *का.और प्र.वि. की अधिसूचना सं. 39018/01/2019–स्था. (ख) दिनांक 04/07/2019 द्वारा शामिल।*

परिशिष्ट–32

[अध्याय 11 देखें]

आयोग के स्टाफ की संवर्ग एवं समूह–वार संख्या तथा पदों की संख्या का विस्तृत विवरण

तालिका–1: आयोग के कर्मचारियों की संवर्ग–वार, समूह–वार संख्या

विवरण	समूह क		समूह ख				समूह ग		कुल	
			राजपत्रित		अराजपत्रित					
	31.3.22	31.3.23	31.3.22	31.3.23	31.3.22	31.3.23	31.3.22	31.3.23	31.3.22	31.3.23
सचिवालय संवर्ग	153	153	213	213	396	396	153	142	915	904
संघ लोक सेवा आयोग संवर्ग	60	60	61	65	85	80	587	582	793	787
अन्य सहभागी मंत्रालयों/विभागों के संवर्ग	7	7	3	3	14	14	3	3	27	27
विभागीय कैंटीन	–	–	–	–	3	3	40	40	43	43
कुल	**220**	**220**	**277**	**281**	**498**	**493**	**783**	**767**	**1778**	**1761**

तालिका–2: वर्ष 2022–23 के दौरान उन संवर्गों/पदों की स्वीकृत संख्या जिसमें संशोधन किया गया है।

31–03–2022 को कुल स्वीकृत कार्मिकों की संख्या	31–03–2023 को कुल स्वीकृत कार्मिकों की संख्या	अंतर
1778	**1761**	**-17**

क्र. सं.	पद का नाम	31–3–2022 को स्वीकृत पदों की संख्या	31–3–2023 को स्वीकृत पदों की संख्या	अंतर
1.	अपर सचिव	01	02	**+1**
2.	संयुक्त सचिव	12	11	**-1**
3.	मुख्य टंकक (हिंदी)	01	00	**-1**
4.	कनिष्ठ सचिवायल सहायक	55	44	**-11**
5.	वरिष्ठ टंकक (हिंदी)	02	00	**-2**
6.	सामान्य ड्यूटी लिपिक	01	00	**-1**
7.	वरिष्ठ रिकॉर्ड कीपर	08	07	**-1**
8.	टंकक (हिंदी)	01	00	**-1**
		कुल अंतर		**-(17)**

तालिका–3: कर्मचारियों की समूह–वार, संवर्ग–वार और पदनाम–वार विवरण

क्र.सं.	विवरण	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार
1.	**2.**	**3.**	**4.**
क.	**समूह 'क'**	***220***	***220***
I.	**सचिवालय संवर्ग**	**153**	**153**
1.	सचिवालय	1	1
2.	अपर सचिव	1^	2^
3.	अपर सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक	1	1
4.	अपर सचिव (परीक्षा सुधार)	1	1
5.	संयुक्त सचिव	12^	11^
6.	प्रधान स्टाफ अधिकारी	3	3
7.	उप सचिव	36	36
8.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	9	9
9.	अवर सचिव	72	72
10.	प्रधान निजी सचिव	17	17
II.	**संघ लोक सेवा आयोग संवर्ग**	**60**	**60**
11.	भाषायी प्रशासक	1	1
12.	कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रणाली)	1	1
13.	वरिष्ठ निदेशक (परीक्षा सुधार)	0*	0*
14.	निदेशक (सूचना प्रणाली)	1	1
15.	निदेशक (परीक्षा सुधार)	2*	2*
16.	संयुक्त निदेशक (अनुसंधान सांख्यिकी एवं विश्लेषण)	1	1
17.	संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार)	0*	0*
18.	संयुक्त निदेशक (सूचना प्रणाली)	4	4
19.	विशेष कार्य अधिकारी (समन्वय सामान्य)	1	1
20.	वित्त एवं बजट अधिकारी	1	1
21.	पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	1	1
22.	प्रशासनिक अधिकारी	1	1
23.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (आर एस एवं ए)	2	2
24.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा माध्यम)	1	1
25.	वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक	8	8
26.	उप निदेशक (परीक्षा सुधार)	7*	7*
27.	सहायक निदेशक (सतर्कता)	1	1
28.	सहायक नियंत्रक (डीपी)	3	3
29.	अनुसंधान अधिकारी (आर एस एवं ए)	4	4
30.	प्रणाली विश्लेषक	11	11

क्र.सं.	विवरण	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार
31.	सहायक निदेशक (गोपनीय)	3	3
32.	उप निदेशक (गोपनीय)	2	2
33.	वरिष्ठ संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी	1	1
34.	अध्यक्ष के स्टॉफ अधिकारी	1	1
35.	मुख्य स्वागत एवं प्रोटोकॉल अधिकारी	1	1
36.	मुख्य संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी	1	1
III.	**अन्य सहभागी मंत्रालयों/विभागों के संवर्ग**	**7**	**7**
37.	निदेशक (राजभाषा)	1	1
38.	उप निदेशक (राजभाषा)	2	2
39.	सहायक निदेशक (राजभाषा)	4	4
ख.	**समूह 'ख'**	***772***	***771***
	समूह 'ख' राजपत्रित	**277**	**281**
I.	**सचिवालय संवर्ग**	**213**	**213**
40.	अनुभाग अधिकारी	158	158
41.	निजी सचिव	55	55
II.	**संघ लोक सेवा आयोग संवर्ग**	**61**	**65**
42.	कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	8	8
43.	लेखा अधिकारी	6	6
44.	अधीक्षक (डीपी)	14	14
45.	डाटा प्रोसेसिंग सहायक	16	16
46.	उप मुख्य स्वागत एवं प्रोटोकॉल अधिकारी	2	2
47.	संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी	2	2
48.	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	1	1
49.	सुरक्षा अधिकारी	1	1
50.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	1
51.	सचिव के स्टाफ अधिकारी	1	1
52.	सहायक अधीक्षक (दूरभाष)	1	1
53.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	8	8
54.	पर्यवेक्षक (गोपनीय)	0$	4$
III.	**अन्य सहभागी मंत्रालयों / विभागों के संवर्ग**	**3**	**3**
55.	भुगतान एवं लेखा अधिकारी	1	1
56.	सहायक लेखा अधिकारी (पी एवं ए ओ)	2	2
	समूह 'ख' अराजपत्रित	**495**	**490**
I.	**सचिवालय संवर्ग**	**396**	**396**
57.	सहायक अनुभाग अधिकारी	358	358

क्र.सं.	विवरण	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार
58.	वैयक्तिक सहायक (कें.स.आ.से. का ग्रेड 'ग')	38	38
II.	**संघ लोक सेवा आयोग संवर्ग**	**85**	**80**
59.	डाटा प्रोसेसिंग सहायक ग्रेड 'क'	21	21
60.	सतर्कता सहायक	2	2
61.	पर्यवेक्षक (गोपनीय)	4$	0$
62.	हाउस कीपर	1	1
63.	तकनीकी सहायक (लेखा)	12	12
64.	मोटर परिवहन पर्यवेक्षक	1	1
65.	सुरक्षा सहायक	1	1
66.	प्रधान टंकक (हिंदी)	1#	0#
67.	डाटा एंट्री ऑपरेटर (समूह 'घ')	32	32
68.	पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	1	1
69.	गोपनीय सहायक	1	1
70.	स्टॉफ कार चालक (विशेष ग्रेड)	1	1
71.	केयर टेकर	4	4
72.	वरिष्ठ स्वागत एवं प्रोटोकॉल अधिकारी	3	3
III.	**अन्य सहभागी मंत्रालयों / विभागों के संवर्ग**	**14**	**14**
73.	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	5	5
74.	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	4	4
75.	वरिष्ठ लेखाकार	5	5
ग.	**समूह 'ग'**	***743***	***727***
I.	**सचिवालय संवर्ग**	**153**	**142**
76.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	59	59
77.	आशुलिपिक (सीएसएसएस का ग्रेड 'डी')	22	22
78.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	55@	44@
79.	स्टॉफ कार चालक	17	17
II.	**संघ लोक सेवा आयोग संवर्ग**	**587**	**582**
80.	वरिष्ठ टंकक (हिंदी)	2#	0#
81.	कनिष्ठ स्वागत एवं प्रोटोकॉल अधिकारी	5	5
82.	बढ़ई	1	1
83.	मशीन प्रचालक	1	1
84.	जनरल ड्यूटी क्लर्क	1#	0#
85.	डिसपैच राइडर	2	2
86.	वरिष्ठ रिकॉर्ड कीपर	8$	7$
87.	रसोईया (सलाहकार सुइट)	6	6

क्र.सं.	विवरण	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार
88.	बियरर (सलाहकार सुइट)	8	8
89.	वॉश बॉय (सलाहकार सुइट)	4	4
90.	सहायक रसोईया (सलाहकार सुइट)	3	3
91.	पुस्तकालय लिपिक	2	2
92.	टंकक (हिंदी)	1#	0#
93.	लाईनमैन	1	1
94.	मल्टी–टास्किंग स्टाफ	537	537
95.	पुस्तकालय परिचारक	3	3
96.	नर्सिंग अर्दली	1	1
97.	कार्यकारी सहायक (सामान्य)	1	1
III.	**अन्य सहभागी मंत्रालयों / विभागों के संवर्ग**	**3**	**3**
98.	वरिष्ठ लेखाकार / लेखाकार (पी एवं ए ओ यूनिट)	3	3
घ.	**कैंटीन कर्मचारी**	***43***	***43***
I.	**समूह 'ख'**	**03**	**03**
99.	महा प्रबंधक (कैंटीन)	1	1
100.	प्रबंधक–सह–लेखाकार	1	1
101.	प्रबंधक ग्रेड II	1	1
II.	**समूह 'ग'**	**40**	**40**
102.	सहायक प्रबंधक सह स्टोर कीपर	2	2
103.	कैंटीन क्लर्क	6	6
104.	हलवाई–सह–कुक	4	4
105.	सहायक–सह–रसोईया	4	4
106	कैंटीन अटेंडेंट	24	24

^ *कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 33/03/2023–इओ(एसएम–I) दिनांक 31.01.2023 के तहत संयुक्त सचिव के 01 पद को अपग्रेड करके अपर सचिव कर दिया गया है।*

* *परीक्षा सुधार संवर्ग के अधिकारियों के लिए कैरियर प्रोग्रेस ओरिएंटेड स्कीम (सी–पीओएसईआर स्कीम) के अनुसार उप निदेशक (प.सु.), संयुक्त निदेशक (प.सु.), निदेशक (प.सु.) एवं वरिष्ठ निदेशक (प.सु.) के कुल 9 सम्मिलित स्वीकृत पद है।*

$ *आदेश संख्या ए–12018/03/2017–प्रशा.I दिनांक 04.05.2022 के तहत पर्यवेक्षक (गोपनीय) के 04 पदों को अपग्रेड करके समूह ख राजपत्रित कर दिया गया है एवं वरिष्ठ रिकॉर्ड कीपर के पद को समाप्त कर दिया गया है।*

\# आदेश संख्या ए–12018/06/1992–प्रशा.I दिनांक 26.05.2022 के तहत मुख्य टंकक (हिंदी) के 01 पद, वरिष्ठ टंकक (हिंदी) के 02 पदों, टंकक (हिंदी) के 01 पद एवं जनरल ड्यूटी लिपिक के 01 पद को समाप्त कर दिया गया है।

@ आदेश संख्या ए–11019/04/94–प्रशा.I दिनांक 25.10.2021 – 07.09.2022 के तहत कनिष्ठ सचिवालय सहायक के 11 पदों को समाप्त कर दिया गया है।

परिशिष्ट–33
[अध्याय 11 देखें]

आयोग का संगठन चार्ट (31 मार्च, 2023 के अनुसार)

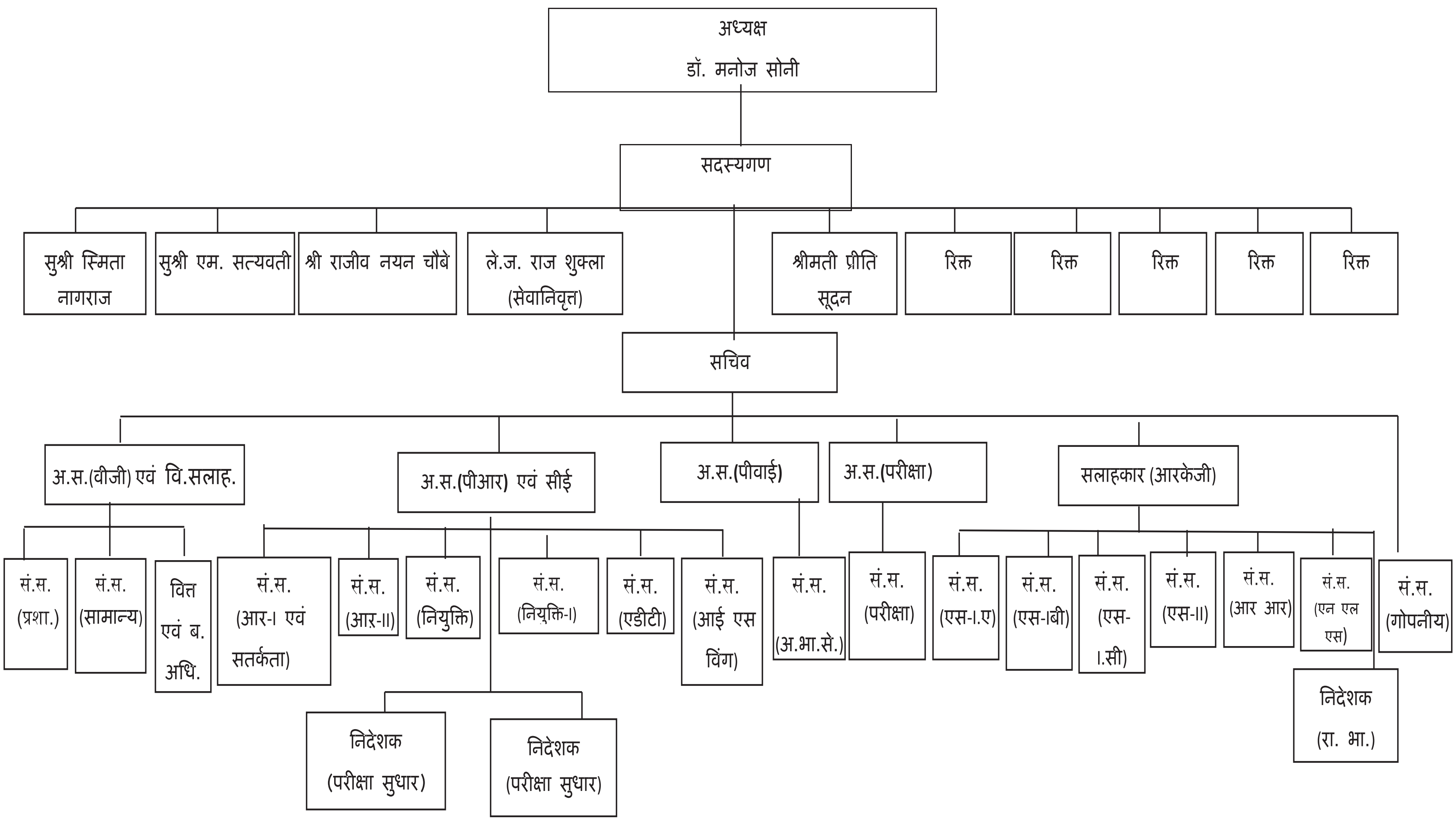

संक्षिप्तियां

अ.स.(वी जी) एवं वि.स.	अपर सचिव (प्रशासन, सामान्य एवं वित्तीय सलाहकार)
अ.स.(पी आर) एवं सी ई	अपर सचिव (परीक्षा नियंत्रक, नियुक्ति, आईएस विंग, परीक्षा संबंधी विशेषज्ञ समिति, भर्ती, परीक्षा सुधार, सतर्कता एवं रिकॉर्ड रूम)
अ.स. (पीवाई)	अपर सचिव (अखिल भारतीय सेवाएं)
अ.स.(परीक्षा)	अपर सचिव (परीक्षा)
सलाहकार (आरकेजी)	सलाहकार (सेवा–Iए, सेवा–I बी एवं सेवा–I सी) सेवा–II, भर्ती नियम, नोडल विधिक अनुभाग एवं हिंदी)
अ.स.	अपर सचिव
सं.स.	संयुक्त सचिव
प्रशा.	प्रशासन
प्र./स्था.पर नि.	प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर नियुक्ति
अ.भा.से.	अखिल भारतीय सेवाएं
नियु.	नियुक्ति
नियु.–I	नियुक्ति–I
गोप.	गोपनीय
प. सु.	परीक्षा सुधार
प.	परीक्षा
वि. एवं ब. अधि.	वित्त एवं बजट अधिकारी
सामा.	सामान्य
सू. प्र.	सूचना प्रणाली
नो.वि.अनु.	नोडल विधिक अनुभाग
रा.भा.	राजभाषा
भ.–I	भर्ती–I
भ.–II	भर्ती–II
भ.नि.	भर्ती नियम
से.–I ए	सेवा–I ए
से.–I बी	सेवा–I बी
से.–I सी	सेवा–I सी
से.–II	सेवा–II
सतर्क	सतर्कता

परिशिष्ट–34
[अध्याय 11 देखें]

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

तालिका–1 : अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या				पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				प्रोन्नति द्वारा			किसी अन्य माध्यम से		
	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.
समूह क	176	26	17	19	-	-	-	-	02	-	-	-	-	-
समूह ख	497	97	85	83	17	04	04	02	39	07	03	01	01	-
समूह ग	519	129	31	109	18	-	07	02	03	-	01	01	-	-
(सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ग (सफाई कर्मचारी)	**1192**	**252**	**133**	**211**	**35**	**04**	**11**	**04**	**44**	**07**	**04**	**02**	**01**	**-**
कुल														

तालिका–2 : दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या					सीधी भर्ती							प्रोन्नति						
						आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या			
	कुल	वी एच	एचएच	ओ एच	प्रतिशत	वी एच	एचएच	ओ एच	प्रतिशत	वी एच	एचएच	ओ एच	वी एच	एचएच	ओ एच	कुल	वी एच	एचएच	ओ एच
समूह क	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ख	497	01	02	06	1.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ग	519	05	05	07	3.27	06	06	09	18	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
कुल	**1192**	**06**	**07**	**13**	**2.18**	**06**	**06**	**09**	**18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**01**	**-**	**-**	**-**

परिशिष्ट–35
[अध्याय 11 देखें]

वर्ष 2022–23 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग की प्राप्तियां एवं व्यय दर्शाने वाला विवरण।

क – प्राप्तियाँ

क्र.सं.	प्राप्तियों का नाम	(लाख रुपए में)
1.	अन्य प्राप्तियाँ	106.95
2.	संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क	2402.07*

ख – व्यय

क्र.सं.	प्रशासनिक व्यय	(रुपए लाख में)
1.	वेतन	13533.00
2.	मजदूरी	87.98
3.	समयोपरि भत्ता	1.93
4.	चिकित्सा उपचार	455.00
5.	घरेलू यात्रा व्यय	79.97
6.	विदेश यात्रा व्यय	2.43
7.	कार्यालय व्यय	1596.14
8.	प्रकाशन	3.09
9.	अन्य प्रशासनिक व्यय	122.07
10.	लघु निर्माण कार्य	185.38
11.	व्यावसायिक सेवाएँ	1054.56
12.	सहायता अनुदान (सामान्य)	0.64
13.	अन्य प्रभार	1.73
	परीक्षा एवं चयन पर व्यय	
14.	घरेलू यात्रा व्यय	1100.46
15.	व्यावसायिक सेवाएँ	33.03
16.	अन्य प्रभार	18091.77
17.	सूचना प्रौद्योगिकी (अन्य प्रभार)	572.50
	अन्य प्रभार (लघु शीर्ष)	
18.	विभागीय कैंटीन– वेतन	77.40
	कुल योग	**36999.08**

** परीक्षा भर्ती शुल्क के तहत प्राप्तियों का हिसाब भुगतान एवं लेखा अधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग/लेखा नियंत्रक, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा सरकारी खाते में डाला जाता है।*

परिशिष्ट–36

[अध्याय 2 देखें]

संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्षों एवं सदस्यों की सूची (वर्ष 1926 से)

तालिका–1: पूर्व अध्यक्षों की सूची

क्र.सं.	नाम	प्रभार लिए जाने की तारीख	कार्यभार छोड़े जाने की तारीख
1.	सर रॉस बार्कर	अक्तूबर, 1926	अगस्त, 1932
2.	सर डेविड पेट्री	अगस्त, 1932	1936
3.	सर आइरे गॉर्डन	1937	1942
4.	सर एफ.डब्ल्यू. रॉबर्टसन	1942	1947
5.	श्री एच.के. कृपलानी	1.4.1947	13.1.1949
6.	श्री आर.एन. बनर्जी	14.1.1949	9.5.1955
7.	श्री एन. गोविंदराजन	10.5.1955	9.12.1955
8.	श्री वी.एस. हेजमदी	10.12.1955	9.12.1961
9.	श्री बी.एन. झा	11.12.1961	22.2.1967
10.	श्री के.आर. दामले	18.4.1967	2.3.1971
11.	श्री आर.सी.एस सरकार	11.5.1971	1.2.1973
12.	डॉ. ए.आर. किदवई	5.2.1973	4.2.1979
13.	डॉ. एम.एल. शहरे	16.2.1979 (अप.)	16.2.1985
14.	श्री एच.के.एल. कपूर	18.2.1985	5.3.1990
15.	श्री जे.पी. गुप्ता	5.3.1990 (अप.)	2.6.1992
16.	श्रीमती आर.एम. बाथेव खारबुली)	23.9.1992	23.8.1996
17.	श्री एस.जे.एस. छतवाल	23.8.1996 (अप.)	30.9.1996
18.	श्री जे.एम. कुरेशी	30.9.1996 (अप.)	11.12.1998
19.	लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सुरिंदर नाथ	11.12.1998(अप.)	25.06.2002
20.	श्री पी.सी. होता	25.06.2002(अप.)	08.09.2003
21.	श्री माता प्रसाद	08.09.2003(अप.)	04.01.2005
22.	डॉ. एस.आर. हाशिम	04.01.2005(अप.)	01.04.2006
23.	श्री गुरबचन जगत	01.04.2006(अप.)	30.06.2007
24.	श्री सुबीर दत्ता	30.06.2007(अप.)	16.08.2008
25.	प्रो. डी.पी.अग्रवाल	16.08.2008 (अप.)	16.08.2014
26.	श्रीमती रजनी राजदान	16.08.2014(अप.)	22.11.2014
27.	श्री दीपक गुप्ता	22.11.2014(अप.)	20.09.2016
28.	प्रो. डेविड आर. सिम्लिह	03.04.2017	21.01.2018
29.	श्री अरविंद सक्सेना	29.11.2018	07.08.2020
30.	प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी	07.08.2020 (अप.)	04.04.2022

तालिका–2: पूर्व सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम	प्रभार लिए जाने की तारीख	कार्यभार छोड़े जाने की तारीख	अभ्युक्ति
1.	सर फिलिप हतोग	1.10.1926	5.4.1930	
2.	श्री ए.एच. ले	1.10.1926	1.10.1931	
3.	श्री सैयद रज़ा अली	1.10.1926	31.11.1931	
4.	सर टी.वी. राघवचारी	1.10.1926		
5.	श्री एम. कीने			
6.	खानबहादुर सर अब्दुल कादिर	13.7.1929	30.11.1929	
7.	श्री जे.एन. रॉय	16.9.1929	2.4.1930	
8.	श्री रायबहादुर ए.एन चटर्जी	6.1.1930	1.10.1930	
9.	श्री जे.आर. कनिंघम	20.1.1930	5.4.1930	
10.	सर जे. चार्ल्स वियर	16.6.1930	16.12.1935	
11.	राय बहादुर बी.पी. वर्मा	1.10.1930	1.10.1935	
12.	सर डेविड पेट्री	1.10.1931	8.8.1932	अध्यक्ष नियुक्त हुए।
13.	डॉ एल.के. हैदर	2.1.1932	31.12.1936	
14.	श्री एच.एस. क्रॉस्थवेट	16.2.1935	1.5.1939	
15.	सर शफात अहमद खान	18.5.1935	10.9.1935	
16.	श्री पी एल धवन	18.5.1935	20.9.1940	
17.	श्री डी. रैनेल	31.8.1936	29.11.1936	
18.	सर ए. एफ. रहमान	7.1.1937	7.5.1942	
19.	श्री एल. पी. मिश्रा	18.7.1938	4.9.1938	
20.	सर सी. सी. चिथम	2.12.1938	15.4.1939	
21.	सर जॉन रदरफोर्ड डैन	8.5.1939	16.2.1942	
22.	श्री के. संजीवा राव	20.9.1940	1.4.1947	
23.	श्री डब्ल्यू.आर.जी. स्मिथ	16.2.1942	1.4.1947	
24.	श्री डब्ल्यू.ए. कॉसग्रेव	7.4.1944	25.10.1944	
25.	श्री एन.जे. रॉटन	1.1.1945	20.9.1945	
26.	श्री एस.जी. ग्रब	1.11.1945 9.12.1946	16.10.1946 & 23.2.1950	
27.	कर्नल एम.ए. रहमान	1.1.1946	30.6.1946	
28.	श्री एफ.सी. एडमंड्स	12.4.1946	6.6.1946	
29.	श्री ओ.ई. विंडले	1.7.1946	6.8.1946	
30..	मेजर नौनिहाल सिंह मान	31.7.1946	17.11.1946	
31.	श्री आर.पी. पटवर्धन	5.2.1947	5.8.1947	
32.	श्री जावद हुसैन	14.3.1947	31.3.1952	
33.	श्री डब्ल्यू.आर. पुराणिक	1.4.1947	31.3.1952	
34.	श्री के. जकारिया	1.7.1947	18.1.1950	
35.	श्री जे.एल. कपूर	4.12.1947	31.5.1949	
36.	श्री बलवंत सिंह पुरी	1.6.1948 17.9.1948	31.7.1948 30.4.1949	
37.	श्री एस.सी. त्रिपाठी	5.6.1948	14.2.1950	
38.	डॉ. एल.डी. जोशी	12.6.1948	18.2.1949	
39.	श्री जी.सी. चटर्जी	1.8.1949	31.10.1953	
40.	श्री एन. गोविंदराजन	31.5.1950	9.5.1955	अध्यक्ष नियुक्त हुए।
41.	श्री सी.बी. नागरकर	18.12.1950	18.12.1956	
42.	श्री एन.के. सिद्धांत	16.4.1951	31.7.1955	
43.	श्री ए.ए.ए. फैजी	2.6.1952	31.5.1957	
44.	श्री एस.वी. कानूनगो	29.9.1952	29.9.1958 (अप.)	
45.	श्री जे.एस. पिल्लै	17.8.1955	16.8.1961 (अप.)	
46.	श्री सी.वी. महाजन	2.1.1956	2.1.1960 (पूर्वा.)	
47.	डॉ. जे.एन. मुखर्जी	1.9.1956	22.4.1958	

क्र.सं.	नाम	प्रभार लिए जाने की तारीख	कार्यभार छोड़े जाने की तारीख	अभ्युक्ति
48.	श्री पी.एल. वर्मा	24.11.1956	24.11.1962 (पूर्वा.)	
49.	श्री एस.एच. जहीर	1.6.1957	31.5.1963 (अप.)	
50.	डॉ. जी.एस. महाजनी	1.7.1957	30.6.1963 (अप.)	
51.	डॉ. ए.टी. सेन	1.9.1958	31.8.1964 (अप.)	
52.	श्री एम.एल. चतुर्वेदी	1.3.1960	6.7.1964 (अप.)	
53.	श्री एम.ए.वी. नायडू	11.3.1960	14.1.1965 (अप.)	
54.	श्री ए.वी. रामास्वामी	14.12.1961	14.7.1964 (अप.)	
55.	श्री बटुक सिंह	19.4.1963	20.9.1968 (अप.)	
56.	श्री एन.एल. अहमद	1.6.1963	25.4.1967 (अप.)	
57.	श्रीमती बी. खोंगमेन	9.1.1964	8.1.1970 (अप.)	
58.	श्री देसराज मेहता	29.1.1964	20.11.1967 (अप.)	
59.	डॉ. ए. अप्पादोरई	9.12.1964	15.3.1967 (अप.)	
60.	श्री एम.एस. दोरईस्वामी	14.9.1965 (अप.)	14.11.1967 (अप.)	
61.	श्री आर.सी.एस. सरकार	31.1.1966	11.05.1971	अध्यक्ष नियुक्त हुए।
62.	श्री हरी शर्मा	22.5.1967 (अप.)	22.05.1973	
63.	डॉ. ए.आर. किदवई	29.9.1967	05.02.1973	अध्यक्ष नियुक्त हुए।
64.	मेजर जनरल पी.सी. गुप्ता	3.2.1968	02.02.1974	
65.	डॉ. एम.एल. शहरे	14.2.1968	13.2.1974	अध्यक्ष नियुक्त हुए।
66.	श्री डी.पी. कोहली	16.10.1968	08.02.1972	
67.	प्रो. एच.एन. रामचंद्र राव	9.5.1969	08.05.1975	
68.	श्री आर.एन. मुत्तू	25.6.1971	24.6.1977	
69.	डॉ. ए.के. धान	28.6.1971	5.11.1975	
70.	श्री आर.जी. राजवाड़े	23.8.1973	5.1.1974	
71.	प्रो. पी.एल. भटनागर	1.10.1973	18.7.1975	
72.	श्री अशोक सेन	22.1.1974	21.1.1980	
73.	एयर मार्शल टी.एस. विर्क	22.4.1974	21.4.1980	
74.	श्री एम. सिंगारवेलू	24.7.1974	16.3.1980	
75.	डॉ. सरूप सिंह	12.2.1975	14.3.1978	
76.	श्री एन.एस. सक्सेना	4.6.1977	4.6.1983	
77.	डॉ. पी.सी. वैद्य	1.7.1977	22.10.1978	
78.	प्रो. एस. संपत	10.8.1977	28.8.1981	
79.	डॉ. एन.ए. नूर मुहम्मद	30.11.1978	17.10.1981	
80.	श्रीमती आर.ओ. धान	1.12.1978	30.11.1984	
81.	प्रो. भुवनेश्वर बेहरा	12.12.1978	31.12.1980	
82.	श्री एस.आर. मेहता	17.3.1980	16.12.1982	
83.	श्री जे.आर. बंसल	17.5.1980	16.5.1986	
84.	एअर वाईस मार्शल ए.के.एस बक्शी	27.7.1981	14.11.1986	
85.	श्री ए.एम. अब्दुल हामिद	11.12.1981	25.3.1986	
86.	डॉ. के. वैंकट रमैया	24.12.1981	23.12.1987	
87.	श्री एस. समाद्दार	24.5.1982	23.5.1988	
88.	श्री जगदीश राजन	25.9.1984	25.9.1990	
89.	श्री जे.पी. गुप्ता	1.7.1985	5.3.1990 (पूर्वा.)	अध्यक्ष नियुक्त हुए।
90.	डॉ. आर. आरोकियासामी	5.7.1985	4.7.1991	
91.	श्री सुरेंद्र नाथ	23.12.1985	7.8.1991(पूर्वा.)	
92.	श्री काजी मुख्तार अहमद	4.4.1986	14.3.1991	
93.	श्रीमती आर.एम.बाथ्यू (खारबुली)	8.6.1987	22.9.1992	अध्यक्ष नियुक्त हुए।

क्र.सं.	नाम	प्रभार लिए जाने की तारीख	कार्यभार छोड़े जाने की तारीख	अभ्युक्ति
94.	ले.ज.आर.एस. दयाल	31.7.1987	13.5.1988	
95.	वाईस एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी	13.4.1989	12.4.1995	
96.	श्री ए. पद्मनाभन	17.4.1989	13.12.1993	
97.	श्री जे.ए. कल्याणकृष्णन	29.12.1989	28.12.1995	
98.	श्री हरीश चंद्र	15.1.1990	14.1.1996	
99.	श्रीमती ओतिमा बोर्डिया	11.5.1990	10.05.1996	
100.	श्री एस.जे.एस. छतवाल	14.1.1991	23.8.1996 (अप.)	अध्यक्ष नियुक्त हुए।
101.	श्री जे.एम. कुरैशी	1.4.1991	30.09.1996 (अप.)	अध्यक्ष नियुक्त हुए।
102.	श्री एस.के. मिश्रा	21.8.1991 (अप.)	21.08.1997	
103.	डॉ. (सुश्री) पी. सेल्वी दास	19.9.1991	28.05.1997	
104.	श्री बी. कृष्णा मोहन	20.09.1993 (अप.)	25.01.1998	निधन हो गया।
105.	श्रीमती कांता कथूरिया	24.05.1995	22.08.1998	
106.	लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सुरिंदर नाथ	20.09.1995	11.12.1998	अध्यक्ष नियुक्त हुए।
107.	श्री पी.सी. होता	27.09.1996 (अप.)	25.06.2002	अध्यक्ष नियुक्त हुए।
108.	श्री के.के. मदान	01.11.1996 (अप.)	01.11.2002	
109.	डॉ. के.जी. आदियोगी	14.11.1996 (अप.)	28.05.2001	28.05.2001 को निधन हुआ।
110.	श्री पी. अब्राहम	05.06.1997	04.06.2003	
111.	श्री एम.के. देब बर्मा	06.06.1997	05.06.2003	
112.	डॉ. एल. सिद्दावीरे गौड़ा	11.6.1997 (अप.)	05.09.2001	
113.	श्री टी.के. बनर्जी	21.08.1997 (अप.)	21.08.2003	
114.	श्री माता प्रसाद	23.4.1998 (अप.)	08.09.2003	अध्यक्ष नियुक्त हुए।
115.	कु. अरुंधती घोष	03.09.1998	02.09.2004	
116.	डॉ. ओम नागपाल	05.04.1999 (अप.)	02.03.2002	2.3.2002 को निधन हुआ।
117.	डॉ. एस.डी. कार्निक	18.09.2001	16.07.2002	16.07.2002 को निधन हुआ।
118.	डॉ. एस.आर. हाशिम	19.03.2002 (अप.)	04.01.2005 (अप.)	अध्यक्ष नियुक्त हुए।
119.	डॉ. (श्रीमती) प्रकाशवती शर्मा	20.03.2002 (अप.)	07.02.2005	
120.	श्री गुरबचन जगत	14.08.2002 (अप.)	01.04.2006	अध्यक्ष नियुक्त हुए।
121.	श्री बी.एन. नवलवाला	05.12.2002 (अप.)	14.04.2007	
122.	श्री सुबीर दत्ता	04.07.2003 (अप.)	30.06.2007	अध्यक्ष नियुक्त हुए।
123.	प्रो. डी.पी. अग्रवाल	31.10.2003	16.08.2008	अध्यक्ष नियुक्त हुए।
124.	एयर मार्शल सतीश गोविंद ईनामदार	12.12.2003 (अप.)	09.01.2008	
125.	सुश्री परवीन तल्हा	30.09.2004 (अप.)	03.10.2009	
126.	डॉ. भूरे लाल	14.10.2004 (अप.)	08.02.2008	
127.	सुश्री चोकिला अय्यर	01.02.2005 (अप.)	28.06.2007	
128.	श्री के. रॉय पॉल	18.05.2005 (अप.)	08.06.2009	
129.	प्रो. के.एस. चलम	01.06.2005 (अप.)	01.06.2011	
130.	प्रो. ई. बालागुरूसामी	20.12.2006 (अप.)	02.05.2010	
131.	श्रीमती शशि उबान त्रिपाठी	17.05.2007 (अप.)	05.06.2012	
132.	प्रो. पुरुषोत्तम अग्रवाल	02.07.2007 (पूर्वा.)	01.07.2013	
133.	डॉ. के.के. पॉल	26.07.2007 (पूर्वा.)	05.02.2013	
134.	लेफ्टीनेंट जेनरल (सेवानिवृत्त) निर्भय शर्मा	07.05.2008	10.10.2011	
135.	श्री आई.एम.जी. खान	09.06.2008 (अप.)	01.07.2013	
136.	श्री प्रशांत कुमार मिश्रा	08.08.2008 (पूर्वा.)	06.08.2013	
137.	श्री विजय सिंह	19.11.2009 (पूर्वा.)	30.04.2013	त्यागपत्र दे दिया।

क्र.सं.	नाम	प्रभार लिए जाने की तारीख	कार्यभार छोड़े जाने की तारीख	अभ्युक्ति
138.	श्रीमती रजनी राजदान	19.04.2010 (पूर्वा.)	16.08.2014	अध्यक्ष नियुक्त हुए।
139.	डॉ. वेंकटारामी रेड्डी वाई.	30.06.2011 (अप.)	15.02.2014	
140.	श्रीमती अल्का सिरोही	04.01.2012 (अप.)	03.01.2017	संविधान के अनुच्छेद 316 (1क) के अंतर्गत दिनांक 21.09.2016 से अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त
141.	प्रो. डेविड आर.सिम्लिह	25.06.2012 (पूर्वा.)	02.04.2017	नियमित नियुक्ति किए जाने तक संविधान के अनुच्छेद 316–(1क) के अंतर्गत दिनांक–04.01.2017 से अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त। संविधान के अनुच्छेद 316–(1) के अंतर्गत 03.04.2017 को संघ लोक सेवा आयोग के नियमित अध्यक्ष नियुक्त।
142.	श्री मनबीर सिंह	03.09.2012	12.09.2016	
143.	श्री ए.पी.सिंह	13.02.2013 (पूर्वा.)	09.01.2015	त्यागपत्र दे दिया।
144.	वाईस एडमिरल (सेवानिवृत्त) डी.के. दीवान	01.07.2013	19.08.2016	
145.	श्री विनय मित्तल	08.08.2013	19.06.2018	संविधान के अनुच्छेद 316–(1क) के अंतर्गत दिनांक 22.01.2018 से 19.06.2018 तक अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के कर्त्तव्य निर्वहन के लिए नियुक्त।
146.	डॉ. श्रीमती पी. किलेम्सुंग्ला	19.08.2013 (पूर्वा.)	29.02.2016	
147.	श्री छत्तर सिंह	02.09.2013 (अप.)	22.09.2017	त्यागपत्र दे दिया।
148.	प्रो. हेम चंद्र गुप्ता	15.05.2014	17.02.2017	
149.	श्री अरविंद सक्सेना	08.05.2015 (अप.)	28.11.2018	संविधान के अनुच्छेद 316–(1क) के अंतर्गत दिनांक 20.06.2018 से अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त। संविधान के अनुच्छेद 316–(1) के अंतर्गत 29.11.2018 से अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग नियुक्त।
150.	प्रो. (डॉ) प्रदीप कुमार जोशी	12.05.2015 (अप.)	07.08.2020	संविधान के अनुच्छेद 316–(1) के अंतर्गत दिनांक 07.08.2020 (अप. राह्न) से अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग नियुक्त।
151.	श्री भीम सैन बस्सी	31.05.2016 (अप.)	19.02.2021	
152.	एयर मार्शल अजीत एस. भोसले (सेवानिवृत्त) एवीएसएम, वीएसएम	21.02.2017 (अप.)	14.02.2022	
153.	सुश्री सुजाता मेहता	21.02.2017 (अप.)	29.03.2022	
154.	श्री भरत भूषण व्यास	13.12.2018 (अप.)	14.11.2022	
155.	डॉ. टी.सी.ए. अनंत	14.01.2019	02.01.2023	

टिप्पणियां

सत्यमेव जयते

संघ लोक सेवा आयोग

धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली – 110069